

इसे वेबसाइट www.govtpress.nic.in से
भी डाउन लोड किया जा सकता है।



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 19]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 13 मई 2022—वैशाख 23, शक 1944

भाग 3 (1)

विज्ञापन

अन्य सूचनाएं

नाम सुधार संबंधी सूचना

मैं, श्रीमती विद्या कुशवाहा पति श्री कमलेश कुमार कुशवाहा उम्र 42 वर्ष, साकिन—जयप्रकाश नगर आधारताल जिला जबलपुर म.प्र. निम्न कथन करती हूं :—

1. यह कि मैं, अधिवक्ता हूं और (म.प्र.) राज्य अधिवक्ता परिषद् में मेरा नाम श्रीमती विद्यावती कुशवाहा (एनरोलमेंट नं. 3380/2001) दर्ज है एवं मेरे शिक्षा संबंधी दस्तावेजों में मेरा नाम विद्यावती दर्ज है जो कि गलत है।
2. यह कि मैं, अपना नाम श्रीमती विद्यावती कुशवाहा के स्थान पर श्रीमती विद्या कुशवाहा लिखना, पढ़ना, एवं दर्ज करवाना चाहती हूं।
3. यह कि मेरे आधार कार्ड में मेरा नाम विद्या कुशवाहा दर्ज है तथा मेरे परिचय पत्र में मेरा नाम विद्यावती कुशवाहा दर्ज है जो कि मेरे ही नाम यानी एक ही महिला के उपरोक्त दोनों नाम हैं।
4. यह कि मुझे आज दिनांक से श्रीमती विद्यावती कुशवाहा के स्थान पर श्रीमती विद्या कुशवाहा लिखा एवं पढ़ा जावे इस बाबत मैंने वैधानिक प्रक्रिया पूर्ण कर ली है।

पुराना नाम :

(विद्यावती कुशवाहा)

(G-801)

नया नाम :

(विद्या कुशवाहा)

जाहिर सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि M/s AGYA ENTERPRISES पता-48-49 A, INDUSTRIAL AREA, GOVINDPURA BHOPAL-462023 पंजी. क्र. 01-01-01-0511-22, दिनांक 24-03-2022 है। भागीदारी फर्म की स्थापना दिनांक 26-02-1997 को की गयी थी। जिसमें दिनांक 26-02-1997 को निम्न भागीदारगण शामिल थे। 1. Mr. V. P. Sachdeva S/o Late. Shri Thakardas, Govindpura Bhopal. 2. Mrs Leela Sachdeva W/o Shri V.P. Sachdeva, Govindpura Bhopal 3. Mr. Vivek Marwaha S/o Late Shri G.K. Marwaha 48-49 A, Industrial Area, Govindpura Bhopal-462023. 4. Mrs Rakhi Marwaha W/o Mr. Vivek Marwaha, 48-49 A, Industrial Area Govindpura Bhopal, दिनांक 1-3-2022 को Mr. V.P. Sachdeva S/o Late Shri Thakardas, Govindpura Bhopal एवं Mrs Leela Sachdeva W/o Shri V.P. Sachdeva, Govindpura Bhopal भागीदार फर्म से पृथक हुए। दिनांक 01-03-2022 को Shri Treksh Marwaha S/o Mr. Vivek Marwaha, 48-49 A, Industrial Area, Govindpura Bhopal, भागीदार फर्म सम्मिलित हुए। दिनांक 01-03-2022 को फर्म का पता Industrial Estate Govindpura Bhopal के स्थान पर पता परिवर्तन कर-48-49 A, Industrial Area, Govindpura Bhopal-462023 किया गया है।

M/s AGYA ENTERPRISES

Rakhi MARwaha

(Partner)

48-49, A, Industrail Area, Govindpura
Bhopal-462023

(G-802)

आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मैसर्स श्रीराम इण्डस्ट्रीज जो 18/19 ए औद्योगिक क्षेत्र ए.बी. रोड गुना, जिला गुना म.प्र. में स्थित है जिसका पं. क्र. 02-40-01-0289-21 एवं दिनांक 30-11-2021 को पंजीकृत है जिसमें दिनांक 21-03-2022 को भागीदार श्रीमती स्वीटी शर्मा पत्नी श्री उमेश शर्मा निवासी दुर्गा कॉलोनी गुना अपनी स्वेच्छा से फर्म से पृथक हो गई है। आमजन एवं सर्वजन सूचित हो।

मानू प्रताप शर्मा (भागीदार)

मैसर्स श्रीराम इण्डस्ट्रीज

18/19 ए, औद्योगिक क्षेत्र ए.बी. रोड गुना,
जिला गुना म.प्र.

(G-803)

सूचना

सूचित किया जाता है कि मेसर्स मां पीतांबरा ट्रेडिंग कंपनी (पंजीयन क्र. 01-01-010367-20) पता 205 महाराणा अपार्टमेंट प्रेस काम्पलेक्स, एम.पी. नगर, जोन वन, भोपाल में भागीदारी फर्म से श्री अजय आनंद चौधरी पिता श्री विजय कुमार चौधरी, दिनांक 19-10-2021 को फर्म से अलग हो रहे हैं। फर्म का नियमित कार्यभार भागीदारी श्री धर्मेन्द्र सिंह परिहार पिता श्री एस. बी. सिंह परिहार एवं श्री जगदीप सिंह बैस पिता श्री लक्ष्मण सिंह बैस द्वारा संचालित किया जायेगा, अजय आनंद चौधरी के सभी शेयर का वितरण शेष दोनों भागीदारों में बराबर वितरण होंगे।

धर्मेन्द्र सिंह परिहार

जगदीप सिंह बैस

(भागीदार)

Maa Pitambara trading Co.

(G-804)

PUBLIC NOTICE

With reference to above we hereby inform that following changes in the firm M/s. Aashiyana Infra Creations are as under :-

There is a change in the partnership firm since 01-02-2022 One Partner Mrs. Amrita Goyal W/o Mr. Aashish Goyal has been retired and Mr. Mohammed Ali Gori S/o Mr. Manzoor Hussain Gori & Mr. Vijay Goyal S/o Mr. Om Prakash Goyal have been admitted as new partners in the firm on 01-02-2022.

for M/s Aashiyana infra Creations
(Aashish Goyal)

(G-805)

13/3, Manoramaganj, Indore (M.P.)

PUBLIC NOTICE

NOTIFICATION U/S 60(1) OF THE INDIAN PARTNERSHIP DEED ACT, 1932

The General Public is hereby Inform That, M/s, FUTURE POLYMERS shall now have its registered office and business place changed at Plot No. 288-A, 288-B, Sector-E SANWER ROAD, INDORE-452001 (M.P.), Which was earlier registered at-23, ROYAL DWELL, ROYAL RESIDENCY, PIPLIYAHANA, INDORE-452001 (M.P.).

for M/s FUTURE POLYMERS
Sanjay Tulsyan
(Partner)

(G-806)

जाहिर सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि M/s ASTHA INDUSTRIAL COMPANY पता-Plot No. 2&3 C-Sector INDUSTRIAL AREA, GOVINDPURA BHOPAL-462023 पंजी. क्र. 01-01-01-0512-22 दिनांक 24-03-2022 है. भागीदारी फर्म की स्थापना दिनांक 28-01-2004 को की गयी थी. जिसमें दिनांक 28-01-2004 को निम्न भागीदारगण शामिल थे. 1. Mr. V. P. Sachdeva S/o Late. Shri Thakardas, Govindpura Bhopal. 2. Mr. Lalit Sachdeva S/o Shri V.P. Sachdeva, Govindpura Bhopal 3. Mrs. Rakhi Marwaha W/o Mr. Vivek Marwaha 48-49 A, Industrial Area, Govindpura Bhopal 4. Mrs Leela Sachdeva W/o Shri V.P. Sachdeva, Govindpura Bhopal दिनांक 30-12-2004 को Mr. Lalit Sachdeva S/o Shri V.P. Sachdeva, Govindpura Bhopal भागीदार फर्म से पृथक हुए. दिनांक 01-03-2022 को Mr. V. P. Sachdeva S/o Late. Shri Thakardas, Govindpura Bhopal. एवं Mrs Leela Sachdeva W/o Shri V.P. Sachdeva, Govindpura Bhopal. भागीदारी फर्म से पृथक हुए. दिनांक 01-03-2022 को Mr- Vivek Marwaha S/o Late Shri G.K. Maewaha, 48-49 A, Industrial Area, Govindpura Bhopal भागीदारी फर्म में सम्मिलित हुए. दिनांक 1-3-22 को फर्म का पता Industrial Estate Govindpura Bhopal के स्थान पर पता परिवर्तन कर-Plot No. 2&3 C-Sector INDUSTRIAL AREA, GOVINDPURA BHOPAL-462023 किया गया है. दिनांक 01-04-2022 को Ms. Mokshda Marwaha D/o Mr. Vivek Marwaha, 48-49 A, Industrial Area, Govindpura Bhopal भागीदारी फर्म में सम्मिलित हुई.

(Partner)

Rakhi Marwaha

M/s ASTHA INDUSTRIAL COMPANY

PLOT NO. 2&3 C-SECTOR INDUSTRIAL AREA
GOVENDPURABHOPAL

(G-807)

आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि हमारी फर्म मेसर्स विद्या एनर्जी इंडस्ट्रीज, जिसका पंजीकृत कार्यालय डॉक्टर यशपाल जैन क्लिनिक के सामने भगवानगंज सागर (म.प्र.) में स्थित था उसका नवीन स्थान : खसरा नं. 113, इंडस्ट्रीज एरिया, सन्मति मैदा मिल के पीछे, सिदगुवा ग्राम बम्होरी डूबर, सागर-470002 (म.प्र.) जिसका संशोधित दिनांक 1 अक्टूबर 2021 को किया गया है तथा फर्म के सभी साझेदारों को मान्य है।

(G-808)

कपिल जैन

मेसर्स विद्या एनर्जी इंडस्ट्रीज
वर्तमान साझेदार सागर (म. प्र.)

आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म Ms P.N. GROUP जो होटल संगीता लक्ष्मीगंज, जिला गुना में स्थित है जिसका पं.क्र. 02-40-01-0177-15 एवं दिनांक 31-12-2015 को पंजीकृत है जिसमें दिनांक 22-4-22 को श्री घनश्याम राठौर पुत्र श्री प्रेमनारायण राठौर निवासी सिसौदिया कॉलोनी गुना अपनी स्वेच्छा से फर्म से पृथक हो गए हैं एवं इसी दिनांक श्री नितिन राठौर पुत्र श्री घनश्याम राठौर निवासी भजन सेठ की कोठी सिसौदिया कॉलोनी गुना फर्म में नवीन भागीदार के रूप में सम्मिलित हो रहे हैं। आमजन एवं सर्वजन सूचित हो।

(G-809)

प्रकाश राठौर (भागीदार)**Ms P.N. GROUP**

होटल संगीता लक्ष्मीगंज, जिला गुना (म.प्र.)

आम सूचना

एतद्वारा आम जनता सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मेसर्स आर. के. वेयर हाउस ग्राम व पोस्ट बसारी तहसील राजनगर, जिला छतरपुर (म.प्र.) फर्म के पंजीयन रजिस्टर में क्र. 06-12-02-00119-12, दिनांक 11-12-2012 पर पंजीकृत है। उक्त भागीदारी फर्म की ओर से फर्म के भागीदार विलेख में निम्नानुसार परिवर्तन किया गया है। श्रीमती रामकली अग्रवाल पत्नी श्री कैलाश चन्द्र अग्रवाल निवास ग्राम पोस्ट बसारी, तहसील राजनगर, जिला छतरपुर (म.प्र.) ने दिनांक 1-4-2022 को फर्म मेसर्स आर. के. वेयर हाउस से अपनी साझेदारी समाप्त कर ली है। अब यह है कि फर्म मेसर्स आर.के. वेयर हाउस ग्राम व पोस्ट बसारी, तहसील राजनगर, जिला-छतरपुर (म.प्र.) में केवल श्री अनिल अग्रवाल तनय श्री कैलाश चन्द्र अग्रवाल ग्राम पोस्ट बसारी, तहसील राजनगर, जिला-छतरपुर (म.प्र.) आज दिनांक 1-4-2022 से इस फर्म के एक मात्र मालिक हो गये हैं। उनकी फर्म की सभी चल-अचल सम्पत्तियों पर मालिकाना हक हो गया है।

अतः एतद् सूचना अनुसार फर्म की ओर से सूचनाकर्ता

दिनांक 1-4-2022 के पूर्व साझेदार के हस्ताक्षर

1. रामकली अग्रवाल

पत्नी श्री कैलाश चन्द्र अग्रवाल

2. अनिल अग्रवाल

तनय श्री कैलाश चन्द्र अग्रवाल

(G-810)

दिनांक 1-4-2022 से प्रोप्राइटर एक मात्र मालिक के हस्ताक्षर

अनिल अग्रवाल

तनय कैलाश चन्द्र अग्रवाल

समाचार पत्र का प्रकाशन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री कुमारी आयुषी पंडित आयु 13 वर्ष पुत्री स्वर्गीय आशुतोष पंडित एवं श्रीमती सरिता पंडित का पूर्व में नाम कुमारी प्रतिक्षा पंडित पुत्री स्वर्गीय आशुतोष पंडित था अब मेरी पुत्री का नाम आयुषी पंडित पुत्री स्वर्गीय आशुतोष पंडित हो गया है जो आवश्यक दस्तावेजों में भी परिवर्तित हो गया है. मेरी पुत्री अब आयुषी पंडित के नाम से जानी पहचानी जायेगी. तदनुसार सूचित हो.

पुराना नाम
(प्रतिक्षा पंडित)
पुत्री स्व. आशुतोष पंडित
(G-811)

नया नाम
(आयुषी पंडित)
पुत्री स्व. आशुतोष पंडित

CHANGE OF NAME

This is to inform all that I, **Kavita Raikhere** D/o Vinod Gujar W/o Nandlal Raikhere, resident of Village barkala, Charkheda, TQ-Timarni, Distt.-Harda, M.P.-461228 Formerly known as **Kavita Gujar** and After marriage (6 May 2006) with **Nandlal Raikhere** my Name changed to **Kavita Raikhere**.

Old Name
(**Kavita Gujar**)
(G-812)

New Name
(**Kavita Raikhere**)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा नाम राजेश कुमार जैन आत्मज प्रकाश चन्द जैन, निवासी वार्ड क्र.17 मकान नं. 58 ए, राजदेव कॉलोनी शांति नगर, भोपाल. मेरे नाम कंपनी के शेरों में राजेश कुमार तातेड लिखा है मेरा पेन कार्ड, आधार कार्ड सभी में राजेश कुमार जैन है और मैं, इसी नाम से जाना पहचाना जाऊंगा.

पुराना नाम
(राजेश कुमार तातेड)
(G-813)

नया नाम
(राजेश कुमार जैन)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैंने अपना नाम परिवर्तित कर बबीता खटके (**BABITA KHATKE**) के स्थान पर संगीता खटके (**SANGEETA KHATKE**) कर लिया है. अतः भविष्य में मुझे मेरे नये नाम संगीता खटके (**SANGEETA KHATKE**) के नाम से जाना व पहचाना जावेगा. से विदिता होवे.

पुराना नाम
(बबीता खटके)
(G-814)

नया नाम
(संगीता खटके)

उपनाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी अवयस्क पुत्र कनिष्क शर्मा के स्कूल चमेलीदेवी पब्लिक स्कूल, इन्दौर के अभिलेख में भूल व त्रुटिवश माता का नाम बबीता शर्मा (Babeeta Sharma) लिखा गया है जिसे बदलकर बबीता कारपेंटर (Babeeta Carpenter) कर लिया है अतः चमेलीदेवी पब्लिक स्कूल, इन्दौर में माता बबीता शर्मा के नाम के स्थान पर बबीता कारपेंटर पढ़ा जावे सो विदित होवे.

पुराना नाम
(बबीता शर्मा)

नया नाम
(बबीता कारपेंटर)
177-बी, प्रजापत नगर, इन्दौर (म.प्र.)

(G-815)

नाम परिवर्तन

मैं, भावना सुहाने वार्ड नं. 07 बेहलोट रोड़ निवासी गंज बासौदा जिला विदिशा (म.प्र.) मेरे आधार, पेनकार्ड, बैंक खाते एवं अन्य दस्तावेजों में भावना सुहाने दर्ज है, जबकि मेरे पुत्र सजल सुहाने के स्कूल रिकार्ड में मेरा नाम गलती से रेणु सुहाने दर्ज हो गया है जबकि मेरा सही नाम भावना सुहाने है, मुझे इसी नाम से जाना, पहचाना जाता है.

पुराना नाम
(रेणु सुहाने)

नया नाम
(भावना सुहाने)

(G-816)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, श्रीमती अंजली भोसले (Anjali Bhosale) पत्नि श्री कृष्णा भोसले आयु 23 वर्ष निवासी-37, वैशाली नगर, कोटरा, भोपाल (म.प्र.) की हूँ, मेरा नाम शादी से पूर्व अंजुम शेख (Anjum Shaikh) पुत्री श्री गफ्फार शेख था जो शादी के उपरांत श्रीमती अंजली भोसले (Anjali Bhosale) पत्नि श्री कृष्णा भोसले (Krishna Bhosale) हो गया है मेरे प्रपत्रों में मेरा नाम अंजुम शेख (Anjum Shaikh) पुत्री श्री गफ्फार शेख है जो की मेरे आधार कार्ड में भी है, जो कि अब मेरा नाम श्रीमती अंजली भोसले (Anjali Bhosale) पत्नी श्री कृष्णा भोसले (Krishna Bhosale) हो गया है, यह की इस विज्ञप्ति उपरांत मुझे अपने नए नाम श्रीमती अंजली भोसले (Anjali Bhosale) पत्नी श्री कृष्णा भोसले (Krishna Bhosale) के नाम से ही जाना पहचाना एवं पुकारा जाए और भविष्य में भी मैं, इसी नाम से जानी पहचानी एवं पुकारी जाऊंगी.

पुराना नाम
अंजुम शेख (Anjum Shaikh)
पुत्री श्री गफ्फार शेख (GUFFAR SHEKH)

नया नाम
अंजली भोसले (Anjali Bhosale)
पत्नी श्री कृष्णा भोसले (Krishna Bhosale)

(G-817)

नाम परिवर्तन

आमजन को मैं, शिवांगी सिंह बघेल पुत्री श्री शिवनारायण सिंह, निवासी- ब्लॉक नंबर 1, एफ-10 सहादरी परिसर, भदमदा रोड़, भोपाल मध्यप्रदेश यह सूचित करती हूँ कि मेरे आधार कार्ड मतदाता पहचान पत्र और समस्त शासकीय एवं अशासकीय दस्तावेजों में मेरा नाम शिवांगी सिंह बघेल नाम अंकित है मेरे संत होने के उपरान्त दिनांक 08-02-2013 संत परंपरा अनुसार नाम परिवर्तन उपरान्त मेरा नाम देवी माँ शिवांगीनंद गिरी हो गया है और मुझे सभी लोग इसी नाम से जानते एवं पुकारते भी हैं सभी जन को यह सूचित करने के साथ कि मेरा नाम परिवर्तन होने के उपरान्त देवी माँ शिवांगीनंद गिरी हो गया है इसलिए मेरे शासकीय व अशासकीय दस्तावेज में सुधार किया जाकर परिवर्तन नाम देवी माँ शिवांगीनंद गिरी अंकित किया जाए सर्वसाधारण को सूचित हो।

पुराना नाम

(शिवांगी सिंह बघेल)

नया नाम

(देवी माँ शिवांगीनंद गिरी)

पता-आदिशक्ति देवी जी आश्रम, नजदीक

शारदा विहार कॉलोनी, केरवा डेम रोड,

(G-818)

हुजूर, भोपाल (म.प्र.)

नाम परिवर्तन

मैं, गायत्री पत्नी स्व. श्री रामनिवास गुप्ता सर्वसाधारण को सूचित करती हूँ कि मेरा घर का बोलता नाम गंगा बाई था जो मेरे पति की बीमा पॉलिसी के नोमिनि में लिखा गया है जबकि वर्तमान में मैं, गायत्री के नाम से जानी पहचानी व पुकारी जाती हूँ जो मेरे आधार कार्ड, पैन कार्ड इत्यादि में लिखा गया है गायत्री और गंगा बाई दोनों मेरे ही नाम है और भविष्य में भी मैं, गायत्री पत्नी स्व. श्री रामनिवास गुप्ता के नाम जानी पहचानी एवं पुकारी जाऊंगी अतः मेरे पति की बीमा पॉलिसी के नोमिनि मे मेरा नाम गंगा बाई के स्थान पर गायत्री लिखा एवं पढ़ा जावे। आम जन एवं सर्वजन सूचित हो।

पुराना नाम

(गंगा बाई)

नया नाम

(गायत्री पत्नी स्व. श्री रामनिवास गुप्ता)

पता :- गली नं. 1 करोली माता मंदिर के

पास महलगांव ग्वालियर.

(G-819)

उपनाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे सेवा अभिलेख में मेरा नाम जितेन्द्र आत्मज श्री सत्यपाल अंकित है, जब कि मेरा सही नाम जितेन्द्र आर्य आत्मज श्री सत्यपाल आर्य है जो पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक एकाउन्ट इत्यादि में अंकित है.

अब मेरे नाम में उपनाम जोड़कर जितेन्द्र आर्य पुत्र श्री सत्यपाल आर्य किया जाना है क्योंकि अब मुझे सभी लोग जितेन्द्र आर्य के नाम जानते एवं पहचानते हैं.

पुराना नाम

(जितेन्द्र) पुत्र श्री सत्यपाल

नया नाम

(जितेन्द्र आर्य)

पुत्र श्री सत्यपाल आर्य

म.नं. 135 एम.आई.जी, अमरावती कॉलोनी,

बागसेवानिया भोपाल (म.प्र.).

(G-820)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी अवयस्क पुत्री ख्याति सिंह के स्कूल चमेलीदेवी पब्लिक स्कूल, इन्दौर के अभिलेख में भूल व त्रुटिवश माता का नाम शिवानी सिंह (Shivani Singh) लिखा गया है जिसे बदलकर शिवानी रानी राजपूत (Shivani Rani Rajput) कर लिया है अतः चमेलीदेवी पब्लिक स्कूल, इन्दौर में माता का नाम शिवानी सिंह के नाम के स्थान पर शिवानी रानी राजपूत पढ़ा जावे। सो विदित होवे।

पुराना नाम
(शिवानी सिंह)

नया नाम
(शिवानी रानी राजपूत)
सी-5, वैशाली नगर, इन्दौर (म.प्र.).

(G-821)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा अवयस्क पुत्र मंयक कुमावत के स्कूल चमेलीदेवी पब्लिक स्कूल, इन्दौर के अभिलेख में भूल व त्रुटिवश माता का नाम संजना कुमावत (Sanjana Kumawat) लिखा गया है जिसे बदलकर माया कुमावत (Maya Kumawat) कर लिया है अतः चमेलीदेवी पब्लिक स्कूल, इन्दौर में माता का नाम माया कुमावत (Maya Kumawat) पढ़ा जावे। सो विदित होवे।

पुराना नाम
(संजना कुमावत)

नया नाम
(माया कुमावत)
333, सेटेलाईट टाउनशीप, इन्दौर (म.प्र.).

(G-822)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि मेरी अवयस्क पुत्री महक खान (Mahek Khan) का नाम बदलकर सानिया खान (Saniya Khan) रख लिया है तथा इस संबंध में आवश्यक कार्यवाही कर ली है अतः मेरी पुत्री को सानिया खान (Saniya Khan) के नाम से जाना-पहचाना जावे। सो विदित होवे।

(वसीम अहमद खान)
20, अशोका कॉलोनी, माणिकबाग रोड, इन्दौर (म.प्र.)

(G-823)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि विवाह के पूर्व मेरा नाम हर्षा प्लास था विवाह पश्चात मेरा नाम हर्षा मेलविन फर्नाडिस हो गया है। अतः भविष्य में मुझे नए नाम से (हर्षा मेलविन फर्नाडिस) ये जाना एवं पहचाना जाए।

पुराना नाम
(हर्षा प्लास)

नया नाम
(हर्षा मेलविन फर्नाडिस)
पता बी 51, ई संक्टर रायसेन रोड,
पटेल नगर भोपाल

(G-824)

नाम परिवर्तन

यह कि मनजीत सिंह पिता भूपेन्द्र सिंह उम्र 52 निवासी पोस्ट निगाही तहसील एवं जिला सिंगरौली, मध्यप्रदेश का निवासी हूँ यह की मैं शपथ पूर्वक कथन करता हूँ कि मैं उपरोक्त पते का निवासी हूँ सतकीरत सिंह मेरा पुत्र है एवं मेरे उक्त पुत्र के माता का नाम श्रीमती आशू कौर है जो सही एवं सत्य है यह कि मैं, शपथपूर्वक कथन करता हूँ कि मेरे उक्त पुत्र के जन्म प्रमाण-पत्र एवं स्कूल रिकार्डों में उसका नाम सतकीरत अंकित है जो लिपिकीय त्रुटि है। यह कि मैं शपथपूर्वक कथन करता हूँ कि मेरे उक्त पुत्र के जन्म प्रमाण-पत्र एवं स्कूल रिकार्ड में सतकीरत लेख रहा है जिसे मैं, सुधार कर उसका नाम सतकीरत सिंह अंकित करा दिया हूँ। जो सही एवं सत्य है।

मनजीत सिंह पिता भूपेन्द्र सिंह
पोस्ट निगाही, तहसील एवं जिला सिंगरौली (म.प्र.)

(G-825)

उपनाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, शपथकर्ता राजेश सिंह ठाकुर पिता स्व. श्री उत्तम सिंह ठाकुर, पद-माध्यमिक शिक्षक वर्तमान कार्य स्थान शासकीय माध्यमिक शाला तिहारी, संकुल केन्द्र शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय स्लीमनाबाद, तहसील बहोरीबंद, जिला-कटनी (म.प्र.), निवासी ग्राम स्लीमनाबाद, तहसील बहोरीबंद, जिला-कटनी (म.प्र.) ने सेवा अभिलेख में अंकित अपना पूर्व नाम राजेश सिंह घोषी परिवर्तित करके राजेश सिंह ठाकुर कर दिया है जो कि मेरे आधार कार्ड, पेन कार्ड एवं अन्य दस्तावेजों में दर्ज है ये दोनों नाम एक ही व्यक्ति के हैं। अब मुझे राजेश सिंह ठाकुर पिता स्व. श्री उत्तमसिंह ठाकुर के नाम से जाना-पहचाना, लिखा एवं पढ़ा जावे तथा मेरे समस्त अभिलेखों, शासकीय आदेशों एवं सेवा अभिलेख में सुधार कर यही नाम दर्ज किया जावे।

पुराना नाम

(राजेश सिंह घोषी)

नया नाम

(राजेश सिंह ठाकुर)

पिता स्व. श्री उत्तम सिंह ठाकुर

(G-826)

उपनाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे अवयस्क पुत्र कनिष्क शर्मा के चमेलीदेवी पब्लिक स्कूल, इन्दौर के अभिलेख में भूल व त्रुटिवश मेरा नाम अरूण शर्मा व मेरे पुत्र का नाम कनिष्क शर्मा लिखा गया है जिसे बदलकर अरूण कारपेंटर तथा मेरे पुत्र का नाम कनिष्क कारपेंटर कर लिया है. अतः चमेलीदेवी पब्लिक स्कूल, इन्दौर में मेरे व मेरे पुत्र के नाम के पश्चात् सरनेम शर्मा के स्थान पर कारपेंटर (Carpenter) पढ़ा जावे. सो विदित होवे.

पुराना नाम

(अरूण शर्मा)

नया नाम

(अरूण कारपेंटर)

177-बी, प्रजापत नगर,

इन्दौर (म.प्र.)

(G-827)

नाम परिवर्तन

मैं, रीना चावला पत्नी श्री तरुण चावला, निवासी भोपाल सर्वसाधारण को सूचित करती हूँ कि कु० आर्या सगगर (पुत्री स्व. श्री प्रतीक सगगर माता स्व. श्रीमती श्वेता सगगर) दोनों के निधन के पश्चात् कु. आर्या सगगर को मुझे न्यायालय द्वारा अधिपत्य दिया गया है इसलिये कु. आर्या सगगर को वर्तमान एवं भविष्य में आर्या चावला पुत्री तरुण चावला एवं माता श्रीमती रीना चावला के नाम से जाना एवं पहचाना जाय.

पुराना नाम

(कु. आर्या सगगर)

नया नाम

(कु. आर्या चावला)

(G-828)

नाम परिवर्तन

मैं, सुनीता जैन (Suneeta Jain) पत्नी स्व. श्री अजय कुमार जैन सर्वसाधारण को सूचित करती हूँ की मेरा घर का बोलता नाम श्रीमती सविता जैन (Smt. Savita Jain) था जो मेरे पति की बीमा पॉलिसी के नोमिनि में लिखा गया है जबकि वर्तमान में मैं, सुनीता जैन (Suneeta Jain) के नाम से जानी पहचानी व पुकारी जाती हूँ जो मेरे आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासबुक इत्यादि में लिखा गया है सुनीता जैन (Suneeta Jain) और श्रीमती सविता जैन (Smt. Savita Jain) दोनो मेरे ही नाम है और भविष्य मे भी मैं, सुनीता जैन (Suneeta Jain) पत्नी स्व. श्री अजय कुमार जैन के नाम जानी पहचानी एवं पुकारी जाऊंगी अतः मेरे पति की बीमा पॉलिस के नोमिनि में मेरा नाम श्रीमती सविता जैन (Smt. Savita Jain) के स्थान पर सुनीता जैन (Suneeta Jain) लिखा एवं पढ़ा जावे. आम जन एवं सर्वजन सूचित हो.

पुराना नाम

श्रीमती सविता जैन (Smt. Savita Jain)

नया नाम

सुनीता जैन पत्नी स्व. श्री अजय कुमार जैन

पता:- इंगले साहब का बाड़ा वार्ड नं. 05 न्यू ब्लॉक, शिवपुरी (म.प्र.)

(G-829)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा नाम शाकिरा बेगम (SHAKIRA BEGAM) पति श्री शाब्बीर शाह निवासी क्यू. नं. 05, शिव विहार कालोनी ग्राम हरन्याखेड़ी तहसील महू, जिला इन्दौर (म.प्र.) है, जो कि मेरे सभी शासकीय दस्तावेजों, परिचय पत्र, पहचान पत्र, आधार कार्ड, पेन कार्ड आदि दर्ज है, परन्तु मेरे सभी रिश्तेदार मित्र एवं जान-पहचान वाले लोग मुझे मेरे चलित नाम नूरजहाँ (NURJAHAN) के नाम से जानते तथा पहचानते हैं.

अतः जहाँ पर भी मेरा नाम नूरजहाँ (NURJAHAN) दर्ज है उसके स्थान पर शाकिरा बेगम (SHAKIRA BEGAM) मान्य किया जाए एवं भविष्य में सभी स्थानों पर मेरा नाम शाकिरा बेगम पढ़ा जाए एवं संबोधित किया जाए.

चलित नाम/पुराना नाम

नूरजहाँ

(NURJAHAN)

नया नाम

शाकिरा बेगम

(SHAKIRA BEGAM)

क्यू.नं. 05, शिव विहार कालोनी ग्राम हरन्याखेड़ी
तहसील महू, जिला इन्दौर (म.प्र.)

(G-830)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा पूर्व नाम रेनू फुलवानी पुत्री श्री स्व. श्री चेतनदास फुलवानी था तथा दिनांक 28-05-1992 को मेरा विवाह श्री संजय किशनानी के साथ सम्पन्न हुआ है तब से मेरा नाम परिवर्तित हो गया है तथा मैं, अब अपना परिवर्तित नाम श्रीमती आरती एस. किशनानी लिखने लगी हूँ तथा वर्तमान में श्रीमती आरती एस. किशनानी के नाम से जानी व पहचानी जाती हूँ.

प्रार्थी

श्रीमती आरती एस. किशनानी

निवासी मकान नम्बर 375, 9 ए

साकेत नगर भोपाल, मध्यप्रदेश.

(G-831)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैंने अपना नाम परिवर्तन कर शिवानी गुप्ता (Shivani Gupta) के स्थान पर शुभांगी खरया (Shubhangi Kharia) कर लिया है. अतः भविष्य में मुझे मेरे नये नाम शुभांगी खरया (Shubhangi Kharia) के नाम से जाना व पहचाना जावेगा. सो विदित होवे.

पुराना नाम

(शिवानी गुप्ता)

नया नाम

(शुभांगी खरया)

ए/3, संजय उपवन, एम.आई.जी.कॉलोनी,
विजयनगर, इन्दौर (म.प्र.)

(G-832)

भोपाल विकास प्राधिकरण, भोपाल.

क्र0 595-E E-03-भोविप्रा-2022

भोपाल, दिनांक 06 मई 2022

प्रगति भवन, प्रेस कॉम्प्लेक्स, जोन-1 एम.पी.नगर, भोपाल-462011.

“ प्रारूप उन्नीस

[नियम 19 (13) देखिए]

धारा 50 की उप-धारा 11 के अधीन नगर विकास स्कीम की घोषणा हेतु सूचना

मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23, सन् 1973) की धारा 50 की उप-धारा (10) के अधीन सर्वसाधारण की जानकारी के लिये एतद्वारा यह घोषित तथा प्रकाशित किया जाता है कि भोपाल विकास प्राधिकरण भोपाल (नगर तथा ग्राम निवेश प्राधिकरण का नाम) द्वारा तैयार की गई नगर विकास स्कीम क्रमांक 205/2020 अर्थात् रक्षा विहार चरण-3 ग्राम मुबारकपुर तहसील हुजूर भोपाल को संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश द्वारा अनुमोदित किया जा चुका है.

उक्त स्कीम के अभिन्यास, मूल भूखण्ड तथा अन्तिम भूखण्ड को दर्शाते हुए तथा प्रारूप-उन्नीस (क) प्रारूप-उन्नीस (ख) तथा प्रारूप-उन्नीस (ग) में विनिर्दिष्ट विस्तृत विवरण निम्न दर्शाये गये कार्यालयों में नब्बे दिवस की अवधि हेतु निरीक्षण के लिये उपलब्ध है:

1. भोपाल विकास प्राधिकरण, भोपाल.
2. कलेक्टर, जिला भोपाल.
3. नगर तथा ग्राम निवेश का जिला कार्यालय भोपाल, सिहोर, रायसेन.
4. नगर निगम, भोपाल.
5. प्राधिकरण की वेबसाईट अर्थात् WWW.bda.org.in.

उपरोक्त स्कीम दिनांक 13-05-2022 से प्रभावशील होगी.

बुद्धेश कुमार वैद्य

मुख्य कार्यपालन अधिकारी

(भोपाल विकास प्राधिकरण, भोपाल) ।”।

(G-833)

भोपाल विकास प्राधिकरण, भोपाल

क्र० 858--का.यंत्री-01-भोविप्रा-2022

भोपाल, दिनांक 09 मई 2022

“ प्रारूप उन्नीस

[नियम 19 (13) देखिए]

धारा 50 की उप-धारा 11 के अधीन नगर विकास स्कीम की घोषणा हेतु सूचना

मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23, सन् 1973) की धारा 50 की उप-धारा (10) के अधीन सर्वसाधारण की जानकारी के लिये एतद्द्वारा यह घोषित तथा प्रकाशित किया जाता है कि भोपाल विकास प्राधिकरण, भोपाल द्वारा तैयार की गई नगर विकास स्कीम क्रमांक 201/2020 अर्थात् ग्राम मिसरोद, जाटखेड़ी, कटारा, बागली, बरई 45 मीटर मार्ग योजना, को संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश द्वारा अनुमोदित किया जा चुका है,

उक्त स्कीम के अभिन्यास, मूल भूखण्ड तथा अन्तिम भूखण्ड को दर्शाते हुए तथा प्रारूप-उन्नीस (क) प्रारूप-उन्नीस (ख) तथा प्रारूप-उन्नीस (ग) में विनिर्दिष्ट विस्तृत विवरण निम्न दर्शाये गये कार्यालयों में नब्बे दिवस की अवधि हेतु निरीक्षण के लिये उपलब्ध है:

1. भोपाल विकास प्राधिकरण, भोपाल.
2. कलेक्टर, जिला भोपाल.
3. नगर तथा ग्राम निवेश का जिला कार्यालय भोपाल, सिहोर, रायसेन.
4. नगर पालिक निगम, भोपाल.
5. प्राधिकरण की वेबसाईट अर्थात् WWW.bda.org.in.

उपरोक्त स्कीम दिनांक 13-05-2022 से प्रभावशील होगी.

बुद्धेश कुमार वैद्य

मुख्य कार्यपालन अधिकारी

(भोपाल विकास प्राधिकरण, भोपाल) ।”।

(G-834)

भोपाल विकास प्राधिकरण, भोपाल.

क्र0 594-E E-03-भोविप्रा-2022

भोपाल, दिनांक 06 मई 2022

प्रगति भवन, प्रेस कॉम्प्लेक्स, जोन-1 एम.पी.नगर, भोपाल-462011.

“ प्रारूप उन्नीस

[नियम 19 (13) देखिए]

धारा 50 की उप-धारा 11 के अधीन नगर विकास स्कीम की घोषणा हेतु सूचना

मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23, सन् 1973) की धारा 50 की उप-धारा (10) के अधीन सर्वसाधारण की जानकारी के लिये एतद्वारा यह घोषित तथा प्रकाशित किया जाता है कि भोपाल विकास प्राधिकरण, भोपाल (नगर तथा ग्राम निवेश प्राधिकरण का नाम) द्वारा तैयार की गई नगर विकास स्कीम क्रमांक 206/2020 अर्थात् एयरोसिटी चरण-2 ग्राम मुबारकपुर एवं कुराना, को संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश द्वारा अनुमोदित किया जा चुका है.

उक्त स्कीम के अभिन्यास, मूल भूखण्ड तथा अन्तिम भूखण्ड को दर्शाते हुए तथा प्रारूप-उन्नीस (क) प्रारूप-उन्नीस (ख) तथा प्रारूप-उन्नीस (ग) में विनिर्दिष्ट विस्तृत विवरण निम्न दर्शाये गये कार्यालयों में नब्बे दिवस की अवधि हेतु निरीक्षण के लिये उपलब्ध है:

1. भोपाल विकास प्राधिकरण, भोपाल.
2. कलेक्टर, जिला भोपाल.
3. नगर तथा ग्राम निवेश का जिला कार्यालय भोपाल, सिहोर, रायसेन.
4. नगर निगम, भोपाल.
5. प्राधिकरण की वेबसाईट अर्थात् WWW.bda.org.in.

उपरोक्त स्कीम दिनांक 13-05-2022 से प्रभावशील होगी.

बुद्धेश कुमार वैद्य

मुख्य कार्यपालन अधिकारी

(भोपाल विकास प्राधिकरण, भोपाल) ।”।

(G-835)

अन्य सूचनाएं

कार्यालय, संयुक्त रजिस्ट्रार सहकारी संस्थाएँ जबलपुर संभाग जबलपुर

जबलपुर, दिनांक 8 मार्च 2022

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 के अंतर्गत)

क्र.-सं.पं.ज.-विधि-2022-432 .- बरगीबांध विस्थापित मत्स्य उत्पादक एवं विपणन सहकारी समिति मर्यादित जिला जबलपुर पंजीयन क्रमांक 4 दिनांक 01 सितम्बर 1994 के वर्ष 2017-18, 2018-19 एवं 2019-20 के अंकेक्षण प्रतिवेदनों की समीक्षा किये जाने पर यह पाया गया कि संस्था द्वारा लगातार तीन वर्षों में अकार्यशील रही. संस्था ने उक्त वर्षों में संस्था के संचालन एवं कार्यवृद्धि हेतु किसी भी प्रकार का कार्य नहीं किया गया है. इस संबंध में अंकेक्षक द्वारा भी यह अमिमत दिया गया है कि संस्था विगत वर्षों से अकार्यशील होने के कारण संस्था को अंकेक्षण वर्गीकरण में डी वर्ग में रखा गया है तथा परिसमापन में लाये जाने की सिफारिश की गई है.

अतः उक्त स्थितियों से यह पाया जा रहा है कि संस्था पंजीयन के उद्देश्यों की पूर्ति में असफल रही है. अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 के तहत कार्यवाही करते हुए धारा 70 के तहत परिसमापक क्यों ना नियुक्त किया जाये. इस संबंध में संस्था को कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक-विधि-2021-468 दिनांक 09 मार्च 2021 जारी कर दिनांक से एक माह में अपना पक्ष प्रस्तुत करे अन्यथा यह मान लिया जावेगा कि इस संबंध में संस्था को कुछ नहीं कहना है एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 के तहत कार्यवाही की जावेगी. इस संबंध में संस्था द्वारा पत्र दिनांक 05 जुलाई 2021 प्रस्तुत कर तीन माह की समयावधि चाही गई किन्तु समयावधि समाप्त होने के पश्चात् भी कोई कार्यवाही प्रतिवेदन/ प्रगति प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया. इससे मैं इस स्थिति पर पहुंचता हूं कि संस्था अपने कार्य उद्देश्यों की पूर्ति करने में असफल हो चुकी है. ऐसी स्थिति में संस्था को अस्तित्व में रखे जाने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है.

अतः, मैं, पी.के. सिद्धार्थ, संयुक्त रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएँ, जबलपुर संभाग जबलपुर मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएँ अधिनियम 1960 की धारा 69 के अन्तर्गत रजिस्ट्रार की शक्तियां जो मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-2-2010-पन्द्रह-1 बी भोपाल दिनांक 23 अक्टूबर 2010 द्वारा प्रदत्त हैं का उपयोग करते हुए बरगीबांध विस्थापित मत्स्य उत्पादक एवं विपणन सहकारी समिति मर्यादित जिला जबलपुर पंजीयन क्रमांक 4 दिनांक 01 सितम्बर 1994 को एतद्वारा परिसमापन में लाता हूं तथा साथ ही धारा 70 के अन्तर्गत क्षेत्रीय प्रबंधक, मध्यप्रदेश राज्य सहकारी मत्स्य महासंघ भोपाल के क्षेत्रीय कार्यालय जबलपुर को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूं. यह भी आदेशित किया जाता है कि क्षेत्रीय प्रबंधक, मध्यप्रदेश राज्य सहकारी मत्स्य महासंघ भोपाल के क्षेत्रीय कार्यालय जबलपुर परिसमापक के रूप में मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन मुझे शीघ्रातिशीघ्र प्रस्तुत करें.

यह आदेश आज दिनांक 08 मार्च 2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया जाता है.

पी.के. सिद्धार्थ, संयुक्त रजिस्ट्रार.

(G-836)

कार्यालय, सहायक आयुक्त (प्रशासन), सहकारिता, जिला बड़वानी, मध्यप्रदेश

बड़वानी, दिनांक 31 मार्च 2022

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) (2) के अंतर्गत]

क्रमांक-परिसमापन-2022-502
कार्यालय आदेश क्रमांक 7/परि./2017/445 बड़वानी दिनांक 08.12.2017 के द्वारा परिसमापक श्री गुरुनानक साखु सह.संस्था मर्या.बड़वानी जिला बड़वानी, जिसका पंजीयन क्रमांक 391 दिनांक 21.11.2014 है, को म.प्र.सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70(1) के अन्तर्गत श्री जे0एस0चौहान पद वरि0 सहकारी निरीक्षक सहकारिता जिला बड़वानी को संस्था परिसमापक नियुक्त किया गया था।

परिसमापक द्वारा संस्था की परिसमापन कार्यवाही पूर्ण करके संस्था का स्थिति विवरण पत्रक निरंक किया जाकर पंजीयन निरस्त करने हेतु अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है। संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः मैं सुरेश सांवले सहायक पंजीयक सहकारी संस्थाएँ जिला बड़वानी, म.प्र. सहकारी समितियाँ अधिनियम 1960 की धारा 18(1)(2) के अन्तर्गत एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ/5/1/99/15-1/सी दिनांक 26.7.1999 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त परिसमापित श्री गुरुनानक साख सहकारी संस्था मर्यादित बड़वानी जिला बड़वानी, जिसका पंजीयन क्रमांक 391 दिनांक 21.11.2014 है, संस्था का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था का (बॉडी कार्पोरेट) निकाय समाप्त करता हूँ।

आज दिनांक 31.03.2022 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है।

सुरेश सांवले, सहायक पंजीयक.

(G-837)

कार्यालय, उपायुक्त, सहकारिता, जिला रतलाम, मध्यप्रदेश

(मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा 18 एवं 72 के अंतर्गत)

रतलाम, दिनांक 30 मार्च 2022

क्रमांक-परिसमापन कक्ष-2022-542

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परिसमापन/ 333/ रतलाम, दिनांक 03.02.2017 के द्वारा गन्ना उत्पादक ऋव-विक्रय सहकारी संस्था मर्यादित जावरा जिला रतलाम पंजीयन क्रमांक 21 दिनांक 25.08.1966 का परिसमापन किये जाने हेतु श्री आर.के. सोनी, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था। सोसायटी के परिसमापक द्वारा सोसायटी की आस्तियों एवं दायित्वों का निपटारा करने के पश्चात निरंक स्थिति विवरण पत्रक एवं अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत कर सोसायटी का रजिस्ट्रीकरण रद्द करने की अनुसंधा की गई है।

सोसायटी के परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन एवं सोसायटी के रजिस्ट्रकरण रद्द करने की अनुसंधा के आधार पर सोसायटी का रजिस्ट्रकरण रद्द किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः एवं म.प्र. शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 5-1-99 पन्दी-1सी दिनांक 26.07.1999 के द्वारा रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटी म.प्र. भोपाल की उप रजिस्ट्रार सहकारी समितियाँ रतलाम को प्रदत्त म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 18 एवं 72 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए गन्ना उत्पादक ऋव-विक्रय सहकारी संस्था मर्यादित जावरा जिला रतलाम पंजीयन क्रमांक 21 दिनांक 25.08.1966 का रजिस्ट्रीकरण रद्द करते हुए सोसायटी के निगमित निकाय अवस्था को समाप्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 30 मार्च 2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया है।

एस. के. सिंह, उप रजिस्ट्रार.

(G-838)

कार्यालय, परिसमापक बालाजी कटलरी पटवा गृह उद्योग सहकारी संस्था मर्यादित, खण्डवा
[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थायें नियम 1962 के नियम 57 (ग) के अंतर्गत]

खण्डवा, दिनांक 08 मार्च 2022

क्रमांक-परिसमापन-2022-क्यू 1

बालाजी कटलरी पटवा गृह उद्योग सहकारी संस्था मर्यादित, खण्डवा जिसका पंजीयन क्रमांक 1145 दिनांक 08.10.1974 है, को उप रजिस्ट्रार/सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थायें, जिला खण्डवा के आदेश क्रमांक/परि./2021/434 दिनांक 31.03.2021 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 की धारा 69 के अंतर्गत परिसमापन में लाना जाकर धारा 70 (1) के अंतर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है।

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी नियम 1962 के नियम क्रमांक 57 (ग) के अंतर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 2 माह के अंदर मय प्रमाण के यदि हो तो मुझे लिखित रूप से प्रस्तुत कर सकते हैं। त्रुटि की दशा में साहकारण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधिन होंगे। यदि 2 माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा एवं संस्था की लेखा पुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत प्रस्तुत किए गए समझे जावेंगे।

यह सूचना पत्र आज दिनांक 07.03.2022 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

गोविंदप्रसाद नागवंशी, परिसमापक एवं उप अंकेक्षक.

(G-839)

कार्यालय, परिसमापक एवं उप अंकेक्षक सहकारी संस्थाएँ, जिला बड़वानी

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएँ नियम 1962 के नियम 57 सी/ग के अंतर्गत]

बड़वानी, दिनांक 25 मार्च 2022

क्र.-परि-2022-क्यू

सहायक आयुक्त (प्रशासन) सहकारिता जिला बड़वानी के द्वारा म.प्र.सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(2)के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70(1) के अंतर्गत अधोहस्ताक्षरकर्ता को परिसमापक नियुक्त किया गया है ।

क.	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक दिनांक	परिसमापन का आदेश क्रमांक व दिनांक
1	आदर्श महिला प्राथ.उपभोक्ता सहकारी मंडार मर्था. राजपुर	74 / 28.10.2002	351 / 28.04.2016
2	आदिवासी मत्स्य सहकारी संस्था मर्या.रणगांवरोड	1043 / 17.05.1996	131-8 / 28.06.2006
3	नर्मदा बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या.चितावल	453 / 05.02.2015	483 / 31.03.2017
4.	बालाजी महिला प्राथ.उपभोक्ता सहकारी मंडार राजपुर	75 / 19.10.2002	820 / 09.11.2016

उक्त सहकारी संस्थाओं का पूर्व परिसमापक/अध्यक्ष/प्रबंधक से मुझे किसी प्रकार का रिकार्ड,दस्तावेज आदि का प्रभार मुझे नहीं प्राप्त हुआ है।

अतः म.प्र.सहकारी सोसायटी नियम 1962 के नियम क्रमांक 57 सी/ग के अंतर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावे इस सूचना पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 2 माह के भीतर मय प्रमाण के यदि कोई हो तो मुझे कार्यालय सहायक आयुक्त (प्रशासन) सहकारिता जिला बड़वानी कार्यालयीन दिवस में उपस्थित होकर लिखित रूप से सहप्रमाण प्रस्तुत करें। त्रुटि कि दशा में साहूकरण/दावेदारगण/सदस्यगण किसी भी बंटवारे से वंचित होने के लिए संबंधित दावेदार स्वयं उत्तरदायी होंगे, यदि 2 माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो उसके बाद में उसका दावा मान्य नहीं किया जावेगा तथा संस्थाओं की लेखापुस्तकों में समस्त लेखबद्ध दायित्व स्वयंमेव मुझे विधिवत प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे ।

यदि उक्त संस्थाओं के अभिलेख या आस्तियां/डेडस्टॉक/संस्था का रिकार्ड किसी के पास हो तो अविलम्ब अधोहस्ताक्षरकर्ता को सौंपे यदि बाद में ज्ञात होता है कि किसी कि द्वारा जानबुझकर, आस्तियों या अभिलेख रेकार्ड नहीं सौंपे गये है, तो संबंधित के विरुद्ध उनको वसूलने हेतु विधिवत वैधानिक कार्यवाही की जावेगी, जिनकी संपूर्ण जवाबदारी संबंधित की रहेगी।

यदि उक्त संस्थाओं के अभिलेख एवं आस्तियों समस्त प्रयासों के बावजूद भी प्राप्त नहीं होती है तो दावेदारों/साहूकारों/सदस्यों के दावे, आपत्तियों का निराकरण गत वर्षों के वित्तीय पत्रकों में दर्शाई गई लेनदारी एवं देनदारी की प्रविष्टियां बोगस/शून्य मानकर तदनुसार पंजीयन निरस्ती हेतु अंतिम प्रतिवेदन सक्षम अधिकारी को प्रस्तुत कर दिया जायेगा।

सूचना आज दिनांक 25.03.2022 को मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया।

राधेश्याम चौहान, परिसमापक एवं उप अंकेक्षक.

(G-840)

कार्यालय, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएँ, उज्जैन, जिला उज्जैन
[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) के अंतर्गत]

उज्जैन, दिनांक 10 फरवरी 2022

क्रमांक-परिसमापन-2022-359.

कार्यालयान आदेश क्रमांक/परिसमापन/1969 उज्जैन दिनांक 21.09.2021 द्वारा विकास बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित आलाखेडा, जिला-उज्जैन जिसका पंजीयन क्रमांक 2204 दिनांक 04.09.2015 को म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70 के अंतर्गत श्री बी.एल.सोलंकी पद सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था।

परिसमापक द्वारा लेनदारी एवं देनदारी संबंधी संपूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है। संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः मैं ओपीओ गुप्ता उप पंजीयक सहकारी संस्थाएँ जिला उज्जैन म.प्र. शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी भोपाल दिनांक 26.07.1999 के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुवे, म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) के अंतर्गत उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 10/02/2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(G-841)

क्रमांक-परिसमापन-2022-358.

कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परिसमापन/1969 उज्जैन दिनांक 21.09.2021 द्वारा उत्तम बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित खेडामददा, जिला-उज्जैन जिसका पंजीयन क्रमांक 2205 दिनांक 04.09.2015 को म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70 के अंतर्गत श्री बी.एल.सोलंकी पद सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था।

परिसमापक द्वारा लेनदारी एवं देनदारी संबंधी संपूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है। संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः मैं ओपीओ गुप्ता उप पंजीयक सहकारी संस्थाएँ जिला उज्जैन म.प्र. शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी भोपाल दिनांक 26.07.1999 के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुवे, म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) के अंतर्गत उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 10/02/2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(G-842)

क्रमांक-परिसमापन-2022-357.

कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परिसमापन/1969 उज्जैन दिनांक 21.09.2021 द्वारा बडकेश्वर बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित झागरा, जिला-उज्जैन जिसका पंजीयन क्रमांक 2132 दिनांक 04.08.2015 को म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70 के अंतर्गत श्री बी.एल.सोलंकी पद सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था ।

परिसमापक द्वारा लेनदारी एवं देनदारी संबंधी संपूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है। संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः मैं ओपीओ गुप्ता उप पंजीयक सहकारी संस्थाएँ जिला उज्जैन म.प्र. शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी भोपाल दिनांक 26.07.1999 के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये, म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) के अंतर्गत उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 10/02/2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया ।

ओ. पी. गुप्ता, उप पंजीयक.

(G-843)

कार्यालय, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएँ, जिला उज्जैन

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) (क/ग) के अंतर्गत]

उज्जैन, दिनांक 07 फरवरी 2022

क्रमांक-परिसमापन-2022-327.

इस कार्यालय द्वारा मप्र सहकारी संस्थाएँ, अधिनियम 1960 की धारा 69(3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया जाकर निम्नलिखित संस्थाओं को सूचित किया गया था कि क्यों न म.प्र. सहकारी अधिनियम की धारा 69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जायें:-

क्रमांक	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक
1	महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित मिंडका, पो.-अजडावदा	DR/UJN/2257/05.10.2015

कारण बताओ सूचना पत्र में उल्लेखित कारणों का संस्था के पदाधिकारी द्वारा कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया। कार्यालय द्वारा संस्था के निर्वाचन हेतु श्रीमति स्वर्णलता दलाल सहकारी निरीक्षक निर्वाचन अधिकारी भी नियुक्त किया गया । निर्वाचन अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि संस्था पंजीकृत पते पर कार्यरत नहीं है। इसलिये संस्था को कार्यालयीन कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक/परि./2021/2354, उज्जैन दिनांक 25.11.2021 को जारी कर 06.12.2021 को रिकार्ड सहित संस्था अध्यक्ष/प्रबंधक को उपस्थित होने हेतु निर्देशित किया गया था किन्तु उपस्थित नहीं हुए इसलिये संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः मैं ओ.पी.गुप्ता, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएँ जिला उज्जैन, म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (2)(क/ग) एवं म.प्र. शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26.07.1999 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित संस्थाओं को परिसमापन में लाता हूँ, तथा अधिनियम की धारा 70(1) के अन्तर्गत संस्था के नाम के सम्मुख उल्लेखित अधिकारियों को आगामी आदेश तक परिसमापक नियुक्त करता हूँ। परिसमापक तत्काल संस्था का सम्पूर्ण चार्ज प्राप्त कर चार्ज लिस्ट दो पतियों में कार्यालय को प्रेषित करें एवं संस्था के आस्तियों एवं दायित्वों का नियमानुसार निराकरण कर तीन माह में अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करें।

क्रमांक	संस्था का नाम	पंजीयन क्र./दिनांक	परिसमापक का नाम/पद
1	महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित मिंडका पो.-अजडावदा, तह.-बडनगर, उज्जैन	DR/UJN/2257/05.10.2015	श्री राजेन्द्र वर्मा (सहकारी निरीक्षक)

यह आदेश आज दिनांक 07/02/2022 को कार्यालयीन मुद्रा एवं मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया।

ओ.पी. गुप्ता, उप पंजीयक.

(G-844)

कार्यालय उप पंजीयक सहकारी संस्थाएँ जिला खरगोन

क्रमांक/परिसमापन/2022/445

दिनांक 11.03.2022

अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/संचालक मण्डल/प्रबंधक

जन समृद्धि साक्ष सहकारी संस्था मर्या. कसरावद तह. कसरावद

पंजीयन क्रमांक/ 1974 दिनांक 28.04.2014

जिला- खरगोन

// कारण बताओ सूचना पत्र

(म. प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(2) के अंतर्गत)

यह कि अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष आपकी संस्था के सम्बन्ध में निम्नलिखित तथ्य प्रस्तुत किए गए हैं जिसके आधार पर प्रथम दृष्टया यह राय बनी है कि आपकी संस्था को परिसमापन में लाया जाकर पंजीयन निरस्त कर निगम निकाय के रूप में अस्तित्व समाप्त कर दिया जाए। संस्था को निम्न कारणों से धारा 69(1)(2) उपधारा अनुसार परिसमापन में लाया जाना प्रस्तावित है :-

1. संस्था का गठन जिन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु किया गया था उन उद्देश्यों की प्राप्ति में संस्था विफल रही है।
2. संस्था के द्वारा संस्था के सामान्य सदस्यों के हितों को संवर्धित नहीं करती है। इससे आशय संस्था सभी सदस्यों का हित संवर्धन नहीं कर रही है अपितु किसी व्यक्ति विशेष के लिए कार्य कर रही हो। जैसे किसी व्यक्ति विशेष को निर्वाचित करने के लिए या किसी व्यवसाय को सामान्य रूप से प्रतिबंधित किया गया हो, उस व्यवसाय के लिए समिति का गठन किया जाना।
3. संस्था द्वारा अधिनियम व उप नियम की शर्तों का अनुपालन बंद कर दिया है एवं संस्था निष्क्रिय है।
4. संस्था द्वारा सहकारी अधिनियम 1960 की धारा 6 की शर्तों का पालन नहीं कर रही हो जैसे-
I. पंजीयन की शर्तों के अनुसार प्राथमिक समिति में न्यूनतम 20 सदस्य भिन्न-भिन्न परिवार के न हो।
II. प्रथम दृष्टया सदस्यों की सहमति के बिना उनके कुटुंबिक दस्तावेज प्रस्तुत कर पंजीयन कराया गया हो।
5. संस्था का संचालक मंडल संस्था के कार्यों में रुचि नहीं ले रहा है।
6. संस्था निर्वाचन कराने में असफल रही है।

अतः मैं विनोद कुमार सिंह, उप पंजीयक सहकारी समितियाँ जिला खरगोन म.प्र. शासन सहकारी समितियाँ अधिनियम 1960 की धारा 69(1)(2) ए/क.बी/ख.सी/ग की शक्तियाँ जो मुझे म. प्र. शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ/5-1-99/पन्द्रह-1 सी दिनांक 26.07.99 के तहत प्रदत्त हैं का प्रयोग करते हुये यह सूचना पत्र निर्गत करता हूँ कि यदि न संस्था को परिसमापन में लाया जाये।

उक्त सूचना पत्र का प्रत्युत्तर पत्र जारी होने के दिनांक के 15 दिवस में इस कार्यालय को प्रेषित करें निर्धारित समयावधि में प्रत्युत्तर प्राप्त न होने की दशा में मेरे द्वारा यह माना जाकर कि आपकी संस्था संघ में कुछ नहीं कहना है, तथा कथित आरोप आपको स्वीकार है, प्रस्तावित कार्यवाही कर दी जावेगी।

(G-845)

क्रमांक/परिसमापन/2022/446

अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/संचालक मण्डल/प्रबंधक

रेवा राज्य सहकारी संस्था मर्या. बड़वाह तह. बड़वाह

पंजीयन क्रमांक/ 1977 दिनांक 06.03.2014

जिला- खरगोन

// कारण बताओ सूचना पत्र //

(न. प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(3) के अंतर्गत)

यह कि अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष आपकी संस्था के सम्बन्ध में निम्नांकित तथ्य प्रस्तुत किए गए हैं जिसके आधार पर प्रथम दृष्टया यह राय बनी है कि आपकी संस्था को परिसमापन में लाया जाकर पंजीयन निरस्त कर निगम निकाय के रूप में अस्तित्व समाप्त कर दिया जाए। संस्था को निम्न कारणों से धारा 69(1)(2) उपधारा अनुसार परिसमापन में लाया जाना प्रस्तावित है :-

1. संस्था का गठन जिन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु किया गया था उन उद्देश्यों की प्राप्ति में संस्था विफल रही है।
2. संस्था के द्वारा संस्था के सामान्य सदस्यों के हितों को संवर्धित नहीं करती है। इससे आशय संस्था सभी सदस्यों का हित संवर्धन नहीं कर रही है अपितु किसी व्यक्ति विशेष के लिए कार्य कर रही हो। जैसे किसी व्यक्ति विशेष को निर्वाचित करने के लिए या किसी व्यवसाय को सामान्य रूप से प्रतिबंधित किया गया हो, उस व्यवसाय के लिए समिति का गठन किया जाना।
3. संस्था द्वारा अधिनियम व उप नियम की शर्तों का अनुपालन बंद कर दिया है एवं संस्था निष्क्रिय है।
4. संस्था द्वारा सहकारी अधिनियम 1960 की धारा 8 की शर्तों का पालन नहीं कर रही हो जैसे-
 1. पंजीयन की शर्तों के अनुसार प्राथमिक समिति में न्यूनतम 20 सदस्य भिन्न-भिन्न परिवार के न हो।
 2. प्रथम दृष्टया सदस्यों की सहमति के बिना उनके कुटुम्बिक दस्तावेज प्रस्तुत कर पंजीयन कराया गया हो।
5. संस्था का संचालक मंडल संस्था के कार्यों में रुचि नहीं ले रहा है।
6. संस्था निर्वाचन कराने में असफल रही है।

अतः मैं विनोद कुमार सिंह, उप पंजीयक सहकारी समितियां जिला खरगोन स.प्र. शासन सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 69(1)(2) ए/क.बी/ख.सी/ग की शक्तियां जो मुझे न. प्र. शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ/5-1-69/पन्ना-1 सी. दिनांक 26.07.99 के तहत प्रदत्त है, का प्रयोग करते हुये यह सूचना पत्र निर्गत करता हूँ कि क्यों न संस्था को परिसमापन में लाया जाये।

उक्त सूचना पत्र का प्रत्युत्तर पत्र जारी होने के दिनांक के 15 दिवस में इस कार्यालय को प्रेषित करें निर्वाचित समयावधि में प्रत्युत्तर प्राप्त न होने की दशा में मेरे द्वारा यह माना जाकर कि आपको उक्त संबंध में कुछ नहीं कहना है, तथा कथित आरंभ आपको स्वीकार है, प्रस्तावित कार्यवाही कर दी जावेगी।

(G-846)

क्रमांक/परिसमापन/2022/447

अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/संचालक मण्डल/प्रबंधक

स्वास्तिक क्रेडिट को ऑपरेटिव सोसायटी लिमिटेड, बड़वाह तह. बड़वाह

पंजीयन क्रमांक/ 2035 दिनांक 15.07.2015

जिला- खरगोन

// कारण बताओ सूचना पत्र //

(न. प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(3) के अंतर्गत)

यह कि अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष आपकी संस्था के सम्बन्ध में निम्नांकित तथ्य प्रस्तुत किए गए हैं जिसके आधार पर प्रथम दृष्टया यह राय बनी है कि आपकी संस्था को परिसमापन में लाया जाकर पंजीयन निरस्त कर निगम निकाय के रूप में अस्तित्व समाप्त कर दिया जाए। संस्था को निम्न कारणों से धारा 69(1)(2) उपधारा अनुसार परिसमापन में लाया जाना प्रस्तावित है :-

1. संस्था का गठन जिन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु किया गया था उन उद्देश्यों की प्राप्ति में संस्था विफल रही है।
2. संस्था के द्वारा संस्था के सामान्य सदस्यों के हितों को संवर्धित नहीं करती है। इससे आशय संस्था सभी सदस्यों का हित संवर्धन नहीं कर रही है अपितु किसी व्यक्ति विशेष के लिए कार्य कर रही हो। जैसे किसी व्यक्ति विशेष को निर्वाचित करने के लिए या किसी व्यवसाय को सामान्य रूप से प्रतिबंधित किया गया हो, उस व्यवसाय के लिए समिति का गठन किया जाना।
3. संस्था द्वारा अधिनियम व उप नियम की शर्तों का अनुपालन बंद कर दिया है एवं संस्था निष्क्रिय है।

4. संस्था द्वारा सहकारी अधिनियम 1960 की धारा 6 की शर्तों का पालन नहीं कर रही हो जैसे—
 I. पंजीयन की शर्तों के अनुसार प्राथमिक समिति में न्यूनतम 20 सदस्य भिन्न-भिन्न परिवार के न हो।
 II. प्रथम दृष्टया सदस्यों की सहमति के बिना उनके कुटुंबित दस्तावेज प्रस्तुत कर पंजीयन कराया गया हो।
 5. संस्था का संचालक मंडल संस्था के कार्यों में रुचि नहीं ले रहा है।

PR संस्था निर्वाचन कराने में असफल रही है।

अतः मैं विनोद कुमार सिंह, उप पंजीयक सहकारी समितियां जिला खरगोन म.प्र. शासन सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 69(1),(2) ए/क.बी/ख.सी/ग की शक्तियां जो मुझे म. प्र. शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ/5-1-99/पन्द्रह-1 सी दिनांक 28.07.99 के तहत प्रदत्त है, का प्रयोग करते हुये यह सूचना पत्र निर्गत करता हूँ कि क्यों न संस्था को परिसमापन में लाया जाये।

उक्त सूचना पत्र का प्रत्युत्तर पत्र जारी होने के दिनांक के 15 दिवस में इस कार्यालय को प्रेषित करें निर्धारित समयावधि में प्रत्युत्तर प्राप्त न होने की दशा में मेरे द्वारा यह माना जाकर कि आपको उक्त संबंध में कुछ नहीं कहना है, तथा कथित आरोप आपको स्वीकार है, प्रस्तावित कार्यवाही कर दी जावेगी।

(G-847)

क्रमांक/परिसमापन/2022/448

अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/संचालक मण्डल/प्रबंधक

श्री महालक्ष्मी साख सहकारी संस्था मर्या. कसरसबद तह. कसरसबद

पंजीयन क्रमांक/ 2044 दिनांक 16.11.2005

जिला- खरगोन

// कारण बताओ सूचना पत्र //

(म. प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(3) के अंतर्गत)

यह कि अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष आपकी संस्था के सम्बन्ध में निम्नांकित तथ्य प्रस्तुत किए गए हैं जिसके आधार पर प्रथम दृष्टया यह राय बनी है कि आपकी संस्था को परिसमापन में लाया जाकर पंजीयन निरस्त कर निगम निकाय के रूप में अस्तित्व समाप्त कर दिया जाए। संस्था को निम्न कारणों से धारा 69(1),(2) उपधारा अनुसार परिसमापन में लाया जाना प्रस्तावित है :-

1. संस्था का गठन भ्रिन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु किया गया था उन उद्देश्यों की प्राप्ति में संस्था विफल रही है।
2. संस्था के द्वारा संस्था के सामान्य सदस्यों के हितों को संपर्धित नहीं करती है। इससे आशय संस्था सभी सदस्यों का हित संवर्धन नहीं कर रही है अपितु किसी व्यक्ति विशेष के लिए कार्य कर रही हो। जैसे किसी व्यक्ति विशेष को निर्वाचित करने के लिए या किसी व्यवसाय को सामान्य रूप से प्रतिबंधित किया गया हो, इस व्यवसाय के लिए समिति का गठन किया जाना।

3. संस्था द्वारा अधिनियम व उप नियम की शर्तों का अनुपालन बंद कर दिया है एवं संस्था निष्क्रिय है।

4. संस्था द्वारा सहकारी अधिनियम 1960 की धारा 6 की शर्तों का पालन नहीं कर रही हो जैसे—

- I. पंजीयन की शर्तों के अनुसार प्राथमिक समिति में न्यूनतम 20 सदस्य भिन्न-भिन्न परिवार के न हो।
- II. प्रथम दृष्टया सदस्यों की सहमति के बिना उनके कुटुंबित दस्तावेज प्रस्तुत कर पंजीयन कराया गया हो।

5. संस्था का संचालक मंडल संस्था के कार्यों में रुचि नहीं ले रहा है।

6. संस्था निर्वाचन कराने में असफल रही है।

अतः मैं विनोद कुमार सिंह, उप पंजीयक सहकारी समितियां जिला खरगोन म.प्र. शासन सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 69(1),(2) ए/क.बी/ख.सी/ग की शक्तियां जो मुझे म. प्र. शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ/5-1-99/पन्द्रह-1 सी दिनांक 28.07.99 के तहत प्रदत्त है, का प्रयोग करते हुये यह सूचना पत्र निर्गत करता हूँ कि क्यों न संस्था को परिसमापन में लाया जाये।

उक्त सूचना पत्र का प्रत्युत्तर पत्र जारी होने के दिनांक के 15 दिवस में इस कार्यालय को प्रेषित करें निर्धारित समयावधि में प्रत्युत्तर प्राप्त न होने की दशा में मेरे द्वारा यह माना जाकर कि आपको उक्त संबंध में कुछ नहीं कहना है, तथा कथित आरोप आपको स्वीकार है, प्रस्तावित कार्यवाही कर दी जावेगी।

(G-848)

क्रमांक/परिसमापन/2022/440

अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/संचालक मण्डल/प्रबंधक

श्री महालक्ष्मी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसायटी महेश्वर तह. महेश्वर

पंजीयन क्रमांक/ 2067 दिनांक 18.01.2016

जिला- खरगोन

// कारण बताओ सूचना पत्र //

(म. प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(3) के अंतर्गत)

यह कि अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष आपकी संस्था के सम्बन्ध में निम्नांकित तथ्य प्रस्तुत किए गए हैं जिसके आधार पर प्रथम दृष्टया यह राय बनी है कि आपकी संस्था को परिसमापन में लाया जाकर पंजीयन निरस्त कर निगम निकाय के रूप में अस्तित्व समाप्त कर दिया जाए। संस्था को निम्न कारणों से धारा 69(1),(2) उपधारा अनुसार परिसमापन में लाया जाना प्रस्तावित है :-

1. संस्था का गठन जिन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु किया गया था उन उद्देश्यों की प्राप्ति में संस्था विफल रही है।
2. संस्था के द्वारा संस्था के सामान्य सदस्यों के हितों को संवर्धित नहीं करती है। इससे आशय संस्था सभी सदस्यों का हित संवर्धन नहीं कर रही है अपितु किसी व्यक्ति विशेष के लिए कार्य कर रही हो। जैसे किसी व्यक्ति विशेष को निर्वाचित करने के लिए या किसी व्यवसाय को सामान्य रूप से प्रतिबंधित किया गया हो, उस व्यवसाय के लिए समिति का गठन किया जाना।
3. संस्था द्वारा अधिनियम व उप नियम की शर्तों का अनुपालन बंद कर दिया है एवं संस्था निष्क्रिय है।
4. संस्था द्वारा सहकारी अधिनियम 1960 की धारा 8 की शर्तों का पालन नहीं कर रही हो जैसे-
I. पंजीयन की शर्तों के अनुसार प्राथमिक समिति में न्यूनतम 20 सदस्य भिन्न-भिन्न परिवार के न हो।
II. प्रथम दृष्टया सदस्यों की सहमति के बिना उनके कूटस्थित दस्तावेज प्रस्तुत कर पंजीयन कथया गया हो।
III. संस्था का संचालक मंडल संस्था के कार्यों में रुचि नहीं ले रहा है।

अतः मैं विनोद कुमार सिंह, उप पंजीयक सहकारी समितियां जिला खरगोन- म.प्र. शासन सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 69(1),(2) ए/क,बी/ख,सी/ग की शक्तियां जो मुझे म. प्र. शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ/5-1-99/पन्द-1 सी, दिनांक 28.07.99 के तहत प्रदत्त है, का प्रयोग करते हुये यह सूचना पत्र निर्गत करता हूँ कि क्यों न संस्था को परिसमापन में लाया जाये।

उक्त सूचना पत्र का प्रत्युत्तर पत्र जारी होने के दिनांक के 15 दिवस में इस कार्यालय को प्रेषित करें निर्धारित समयवधि में प्रत्युत्तर प्राप्त न होने की दशा में मेरे द्वारा यह माना जाकर कि आपको उक्त संबंध में कुछ नहीं कहना है, तथा कथित आरोप आपको स्वीकार है, प्रस्तावित कार्यवाही कर दी जावेगी।

(G-849)

क्रमांक/परिसमापन/2022/450

अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/संचालक मण्डल/प्रबंधक

ग्रामीण विकास साख सहकारी संस्था भर्या, रायबिरुपुर तह. खरगोन

पंजीयन क्रमांक/ 210 दिनांक 14.03.2016

जिला- खरगोन

// कारण बताओ सूचना पत्र //

(म. प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(3) के अंतर्गत)

यह कि अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष आपकी संस्था के सम्बन्ध में निम्नांकित तथ्य प्रस्तुत किए गए हैं जिसके आधार पर प्रथम दृष्टया यह राय बनी है कि आपकी संस्था को परिसमापन में लाया जाकर पंजीयन निरस्त कर निगम निकाय के रूप में अस्तित्व समाप्त कर दिया जाए। संस्था को निम्न कारणों से धारा 69(1),(2) उपधारा अनुसार परिसमापन में लाया जाना प्रस्तावित है :-

1. संस्था का गठन जिन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु किया गया था उन उद्देश्यों की प्राप्ति में संस्था विफल रही है।
2. संस्था के द्वारा संस्था के सामान्य सदस्यों के हितों को संवर्धित नहीं करती है। इससे आशय संस्था सभी सदस्यों का हित संवर्धन नहीं कर रही है अपितु किसी व्यक्ति विशेष के लिए कार्य कर रही हो। जैसे किसी व्यक्ति विशेष को निर्वाचित करने के लिए या किसी व्यवसाय को सामान्य रूप से प्रतिबंधित किया गया हो, उस व्यवसाय के लिए समिति का गठन किया जाना।
3. संस्था द्वारा अधिनियम व उप नियम की शर्तों का अनुपालन बंद कर दिया है एवं संस्था निष्क्रिय है।

4. संस्था द्वारा सहकारी अधिनियम 1960 की धारा 6 की शर्तों का पालन नहीं कर रही हो जैसे—
I. पंजीयन की शर्तों के अनुसार प्राथमिक समिति में न्यूनतम 20 सदस्य भिन्न-भिन्न परिवार के न हो।
II. प्रथम दृष्टया सदस्यों की सहमति के बिना उनके कुटुम्बिक दस्तावेज प्रस्तुत कर पंजीयन कराया गया हो।
5. संस्था का संचालक मंडल संस्था के कार्यों में रुचि नहीं ले रहा है।
6. संस्था निर्वाचन कराने में असफल रही है।

अतः मैं विनोद कुमार सिंह, उप पंजीयक सहकारी समितियां जिला खरगोन म.प्र. शासन सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 69(1),(2) ए/क.बी/ख.सी/ग की शक्तियां जो मुझे म. प्र. शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ/5-1-99/पन्द्रह-1 सी. दिनांक 26.07.99 के तहत प्रदत्त है, का प्रयोग करते हुये यह सूचना पत्र निर्गत करता हूँ कि क्यों न संस्था को परिसमापन में लाया जाये।

उक्त सूचना पत्र का प्रत्युत्तर पत्र जारी होने के दिनांक के 15 दिवस में इस कार्यालय को प्रेषित करें निर्धारित समयावधि में प्रत्युत्तर प्राप्त न होने की दशा में मेरे द्वारा यह माना जाकर कि आपको उक्त संबंध में कुछ नहीं कहना है, तथा कथित आरोप आपको स्वीकार है, प्रस्तावित कार्यवाही कर दी जावेगी।

(G-850)

क्रमांक/परिसमापन/2022/451

अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/संचालक मण्डल/प्रबंधक

स्तुति साख सहकारी संस्था मर्या. भीकनगांव तह. भीकनगांव

पंजीयन क्रमांक/ 2117 दिनांक 20.04.2016

जिला- खरगोन

// कारण बताओ सूचना पत्र //

(म. प्र. सहकारी सौसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(3) के अंतर्गत)

यह कि अद्योहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष आपकी संस्था के सम्बन्ध में निम्नांकित तथ्य प्रस्तुत किए गए हैं जिसके आधार पर प्रथम दृष्टया यह राय बनी है कि आपकी संस्था को परिसमापन में लाया जाकर पंजीयन निरस्त कर निगम निकाय के रूप में अस्तित्व समाप्त कर दिया जाए। संस्था को निम्न कारणों से धारा 69(1),(2) उपधारा अनुसार परिसमापन में लाया जाना प्रस्तावित है :-

1. संस्था का गठन जिन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु किया गया था उन उद्देश्यों की प्राप्ति में संस्था विफल रही है।
2. संस्था के द्वारा संस्था के सामान्य सदस्यों के हितों को संबन्धित नहीं करती है। इससे आशय संस्था सभी सदस्यों का हित संवर्धन नहीं कर रही है अपितु किसी व्यक्ति विशेष के लिए कार्य कर रही हो। जैसे किसी व्यक्ति विशेष को निर्वाचित करने के लिए या किसी व्यवसाय को सामान्य रूप से प्रतिबन्धित किया गया हो, इस व्यवसाय के लिए समिति का गठन किया जाना।
3. संस्था द्वारा अधिनियम व उप नियम की शर्तों का अनुपालन बंद कर दिया है एवं संस्था निष्क्रिय है।
4. संस्था द्वारा सहकारी अधिनियम 1960 की धारा 6 की शर्तों का पालन नहीं कर रही हो जैसे—
I. पंजीयन की शर्तों के अनुसार प्राथमिक समिति में न्यूनतम 20 सदस्य भिन्न-भिन्न परिवार के न हो।
II. प्रथम दृष्टया सदस्यों की सहमति के बिना उनके कुटुम्बिक दस्तावेज प्रस्तुत कर पंजीयन कराया गया हो।
5. संस्था का संचालक मंडल संस्था के कार्यों में रुचि नहीं ले रहा है।
6. संस्था निर्वाचन कराने में असफल रही है।

अतः मैं विनोद कुमार सिंह, उप पंजीयक सहकारी समितियां जिला खरगोन म.प्र. शासन सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 69(1),(2) ए/क.बी/ख.सी/ग की शक्तियां जो मुझे म. प्र. शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ/5-1-99/पन्द्रह-1 सी. दिनांक 26.07.99 के तहत प्रदत्त है, का प्रयोग करते हुये यह सूचना पत्र निर्गत करता हूँ कि क्यों न संस्था को परिसमापन में लाया जाये।

उक्त सूचना पत्र का प्रत्युत्तर पत्र जारी होने के दिनांक के 15 दिवस में इस कार्यालय को प्रेषित करें निर्धारित समयावधि में प्रत्युत्तर प्राप्त न होने की दशा में मेरे द्वारा यह माना जाकर कि आपको उक्त संबंध में कुछ नहीं कहना है, तथा कथित आरोप आपको स्वीकार है, प्रस्तावित कार्यवाही कर दी जावेगी।

(G-851)

कमांक/परिसमापन/2022/452

अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/संचालक मण्डल/प्रबंधक

सहयोग साख सहकारी संस्था मर्या. भीकनगांव तह. भीकनगांव

पंजीयन कमांक/ 2121 दिनांक 30.05.2016

जिला- खरगोन

खरगोन, दिनांक 11 मार्च 2022

// कारण बताओं सूचना पत्र

(म. प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(3) के अंतर्गत)

यह कि अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष आपकी संस्था के सम्बन्ध में निम्नांकित तथ्य प्रस्तुत किए गए हैं जिसके आधार पर प्रथम दृष्टया यह राय बनी है कि आपकी संस्था को परिसमापन में लाया जाकर पंजीयन निरस्त कर निगम निकाय के रूप में अस्तित्व समाप्त कर दिया जाए। संस्था को निम्न कारणों से धारा 69(1)(2) उपधारा अनुसार परिसमापन में लाया जाना प्रस्तावित है :-

1. संस्था का गठन जिन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु किया गया था उन उद्देश्यों की प्राप्ति में संस्था विफल रही है।
2. संस्था के द्वारा संस्था के सामान्य सदस्यों के हितों को संवर्धित नहीं करती है। इससे आशय संस्था सभी सदस्यों का हित संवर्धन नहीं कर रही है अपितु किसी व्यक्ति विशेष के लिए कार्य कर रही हो। जैसे किसी व्यक्ति विशेष को निर्वाचित करने के लिए या किसी व्यवसाय को सामान्य रूप से प्रतिबंधित किया गया हो, उस व्यवसाय के लिए समिति का गठन किया जाना।
3. संस्था द्वारा अधिनियम व उप नियम की शर्तों का अनुपालन बंद कर दिया है एवं संस्था निष्क्रिय है।
4. संस्था द्वारा सहकारी अधिनियम 1960 की धारा 6 की शर्तों का पालन नहीं कर रही हो जैसे-
I. पंजीयन की शर्तों के अनुसार प्रारम्भिक समिति में न्यूनतम 20 सदस्य निम्न-निम्न परिवार के न हो।
II. प्रथम दृष्टया सदस्यों की सहमति के बिना उनके कुटुम्बिक दस्तावेज प्रस्तुत कर पंजीयन कराया गया हो।
संस्था का संचालक मंडल संस्था के कार्यों में रुचि नहीं ले रहा है।

3. संस्था निर्वाचन क्रमाने में असफल रही है।

अतः मैं विनोद कुमार सिंह, उप पंजीयक सहकारी समितियां जिला खरगोन म.प्र. शासन सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 69(1)(2) ए/क.बी/ख.सी/ग की शक्तियां जो मुझे म. प्र. शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना कमांक/एफ/5-1-99/पन्द्रह-1 सी दिनांक 26.07.99 के तहत प्रदत्त है, का प्रयोग करते हुये यह सूचना पत्र निर्गत करता हूँ कि क्यों न संस्था को परिसमापन में लाया जाये।

उक्त सूचना पत्र का प्रत्युत्तर पत्र जारी होने के दिनांक के 15 दिवस में इस कार्यालय को प्रेषित करें निर्धारित समयावधि में प्रत्युत्तर प्राप्त न होने की दशा में मेरे द्वारा यह माना जाकर कि आपको उक्त संबंध में कुछ नहीं कहना है, तथा कथित आरोप आपको स्वीकार है, प्रस्तावित कार्यवाही कर दी जावेगी।

(G-852)

कमांक/परिसमापन/2022/453

अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/संचालक मण्डल/प्रबंधक

मनलक्ष्मी साख सहकारी संस्था मर्या. मंडलेस्वर तह. महोस्वर

पंजीयन कमांक/ 1686 दिनांक 09.07.2013

जिला- खरगोन

// कारण बताओं सूचना पत्र

(म. प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(3) के अंतर्गत)

यह कि अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष आपकी संस्था के सम्बन्ध में निम्नांकित तथ्य प्रस्तुत किए गए हैं जिसके आधार पर प्रथम दृष्टया यह राय बनी है कि आपकी संस्था को परिसमापन में लाया जाकर पंजीयन निरस्त कर निगम निकाय के रूप में अस्तित्व समाप्त कर दिया जाए। संस्था को निम्न कारणों से धारा 69(1)(2) उपधारा अनुसार परिसमापन में लाया जाना प्रस्तावित है :-

1. संस्था का गठन जिन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु किया गया था उन उद्देश्यों की प्राप्ति में संस्था विफल रही है।
2. संस्था के द्वारा संस्था के सामान्य सदस्यों के हितों को संवर्धित नहीं करती है। इससे आशय संस्था सभी सदस्यों का हित संवर्धन नहीं कर रही है अपितु किसी व्यक्ति विशेष के लिए कार्य कर रही हो। जैसे किसी व्यक्ति विशेष को निर्वाचित करने के लिए या किसी व्यवसाय को सामान्य रूप से प्रतिबंधित किया गया हो, उस व्यवसाय के लिए समिति का गठन किया जाना।
3. संस्था द्वारा अधिनियम व उप नियम की शर्तों का अनुपालन बंद कर दिया है एवं संस्था निष्क्रिय है।

4. संस्था द्वारा सहकारी अधिनियम 1960 की धारा 6 की शर्तों का पालन नहीं कर रही हो जैसे—
I. पंजीयन की शर्तों के अनुसार प्राथमिक समिति में न्यूनतम 20 सदस्य भिन्न-भिन्न परिवार के न हो।
II. प्रथम दृष्टया सदस्यों की सहमति के बिना उनके कुटुंबित दस्तावेज प्रस्तुत कर पंजीयन कराया गया हो।
5. संस्था का संचालक मंडल संस्था के कार्यों में रुचि नहीं ले रहा है।

5/11 संस्था निर्वाचन कराने में असफल रही है।

अतः मैं विनोद कुमार सिंह, उप पंजीयक सहकारी समितियाँ जिला खरगोन म.प्र. शासन सहकारी समितियाँ अधिनियम 1960 की धारा 69(1)(2) ए/क.बी/ख.सी/ग की शक्तियाँ जो मुझे म. प्र. शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ/5-1-99/पन्द्रह-1 सी, दिनांक 26.07.99 के तहत प्रदत्त है, का प्रयोग करते हुये यह सूचना पत्र निर्गत करता हूँ कि क्यों न संस्था को परिसमापन में लाया जाये।

उक्त सूचना पत्र का प्रत्युत्तर पत्र जारी होने के दिनांक के 15 दिवस में इस कार्यालय को प्रेषित करें निर्धारित समयावधि में प्रत्युत्तर प्राप्त न होने की दशा में मेरे द्वारा यह माना जाकर कि आपको उक्त संबंध में कुछ नहीं कहना है, तथा कथित आरोप आपको स्वीकार है, प्रस्तावित कार्यवाही कर दी जावेगी।

(G-853)

क्रमांक/परिसमापन/2022/454

अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/संचालक मंडल/प्रबंधक

जैन साख सहकारी संस्था मर्या. सनावद तह. सनावद

पंजीयन क्रमांक/ 2128 दिनांक 26.10.2016

जिला- खरगोन

// कारण बताओ सूचना पत्र //

(म. प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(3) के अंतर्गत)

यह कि अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष आपकी संस्था के सम्बन्ध में निम्नांकित तथ्य प्रस्तुत किए गए हैं जिसके आधार पर प्रथम दृष्टया यह राय बनी है कि आपकी संस्था को परिसमापन में लाया जाकर पंजीयन निरस्त कर निगम निकाय के रूप में अस्तित्व समाप्त कर दिया जाए। संस्था को निम्न कारणों से धारा 69(1)(2) उपधारा अनुसार परिसमापन में लाया जाना प्रस्तावित है :-

1. संस्था का गठन जिन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु किया गया था उन उद्देश्यों की प्राप्ति में संस्था विफल रही है।
2. संस्था के द्वारा संस्था के सामान्य सदस्यों के हितों को संवर्धित नहीं करती है। इससे आशय संस्था सभी सदस्यों का हित संवर्धन नहीं कर रही है अपितु किसी व्यक्ति विशेष के लिए कार्य कर रही हो। जैसे किसी व्यक्ति विशेष को निर्वाचित करने के लिए या किसी व्यवसाय को सामान्य रूप से प्रतिबंधित किया गया हो, उस व्यवसाय के लिए समिति का गठन किया जाना।

3. संस्था द्वारा अधिनियम व उप नियम की शर्तों का अनुपालन बंद कर दिया है एवं संस्था निष्क्रिय है।

4. संस्था द्वारा सहकारी अधिनियम 1960 की धारा 6 की शर्तों का पालन नहीं कर रही हो जैसे—

I. पंजीयन की शर्तों के अनुसार प्राथमिक समिति में न्यूनतम 20 सदस्य भिन्न-भिन्न परिवार के न हो।

II. प्रथम दृष्टया सदस्यों की सहमति के बिना उनके कुटुंबित दस्तावेज प्रस्तुत कर पंजीयन कराया गया हो।

5. संस्था का संचालक मंडल संस्था के कार्यों में रुचि नहीं ले रहा है।

6. संस्था निर्वाचन कराने में असफल रही है।

अतः मैं विनोद कुमार सिंह, उप पंजीयक सहकारी समितियाँ जिला खरगोन म.प्र. शासन सहकारी समितियाँ अधिनियम 1960 की धारा 69(1)(2) ए/क.बी/ख.सी/ग की शक्तियाँ जो मुझे म. प्र. शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ/5-1-99/पन्द्रह-1 सी, दिनांक 26.07.99 के तहत प्रदत्त है, का प्रयोग करते हुये यह सूचना पत्र निर्गत करता हूँ कि क्यों न संस्था को परिसमापन में लाया जाये।

उक्त सूचना पत्र का प्रत्युत्तर पत्र जारी होने के दिनांक के 15 दिवस में इस कार्यालय को प्रेषित करें निर्धारित समयावधि में प्रत्युत्तर प्राप्त न होने की दशा में मेरे द्वारा यह माना जाकर कि आपको उक्त संबंध में कुछ नहीं कहना है, तथा कथित आरोप आपको स्वीकार है, प्रस्तावित कार्यवाही कर दी जावेगी।

(G-854)

कमांक/परिसमापन/2022/439

खरगोन, दिनांक 11 मार्च 2022

संचालक मण्डल

बनकुवर साख सहकारी संस्था मर्या. कसरावद तह. कसरावद

पंजीयन कमांक/ 2222 दिनांक 30.06.2018

जिला- खरगोन

द्वारा :- अध्यक्ष, उपाध्यक्ष/प्रबंधक

1. श्री सुनिल एवं सुरेश पता- कसरावद तह. कसरावद

// कारण बताओ सूचना पत्र //

(म. प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69)

यह कि अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष आपकी संस्था के सम्बन्ध में निम्नांकित तथ्य प्रस्तुत किए गए हैं जिसके आधार पर प्रथम दृष्टया यह राय बनी है कि आपकी संस्था को परिसमापन में लाया जाकर पंजीयन निरस्त कर निगम निकाय के रूप में अस्तित्व समाप्त कर दिया जाए। संस्था को निम्न कारणों से धारा 69(1),(2) उपधारा अनुसार परिसमापन में लाया जाना प्रस्तावित है :-

1. संस्था का गठन जिन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु किया गया था उन उद्देश्यों की प्राप्ति में संस्था विफल रही है।
2. संस्था के द्वारा संस्था के सामान्य सदस्यों के हितों को संवर्धित नहीं करती है। इससे आशय संस्था सभी सदस्यों का हित संवर्धन नहीं कर रही है अपितु किसी व्यक्ति विशेष के लिए कार्य कर रही हो। जैसे किसी व्यक्ति विशेष को निर्वाचित करने के लिए या किसी व्यवसाय को सामान्य रूप से प्रतिबंधित किया गया हो, उस व्यवसाय के लिए समिति का गठन किया जाना।

3. संस्था द्वारा अधिनियम व उप नियम की शर्तों का अनुपालन बंद कर दिया है एवं संस्था निष्क्रिय है।

4. संस्था द्वारा सहकारी अधिनियम 1960 की धारा 6 की शर्तों का पालन नहीं कर रही हो जैसे-

I. पंजीयन की शर्तों के अनुसार प्राथमिक समिति में न्यूनतम 20 सदस्य भिन्न-भिन्न परिवार के न हो।

II. प्रथम दृष्टया सदस्यों की सहमति के बिना उनके कूटचिह्नित दस्तावेज प्रस्तुत कर पंजीयन कराया गया हो।

III. संस्था का संचालक मंडल संस्था के कार्यों में रुचि नहीं ले रहा है।

संस्था निर्वाचन कराने में असफल रही है।

अतः मैं विनोद कुमार सिंह, उप पंजीयक सहकारी समितियां जिला खरगोन म.प्र. शासन सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 69(1),(2) ए/क.बी/ख.सी/ग की शक्तियां जो मुझे म. प्र. शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना कमांक/एफ/5-1-99/पन्द्रह-1 सी. दिनांक 26.07.99 के तहत प्रदत्त है, का प्रयोग करते हुये यह सूचना पत्र निर्गत करता हूँ कि क्यों न संस्था को परिसमापन में लाया जाये।

उक्त सूचना पत्र का प्रत्युत्तर पत्र जारी होने के दिनांक के 15 दिवस में इस कार्यालय को प्रेषित करें निर्धारित समयावधि में प्रत्युत्तर प्राप्त न होने की दशा में मेरे द्वारा यह माना जाकर कि आपको उक्त संबंध में कुछ नहीं कहना है, तथा कथित आरोप आपको स्वीकार है, प्रस्तावित कार्यवाही कर दी जावेगी।

(G-855)

कमांक/परिसमापन/2022/429

संचालक मण्डल

श्री नर्मदा महिला प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी मण्डल बडवाह तह. बडवाह

पंजीयन कमांक/ 1465 दिनांक 24.10.2005

जिला- खरगोन

द्वारा :- अध्यक्ष, उपाध्यक्ष/प्रबंधक

1. श्री सकुन्तला जितेन्द्र पता- बडवाह तह. बडवाह

// कारण बताओ सूचना पत्र //

(म. प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(3) के अंतर्गत)

यह कि अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष आपकी संस्था के सम्बन्ध में निम्नांकित तथ्य प्रस्तुत किए गए हैं जिसके आधार पर प्रथम दृष्टया यह राय बनी है कि आपकी संस्था को परिसमापन में लाया जाकर पंजीयन निरस्त कर निगम निकाय के रूप में अस्तित्व समाप्त कर दिया जाए। संस्था को निम्न कारणों से धारा 69(1),(2) उपधारा अनुसार परिसमापन में लाया जाना प्रस्तावित है :-

1. संस्था का गठन जिन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु किया गया था उन उद्देश्यों की प्राप्ति में संस्था विफल रही है।
2. संस्था के द्वारा संस्था के सामान्य सदस्यों के हितों को संवर्धित नहीं करती है। इससे आशय संस्था सभी सदस्यों का हित संवर्धन नहीं कर रही है अपितु किसी व्यक्ति विशेष के लिए कार्य कर रही हो। जैसे किसी व्यक्ति विशेष को निर्वाचित करने के लिए या किसी व्यवसाय को सामान्य रूप से प्रतिबंधित किया गया हो, उस व्यवसाय के लिए समिति का गठन किया जाना।

3. संस्था द्वारा अधिनियम व उप नियम की शर्तों का अनुपालन बंद कर दिया है एवं संस्था निष्क्रिय है।

4. संस्था द्वारा सहकारी अधिनियम 1960 की धारा 6 की शर्तों का पालन नहीं कर रही हो जैसे—
I. पंजीयन की शर्तों के अनुसार प्राथमिक समिति में न्यूनतम 20 सदस्य भिन्न-भिन्न परिवार के न हो।
II. प्रथम दृष्टया सदस्यों की सहमति के बिना उनके कूटरचित दस्तावेज प्रस्तुत कर पंजीयन कराया गया हो।
5. संस्था का संचालक मंडल संस्था के कार्यों में रुचि नहीं ले रहा है।
6. संस्था निर्वाचन कराने में असफल रही है।

अतः मैं विनोद कुमार सिंह, उप पंजीयक सहकारी समितियां जिला खरगोन म.प्र. शासन सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 69(1),(2) ए/क.बी/ख.सी/ग की शक्तियां जो मुझे म. प्र. शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ/5-1-99/पन्द्रह-1 सी दिनांक 26.07.99 के तहत प्रदत्त है का प्रयोग करते हुये यह सूचना पत्र निर्गत करता हूँ कि क्यों न संस्था को परिसमापन में लाया जाये।

उक्त सूचना पत्र का प्रत्युत्तर पत्र जारी होने के दिनांक के 15 दिवस में इस कार्यालय को प्रेषित करें निर्धारित समयावधि में प्रत्युत्तर प्राप्त न होने की दशा में मेरे द्वारा यह माना जाकर कि आपको उक्त संबंध में कुछ नहीं कहना है, तथा कथित आरोप आपको स्वीकार है, प्रस्तावित कार्यवाही कर दी जावेगी।

(G-856)

क्रमांक/परिसमापन/2022/430

संचालक मण्डल

श्री नर्मदा महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मध्य विपराह तह. भीकनगांव

पंजीयन क्रमांक/ 2280 दिनांक 26.12.2018

जिला- खरगोन

द्वारा :- अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/प्रबंधक

1. श्री रीना एवं रोशनी पता- विपराह तह. भीकनगांव

// कारण बताओ सूचना पत्र //

(म. प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(3) के अंतर्गत)

यह कि अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष आपकी संस्था के सम्बन्ध में निम्नांकित तथ्य प्रस्तुत किए गए हैं जिसके आधार पर प्रथम दृष्टया यह राय बनी है कि आपकी संस्था को परिसमापन में लाया जाकर पंजीयन निरस्त कर निगम निकाय के रूप में अस्तित्व समाप्त कर दिया जाए। संस्था को निम्न कारणों से धारा 69(1),(2) द्वारा अनुसार परिसमापन में लाया जाना प्रस्तावित है :-

1. संस्था का गठन जिन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु किया गया था उन उद्देश्यों की प्राप्ति में संस्था विफल रही है।
2. संस्था के द्वारा संस्था के सामान्य सदस्यों के हितों को संवर्धित नहीं करती है। इससे आशय संस्था सभी सदस्यों का हित संवर्धन नहीं कर रही है अपितु किसी व्यक्ति विशेष के लिए कार्य कर रही हो। जैसे किसी व्यक्ति विशेष को निर्वाचित करने के लिए या किसी व्यवसाय को सामान्य रूप से प्रतिबंधित किया गया हो, इस व्यवसाय के लिए समिति का गठन किया जाना।

3. संस्था द्वारा अधिनियम व उप नियम की शर्तों का अनुपालन बंद कर दिया है एवं संस्था निष्क्रिय है।

4. संस्था द्वारा सहकारी अधिनियम 1960 की धारा 6 की शर्तों का पालन नहीं कर रही हो जैसे—
I. पंजीयन की शर्तों के अनुसार प्राथमिक समिति में न्यूनतम 20 सदस्य भिन्न-भिन्न परिवार के न हो।
II. प्रथम दृष्टया सदस्यों की सहमति के बिना उनके कूटरचित दस्तावेज प्रस्तुत कर पंजीयन कराया गया हो।
5. संस्था का संचालक मंडल संस्था के कार्यों में रुचि नहीं ले रहा है।
6. संस्था निर्वाचन कराने में असफल रही है।

अतः मैं विनोद कुमार सिंह, उप पंजीयक सहकारी समितियां जिला खरगोन म.प्र. शासन सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 69(1),(2) ए/क.बी/ख.सी/ग की शक्तियां जो मुझे म. प्र. शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ/5-1-99/पन्द्रह-1 सी दिनांक 26.07.99 के तहत प्रदत्त है का प्रयोग करते हुये यह सूचना पत्र निर्गत करता हूँ कि क्यों न संस्था को परिसमापन में लाया जाये।

उक्त सूचना पत्र का प्रत्युत्तर पत्र जारी होने के दिनांक के 15 दिवस में इस कार्यालय को प्रेषित करें निर्धारित समयावधि में प्रत्युत्तर प्राप्त न होने की दशा में मेरे द्वारा यह माना जाकर कि आपको उक्त संबंध में कुछ नहीं कहना है, तथा कथित आरोप आपको स्वीकार है, प्रस्तावित कार्यवाही कर दी जावेगी।

(G-857)

क्रमांक/परिसमापन/2022/431

संचालक मण्डल

महाशक्ति प्राथमिक महिला आजीविका बहु प्रयोजन सहकारी संस्था मर्या, बालसमुद्र तह. कसरावद, जिला खरगोन

पंजीयन क्रमांक/2225 दिनांक 30.07.2018

// कारण बताओं सूचना पत्र //

(म. प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1980 की धारा 69(3) के अंतर्गत)

यह कि अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष आपकी संस्था के सम्बन्ध में निम्नांकित तथ्य प्रस्तुत किए गए हैं जिसके आधार पर प्रथम दृष्टया यह राय बनी है कि आपकी संस्था को परिसमापन में लाया जाकर पंजीयन निरस्त कर निगम निकाय के रूप में अस्तित्व समाप्त कर दिया जाए। संस्था को निम्न कारणों से धारा 69(1),(2) उपधारा अनुसार परिसमापन में लाया जाना प्रस्तावित है :-

1. संस्था का गठन जिन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु किया गया था उन उद्देश्यों की प्राप्ति में संस्था विफल रही है।
2. संस्था के द्वारा संस्था के सामान्य सदस्यों के हितों को संवर्धित नहीं करती है। इससे आशय संस्था सभी सदस्यों का हित संवर्धन नहीं कर रही है अपितु किसी व्यक्ति विशेष के लिए कार्य कर रही हो। जैसे किसी व्यक्ति विशेष को निर्वाचित करने के लिए या किसी व्यवसाय को सामान्य रूप से प्रतिबंधित किया गया हो, उस व्यवसाय के लिए समिति का गठन किया जाना।
3. संस्था द्वारा अधिनियम व उप नियम की शर्तों का अनुपालन बंद कर दिया है एवं संस्था निष्क्रिय है।
4. संस्था द्वारा सहकारी अधिनियम 1980 की धारा 8 की शर्तों का पालन नहीं कर रही हो जैसे-
I. पंजीयन की शर्तों के अनुसार प्राथमिक समिति में न्यूनतम 20 सदस्य भिन्न-भिन्न परिवार के न हो।
II. प्रथम दृष्टया सदस्यों की सहमति के बिना उनके कट्टरधित दस्तावेज प्रस्तुत कर पंजीयन कराया गया हो।
5. संस्था का संचालक मंडल संस्था के कार्यों में रुचि नहीं ले रहा है।
6. संस्था निर्वाचन कराने में असफल रही है।

अतः मैं विनोद कुमार सिंह, उप पंजीयक सहकारी समितियां जिला खरगोन म.प्र. शासन सहकारी समितियां अधिनियम 1980 की धारा 69(1),(2) ए/क.बी/ख.सी/ग की शक्तियां जो मुझे म. प्र. शासन सहकारिता विभाग की अभिसूचना क्रमांक/एफ/5-1-89/पन्द्रह-1 सी. दिनांक 28.07.99 के तहत प्रदत्त है, का प्रयोग करते हुये यह सूचना पत्र निर्मित करता हूँ कि क्यों न संस्था को परिसमापन में लाया जाये।

उक्त सूचना पत्र का प्रत्युत्तर पत्र जारी होने के दिनांक के 15 दिवस में इस कार्यालय को प्रेषित करें निर्वाचित समयावधि में प्रत्युत्तर प्राप्त न होने की दशा में मेरे द्वारा यह माना जाकर कि आपको उक्त संबंध में कुछ नहीं कहना है, तथा कथित आरोप आपको स्वीकार है, प्रस्तावित कार्यवाही कर दी जावेगी।

(G-858)

क्रमांक/परिसमापन/2022/A31 (अ)

संचालक मण्डल

जय मों अन्वे प्राथ. महिला आजीविका बहुप्रयोजन सह. संस्था मर्या. रेगवा तह. कसरावद

पंजीयन क्रमांक/ 2246 दिनांक 30.07.2018

जिला- खरगोन

द्वारा :-अध्यक्ष,उपाध्यक्ष/प्रबंधक

1. श्रीमती मंजु एवं लक्ष्मी पता- रेगवा तह. कसरावद

// कारण बताओं सूचना पत्र //

(म. प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1980 की धारा 69(3) के अंतर्गत)

यह कि अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष आपकी संस्था के सम्बन्ध में निम्नांकित तथ्य प्रस्तुत किए गए हैं जिसके आधार पर प्रथम दृष्टया यह राय बनी है कि आपकी संस्था को परिसमापन में लाया जाकर पंजीयन निरस्त कर निगम निकाय के रूप में अस्तित्व समाप्त कर दिया जाए। संस्था को निम्न कारणों से धारा 69(1),(2) उपधारा अनुसार परिसमापन में लाया जाना प्रस्तावित है :-

1. संस्था का गठन जिन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु किया गया था उन उद्देश्यों की प्राप्ति में संस्था विफल रही है।
2. संस्था के द्वारा संस्था के सामान्य सदस्यों के हितों को संवर्धित नहीं करती है। इससे आशय संस्था सभी सदस्यों का हित संवर्धन नहीं कर रही है अपितु किसी व्यक्ति विशेष के लिए कार्य कर रही हो। जैसे किसी व्यक्ति विशेष को निर्वाचित करने के लिए या किसी व्यवसाय को सामान्य रूप से प्रतिबंधित किया गया हो, उस व्यवसाय के लिए समिति का गठन किया जाना।
3. संस्था द्वारा अधिनियम व उप नियम की शर्तों का अनुपालन बंद कर दिया है एवं संस्था निष्क्रिय है।

4. संस्था द्वारा सहकारी अधिनियम 1960 की धारा 6 की शर्तों का पालन नहीं कर रही हो जैसे—

I. पंजीयन की शर्तों के अनुसार प्राथमिक समिति में न्यूनतम 20 सदस्य भिन्न-भिन्न परिवार के न हो।

II. प्रथम दृष्टया सदस्यों की सहमति के बिना उनके कुटुंबीय दस्तावेज प्रस्तुत कर पंजीयन कराया गया हो।

5. संस्था का संचालक मंडल संस्था के कार्यों में रुचि नहीं ले रहा है।

6. संस्था निर्वाचन कराने में असफल रही है।

अतः मैं विनोद कुमार सिंह, उप पंजीयक सहकारी समितियां जिला खरगोन म.प्र. शासन सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 69(1),(2) ए/क,बी/ख,सी/ग की शक्तियां जो मुझे म. प्र. शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ/5-1-99/पन्द्रह-1 सी, दिनांक 26.07.99 के तहत प्रदत्त है, का प्रयोग करते हुये यह सूचना पत्र निर्गत करता हूँ कि क्यों न संस्था को परिसमापन में लाया जाये।

उक्त सूचना पत्र का प्रत्युत्तर पत्र जारी होने के दिनांक के 15 दिवस में इस कार्यालय को प्रेषित करें निर्धारित समयावधि में प्रत्युत्तर प्राप्त न होने की दशा में मेरे द्वारा यह माना जाकर कि आपको उक्त संबंध में कुछ नहीं कहना है, तथा कथित आरोप आपको स्वीकार है, प्रस्तावित कार्यवाही कर दी जावेगी।

(G-859)

क्रमांक/परिसमापन/2022/432

अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/संचालक मण्डल/प्रबंधक

श्रद्धा साख सहकारी संस्था मर्या, खरगोन तह. खरगोन

पंजीयन क्रमांक/ 1785 दिनांक 10.03.2014

जिला- खरगोन

// कारण बताओ सूचना पत्र //

(म. प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(3) के अंतर्गत)

यह कि अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष आपकी संस्था के सम्बन्ध में निम्नांकित तथ्य प्रस्तुत किए गए हैं जिसके आधार पर प्रथम दृष्टया यह राय बनी है कि आपकी संस्था को परिसमापन में लाया जाकर पंजीयन निरस्त कर निगम निकाय के रूप में अस्तित्व समाप्त कर दिया जाए। संस्था को निम्न कारणों से धारा 69(1),(2) उपधारा अनुसार परिसमापन में लाया जाना प्रस्तावित है :-

1. संस्था का गठन जिन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु किया गया था उन उद्देश्यों की प्राप्ति में संस्था विफल रही है।
2. संस्था के द्वारा संस्था के सामान्य सदस्यों के हितों को संवर्धित नहीं करती है। इससे आशय संस्था सभी सदस्यों का हित संवर्धन नहीं कर रही है अपितु किसी व्यक्ति विशेष के लिए कार्य कर रही हो। जैसे किसी व्यक्ति विशेष को निर्वाचित करने के लिए या किसी व्यवसाय को सामान्य रूप से प्रतिबंधित किया गया हो, उस व्यवसाय के लिए समिति का गठन किया जाना।
3. संस्था द्वारा अधिनियम व उप नियम की शर्तों का अनुपालन बंद कर दिया है एवं संस्था निष्क्रिय है।
4. संस्था द्वारा सहकारी अधिनियम 1960 की धारा 6 की शर्तों का पालन नहीं कर रही हो जैसे—
I. पंजीयन की शर्तों के अनुसार प्राथमिक समिति में न्यूनतम 20 सदस्य भिन्न-भिन्न परिवार के न हो।
II. प्रथम दृष्टया सदस्यों की सहमति के बिना उनके कुटुंबीय दस्तावेज प्रस्तुत कर पंजीयन कराया गया हो।
5. संस्था का संचालक मंडल संस्था के कार्यों में रुचि नहीं ले रहा है।
6. संस्था निर्वाचन कराने में असफल रही है।

अतः मैं विनोद कुमार सिंह, उप पंजीयक सहकारी समितियां जिला खरगोन म.प्र. शासन सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 69(1),(2) ए/क,बी/ख,सी/ग की शक्तियां जो मुझे म. प्र. शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ/5-1-99/पन्द्रह-1 सी, दिनांक 26.07.99 के तहत प्रदत्त है, का प्रयोग करते हुये यह सूचना पत्र निर्गत करता हूँ कि क्यों न संस्था को परिसमापन में लाया जाये।

उक्त सूचना पत्र का प्रत्युत्तर पत्र जारी होने के दिनांक के 15 दिवस में इस कार्यालय को प्रेषित करें निर्धारित समयावधि में प्रत्युत्तर प्राप्त न होने की दशा में मेरे द्वारा यह माना जाकर कि आपको उक्त संबंध में कुछ नहीं कहना है, तथा कथित आरोप आपको स्वीकार है, प्रस्तावित कार्यवाही कर दी जावेगी।

(G-860)

कमांक/परिसमापन/2022/432 (अ)

संचालक मण्डल

विनायक बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या. डालका तह. खरगोन

पंजीयन कमांक/ 2064 दिनांक 19.12.2015

जिला- खरगोन

द्वारा :- अध्यक्ष, उपाध्यक्ष/प्रबंधक

1. श्री संतोष व विनोद पता- डालका तह. खरगोन

// कारण बताओ सूचना पत्र //

(म. प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(3) के अंतर्गत)

यह कि अद्योहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष आपकी संस्था के सम्बन्ध में निम्नांकित तथ्य प्रस्तुत किए गए हैं जिसके आधार पर प्रथम दृष्टया यह राय बनी है कि आपकी संस्था को परिसमापन में लाया जाकर पंजीयन निरस्त कर निगम निकाय के रूप में अस्तित्व समाप्त कर दिया जाए। संस्था को निम्न कारणों से धारा 69(1)(2) उपधारा अनुसार परिसमापन में लाया जाना प्रस्तावित है :-

1. संस्था का गठन जिन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु किया गया था उन उद्देश्यों की प्राप्ति में संस्था विफल रही है।
2. संस्था के द्वारा संस्था के सामान्य सदस्यों के हितों को संवर्धित नहीं करती है। इससे आशय संस्था सभी सदस्यों का हित संवर्धन नहीं कर रही है अपितु किसी व्यक्ति विशेष के लिए कार्य कर रही हो। जैसे किसी व्यक्ति विशेष को निर्वाचित करने के लिए या किसी व्यवसाय को सामान्य रूप से प्रतिबंधित किया गया हो, उस व्यवसाय के लिए समिति का गठन किया जाना।
3. संस्था द्वारा अधिनियम व उप नियम की शर्तों का अनुपालन बंद कर दिया है एवं संस्था निष्क्रिय है।
4. संस्था द्वारा सहकारी अधिनियम 1960 की धारा 6 की शर्तों का पालन नहीं कर रही हो जैसे-
I. पंजीयन की शर्तों के अनुसार प्राथमिक समिति में न्यूनतम 20 सदस्य भिन्न-भिन्न परिवार के न हो।
II. प्रथम दृष्टया सदस्यों की सहमति के बिना उनके कुटुम्बिक दस्तावेज प्रस्तुत कर पंजीयन कराया गया हो।
5. संस्था का संचालक मंडल संस्था के कार्यों में रुचि नहीं ले रहा है।

संस्था निर्वाचन कराने में असफल रही है।

अतः मैं विनोद कुमार सिंह, उप पंजीयक सहकारी समितियां जिला खरगोन म.प्र. शासन सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 69(1)(2) ए/क, बी/ख, सी/ग की शक्तियां जो मुझे म. प्र. शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना कमांक/एफ/5-1-99/पन्द्रह-1 सी दिनांक 26.07.99 के तहत प्रदत्त है, का प्रयोग करते हुये यह सूचना पत्र निर्गत करता हूँ कि क्यों न संस्था को परिसमापन में लाया जाये।

उक्त सूचना पत्र का प्रत्युत्तर पत्र जारी होने के दिनांक के 15 दिवस में इस कार्यालय को प्रेषित करें निर्धारित समयावधि में प्रत्युत्तर प्राप्त न होने की दशा में मेरे द्वारा यह माना जाकर कि आपको उक्त संबंध में कुछ नहीं कहना है, तथा कथित आरोप आपको स्वीकार है, प्रस्तावित कार्यवाही कर दी जावेगी।

(G-861)

कमांक/परिसमापन/2022/433

अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/संचालक मण्डल/प्रबंधक

श्री मेलकेरेवर साख सहकारी संस्था मर्या. खरगोन तह. खरगोन

पंजीयन कमांक/ 1797 दिनांक 10.03.2014

जिला- खरगोन

// कारण बताओ सूचना पत्र //

(म. प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(3) के अंतर्गत)

यह कि अद्योहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष आपकी संस्था के सम्बन्ध में निम्नांकित तथ्य प्रस्तुत किए गए हैं जिसके आधार पर प्रथम दृष्टया यह राय बनी है कि आपकी संस्था को परिसमापन में लाया जाकर पंजीयन निरस्त कर निगम निकाय के रूप में अस्तित्व समाप्त कर दिया जाए। संस्था को निम्न कारणों से धारा 69(1)(2) उपधारा अनुसार परिसमापन में लाया जाना प्रस्तावित है :-

1. संस्था का गठन जिन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु किया गया था उन उद्देश्यों की प्राप्ति में संस्था विफल रही है।
2. संस्था के द्वारा संस्था के सामान्य सदस्यों के हितों को संवर्धित नहीं करती है। इससे आशय संस्था सभी सदस्यों का हित संवर्धन नहीं कर रही है अपितु किसी व्यक्ति विशेष के लिए कार्य कर रही हो। जैसे किसी व्यक्ति विशेष को निर्वाचित करने के लिए या किसी व्यवसाय को सामान्य रूप से प्रतिबंधित किया गया हो, उस व्यवसाय के लिए समिति का गठन किया जाना।
3. संस्था द्वारा अधिनियम व उप नियम की शर्तों का अनुपालन बंद कर दिया है एवं संस्था निष्क्रिय है।

संस्था द्वारा सहकारी अधिनियम 1960 की धारा 8 की शर्तों का पालन नहीं कर रही हो जैसे—

I. पंजीयन की शर्तों के अनुसार प्राथमिक समिति में न्यूनतम 20 सदस्य भिन्न-भिन्न परिवार के न हों।

II. प्रथम दृष्टया सदस्यों की सहमति के बिना उनके कुटुम्बिक दस्तावेज प्रस्तुत कर पंजीयन कराया गया हो।

5. संस्था का संचालक मंडल संस्था के कार्यों में रुचि नहीं ले रहा है।

6. संस्था निर्वाचन कराने में असफल रही है।

अतः मैं विनोद कुमार सिंह, उप पंजीयक सहकारी समितियां जिला खरगोन म.प्र. शासन सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 69(1),(2) ए/क.बी/ख.सी/ग की शक्तियां जो मुझे म. प्र. शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ/5-1-99/पन्द्रह-1 सी दिनांक 26.07.99 के तहत प्रदत्त है, का प्रयोग करते हुये यह सूचना पत्र निर्गत करता हूँ कि क्यों न संस्था को परिसमापन में लाया जाये।

उक्त सूचना पत्र का प्रत्युत्तर पत्र जारी होने के दिनांक के 15 दिवस में इस कार्यालय को प्रेषित करें निर्धारित समयवधि में प्रत्युत्तर प्राप्त न होने की दशा में मेरे द्वारा यह माना जाकर कि आपको उक्त संबंध में कुछ नहीं कहना है, तथा कथित आरोप आपको स्वीकार है, प्रस्तावित कार्यवाही कर दी जावेगी।

(G-862)

क्रमांक/परिसमापन/2022/455

खरगोन, दिनांक 11 मार्च 2022

अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/संचालक मण्डल/प्रबंधक

उपायुक्त साख सहकारी संस्था मर्या. सनावद तह. सनावद

पंजीयन क्रमांक/ 2154 दिनांक 27.02.2017

जिला- खरगोन

// कारण बताओं सूचना पत्र //

(म. प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(3) के अंतर्गत)

यह कि अधोहस्ताक्षरकर्ता के सम्मुख आपकी संस्था के सम्बन्ध में निम्नांकित तथ्य प्रस्तुत किए गए हैं जिसके आधार पर प्रथम दृष्टया यह राय बनी है कि आपकी संस्था को परिसमापन में लाया जाकर पंजीयन निरस्त कर निगम निकाय के रूप में अस्तित्व समाप्त कर दिया जाए। संस्था को निम्न कारणों से धारा 69(1),(2) उपधारा अनुसार परिसमापन में लाया जाना प्रस्तावित है :-

1. संस्था का गठन जिन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु किया गया था उन उद्देश्यों की प्राप्ति में संस्था विफल रही है।
2. संस्था के द्वारा संस्था के सामान्य सदस्यों के हितों को संवर्धित नहीं करती है। इससे आसय संस्था सभी सदस्यों का हित संवर्धन नहीं कर रही है अपितु किसी व्यक्ति विशेष के लिए कार्य कर रही हो। जैसे किसी व्यक्ति विशेष को निर्वाचित करने के लिए या किसी व्यवसाय को सामान्य रूप से प्रतिबंधित किया गया हो, उस व्यवसाय के लिए समिति का गठन किया जाना।
3. संस्था द्वारा अधिनियम व उप नियम की शर्तों का अनुपालन बंद कर दिया है एवं संस्था निष्क्रिय है।
4. संस्था द्वारा सहकारी अधिनियम 1960 की धारा 8 की शर्तों का पालन नहीं कर रही हो जैसे—
I. पंजीयन की शर्तों के अनुसार प्राथमिक समिति में न्यूनतम 20 सदस्य भिन्न-भिन्न परिवार के न हों।
II. प्रथम दृष्टया सदस्यों की सहमति के बिना उनके कुटुम्बिक दस्तावेज प्रस्तुत कर पंजीयन कराया गया हो।
5. संस्था का संचालक मंडल संस्था के कार्यों में रुचि नहीं ले रहा है।
6. संस्था निर्वाचन कराने में असफल रही है।

अतः मैं विनोद कुमार सिंह, उप पंजीयक सहकारी समितियां जिला खरगोन म.प्र. शासन सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 69(1),(2) ए/क.बी/ख.सी/ग की शक्तियां जो मुझे म. प्र. शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ/5-1-99/पन्द्रह-1 सी दिनांक 26.07.99 के तहत प्रदत्त है, का प्रयोग करते हुये यह सूचना पत्र निर्गत करता हूँ कि क्यों न संस्था को परिसमापन में लाया जाये।

उक्त सूचना पत्र का प्रत्युत्तर पत्र जारी होने के दिनांक के 15 दिवस में इस कार्यालय को प्रेषित करें निर्धारित समयवधि में प्रत्युत्तर प्राप्त न होने की दशा में मेरे द्वारा यह माना जाकर कि आपको उक्त संबंध में कुछ नहीं कहना है, तथा कथित आरोप आपको स्वीकार है, प्रस्तावित कार्यवाही कर दी जावेगी।

(G-863)

कमांक/परिसमापन/2022/456

अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/संचालक मण्डल/प्रबंधक

नटराज साख सहकारी संस्था मर्या. खरगोन तह. खरगोन

पंजीयन कमांक/ 1685 दिनांक 27.08.2013

जिला- खरगोन

// कारण बताओ सूचना पत्र //

(म. प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(3) के अंतर्गत)

यह कि अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष आपकी संस्था के सम्बन्ध में निम्नांकित तथ्य प्रस्तुत किए गए हैं जिसके आधार पर प्रथम दृष्टया यह राय बनी है कि आपकी संस्था को परिसमापन में लाया जाकर पंजीयन निरस्त कर निगम निकाय के रूप में अस्तित्व समाप्त कर दिया जाए। संस्था को निम्न कारणों से धारा 69(1),(2) उपधारा अनुसार परिसमापन में लाया जाना प्रस्तावित है :-

1. संस्था का गठन जिन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु किया गया था उन उद्देश्यों की प्राप्ति में संस्था विफल रही है।
2. संस्था के द्वारा संस्था के सामान्य सदस्यों के हितों को संवर्धित नहीं करती है। इससे आहत्य संस्था सभी सदस्यों का हित संवर्धन नहीं कर रही है अपितु किसी व्यक्ति विशेष के लिए कार्य कर रही हो। जैसे किसी व्यक्ति विशेष को निर्वाचित करने के लिए या किसी व्यवसाय को सामान्य रूप से प्रतिबंधित किया गया हो, उस व्यवसाय के लिए समिति का गठन किया जाना।
3. संस्था द्वारा अधिनियम व उप नियम की शर्तों का अनुपालन बंद कर दिया है एवं संस्था निष्क्रिय है।
4. संस्था द्वारा सहकारी अधिनियम 1960 की धारा 6 की शर्तों का पालन नहीं कर रही हो जैसे-
I. पंजीयन की शर्तों के अनुसार प्राथमिक समिति में न्यूनतम 20 सदस्य भिन्न-भिन्न परिवार के न हो।
II. प्रथम दृष्टया सदस्यों की सहमति के बिना उनके कुटुम्बिक दस्तावेज प्रस्तुत कर पंजीयन कराया गया हो।
5. संस्था का संचालक मंडल संस्था के कार्यों में रुचि नहीं ले रहा है।
6. संस्था निर्वाचन कराने में असफल रही है।

अतः मैं विनोद कुमार सिंह, उप पंजीयक सहकारी समितियां जिला खरगोन म.प्र. शासन सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 69(1),(2) ए/क.बी/ख.सी/ग की शक्तियां जो मुझे म. प्र. शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना कमांक/एफ/5-1-99/पन्ना-1 सी दिनांक 28.07.99 के तहत प्रदत्त है, का प्रयोग करते हुये यह सूचना पत्र निर्गत करता हूँ कि क्यों न संस्था को परिसमापन में लाया जाये।

उक्त सूचना पत्र का प्रत्युत्तर पत्र जारी होने के दिनांक के 15 दिवस में इस कार्यालय को प्रेषित करें निर्धारित समयवधि में प्रत्युत्तर प्राप्त न होने की दशा में मेरे द्वारा यह माना जाकर कि आपको उक्त संबंध में कुछ नहीं कहना है, तथा कथित आरोप आपको स्वीकार है, प्रस्तावित कार्यवाही कर दी जावेगी।

(G-864)

कमांक/परिसमापन/2022/457

अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/संचालक मण्डल/प्रबंधक

मौ कल्याणी महिला साख सहकारी संस्था मर्या. खरगोन तह. खरगोन

पंजीयन कमांक/ 1669 दिनांक 02.02.2009

जिला- खरगोन

// कारण बताओ सूचना पत्र //

(म. प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(3) के अंतर्गत)

यह कि अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष आपकी संस्था के सम्बन्ध में निम्नांकित तथ्य प्रस्तुत किए गए हैं जिसके आधार पर प्रथम दृष्टया यह राय बनी है कि आपकी संस्था को परिसमापन में लाया जाकर पंजीयन निरस्त कर निगम निकाय के रूप में अस्तित्व समाप्त कर दिया जाए। संस्था को निम्न कारणों से धारा 69(1),(2) उपधारा अनुसार परिसमापन में लाया जाना प्रस्तावित है :-

1. संस्था का गठन जिन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु किया गया था उन उद्देश्यों की प्राप्ति में संस्था विफल रही है।
2. संस्था के द्वारा संस्था के सामान्य सदस्यों के हितों को संवर्धित नहीं करती है। इससे आहत्य संस्था सभी सदस्यों का हित संवर्धन नहीं कर रही है अपितु किसी व्यक्ति विशेष के लिए कार्य कर रही हो। जैसे किसी व्यक्ति विशेष को निर्वाचित करने के लिए या किसी व्यवसाय को सामान्य रूप से प्रतिबंधित किया गया हो, उस व्यवसाय के लिए समिति का गठन किया जाना।
3. संस्था द्वारा अधिनियम व उप नियम की शर्तों का अनुपालन बंद कर दिया है एवं संस्था निष्क्रिय है।

4. संस्था द्वारा सहकारी अधिनियम 1960 की धारा 8 की शर्तों का पालन नहीं कर रही हो जैसे—
I. पंजीयन की शर्तों के अनुसार प्राथमिक समिति में न्यूनतम 20 सदस्य भिन्न-भिन्न परिवार के न हों।
II. प्रथम दृष्टया सदस्यों की सहमति के बिना उनके कूटरचित दस्तावेज प्रस्तुत कर पंजीयन कराया गया हो।
5. संस्था का संचालक मंडल संस्था के कार्यों में रुचि नहीं ले रहा है।
6. संस्था निर्वाचन कराने में असफल रही है।

अतः मैं विनोद कुमार सिंह, उप पंजीयक सहकारी समितियाँ जिला खरगोन म.प्र. शासन सहकारी समितियाँ अधिनियम 1960 की धारा 89(1),(2) ए/क.बी/ख.सी/ग की शक्तियाँ जो मुझे म. प्र. शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ/5-1-99/पन्द्रह-1 सी दिनांक 26.07.99 के तहत प्रदत्त है का प्रयोग करते हुये यह सूचना पत्र निर्गत करता हूँ कि क्यों न संस्था को परिसमापन में लाया जाये।

उक्त सूचना पत्र का प्रत्युत्तर पत्र जारी होने के दिनांक के 15 दिवस में इस कार्यालय को प्रेषित करें निर्धारित समयावधि में प्रत्युत्तर प्राप्त न होने की दशा में मेरे द्वारा यह माना जाकर कि आपको उक्त संबंध में कुछ नहीं कहना है, तथा कथित आरोप आपको स्वीकार है, प्रस्तावित कार्यवाही कर दी जावेगी।

(G-865)

क्रमांक/परिसमापन/2022/458

अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/संचालक मण्डल/प्रबंधक

श्री सिंगाजी अनु. जाति एवं जन जाति साख सहकारी संस्था मर्वा, मंडलेखर तह. मंडल

पंजीयन क्रमांक/ 1838 दिनांक 10.03.2014

जिला- खरगोन

// कारण बताओं सूचना पत्र //

(म. प्र. सहकारी सौसायटी अधिनियम 1960 की धारा 89(3) के अंतर्गत)

यह कि अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष आपकी संस्था के सम्बन्ध में निम्नांकित तथ्य प्रस्तुत किए गए हैं जिसके आधार पर प्रथम दृष्टया यह राय बनी है कि आपकी संस्था को परिसमापन में लाया जाकर पंजीयन निरस्त कर निगम निकाय के रूप में अस्तित्व समाप्त कर दिया जाए। संस्था को निम्न कारणों से धारा 89(1),(2) उपबन्ध अनुसार परिसमापन में लाया जाना प्रस्तावित है :-

1. संस्था का गठन जिन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु किया गया था उन उद्देश्यों की प्राप्ति में संस्था विफल रही है।
2. संस्था के द्वारा संस्था के सामान्य सदस्यों के हितों को संवर्धित नहीं करती है। इससे आशय संस्था सभी सदस्यों का हित संवर्धन नहीं कर रही है अपितु किसी व्यक्ति विशेष के लिए कार्य कर रही हो। जैसे किसी व्यक्ति विशेष को निर्वाचित करने के लिए या किसी व्यवसाय को सामान्य रूप से अतिवर्धित किया गया हो, उस व्यवसाय के लिए समिति का गठन किया जाना।
3. संस्था द्वारा अधिनियम व उप नियम की शर्तों का अनुपालन बंद कर दिया है एवं संस्था निष्क्रिय है।
4. संस्था द्वारा सहकारी अधिनियम 1960 की धारा 8 की शर्तों का पालन नहीं कर रही हो जैसे—
I. पंजीयन की शर्तों के अनुसार प्राथमिक समिति में न्यूनतम 20 सदस्य भिन्न-भिन्न परिवार के न हों।
II. प्रथम दृष्टया सदस्यों की सहमति के बिना उनके कूटरचित दस्तावेज प्रस्तुत कर पंजीयन कराया गया हो।
5. संस्था का संचालक मंडल संस्था के कार्यों में रुचि नहीं ले रहा है।
6. संस्था निर्वाचन कराने में असफल रही है।

अतः मैं विनोद कुमार सिंह, उप पंजीयक सहकारी समितियाँ जिला खरगोन म.प्र. शासन सहकारी समितियाँ अधिनियम 1960 की धारा 89(1),(2) ए/क.बी/ख.सी/ग की शक्तियाँ जो मुझे म. प्र. शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ/5-1-99/पन्द्रह-1 सी दिनांक 26.07.99 के तहत प्रदत्त है का प्रयोग करते हुये यह सूचना पत्र निर्गत करता हूँ कि क्यों न संस्था को परिसमापन में लाया जाये।

उक्त सूचना पत्र का प्रत्युत्तर पत्र जारी होने के दिनांक के 15 दिवस में इस कार्यालय को प्रेषित करें निर्धारित समयावधि में प्रत्युत्तर प्राप्त न होने की दशा में मेरे द्वारा यह माना जाकर कि आपको उक्त संबंध में कुछ नहीं कहना है, तथा कथित आरोप आपको स्वीकार है, प्रस्तावित कार्यवाही कर दी जावेगी।

(G-866)

क्रमांक/परिसमापन/2022/459

अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/संचालक मण्डल/प्रबंधक

श्री विकासशील साख सहकारी संस्था नर्बा, टेमला तह. खरगोन

पंजीयन क्रमांक/ 1840 दिनांक 10.03.2014

जिला- खरगोन

// कारण बताओं सूचना पत्र //

(म. प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(3) के अंतर्गत)

यह कि अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष आपकी संस्था के सम्बन्ध में निम्नांकित तथ्य प्रस्तुत किए गए हैं जिसके आधार पर प्रथम दृष्टया यह राय बनी है कि आपकी संस्था को परिसमापन में लाया जाकर पंजीयन निरस्त कर निगम निकाय के रूप में अस्तित्व समाप्त कर दिया जाए। संस्था को निम्न कारणों से धारा 69(1)(2) उपधारा अनुसार परिसमापन में लाया जाना प्रस्तावित है :-

1. संस्था का गठन जिन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु किया गया था उन उद्देश्यों की प्राप्ति में संस्था विफल रही है।
2. संस्था के द्वारा संस्था के सामान्य सदस्यों के हितों को संवर्धित नहीं करती है। इससे आशय संस्था सभी सदस्यों का हित संवर्धन नहीं कर रही है अपितु किसी व्यक्ति विशेष के लिए कार्य कर रही हो। जैसे किसी व्यक्ति विशेष को निर्वाचित करने के लिए या किसी व्यवसाय को सामान्य रूप से प्रतिबंधित किया गया हो, उस व्यवसाय के लिए समिति का गठन किया जाना।
3. संस्था द्वारा अधिनियम व उप नियम की शर्तों का अनुपालन बंद कर दिया है एवं संस्था निष्क्रिय है।
4. संस्था द्वारा सहकारी अधिनियम 1960 की धारा 8 की शर्तों का पालन नहीं कर रही हो जैसे-
I. पंजीयन की शर्तों के अनुसार प्राथमिक समिति में न्यूनतम 20 सदस्य भिन्न-भिन्न परिवार के न हों।
II. प्रथम दृष्टया सदस्यों की सहमति के बिना उनके कूटस्थित दस्तावेज प्रस्तुत कर पंजीयन कराया गया हो।
5. संस्था का संचालक मंडल संस्था के कार्यों में रुचि नहीं ले रहा है।
6. संस्था निर्वाचन कराने में असफल रही है।

अतः मैं प्रिनोद कुमार सिंह, उप पंजीयक सहकारी समितियां जिला खरगोन म.प्र. शासन सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 69(1)(2) ए/क.बी/ख.सी/ग की शक्तियां जो मुझे म. प्र. शासन सहकारिता विभाग की अधिनियम क्रमांक/एफ/5-1-99/पन्ध-1 सी दिनांक 26.07.99 के तहत प्रदत्त है, का प्रयोग करते हुये यह सूचना पत्र निर्गत करता हूँ कि क्यों न संस्था को परिसमापन में लाया जाये।

उक्त सूचना पत्र का प्रत्युत्तर पत्र जारी होने के दिनांक के 15 दिवस में इस कार्यालय को प्रेषित करें निर्धारित समयावधि में प्रत्युत्तर प्राप्त न होने की दशा में मेरे द्वारा यह माना जाकर कि आपको उक्त संकेत में कुछ नहीं कहना है, तथा कथित आरोप आपको स्वीकार है, प्रस्तावित कार्यवाही कर दी जावेगी।

(G-867)

क्रमांक/परिसमापन/2022/460

अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/संचालक मण्डल/प्रबंधक

निमाड डेवलपमेंट साख सहकारी संस्था नर्बा, नागझिरी तह. गोगावा

पंजीयन क्रमांक/ 1847 दिनांक 10.03.2014

जिला- खरगोन

// कारण बताओं सूचना पत्र //

(म. प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(3) के अंतर्गत)

यह कि अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष आपकी संस्था के सम्बन्ध में निम्नांकित तथ्य प्रस्तुत किए गए हैं जिसके आधार पर प्रथम दृष्टया यह राय बनी है कि आपकी संस्था को परिसमापन में लाया जाकर पंजीयन निरस्त कर निगम निकाय के रूप में अस्तित्व समाप्त कर दिया जाए। संस्था को निम्न कारणों से धारा 69(1)(2) उपधारा अनुसार परिसमापन में लाया जाना प्रस्तावित है :-

1. संस्था का गठन जिन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु किया गया था उन उद्देश्यों की प्राप्ति में संस्था विफल रही है।
2. संस्था के द्वारा संस्था के सामान्य सदस्यों के हितों को संवर्धित नहीं करती है। इससे आशय संस्था सभी सदस्यों का हित संवर्धन नहीं कर रही है अपितु किसी व्यक्ति विशेष के लिए कार्य कर रही हो। जैसे किसी व्यक्ति विशेष को निर्वाचित करने के लिए या किसी व्यवसाय को सामान्य रूप से प्रतिबंधित किया गया हो, उस व्यवसाय के लिए समिति का गठन किया जाना।
3. संस्था द्वारा अधिनियम व उप नियम की शर्तों का अनुपालन बंद कर दिया है एवं संस्था निष्क्रिय है।

4. संस्था द्वारा सहकारी अधिनियम 1960 की धारा 6 की शर्तों का पालन नहीं कर रही हो जैसे-

I. पंजीयन की शर्तों के अनुसार प्राथमिक समिति में न्यूनतम 20 सदस्य भिन्न-भिन्न परिवार के न हों।

II. प्रथम दृष्टया सदस्यों की सहमति के बिना उनके कुटुंबित दस्तावेज प्रस्तुत कर पंजीयन कराया गया हो।

5. संस्था का संचालक मंडल संस्था के कार्यों में रुचि नहीं ले रहा है।

6. संस्था निर्वाचन कराने में असफल रही है।

अतः मैं विनोद कुमार सिंह, उप पंजीयक सहकारी समितियां जिला खरगोन म.प्र. शासन सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 69(1),(2) ए/क.बी/ख.सी/ग की शक्तियां जो मुझे म. प्र. शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ/5-1-99/पन्द्रह-1 सी दिनांक 28.07.99 के तहत प्रदत्त है, का प्रयोग करते हुये यह सूचना पत्र निर्गत करता हूँ कि क्यों न संस्था को परिसमापन में लाया जाये।

उक्त सूचना पत्र का प्रत्युत्तर पत्र जारी होने के दिनांक के 15 दिवस में इस कार्यालय को प्रेषित करें निर्धारित समयवधि में प्रत्युत्तर प्राप्त न होने की दशा में मेरे द्वारा यह माना जाकर कि आपको उक्त संबंध में कुछ नहीं कहना है, तथा कथित आरोप आपको स्वीकार है, प्रस्तावित कार्यवाही कर दी जावेगी।

(G-868)

कमल/परिसमापन/2022/461

अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/संचालक मंडल/प्रबंध

श्री सार्ध सात सहकारी संस्था मर्या. क्षिरन्या तह. क्षिरन्या

पंजीयन क्रमांक/ 1920 दिनांक 10.03.2014.

जिला- खरगोन

// कारण बताओ सूचना पत्र //

(म. प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(3) के अंतर्गत)

आह कि आरोहस्तावरकर्ता के सम्म आपकी संस्था के सम्बन्ध में निम्नांकित तथ्य प्रस्तुत किए गए हैं जिसके आधार पर प्रथम दृष्टया यह राय बनी है कि आपकी संस्था को परिसमापन में लाया जाकर पंजीयन निरस्त कर निगम निकाय के रूप में अस्तित्व समाप्त कर दिया जाए। संस्था को निम्न कारणों से धारा 69(1),(2) उपधारा अनुसार परिसमापन में लाया जाना प्रस्तावित है :-

1. संस्था का गठन जिन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु किया गया था उन उद्देश्यों की प्राप्ति में संस्था विफल रही है।
2. संस्था के द्वारा संस्था के सामान्य सदस्यों के हितों को संवर्धित नहीं करती है। इससे आशय संस्था सभी सदस्यों का हित संवर्धन नहीं कर रही है अपितु किसी व्यक्ति विशेष के लिए कार्य कर रही हो। जैसे किसी व्यक्ति विशेष को निर्वाचित करने के लिए या किसी व्यवसाय को सामान्य रूप से प्रतिबंधित किया गया हो, इस व्यवसाय के लिए समिति का गठन किया जाना।
3. संस्था द्वारा अधिनियम व उप नियम की शर्तों का अनुपालन बंद कर दिया है एवं संस्था निष्क्रिय है।
4. संस्था द्वारा सहकारी अधिनियम 1960 की धारा 6 की शर्तों का पालन नहीं कर रही हो जैसे-
I. पंजीयन की शर्तों के अनुसार प्राथमिक समिति में न्यूनतम 20 सदस्य भिन्न-भिन्न परिवार के न हों।
II. प्रथम दृष्टया सदस्यों की सहमति के बिना उनके कुटुंबित दस्तावेज प्रस्तुत कर पंजीयन कराया गया हो।
5. संस्था का संचालक मंडल संस्था के कार्यों में रुचि नहीं ले रहा है।
6. संस्था निर्वाचन कराने में असफल रही है।

अतः मैं विनोद कुमार सिंह, उप पंजीयक सहकारी समितियां जिला खरगोन म.प्र. शासन सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 69(1),(2) ए/क.बी/ख.सी/ग की शक्तियां जो मुझे म. प्र. शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ/5-1-99/पन्द्रह-1 सी दिनांक 28.07.99 के तहत प्रदत्त है, का प्रयोग करते हुये यह सूचना पत्र निर्गत करता हूँ कि क्यों न संस्था को परिसमापन में लाया जाये।

उक्त सूचना पत्र का प्रत्युत्तर पत्र जारी होने के दिनांक के 15 दिवस में इस कार्यालय को प्रेषित करें निर्धारित समयवधि में प्रत्युत्तर प्राप्त न होने की दशा में मेरे द्वारा यह माना जाकर कि आपको उक्त संबंध में कुछ नहीं कहना है, तथा कथित आरोप आपको स्वीकार है, प्रस्तावित कार्यवाही कर दी जावेगी।

(G-869)

क्रमांक/परिसमापन/2022/462

अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/संचालक मण्डल/प्रबंधक

जय अम्बे साख सहकारी संस्था मर्या, खरगोन तह. खरगोन

पंजीयन क्रमांक/ 1921 दिनांक 10.03.2014

जिला- खरगोन

// कारण बताओ सूचना पत्र //

(म. प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(3) के अंतर्गत)

यह कि अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष आपकी संस्था के सम्बन्ध में निम्नांकित तथ्य प्रस्तुत किए गए हैं जिसके आधार पर प्रथम दृष्टया यह राय बनी है कि आपकी संस्था को परिसमापन में लाया जाकर पंजीयन निरस्त कर निगम निकाय के रूप में अस्तित्व समाप्त कर दिया जाए। संस्था को निम्न कारणों से धारा 69(1),(2) उपधारा अनुसार परिसमापन में लाया जाना प्रस्तावित है :-

1. संस्था का गठन जिन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु किया गया था उन उद्देश्यों की प्राप्ति में संस्था विफल रही है।
2. संस्था के द्वारा संस्था के सामान्य सदस्यों के हितों को संवर्धित नहीं करती है। इससे आशय संस्था सभी सदस्यों का हित संवर्धन नहीं कर रही है अपितु किसी व्यक्ति विशेष के लिए कार्य कर रही हो। जैसे किसी व्यक्ति विशेष को निर्वाचित करने के लिए या किसी व्यवसाय को सामान्य रूप से प्रतिबंधित किया गया हो। उस व्यवसाय के लिए समिति का गठन किया जाना।
3. संस्था द्वारा अधिनियम व उप नियम की शर्तों का अनुपालन बंद कर दिया है एवं संस्था निष्क्रिय है।
4. संस्था द्वारा सहकारी अधिनियम 1960 की धारा 6 की शर्तों का पालन नहीं कर रही हो जैसे-
I. पंजीयन की शर्तों के अनुसार प्राथमिक समिति में न्यूनतम 20 सदस्य भिन्न-भिन्न परिवार के न हो।
II. प्रथम दृष्टया सदस्यों की सहमति के बिना उनके कूटस्थित दस्तावेज प्रस्तुत कर पंजीयन कराया गया हो।
5. संस्था का संचालक मंडल संस्था के कार्यों में रुचि नहीं ले रहा है।
6. संस्था निर्वाचन कराने में असफल रही है।

अतः मैं विनोद कुमार सिंह, उप पंजीयक सहकारी समितियां जिला खरगोन म.प्र. शासन सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 69(1),(2) ए/क.बी/ख.सी/ग की शक्तियां जो मुझे म. प्र. शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ/6-1-99/पन्द्रह-1 सी दिनांक 26.07.99 के तहत प्रदत्त है, का प्रयोग करते हुये यह सूचना पत्र निर्गत करता हूँ कि क्यों न संस्था को परिसमापन में लाया जाये।

उक्त सूचना पत्र का प्रत्युत्तर पत्र जारी होने के दिनांक के 15 दिवस में इस कार्यालय को प्रेषित करें निर्धारित समयावधि में प्रत्युत्तर प्राप्त न होने की दशा में मेरे द्वारा यह माना जाकर कि आपको उक्त संबंध में कुछ नहीं कहना है, तथा कथित आरोप आपको स्वीकार है, प्रस्तावित कार्यवाही कर दी जावेगी।

(G-870)

क्रमांक/परिसमापन/2022/463

अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/संचालक मण्डल/प्रबंधक

समिति कर्मचारी साख सहकारी संस्था मर्या, भीकनगांव तह. भीकनगांव

पंजीयन क्रमांक/ 1926 दिनांक 10.03.2014

जिला- खरगोन

// कारण बताओ सूचना पत्र //

(म. प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(3) के अंतर्गत)

यह कि अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष आपकी संस्था के सम्बन्ध में निम्नांकित तथ्य प्रस्तुत किए गए हैं जिसके आधार पर प्रथम दृष्टया यह राय बनी है कि आपकी संस्था को परिसमापन में लाया जाकर पंजीयन निरस्त कर निगम निकाय के रूप में अस्तित्व समाप्त कर दिया जाए। संस्था को निम्न कारणों से धारा 69(1),(2) उपधारा अनुसार परिसमापन में लाया जाना प्रस्तावित है :-

1. संस्था का गठन जिन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु किया गया था उन उद्देश्यों की प्राप्ति में संस्था विफल रही है।
2. संस्था के द्वारा संस्था के सामान्य सदस्यों के हितों को संवर्धित नहीं करती है। इससे आशय संस्था सभी सदस्यों का हित संवर्धन नहीं कर रही है अपितु किसी व्यक्ति विशेष के लिए कार्य कर रही हो। जैसे किसी व्यक्ति विशेष को निर्वाचित करने के लिए या किसी व्यवसाय को सामान्य रूप से प्रतिबंधित किया गया हो। उस व्यवसाय के लिए समिति का गठन किया जाना।
3. संस्था द्वारा अधिनियम व उप नियम की शर्तों का अनुपालन बंद कर दिया है एवं संस्था निष्क्रिय है।

4. संस्था द्वारा सहकारी अधिनियम 1960 की धारा 6 की शर्तों का पालन नहीं कर रही हो जैसे—

I. पंजीयन की शर्तों के अनुसार प्राथमिक समिति में न्यूनतम 20 सदस्य भिन्न-भिन्न परिवार के न हो।

II. प्रथम दृष्टया सदस्यों की सहमति के बिना उनके कुटुंबित दस्तावेज प्रस्तुत कर पंजीयन कराया गया हो।

5. संस्था का संचालक मंडल संस्था के कार्यों में रुचि नहीं ले रहा है।

6. संस्था निर्वाचन कराने में असफल रही है।

अतः मैं विनोद कुमार सिंह, उप पंजीयक सहकारी समितियां जिला खरगोन म.प्र. शासन सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 69(1),(2) ए/क.बी/ख.सी/ग की शक्तियां जो मुझे म. प्र. शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ/5-1-99/पन्द्रह-1 सी दिनांक 26.07.99 के तहत प्रदत्त है, का प्रयोग करते हुये यह सूचना पत्र निर्गत करता हूँ कि क्यों न संस्था को परिसमापन में लाया जाये।

उक्त सूचना पत्र का प्रत्युत्तर पत्र जारी होने के दिनांक के 15 दिवस में इस कार्यालय को प्रेषित करें निर्धारित समयावधि में प्रत्युत्तर प्राप्त न होने की दशा में मेरे द्वारा यह माना जाकर कि आपको उक्त संबंध में कुछ नहीं कहना है, तथा कथित आरोप आपको स्वीकार है, प्रस्तावित कार्यवाही कर दी जावेगी।

(G-871)

क्रमांक/परिसमापन/2022/464

अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/संचालक मण्डल/प्रबंधक

बाबा श्री साख सहकारी संस्था मर्या. सनावर तह. सनावर

पंजीयन क्रमांक/ 2175 दिनांक 31.07.2017

जिला— खरगोन

// कारण बताओ सूचना पत्र //

(म. प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(3) के अंतर्गत)

यह कि अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष आपकी संस्था के सम्बन्ध में निम्नलिखित तथ्य प्रस्तुत किए गए हैं जिसके आधार पर प्रथम दृष्टया यह राय बनी है कि आपकी संस्था को परिसमापन में लाया जाकर पंजीयन निरस्त कर निगम निकाय के रूप में अस्तित्व समाप्त कर दिया जाए। संस्था को निम्न कारणों से धारा 69(1),(2) उपबन्धानुसार परिसमापन में लाया जाना प्रस्तावित है :-

1. संस्था का गठन जिन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु किया गया था उन उद्देश्यों की प्राप्ति में संस्था विफल रही है।
2. संस्था के द्वारा संस्था के सामान्य सदस्यों के हितों को संवर्धित नहीं करती है। इससे आसय संस्था सभी सदस्यों का हित संवर्धन नहीं कर रही है अपितु किसी व्यक्ति विशेष के लिए कार्य कर रही हो। जैसे किसी व्यक्ति विशेष को निर्वाचित करने के लिए या किसी व्यवसाय को सामान्य रूप से प्रतिबंधित किया गया हो, उस व्यवसाय के लिए समिति का गठन किया जाना।

3. संस्था द्वारा अधिनियम व उप नियम की शर्तों का अनुपालन बंद कर दिया है एवं संस्था निष्क्रिय है।

4. संस्था द्वारा सहकारी अधिनियम 1960 की धारा 6 की शर्तों का पालन नहीं कर रही हो जैसे—

I. पंजीयन की शर्तों के अनुसार प्राथमिक समिति में न्यूनतम 20 सदस्य भिन्न-भिन्न परिवार के न हो।

II. प्रथम दृष्टया सदस्यों की सहमति के बिना उनके कुटुंबित दस्तावेज प्रस्तुत कर पंजीयन कराया गया हो।

5. संस्था का संचालक मंडल संस्था के कार्यों में रुचि नहीं ले रहा है।

6. संस्था निर्वाचन कराने में असफल रही है।

अतः मैं विनोद कुमार सिंह, उप पंजीयक सहकारी समितियां जिला खरगोन म.प्र. शासन सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 69(1),(2) ए/क.बी/ख.सी/ग की शक्तियां जो मुझे म. प्र. शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ/5-1-99/पन्द्रह-1 सी दिनांक 26.07.99 के तहत प्रदत्त है, का प्रयोग करते हुये यह सूचना पत्र निर्गत करता हूँ कि क्यों न संस्था को परिसमापन में लाया जाये।

उक्त सूचना पत्र का प्रत्युत्तर पत्र जारी होने के दिनांक के 15 दिवस में इस कार्यालय को प्रेषित करें निर्धारित समयावधि में प्रत्युत्तर प्राप्त न होने की दशा में मेरे द्वारा यह माना जाकर कि आपको उक्त संबंध में कुछ नहीं कहना है, तथा कथित आरोप आपको स्वीकार है, प्रस्तावित कार्यवाही कर दी जावेगी।

(G-872)

क्रमांक/परिसमापन/2022/465

अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/संचालक मण्डल/प्रबंधक

निवासी साख सहकारी संस्था मर्या. खरगोन तह. खरगोन

पंजीयन क्रमांक/ 2182 दिनांक 18.09.2017

जिला- खरगोन

// कारण बताओ सूचना पत्र //

(म. प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(3) के अंतर्गत)

यह कि अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष आपकी संस्था के सम्बन्ध में निम्नांकित तथ्य प्रस्तुत किए गए हैं जिसके आधार पर प्रथम दृष्टया यह राय बनी है कि आपकी संस्था को परिसमापन में लाया जाकर पंजीयन निरस्त कर निगम निकाय के रूप में अस्तित्व समाप्त कर दिया जाए। संस्था को निम्न कारणों से धारा 69(1)(2) उपधारा अनुसार परिसमापन में लाया जाना प्रस्तावित है :-

1. संस्था का गठन जिन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु किया गया था उन उद्देश्यों की प्राप्ति में संस्था विफल रही है।
2. संस्था के द्वारा संस्था के सामान्य सदस्यों के हितों को संवर्धित नहीं करती है। इससे आशय संस्था सभी सदस्यों का हित संवर्धन नहीं कर रही है अपितु किसी व्यक्ति विशेष के लिए कार्य कर रही हो। जैसे किसी व्यक्ति विशेष को निर्वाचित करने के लिए या किसी व्यवसाय को सामान्य रूप से प्रतिबंधित किया गया हो, उस व्यवसाय के लिए समिति का गठन किया जाना।
3. संस्था द्वारा अधिनियम व उप नियम की शर्तों का अनुपालन बंद कर दिया है एवं संस्था निष्क्रिय है।
4. संस्था द्वारा सहकारी अधिनियम 1960 की धारा 8 की शर्तों का पालन नहीं कर रही हो जैसे-
I. पंजीयन की शर्तों के अनुसार प्राथमिक समिति में न्यूनतम 20 सदस्य भिन्न-भिन्न परिवार के न हों।
II. प्रथम दृष्टया सदस्यों की सहमति के बिना उनके कुटुम्बिक दस्तावेज प्रस्तुत कर पंजीयन कराया गया हो।
5. संस्था का संचालक मंडल संस्था के कार्यों में रुचि नहीं ले रहा है।
6. संस्था निर्वाचन कराने में असफल रही है।

अतः मैं दिनेश कुमार सिंह, उप पंजीयक सहकारी समितियां जिला खरगोन म.प्र. शासन सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 69(1)(2) ए/क.बी/ख.सी/ग की शक्तियां जो मुझे म. प्र. शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ/5-1-99/पन्द्रह-1 सी दिनांक 28.07.99 के तहत प्रदत्त है, का प्रयोग करते हुये यह सूचना पत्र निर्गत करता हूँ कि क्यों न संस्था को परिसमापन में लाया जाये।

उक्त सूचना पत्र का प्रत्युत्तर पत्र जारी होने के दिनांक के 15 दिवस में इस कार्यालय को प्रेषित करें निर्धारित समयवधि में प्रत्युत्तर प्राप्त न होने की दशा में मेरे द्वारा यह माना जाकर कि आपको उक्त संबंध में कुछ नहीं कहना है, तथा कथित आरोप आपको स्वीकार है, प्रस्तावित कार्यवाही कर दी जावेगी।

(G-873)

क्रमांक/परिसमापन/2022/43413

अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/संचालक मण्डल/प्रबंधक

कल्याणी महिला साख सहकारी संस्था मर्या. खरगोन तह. खरगोन

पंजीयन क्रमांक/ 1559 दिनांक 02.02.2009

जिला- खरगोन

खरगोन, दिनांक 10 मार्च 2022

// कारण बताओ सूचना पत्र //

(म. प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(3) के अंतर्गत)

यह कि अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष आपकी संस्था के सम्बन्ध में निम्नांकित तथ्य प्रस्तुत किए गए हैं जिसके आधार पर प्रथम दृष्टया यह राय बनी है कि आपकी संस्था को परिसमापन में लाया जाकर पंजीयन निरस्त कर निगम निकाय के रूप में अस्तित्व समाप्त कर दिया जाए। संस्था को निम्न कारणों से धारा 69(1)(2) उपधारा अनुसार परिसमापन में लाया जाना प्रस्तावित है :-

1. संस्था का गठन जिन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु किया गया था उन उद्देश्यों की प्राप्ति में संस्था विफल रही है।
2. संस्था के द्वारा संस्था के सामान्य सदस्यों के हितों को संवर्धित नहीं करती है। इससे आशय संस्था सभी सदस्यों का हित संवर्धन नहीं कर रही है अपितु किसी व्यक्ति विशेष के लिए कार्य कर रही हो। जैसे किसी व्यक्ति विशेष को निर्वाचित करने के लिए या किसी व्यवसाय को सामान्य रूप से प्रतिबंधित किया गया हो, उस व्यवसाय के लिए समिति का गठन किया जाना।
3. संस्था द्वारा अधिनियम व उप नियम की शर्तों का अनुपालन बंद कर दिया है एवं संस्था निष्क्रिय है।

4. संस्था द्वारा सहकारी अधिनियम 1960 की धारा 6 की शर्तों का पालन नहीं कर रही हो जैसे—
I. पंजीयन की शर्तों के अनुसार प्राथमिक समिति में न्यूनतम 20 सदस्य भिन्न-भिन्न परिवार के न हों।
II. प्रथम दृष्टया सदस्यों की सहमति के बिना उनके कुटुंबीय दस्तावेज प्रस्तुत कर पंजीयन कराया गया हो।
5. संस्था का संचालक मंडल संस्था के कार्यों में रुचि नहीं ले रहा है।
6. संस्था निर्वाचन कराने में असफल रही है।

अतः मैं विनोद कुमार सिंह, उप पंजीयक सहकारी समितियां जिला खरगोन म.प्र. शासन सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 69(1),(2) ए/क.बी/ख.सी/ग की शक्तियां जो मुझे म. प्र. शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ/5-1-99/पन्द्रह-1 सी, दिनांक 28.07.99 के तहत प्रदत्त है, का प्रयोग करते हुये यह सूचना पत्र निर्गत करता हूँ कि क्यों न संस्था को परिसमापन में लाया जाये।

उक्त सूचना पत्र का प्रत्युत्तर पत्र जारी होने के दिनांक के 15 दिवस में इस कार्यालय को प्रेषित करें निर्धारित समयावधि में प्रत्युत्तर प्राप्त न होने की दशा में मेरे द्वारा यह माना जाकर कि आपको उक्त संबंध में कुछ नहीं कहना है, तथा कथित आरोप आपको स्वीकार है, प्रस्तावित कार्यवाही कर दी जावेगी।

(G-874)

/ क्रमांक/परिसमापन/2022/ 43 41

संचालक मण्डल

नर्मदा साख सहकारी संस्था मर्या. कसरावद तह. कसरावद

पंजीयन क्रमांक/ 108 दिनांक 11.07.2008

संपरिवर्तित पंजीयन क्रमांक/ 1810 दिनांक 10.03.2014

जिला- खरगोन

द्वारा :- अध्यक्ष, उपाध्यक्ष/प्रबंधक

1. श्री नारायण यादव पता- कसरावद तह. कसरावद

// कारण बताओ सूचना पत्र //

(म. प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(3) के अंतर्गत)

यह कि अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष आपकी संस्था के सम्बन्ध में निम्नांकित तथ्य प्रस्तुत किए गए हैं जिसके आधार पर प्रथम दृष्टया यह राय बनी है कि आपकी संस्था को परिसमापन में लाया जाकर पंजीयन निरस्त कर निगम निकाय के रूप में अस्तित्व समाप्त कर दिया जाए। संस्था को निम्न कारणों से धारा 69(1),(2) उपधारा अनुसार परिसमापन में लाया जाना प्रस्तावित है :-

1. संस्था का गठन जिन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु किया गया था उन उद्देश्यों की प्राप्ति में संस्था विफल रही है।
2. संस्था के द्वारा संस्था के सामान्य सदस्यों के हितों को संवर्धित नहीं करती है। इससे आशय संस्था सभी सदस्यों का हित संवर्धन नहीं कर रही है अपितु किसी व्यक्ति विशेष के लिए कार्य कर रही हो। जैसे किसी व्यक्ति विशेष को निर्वाचित करने के लिए या किसी व्यवसाय को सामान्य रूप से प्रतिबंधित किया गया हो, उस व्यवसाय के लिए समिति का गठन किया जाना।

3. संस्था द्वारा अधिनियम व उप नियम की शर्तों का अनुपालन बंद कर दिया है एवं संस्था निष्क्रिय है।

4. संस्था द्वारा सहकारी अधिनियम 1960 की धारा 6 की शर्तों का पालन नहीं कर रही हो जैसे—
I. पंजीयन की शर्तों के अनुसार प्राथमिक समिति में न्यूनतम 20 सदस्य भिन्न-भिन्न परिवार के न हों।
II. प्रथम दृष्टया सदस्यों की सहमति के बिना उनके कुटुंबीय दस्तावेज प्रस्तुत कर पंजीयन कराया गया हो।

5. संस्था का संचालक मंडल संस्था के कार्यों में रुचि नहीं ले रहा है।

6. संस्था निर्वाचन कराने में असफल रही है।

अतः मैं विनोद कुमार सिंह, उप पंजीयक सहकारी समितियां जिला खरगोन म.प्र. शासन सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 69(1),(2) ए/क.बी/ख.सी/ग की शक्तियां जो मुझे म. प्र. शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ/5-1-99/पन्द्रह-1 सी, दिनांक 26.07.99 के तहत प्रदत्त है, का प्रयोग करते हुये यह सूचना पत्र निर्गत करता हूँ कि क्यों न संस्था को परिसमापन में लाया जाये।

उक्त सूचना पत्र का प्रत्युत्तर पत्र जारी होने के दिनांक के 15 दिवस में इस कार्यालय को प्रेषित करें निर्धारित समयावधि में प्रत्युत्तर प्राप्त न होने की दशा में मेरे द्वारा यह माना जाकर कि आपको उक्त संबंध में कुछ नहीं कहना है, तथा कथित आरोप आपको स्वीकार है, प्रस्तावित कार्यवाही कर दी जावेगी।

(G-875)

विनोद कुमार सिंह, उप पंजीयक.

कार्यालय, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएँ, जिला सीहोर, मध्यप्रदेश
[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) के अंतर्गत]

सीहोर, दिनांक मार्च 2022

क्रमांक-परिसमापन-2022-

इस कार्यालय का आदेश क्रमांक/परिसमापन/2016/403 सीहोर दिनांक 22.04.2016 के द्वारा भूमि बीज उत्पादक प्रक्रिया एवं विपणन सहकारी समिति मर्यादित नसरुल्लागंज तहसील नसरुल्लागंज जिला सीहोर जिसका पंजीयन क्रमांक 1725 दिनांक 03.10.2013 है, जो मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70 के अन्तर्गत श्री एस. डी. राठौर उप अंकेक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था।

परिसमापक द्वारा समिति के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त हेतु अंतिम प्रतिवेदन निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत किया गया है, जिसके साथ साधारण सभा की कार्यवाही विवरण, अंकेक्षित निरंक स्थिति विवरण पत्रक प्रस्तुत कर संस्था के पंजीयन निरस्त की अनुशंसा की गई है।

परिसमापक की उक्त कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः मैं, भूपेन्द्र प्रताप सिंह उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएँ, जिला सीहोर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) एवं मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग भोपाल के आदेश क्रमांक एफ 5-1-99-पद्रह-1 सी, दिनांक 29.07.99 के प्रदत्त रजिस्ट्रार शक्तियों का प्रयोग करते हुए भूमि बीज उत्पादक प्रक्रिया एवं विपणन सहकारी समिति मर्यादित नसरुल्लागंज तहसील नसरुल्लागंज जिला सीहोर जिसका पंजीयन क्रमांक 1725 दिनांक 03.10.2013 संस्था का निगम निकाय (बाडी कार्पोरेट) समाप्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक मार्च 2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(G-876)

क्रमांक-परिसमापन-2022-

इस कार्यालय का आदेश क्रमांक/परिसमापन/2016/403 सीहोर दिनांक 22.04.2016 के द्वारा प्राथमिक बीज उत्पादक प्रक्रिया एवं विपणन सहकारी समिति मर्यादित खामखेड़ा जत्रा तहसील आष्टा जिला सीहोर जिसका पंजीयन क्रमांक 1609 दिनांक 06.06.2012 है, जो मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70 के अन्तर्गत श्री एस. डी. राठौर उप अंकेक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था।

परिसमापक द्वारा समिति के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त हेतु अंतिम प्रतिवेदन निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत किया गया है, जिसके साथ साधारण सभा की कार्यवाही विवरण, अंकेक्षित निरंक स्थिति विवरण पत्रक प्रस्तुत कर संस्था के पंजीयन निरस्त की अनुशंसा की गई है।

परिसमापक की उक्त कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः मैं, भूपेन्द्र प्रताप सिंह उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएँ, जिला सीहोर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) एवं मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग भोपाल के आदेश क्रमांक एफ 5-1-99-पद्रह-1 सी, दिनांक 29.07.99 के प्रदत्त रजिस्ट्रार शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्राथमिक बीज उत्पादक प्रक्रिया एवं विपणन सहकारी समिति मर्यादित खामखेड़ा जत्रा तहसील आष्टा जिला सीहोर जिसका पंजीयन क्रमांक 1609 दिनांक 06.06.2012 संस्था का निगम निकाय (बाडी कार्पोरेट) समाप्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक मार्च 2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(G-877)

क्रमांक-परिसमापन-2022-

इस कार्यालय का आदेश क्रमांक/परिसमापन/2016/403 सीहोर दिनांक 22.04.2016 के द्वारा प्राथमिक बीज उत्पादक प्रक्रिया एवं विपणन सहकारी समिति मर्यादित कुंलासकलों तहसील सीहोर जिला सीहोर जिसका पंजीयन क्रमांक 1696 दिनांक 13.02.2013 है, जो मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70 के अन्तर्गत श्री एस. डी. राठौर उप अंकेक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था।

परिसमापक द्वारा समिति के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त हेतु अंतिम प्रतिवेदन निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत किया गया है, जिसके साथ साधारण सभा की कार्यवाही विवरण, अंकेक्षित निरंक स्थिति विवरण पत्रक प्रस्तुत कर संस्था के पंजीयन निरस्त की अनुशंसा की गई है।

परिसमापक की उक्त कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त भेजा जाना उचित है।

अतः मैं, भूपेन्द्र प्रताप सिंह उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएँ, जिला सीहोर मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) एवं मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग भोपाल के आदेश क्रमांक एफ 5-1-99-पद्रह-1 सी, दिनांक 29.07.99 के प्रदत्त रजिस्ट्रार शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्राथमिक बीज उत्पादक प्रक्रिया एवं विपणन सहकारी समिति मर्यादित कुंलासकलों तहसील सीहोर जिला सीहोर जिसका पंजीयन क्रमांक 1696 दिनांक 13.02.2013 संस्था का निगम निकाय (बाडी कार्पोरेट) समाप्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक मार्च 2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(G-878)

क्रमांक-परिसमापन-2022-

सीहोर दिनांक 17 मार्च, 2022

इस कार्यालय का आदेश क्रमांक/परिसमापन/2016/403 सीहोर दिनांक 22.04.2016 के द्वारा सौई बीज उत्पादक प्रक्रिया एवं विपणन सहकारी समिति मर्यादित तज तहसील सीहोर जिला सीहोर जिसका पंजीयन क्रमांक 1824 दिनांक 04.07.2015 है, जो मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70 के अन्तर्गत श्री एस. डी. राठौर उप अंकेक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था।

परिसमापक द्वारा समिति के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त हेतु अंतिम प्रतिवेदन निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत किया गया है, जिसके साथ साधारण सभा की कार्यवाही विवरण, अंकेक्षित निरंक स्थिति विवरण पत्रक प्रस्तुत कर संस्था के पंजीयन निरस्त की अनुशंसा की गई है।

परिसमापक की उक्त कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः मैं, भूपेन्द्र प्रताप सिंह उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएँ, जिला सीहोर मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) एवं मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग भोपाल के आदेश क्रमांक एफ 5-1-99-पद्रह-1 सी, दिनांक 29.07.99 के प्रदत्त रजिस्ट्रार शक्तियों का प्रयोग करते हुए सौई बीज उत्पादक प्रक्रिया एवं विपणन सहकारी समिति मर्यादित तज तहसील सीहोर जिला सीहोर जिसका पंजीयन क्रमांक 1824 दिनांक 04.07.2015 संस्था का निगम निकाय (बाडी कार्पोरेट) समाप्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक मार्च 2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(G-879)

क्रमांक-परिसमापन-2022-

सीहोर दिनांक 21 मार्च, 2022

इस कार्यालय का आदेश क्रमांक/परिसमापन/2019/52 सीहोर दिनांक 17.01.2019 व द्वारा दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित रफीकगंज तहसील नसरुल्लागंज जिला सीहोर जिसका पंजीयन क्रमांक 1412 दिनांक 28.08.2008 है, जो मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 6 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70 के अन्तर्गत श्री उमेश मिश्रा, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था।

परिसमापक द्वारा समिति के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त हेतु अंतिम प्रतिवेदन निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत किया गया है, जिसके साथ साधारण सभा की कार्यवाही विवरण, अंकेक्षित निरंक स्थिति विवरण पत्रक प्रस्तुत कर संस्था के पंजीयन निरस्त की अनुशंसा की गई है।

परिसमापक की उक्त कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः मैं, भूपेन्द्र प्रताप सिंह उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएँ, जिला सीहोर मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) एवं मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग भोपाल के आदेश क्रमांक एफ 5-1-99-पद्रह-1 सी, दिनांक 29.07.99 के प्रदत्त रजिस्ट्रार शक्तियों का प्रयोग करते हुए दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित रफीकगंज तहसील नसरुल्लागंज जिला सीहोर जिसका पंजीयन क्रमांक 1412 दिनांक 28.08.2008 संस्था का निगम निकाय (बाडी कार्पोरेट) समाप्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 21 मार्च 2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(G-880)

क्रमांक-परिसमापन-2022-

इस कार्यालय का आदेश क्रमांक/परिसमापन/2019/572 सीहोर दिनांक 27.08.2019 व द्वारा दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित गोदाखेड़ा तहसील नसरुल्लागंज जिला सीहोर जिसका पंजीयन क्रमांक 1200 दिनांक 04.10.2002 है, जो मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70 के अन्तर्गत श्री सुधीर कैथवास, अंकेक्षण अधिकारी को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था।

परिसमापक द्वारा समिति के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त हेतु अंतिम प्रतिवेदन निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत किया गया है, जिसके साथ साधारण सभा की कार्यवाही विवरण, अंकेक्षित निरंक स्थिति विवरण पत्रक प्रस्तुत कर संस्था के पंजीयन निरस्त की अनुशंसा की गई है।

परिसमापक की उक्त कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः मैं, भूपेन्द्र प्रताप सिंह उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएँ, जिला सीहोर मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) एवं मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग भोपाल के आदेश क्रमांक एफ 5-1-99-पद्रह-1 सी, दिनांक 29.07.99 के प्रदत्त रजिस्ट्रार शक्तियों का प्रयोग करते हुए दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित गोदाखेड़ा तहसील नसरुल्लागंज जिला सीहोर जिसका पंजीयन क्रमांक 1200 दिनांक 04.10.2002 संस्था का निगम निकाय (बाडी कार्पोरेट) समाप्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 21 मार्च 2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(G-881)

क्रमांक-परिसमापन-2022-

इस कार्यालय का आदेश क्रमांक/परिसमापन/2019/572 सीहोर दिनांक 27.06.2019 के द्वारा दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित मालीपुरा तहसील आष्टा जिला सीहोर जिसका पंजीयन क्रमांक 1785 दिनांक 07.08.2014 है, जो मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70 के अन्तर्गत श्री सुधीर कैथवास, अंकेक्षण अधिकारी को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था।

परिसमापक द्वारा समिति के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त हेतु अंतिम प्रतिवेदन निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत किया गया है, जिसके साथ साधारण सभा की कार्यवाही विवरण, अंकेक्षित निरंक स्थिति विवरण पत्रक प्रस्तुत कर संस्था के पंजीयन निरस्त की अनुशंसा की गई है।

परिसमापक की उक्त कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः मैं, भूपेन्द्र प्रताप सिंह उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएँ, जिला सीहोर मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) एवं मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग भोपाल के आदेश क्रमांक एफ 5-1-99-पद्रह-1 सी, दिनांक 29.07.99 के प्रदत्त रजिस्ट्रार शक्तियों का प्रयोग करते हुए दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित मालीपुरा तहसील आष्टा जिला सीहोर जिसका पंजीयन क्रमांक 1785 दिनांक 07.08.2014 संस्था का निगम निकाय (बाडी कार्पोरेट) समाप्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 21 मार्च 2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पद मुद्रा से जारी किया गया।

(G-882)

क्रमांक-परिसमापन-2022-

इस कार्यालय का आदेश क्रमांक/परिसमापन/2019/572 सीहोर दिनांक 27.06.2019 के द्वारा दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित पांडागांव तहसील नसरुल्लागंज जिला सीहोर जिसका पंजीयन क्रमांक 1748 दिनांक 13.02.2014 है, जो मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70 के अन्तर्गत श्री सुधीर कैथवास, अंकेक्षण अधिकारी को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था।

परिसमापक द्वारा समिति के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त हेतु अंतिम प्रतिवेदन निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत किया गया है, जिसके साथ साधारण सभा की कार्यवाही विवरण, अंकेक्षित निरंक स्थिति विवरण पत्रक प्रस्तुत कर संस्था के पंजीयन निरस्त की अनुशंसा की गई है।

परिसमापक की उक्त कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः मैं, भूपेन्द्र प्रताप सिंह उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएँ, जिला सीहोर मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) एवं मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग भोपाल के आदेश क्रमांक एफ 5-1-99-पद्रह-1 सी, दिनांक 29.07.99 के प्रदत्त रजिस्ट्रार शक्तियों का प्रयोग करते हुए दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित पांडागांव तहसील नसरुल्लागंज जिला सीहोर जिसका पंजीयन क्रमांक 1748 दिनांक 13.02.2014 संस्था का निगम निकाय (बाडी कार्पोरेट) समाप्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 21 मार्च 2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(G-883)

क्रमांक-परिसमापन-2022-

इस कार्यालय का आदेश क्रमांक/परिसमापन/2019/572 सीहोर दिनांक 27.06.2019 के द्वारा दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित छाजनखुर्द तहसील जावर जिला सीहोर जिसका पंजीयन क्रमांक 1787 दिनांक 20.08.2014 है, जो मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70 के अन्तर्गत श्री सुधीर कैथवास, अंकेक्षण अधिकारी को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था।

परिसमापक द्वारा समिति के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त हेतु अंतिम प्रतिवेदन निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत किया गया है, जिसके साथ साधारण सभा की कार्यवाही विवरण, अंकेक्षित निरंक स्थिति विवरण पत्रक प्रस्तुत कर संस्था के पंजीयन निरस्त की अनुशंसा की गई है।

परिसमापक की उक्त कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः मैं, भूपेन्द्र प्रताप सिंह उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएँ, जिला सीहोर मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) एवं मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग भोपाल के आदेश क्रमांक एफ 5-1-99-प्रद्रह-1 सी, दिनांक 29.07.99 के प्रदत्त रजिस्ट्रार शक्तियों का प्रयोग करते हुए दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित छाजनखुर्द तहसील जावर जिला सीहोर जिसका पंजीयन क्रमांक 1787 दिनांक 20.08.2014 संस्था का निगम निकाय (बाडी कार्पोरेट) समाप्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 21 मार्च 2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पद मुद्रा से जारी किया गया।

(G-884)

क्रमांक-परिसमापन-2022-

इस कार्यालय का आदेश क्रमांक/परिसमापन/2019/720 सीहोर दिनांक 29.07.2019 के द्वारा दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित शिवखेडी तहसील आष्टा जिला सीहोर जिसका पंजीयन क्रमांक 1589 दिनांक 03.02.2012 है, जो मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70 के अन्तर्गत श्री आर.के. रायचूर, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था।

परिसमापक द्वारा समिति के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त हेतु अंतिम प्रतिवेदन निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत किया गया है, जिसके साथ साधारण सभा की कार्यवाही विवरण, अंकेक्षित निरंक स्थिति विवरण पत्रक प्रस्तुत कर संस्था के पंजीयन निरस्त की अनुशंसा की गई है।

परिसमापक की उक्त कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः मैं, भूपेन्द्र प्रताप सिंह उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएँ, जिला सीहोर मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) एवं मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग भोपाल के आदेश क्रमांक एफ 5-1-99-प्रद्रह-1 सी, दिनांक 29.07.99 के प्रदत्त रजिस्ट्रार शक्तियों का प्रयोग करते हुए दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित शिवखेडी तहसील आष्टा जिला सीहोर जिसका पंजीयन क्रमांक 1589 दिनांक 03.02.2012 संस्था का निगम निकाय (बाडी कार्पोरेट) समाप्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 21 मार्च 2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पद मुद्रा से जारी किया गया।

(G-885)

क्रमांक-परिसमापन-2022-

इस कार्यालय का आदेश क्रमांक/परिसमापन/2018/943 सीहोर दिनांक 23.07.2018 के द्वारा दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित मुआझा तहसील इछावर जिला सीहोर जिसका पंजीयन क्रमांक 1650 दिनांक 29.09.2012 है, जो मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70 के अन्तर्गत श्री आर. के. रायचूर, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था।

परिसमापक द्वारा समिति के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त हेतु अंतिम प्रतिवेदन निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत किया गया है, जिसके साथ साधारण सभा की कार्यवाही विवरण, अंकेक्षित निरंक स्थिति विवरण पत्रक प्रस्तुत कर संस्था के पंजीयन निरस्त की अनुशंसा की गई है।

परिसमापक की उक्त कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः मैं, भूपेन्द्र प्रताप सिंह उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएँ, जिला सीहोर मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) एवं मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग भोपाल के आदेश क्रमांक एफ 5-1-99-पद्रह-1 सी, दिनांक 29.07.99 के प्रदत्त रजिस्ट्रार शक्तियों का प्रयोग करते हुए दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित मुआझा तहसील इछावर जिला सीहोर जिसका पंजीयन क्रमांक 1650 दिनांक 29.09.2012 संस्था का निगम निकाय (बाडी कार्पोरेट) समाप्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 21 मार्च 2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पद मुद्रा से जारी किया गया।

(G-886)

क्रमांक-परिसमापन-2022-

इस कार्यालय का आदेश क्रमांक/परिसमापन/2019/52 सीहोर दिनांक 17.01.2019 के द्वारा दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित बड़घाटी तहसील आष्टा जिला सीहोर जिसका पंजीयन क्रमांक 1498 दिनांक 18.08.2010 है, जो मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70 के अन्तर्गत श्री एस.के. पाठक, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था।

परिसमापक द्वारा समिति के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त हेतु अंतिम प्रतिवेदन निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत किया गया है, जिसके साथ साधारण सभा की कार्यवाही विवरण, अंकेक्षित निरंक स्थिति विवरण पत्रक प्रस्तुत कर संस्था के पंजीयन निरस्त की अनुशंसा की गई है।

परिसमापक की उक्त कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः मैं, भूपेन्द्र प्रताप सिंह उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएँ, जिला सीहोर मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) एवं मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग भोपाल के आदेश क्रमांक एफ 5-1-99-पद्रह-1 सी, दिनांक 29.07.99 के प्रदत्त रजिस्ट्रार शक्तियों का प्रयोग करते हुए दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित बड़घाटी तहसील आष्टा जिला सीहोर जिसका पंजीयन क्रमांक 1498 दिनांक 18.08.2010 संस्था का निगम निकाय (बाडी कार्पोरेट) समाप्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 21 मार्च 2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पद मुद्रा से जारी किया गया।

(G-887)

क्रमांक-परिसमापन-2022-

इस कार्यालय का आदेश क्रमांक/परिसमापन/2015/1176 सीहोर दिनांक 16.12.2015 के द्वारा दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित बमूलियापुरा तहसील आष्टा जिला सीहोर जिसका पंजीयन क्रमांक 956 दिनांक 08.11.1989 है, जो मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70 के अन्तर्गत श्री एस. के. पाठक, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था।

परिसमापक द्वारा समिति के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त हेतु अंतिम प्रतिवेदन निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत किया गया है, जिसके साथ साधारण सभा की कार्यवाही विवरण, अंकेक्षित निरंक स्थिति विवरण पत्रक प्रस्तुत कर संस्था के पंजीयन निरस्त की अनुशंसा की गई है।

परिसमापक की उक्त कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः मैं, भूपेन्द्र प्रताप सिंह उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएँ, जिला सीहोर मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 की धारा 18(1) एवं मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग भोपाल के आदेश क्रमांक एफ 5-1-99-पद्रह-1 सी, दिनांक 29.07.99 के प्रदत्त रजिस्ट्रार शक्तियों का प्रयोग करते हुए दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित बमूलियापुरा तहसील आष्टा जिला सीहोर जिसका पंजीयन क्रमांक 956 दिनांक 08.11.1989 संस्था का निगम निकाय (बाडी कार्पोरेट) समाप्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक मार्च 2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पद मुद्रा से जारी किया गया।

(G-888)

क्रमांक-परिसमापन-2022- 384

इस कार्यालय का आदेश क्रमांक/परिसमापन/2016/403 सीहोर दिनांक 22.04.2016 के द्वारा महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित पांगरी तहसील इछावर जिला सीहोर जिसका पंजीयन क्रमांक 1797 दिनांक 30.09.2014 है, जो मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70 के अन्तर्गत श्री एस. के. पाठक, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था।

परिसमापक द्वारा समिति के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त हेतु अंतिम प्रतिवेदन निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत किया गया है, जिसके साथ साधारण सभा की कार्यवाही विवरण, अंकेक्षित निरंक स्थिति विवरण पत्रक प्रस्तुत कर संस्था के पंजीयन निरस्त की अनुशंसा की गई है।

परिसमापक की उक्त कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः मैं, भूपेन्द्र प्रताप सिंह उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएँ, जिला सीहोर मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 की धारा 18(1) एवं मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग भोपाल के आदेश क्रमांक एफ 5-1-99-पद्रह-1 सी, दिनांक 29.07.99 के प्रदत्त रजिस्ट्रार शक्तियों का प्रयोग करते हुए महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित पांगरी तहसील इछावर जिला सीहोर जिसका पंजीयन क्रमांक 1797 दिनांक 30.09.2014 संस्था का निगम निकाय (बाडी कार्पोरेट) समाप्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक मार्च 2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पद मुद्रा से जारी किया गया।

(G-889)

भूपेन्द्र प्रताप सिंह, उप पंजीयक.

कार्यालय, परिसमापक दूरसंचार शास.कर्म.साख सहकारी संस्था मर्यादित,सीहोर
पंजी.क्रं. 1048 दिनांक 27.10.1994

क्रमांक/2022/क्यू

दिनांक:-14.03.2022

—:सूचना—पत्र:—

नियम 57 (ग) के तहत दावे एवं आपत्तियों की सूचना

यह कि दूर संचार शास.कर्म.साख सह.संस्था मर्यादित,सीहोर पंजी.क्रं. 1048 जिला सीहोर को उप/सहायक रजिस्ट्रार सहकारी संस्थाएँ,जिला सरहोर के आदेश क्रं./परि./1204/344/दिनांक 09/03/2022 से म.प्र.सहकारी सोसायटी अधिनियम की धारा 70 (1) के अन्तर्गत अधोहस्ताक्षरकर्ता नियुक्त किया गया है।

परिसमापक की प्रदत्त शक्तियों को प्रयुक्त करते हुए दूर संचार शास.कर्म.साख सह.संस्था मर्यादित,सीहोर पंजी.क्रं. 1048 दिनांक 27.10.1994 से संबंध समस्त दावेदार को सूचित किया जाता है कि वे 57 सी की इस सूचना पत्र की प्रकाशन की दिनांक से 2 माह की अवधि में उनकी दावेदारी की राशि के संबंध में मय प्रमाण के लिखित में अपना दावा अधोहस्ताक्षरकर्ता के सम्मुख कार्यालयीन समय में प्रस्तुत करें। निर्धारित समयावधि में तथा साक्षों से समर्थित दावा प्रस्तुत न होने की स्थिति में दावा मान्य नहीं किया जाएगा या संस्था की अद्यतन लेखा पुस्तक के आधार पर दावे का भुगतान किया जाएगा।

यह सूचना पत्र आज दिनांक 14.03.2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी।

(G-890)

आर.एस. रैकवाल, परिसमापक एवं सह. निरीक्षक.

कार्यालय, परिसमापक एवं उप अंकेक्षक, सहकारी संस्थाएँ,जिला सीहोर

क्रमांक/परि./2022/क्यू

—:सूचना—पत्र:—

दिनांक:-17.03.2022

(म.प्र.सहकारी सोसायटी नियम 1962 के नियम 57 सी के अन्तर्गत)

उप पंजीयक सहकारी संस्थाएँ, जिला सीहोर के उल्लेखित आदेशों के द्वारा निम्न सहकारी संस्थाओं को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70 (1) के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया:-

क्रं.	संस्था का नाम	पंजी.क्रं.	परिसमापन लाने का आदेश क्रमांक
1	दुग्ध उत्पा.सह.संस्था मर्या.,गौरखपुर,जिला सीहोर	1663/27/09/12	क्रं./परि./22/235/17.02.2022
2	दुग्ध उत्पा.सह.संस्था मर्या.,नरेला,जिला सीहोर	1644/27/09/12	क्रं./परि./22/235/17.02.2022
3	दुग्ध उत्पा.सह.संस्था मर्या.,चारुओं,जिला सीहोर	1660/29/09/12	क्रं./परि./22/235/17.02.2022
4	दुग्ध उत्पा.सह.संस्था मर्या.,पिपलानी,जिला सीहोर	1668/29/09/12	क्रं./परि./22/235/17.02.2022

अतः मैं, एस.डी.राठौर पद उप अंकेक्षक एवं परिसमापक सहकारी संस्थाएँ जिला सीहोर एवं उक्त संस्थाओं का परिसमापक, म.प्र.सहकारी सोसायटी नियम 1962 के नियम 57 (सी) के अन्तर्गत यह सूचना प्रसारित करता हूँ कि उक्त सहकारी संस्थाओं के प्रति कोई दावे या आपत्ति या रिकार्ड हो तो वे इस सूचना पत्र जारी करने के दिनांक से दो माह की समयावधि में मुझे कार्यालय उप पंजीयक सहकारी संस्थाएँ,जिला सीहोर में मय प्रमाण के लिखित में प्रस्तुत करें, समयावधि पश्चात दावे या आपत्तियों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा तथा संस्था के परिसमापन की कार्यवाही पूर्ण कर पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन सक्षम अधिकारी को प्रस्तुत कर दिया जावेगा।

यह भी सूचित किया जाता है कि उपरोक्त संस्था के कर्मचारी सदस्य/सक्षम पदाधिकारी के पास कोई रिकार्ड परिसम्पत्ति या नगदी हो तो उसे तत्काल मेरे पास जमा करावे अन्यथा उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

(G-891)

एस.डी. राठौर, उप अंकेक्षक एवं परिसमापक.

कार्यालय, संयुक्त रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएँ भोपाल संभाग भोपाल
[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 18 ए/क (2) के अंतर्गत]

भोपाल, दिनांक 30 मार्च 2022

क्रमांक-परि-2022-511.

कार्यालय सहायक पंजीयक (अंकेक्षक) सहकारी संस्थाएँ जिला भोपाल के द्वारा दुग्ध उत्पादक बिजावतखुर्द सह. संस्था मर्या. पंजीयन क्र. 1097 दिनांक 29.05.2015 का वर्ष 2020-21 हेतु कुमारी मोनू गुजरिया को अंकेक्षक नियुक्त किया गया। अंकेक्षक द्वारा उक्त संस्था का अंकेक्षण पूर्ण नहीं किये जाने के संबंध में अवगत कराया गया कि संस्था उपविधि अनुसार दर्शित पते पर उपलब्ध नहीं है। इस संबंध में संस्था द्वारा रजिस्टर्ड पते पर न होने के संबंध में पंचनामा संलग्न किया है। संस्था अपने उद्देश्यों की पूर्ति में निरंतर असफल रही है। सहायक पंजीयक (अंके.) सहकारी संस्थाएँ जिला भोपाल के द्वारा संस्था के विरुद्ध म0प्र0 सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 18 (क) के अंतर्गत कार्यवाही हेतु प्रस्ताव दिनांक 14.03.2022 को प्रस्तुत किया गया।

दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या. बिजावत खुर्द भोपाल जिसका पंजीयन क्रमांक 1097 दिनांक 29.05.2015 (जिसे आगे संक्षेप में केवल "संस्था" कहा गया) है को म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 18 (क) के अन्तर्गत कार्यालयीन पत्र क./परि./2022/400 दिनांक 17.03.2022 से कारण बताओं सूचना पत्र जारी कर स्थानीय दैनिक समाचार पत्र पत्रिका एवं दैनिक जागरण में दिनांक 18.03.2022 को प्रकाशित करवाया जाकर 10 दिवस की समयवाधि में प्रति उत्तर चाहा गया था एवं व्यक्तिगत रूप से पक्ष प्रस्तुत करने हेतु दिनांक 28.03.2022 की तिथि नियत की गई थी।

उक्तानुसार नियत तिथि तक संस्था द्वारा कोई प्रति उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया और न ही व्यक्तिगत सुनवाई हेतु नियत तिथि पर कोई उपस्थित हुआ। अतः यह विश्वास करने का पर्याप्त आधार है कि संस्था के प्रमुख प्रवर्तकों, पदाधिकारियों एवं सदस्यों को कारण बताओं सूचना पत्र की विषय वस्तु स्वीकार है और उन्हें कारण बताओं सूचना पत्र के उल्लेखित विषय वस्तु के संबंध में कुछ नहीं कहना है। इस आधार पर संस्था का रजिस्ट्रीकरण समाप्त किया जाना विधि अनुकूल है।

अतः मैं संजय दलेला संयुक्त रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटीज भोपाल संभाग भोपाल म.प्र. सह.सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 18 ए/क के अन्तर्गत रजिस्ट्रार की शक्तियां जो मुझे म.प्र.शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-2-2010 पन्नाह -1-8 दिनांक 23.10.2010 के द्वारा प्रदत्त है का प्रयोग करते हुये दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या. बिजावत खुर्द भोपाल जिसका पंजीयन क्रमांक 1097 दिनांक 29.05.2015 का पंजीयन निरस्त करता हूँ तथा अधिनियम की धारा 18 ए/क(2) के अन्तर्गत कु. मोनू गुजरिया, उप अंकेक्षक कार्यालय उप/सहायक पंजीयक सहकारी संस्थाएँ जिला भोपाल को शासकीय समुनदेशिती नियुक्त करता हूँ तथा आदेशित करता हूँ कि शासकीय समुनदेशिती उक्त संस्था का प्रभार प्राप्त कर म.प्र.सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 के प्रावधानों के अन्तर्गत संस्था की समस्त परिसम्पत्तियों एवं दायित्वों को निराकरण एक वर्ष की समयवाधि में पूर्ण कर प्राप्तिवेदन इस कार्यालय में प्रस्तुत करें।

यह आदेश आज दिनांक 30/3/22 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया।

(G-892)

क्रमांक-परि-2022-510.

कार्यालय सहायक पंजीयक (अंकेक्षक), सहकारी संस्थाएँ जिला गोपाल के द्वारा एकता आयरन वर्क्स औद्योगिक सह. संस्था मर्या. पंजीयन क्र. 218 दिनांक 01.06.1984 का वर्ष 2020-21 हेतु श्री शितांशु धुर्वे को अंकेक्षक नियुक्त किया गया। अंकेक्षक द्वारा उक्त संस्था का अंकेक्षण पूर्ण नहीं किये जाने के संबंध में अवगत कराया गया कि संस्था उपविधि अनुसार दर्शित पते पर उपलब्ध नहीं है। इस संबंध में संस्था द्वारा रजिस्टर्ड पते पर न होने के संबंध में पंचनामा संलग्न किया है। संस्था अपने उद्देश्यों की पूर्ति में निरंतर असफल रही है। सहायक पंजीयक (अंके.) सहकारी संस्थाएँ जिला गोपाल के द्वारा संस्था के विरुद्ध मप्र0 सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 18 (क) के अंतर्गत कार्यवाही हेतु प्रस्ताव दिनांक 14.03.2022 को प्रस्तुत किया गया।

2022 एकता आयरन वर्क्स औद्योगिक सह.संस्था मर्या. पंजीयन क्र. 218 दिनांक 01.06.1984 (जिसे आगे संक्षेप में केवल संस्था" कहा गया) है को म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 18 (क) के अन्तर्गत कार्यालयीन पत्र क. /परि./2022/378 दिनांक 17.03.2022 से कारण बताओं सूचना पत्र जारी कर स्थानीय दैनिक समाचार पत्र पत्रिका एवं दैनिक जागरण में दिनांक 18.03.2022 को प्रकाशित करवाया जाकर 10 दिवस की समयावधि में प्रति उत्तर चाहा गया था एवं व्यक्तिगत रूप से पक्ष प्रस्तुत करने हेतु दिनांक 28.03.2022 की तिथि नियत की गई थी।

उक्तानुसार नियत तिथि तक संस्था द्वारा कोई प्रति उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया और न ही व्यक्तिगत सुनवाई हेतु नियत तिथि पर कोई उपस्थित हुआ। अतः यह विश्वास करने का पर्याप्त आधार है कि संस्था के प्रमुख प्रबंधकों, पदाधिकारियों एवं सदस्यों को कारण बताओं सूचना पत्र की विषय वस्तु स्वीकार है और उन्हें कारण बताओं सूचना पत्र के उल्लेखित विषय वस्तु के संबंध में कुछ नहीं कहना है। इस आधार पर संस्था का रजिस्ट्रीकरण समाप्त किया जाना विधि अनुकूल है।

अतः मैं संजय दलेला संयुक्त रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटीज गोपाल संभाग गोपाल म.प्र. सह.सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 18 ए/क के अन्तर्गत रजिस्ट्रार की शक्तियां जो मुझे म.प्र. शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-2-2010 पन्ना-1-8 दिनांक 23.10.2010 के द्वारा प्रदत्त है का प्रयोग करते हुये एकता आयरन वर्क्स औद्योगिक सह.संस्था मर्या. पंजीयन क्र. 218 दिनांक 01.06.1984 का पंजीयन निरस्त करता हूँ तथा अधिनियम की धारा 18 ए/क(2) के अन्तर्गत श्री शितांशु धुर्वे सहकारी निरीक्षक कार्यालय उप/सहायक पंजीयक सहकारी संस्थाएँ जिला गोपाल को शासकीय समुनदेशिती नियुक्त करता हूँ तथा आदेशित करता हूँ कि शासकीय समुनदेशिती उक्त संस्था का प्रभार प्राप्त कर म.प्र.सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 के प्रावधानों के अन्तर्गत संस्था की समस्त परिसम्पत्तियों एवं दायित्वों का निराकरण एक वर्ष की समयावधि में पूर्ण कर प्रतिवेदन इस कार्यालय में प्रस्तुत करें।

आदेश आज दिनांक 30/3/22 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया।

(G-893)

क्रमांक-परि-2022-509.

कार्यालय सहायक पंजीयक (अंकेक्षक) सहकारी संस्थाएँ जिला भोपाल के द्वारा भोपाल स्टेशनरी एवं प्रिंटिंग उद्योग सह.संस्था पंजीयन क्र. 96 दिनांक 20.09.1996 का वर्ष 2020-21 हेतु श्री मुकेश गुप्ता को अंकेक्षक नियुक्त किया गया। अंकेक्षक द्वारा उक्त संस्था का अंकेक्षण पूर्ण नहीं किये जाने के संबंध में अवगत कराया गया कि संस्था उपविधि अनुसार दर्शित पते पर उपलब्ध नहीं है। इस संबंध में संस्था द्वारा रजिस्टर्ड पते पर न होने के संबंध में पंचनामा संलग्न किया है। संस्था अपने उद्देश्यों की पूर्ति में निरंतर असफल रही है। सहायक पंजीयक (अंके.) सहकारी संस्थाएँ जिला भोपाल के द्वारा संस्था के विरुद्ध म0प्र0 सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 18 (क) के अंतर्गत कार्यवाही हेतु प्रस्ताव दिनांक 14.03.2022 को प्रस्तुत किया गया।

भोपाल स्टेशनरी एवं प्रिंटिंग उद्योग सह.संस्था पंजीयन क्र. 96 दिनांक 20.09.1996 (जिसे आगे संक्षेप में केवल "संस्था" कहा गया) है को म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 18 (क) के अन्तर्गत कार्यालयीन पत्र क. /परि./2022/342 दिनांक 17.03.2022 से कारण बताओं सूचना पत्र जारी कर स्थानीय दैनिक समाचार पत्र पत्रिका एवं दैनिक जागरण में दिनांक 18.03.2022 को प्रकाशित करवाया जाकर 10 दिवस की समयावधि में प्रति उत्तर चाहा गया था एवं व्यक्तिगत रूप से पक्ष प्रस्तुत करने हेतु दिनांक 28.03.2022 की तिथि नियत की गई थी।

उक्तानुसार नियत तिथि तक संस्था द्वारा कोई प्रति उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया और न ही व्यक्तिगत सुनवाई हेतु नियत तिथि पर कोई उपस्थित हुआ। अतः यह विश्वास करने का पर्याप्त आधार है कि संस्था के प्रमुख प्रवर्तकों, पदाधिकारियों एवं सदस्यों को कारण बताओं सूचना पत्र की विषय वस्तु स्वीकार है और उन्हें कारण बताओं सूचना पत्र के उल्लेखित विषय वस्तु के संबंध में कुछ नहीं कहना है। इस आधार पर संस्था का रजिस्ट्रीकरण समाप्त किया जाना विधि अनुकूल है।

अतः मैं संजय दलेला संयुक्त रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटीज भोपाल संभाग भोपाल म.प्र. सह.सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 18 ए/क के अन्तर्गत रजिस्ट्रार की शक्तियां जो मुझे म.प्र. शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-2-2010 पन्द्रह-1-8 दिनांक 23.10.2010 के द्वारा प्रदत्त है का प्रयोग करते हुये भोपाल स्टेशनरी एवं प्रिंटिंग उद्योग सह.संस्था पंजीयन क्र. 96 दिनांक 20.09.1996 का पंजीयन निरस्त करता हूँ तथा अधिनियम की धारा 18 ए/क(2) के अन्तर्गत श्री मुकेश गुप्ता सहकारी निरीक्षक कार्यालय उप/सहायक पंजीयक सहकारी संस्थाएँ जिला भोपाल को शासकीय समुनदेशिती नियुक्त करता हूँ तथा आदेशित करता हूँ कि शासकीय समुनदेशिती उक्त संस्था का प्रभार प्राप्त कर म.प्र.सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 के प्रावधानों के अन्तर्गत संस्था की समस्त परिसम्पत्तियों एवं दायित्वों का निराकरण एक वर्ष की समयावधि में पूर्ण कर प्रतिवेदन इस कार्यालय में प्रस्तुत करें।

यह आदेश आज दिनांक 30/3/22 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया।

(G-894)

क्रमांक-परि-2022-508.

कार्यालय सहायक पंजीयक (अंकेक्षक) सहकारी संस्थाएँ जिला भोपाल के द्वारा आदर्श चर्म उद्योग सहकारी संस्था पंजीयन क्र. 682 दिनांक 02.02.1996 का वर्ष 2020-21 हेतु श्रीमती सपना गुहा को अंकेक्षक नियुक्त किया गया। अंकेक्षक द्वारा उक्त संस्था का अंकेक्षण पूर्ण नहीं किये जाने के संबंध में अवगत कराया गया कि संस्था उपविधि अनुसार दर्शित पते पर उपलब्ध नहीं है। इस संबंध में संस्था द्वारा रजिस्टर्ड पते पर न होने के संबंध में पंचनामा संलग्न किया है। संस्था अपने उद्देश्यों की पूर्ति में निरंतर असफल रही है। सहायक पंजीयक (अंके.) सहकारी संस्थाएँ जिला भोपाल के द्वारा संस्था के विरुद्ध मोप्रो सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 18 (क) के अंतर्गत कार्यवाही हेतु प्रस्ताव दिनांक 14.03.2022 को प्रस्तुत किया गया।

आदर्श चर्म उद्योग सहकारी संस्था पंजीयन क्र. 682 दिनांक 02.02.1996 (जिसे आगे संक्षेप में केवल "संस्था" कहा गया) है को म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 18 (क) के अन्तर्गत कार्यालयीन पत्र क./परि./2022/341 दिनांक 17.03.2022 से कारण बताओं सूचना पत्र जारी कर स्थानीय दैनिक समाचार पत्र पत्रिका एवं दैनिक जागरण में दिनांक 18.03.2022 को प्रकाशित करवाया जाकर 10 दिवस की समयावधि में प्रति उत्तर चाहा गया था एवं व्यक्तिगत रूप से पक्ष प्रस्तुत करने हेतु दिनांक 28.03.2022 की तिथि नियत की गई थी।

उक्तानुसार नियत तिथि तक संस्था द्वारा कोई प्रति उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया और न ही व्यक्तिगत सुनवाई हेतु नियत तिथि पर कोई उपस्थित हुआ। अतः यह विश्वास करने का पर्याप्त आधार है कि संस्था के प्रमुख प्रवर्तकों, पदाधिकारियों एवं सदस्यों को कारण बताओं सूचना पत्र की विषय वस्तु स्वीकार है और उन्हें कारण बताओं सूचना पत्र के उल्लेखित विषय वस्तु के संबंध में कुछ नहीं कहना है। इस आधार पर संस्था का रजिस्ट्रीकरण समाप्त किया जाना विधि अनुकूल है।

अतः मैं संजय दलेला संयुक्त रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटीज भोपाल संभाग भोपाल म.प्र. सह.सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 18 ए/क के अन्तर्गत रजिस्ट्रार की शक्तियां जो मुझे म.प्र. शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-2-2010 पन्द्रह-1-8 दिनांक 23.10.2010 के द्वारा प्रदत्त है का प्रयोग करते हुये आदर्श चर्म उद्योग सहकारी संस्था पंजीयन क्र. 682 दिनांक 02.02.1996 का पंजीयन निरस्त करता हूँ तथा अधिनियम की धारा 18 ए/क(2) के अन्तर्गत श्रीमती सपना गुहा सहकारी निरीक्षक कार्यालय उप/सहायक पंजीयक सहकारी संस्थाएँ जिला भोपाल को शासकीय समुनदेशिती नियुक्त करता हूँ तथा आदेशित करता हूँ कि शासकीय समुनदेशिती उक्त संस्था का प्रभार प्राप्त कर सहायक पंजीयक सहकारी संस्थाएँ जिला भोपाल को प्रावधानों के अन्तर्गत संस्था की समस्त परिसम्पत्तियों एवं दायित्वों का निरीक्षण एवं वर्ष की समयावधि में पूर्ण कर प्रतिवेदन इस कार्यालय में प्रस्तुत करें।

इह आदेश आज दिनांक 31/3/22 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया।

(G-895)

क्रमांक-परि-2022-443.

कार्यालय सहायक पंजीयक (अंकेक्षक) सहकारी संस्थाएँ जिला भोपाल के द्वारा दुग्ध उत्पादक बडवेली खुर्द सह. संस्था मर्या. पंजीयन क्र. 1101 दिनांक 18.08.2018 का वर्ष 2020-21 हेतु श्रीमती रीता मिश्र को अंकेक्षक नियुक्त किया गया। अंकेक्षक द्वारा उक्त संस्था का अंकेक्षण पूर्ण नहीं किये जाने के संबंध में अवगत कराया गया कि संस्था उपविधि अनुरार दर्शित पते पर उपलब्ध नहीं है। इस संबंध में संस्था द्वारा रजिस्टर्ड पते पर न होने के संबंध में पंचनामा संलग्न किया है। संस्था अपने उद्देश्यों की पूर्ति में निरंतर असफल रही है। सहायक पंजीयक (अंके.) सहकारी संस्थाएँ जिला भोपाल के द्वारा संस्था के विरुद्ध म0प्र0 सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 18 (क) के अंतर्गत कार्यवाही हेतु प्रस्ताव दिनांक 14.03.2022 को प्रस्तुत किया गया।

दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या. बडवेली खुर्द भोपाल जिसका पंजीयन क्रमांक 1101 दिनांक 18.08.2018 (जिसे आगे संक्षेप में केवल "संस्था" कहा गया) है को म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 18 (क) के अन्तर्गत कार्यालयीन पत्र क./परि./2022/377 दिनांक 17.03.2022 से कारण बताओं सूचना पत्र जारी कर स्थानीय दैनिक समाचार पत्र पत्रिका एवं दैनिक जागरण में दिनांक 18.03.2022 को प्रकाशित करवाया जाकर 10 दिवस की समयावधि में प्रति उत्तर चाहा गया था एवं व्यक्तिगत रूप से पक्ष प्रस्तुत करने हेतु दिनांक 28.03.2022 की तिथि नियत की गई थी।

उक्तानुसार नियत तिथि तक संस्था द्वारा कोई प्रति उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया और न ही व्यक्तिगत सुनवाई हेतु नियत तिथि पर कोई उपस्थित हुआ। अतः यह विश्वास करने का पर्याप्त आधार है कि संस्था के प्रमुख प्रबंधकों, पदाधिकारियों एवं सदस्यों को कारण बताओं सूचना पत्र की विषय वस्तु स्वीकार है और उन्हें कारण बताओं सूचना पत्र के उल्लेखित विषय वस्तु के संबंध में कुछ नहीं कहना है। इस आधार पर संस्था का रजिस्ट्रीकरण समाप्त किया जाना विधि अनुकूल है।

अतः मैं संजय दलेला संयुक्त रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटीज भोपाल संभाग भोपाल म.प्र. सह.सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 18 ए/क के अन्तर्गत रजिस्ट्रार की शक्तियां जो मुझे म.प्र.शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-2-2010 पन्नाह -1-8 दिनांक 23.10.2010 के द्वारा प्रदत्त है का प्रयोग करते हुये दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या. बडवेली खुर्द भोपाल जिसका पंजीयन क्रमांक 1101 दिनांक 18.08.2018 का पंजीयन निरस्त करता हूँ तथा अधिनियम की धारा 18 ए/क(2) के अन्तर्गत श्रीमती रीता मिश्र, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक कार्यालय उप/सहायक पंजीयक सहकारी संस्थाएँ जिला भोपाल को शासकीय समुनदेशिती नियुक्त करता हूँ तथा आदेशित करता हूँ कि शासकीय समुनदेशिती उक्त संस्था का प्रभार प्राप्त कर म.प्र.सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 के प्रावधानों के अन्तर्गत संस्था की समस्त परिसम्पत्तियों एवं दायित्वों का निराकरण एक वर्ष की समयावधि में पूर्ण कर प्रतिवेदन इस कार्यालय में प्रस्तुत करें।

यह आदेश आज दिनांक 30/5/22 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया।

(G-896)

क्रमांक-परि-2022-447.

कार्यालय सहायक पंजीयक (अंकेक्षक) सहकारी संस्थाएँ जिला भोपाल के द्वारा दुग्ध उत्पादक रामपुराखुर्द सहसंस्था मर्या. पंजीयन क्र. 1061 दिनांक 03.01.2014 का वर्ष 2020-21 हेतु श्रीमती संगीता मीना को अंकेक्षक नियुक्त किया गया। अंकेक्षक द्वारा उक्त संस्था का अंकेक्षण पूर्ण नहीं किये जाने के संबंध में अवगत कराया गया कि संस्था उपविधि अनुसार दर्शित पते पर उपलब्ध नहीं है। इस संबंध में संस्था द्वारा रजिस्टर्ड पते पर न होने के संबंध में पंचनामा संलग्न किया है। संस्था अपने उद्देश्यों की पूर्ति में निरंतर असफल रही है। सहायक पंजीयक (अंके.) सहकारी संस्थाएँ जिला भोपाल के द्वारा संस्था के विरुद्ध म0प्र0 सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 18 (क) के अंतर्गत कार्यवाही हेतु प्रस्ताव दिनांक 14.03.2022 को प्रस्तुत किया गया।

दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या. रामपुराखुर्द भोपाल जिसका पंजीयन क्रमांक 1061 दिनांक 03.01.2014 (जिसे आगे संक्षेप में केवल "संस्था" कहा गया) है को म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 18 (क) के अंतर्गत कार्यालयीन पत्र क./परि./2022/397 दिनांक 17.03.2022 से कारण बताओं सूचना पत्र जारी कर स्थानीय दैनिक समाचार पत्र पत्रिका एवं दैनिक जागरण में दिनांक 18.03.2022 को प्रकाशित करवाया जाकर 10 दिवस की समयावधि में प्रति उत्तर चाहा गया था एवं व्यक्तिगत रूप से पक्ष प्रस्तुत करने हेतु दिनांक 28.03.2022 की तिथि नियत की गई थी।

उक्तानुसार नियत तिथि तक संस्था द्वारा कोई प्रति उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया और न ही व्यक्तिगत सुनवाई हेतु नियत तिथि पर कोई उपस्थित हुआ। अतः यह विश्वास करने का पर्याप्त आधार है कि संस्था के प्रमुख प्रवर्तकों, पदाधिकारियों एवं सदस्यों को कारण बताओं सूचना पत्र की विषय वस्तु स्वीकार है और उन्हें कारण बताओं सूचना पत्र के उल्लेखित विषय वस्तु के संबंध में कुछ नहीं कहना है। इस आधार पर संस्था का रजिस्ट्रीकरण समाप्त किया जाना विधि अनुकूल है।

अतः मैं संजय दलेला संयुक्त रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटीज भोपाल संभाग भोपाल म.प्र. सहसोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 18 ए/क के अंतर्गत रजिस्ट्रार की शक्तियां जो मुझे म.प्र.शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-2-2010 पन्ना 1-8 दिनांक 23.10.2010 के द्वारा प्रदत्त है का प्रयोग करते हुये दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या. रामपुराखुर्द भोपाल जिसका पंजीयन क्रमांक 1061 दिनांक 03.01.2014 का पंजीयन निरस्त करता हूँ तथा अधिनियम की धारा 18 ए/क(2) के अंतर्गत श्रीमती संगीता मीना, उप अंकेक्षक कार्यालय उप/सहायक पंजीयक सहकारी संस्थाएँ जिला भोपाल को शासकीय समुनदेशिती नियुक्त करता हूँ तथा आदेशित करता हूँ कि शासकीय समुनदेशिती उक्त संस्था का प्रभार प्राप्त कर म.प्र.सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 के प्रावधानों के अंतर्गत संस्था की समस्त परिसम्पत्तियों एवं दायित्वों का निराकरण एक वर्ष की समयावधि में पूर्ण कर प्रतिवेदन इस कार्यालय में प्रस्तुत करें।

यह आदेश आज दिनांक 31/3/22 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया।

(G-897)

क्रमांक-परि-2022-445.

कार्यालय सहायक पंजीयक (अंकेक्षक) सहकारी संस्थाएँ जिला भोपाल के द्वारा दुग्ध उत्पादक जगमेरी सह.संस्था मर्या. पंजीयन क्र. 1215 दिनांक 06.09.2015 का वर्ष 2020-21 हेतु श्रीमती सोनाली चौधरी को अंकेक्षक नियुक्त किया गया। अंकेक्षक द्वारा उक्त संस्था का अंकेक्षण पूर्ण नहीं किये जाने के संबंध में अवगत कराया गया कि संस्था उपविधि अनुसार दर्शित पते पर उपलब्ध नहीं है। इस संबंध में संस्था द्वारा रजिस्टर्ड पते पर न होने के संबंध में पंचनामा संलग्न किया है। संस्था अपने उद्देश्यों की पूर्ति में निरंतर असफल रही है। सहायक पंजीयक (अंके.) सहकारी संस्थाएँ जिला भोपाल के द्वारा संस्था के विरुद्ध 4090 सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 18 (क) के अंतर्गत कार्यवाही हेतु प्रस्ताव दिनांक 14.03.2022 को प्रस्तुत किया गया।

दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या. जगमेरी भोपाल जिसका पंजीयन क्रमांक 1215 दिनांक 06.09.2015 (जिसे आगे संक्षेप में केवल "संस्था" कहा गया) है को म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 18 (क) के अंतर्गत कार्यालयीन पत्र क./परि./2022/391 दिनांक 17.03.2022 से कारण बताओं सूचना पत्र जारी कर स्थानीय दैनिक सम्पन्न, पत्र पत्रिका एवं दैनिक जागरण में दिनांक 18.03.2022 को प्रकाशित करवाया जाकर '10 दिवस की समयावधि में प्रति उत्तर' चाहा गया था एवं व्यक्तिगत रूप से पक्ष प्रस्तुत करने हेतु दिनांक 28.03.2022 की तिथि नियत की गई थी।

उक्तानुसार नियत तिथि तक संस्था द्वारा कोई प्रति उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया और न ही व्यक्तिगत सुनवाई हेतु नियत तिथि पर कोई उपस्थित हुआ। अतः यह विश्वास करने का पर्याप्त आधार है कि संस्था के प्रमुख प्रबंधकों, पदाधिकारियों एवं सदस्यों को कारण बताओं सूचना पत्र की विषय वस्तु स्वीकार है और उन्हें कारण बताओं सूचना पत्र के उल्लेखित विषय वस्तु के संबंध में कुछ नहीं कहना है। इस आधार पर संस्था का रजिस्ट्रीकरण समाप्त किया जाना विधि अनुकूल है।

अतः मैं संजय दलेला संयुक्त रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटीज भोपाल संभाग भोपाल म.प्र. सह.सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 18 ए/क के अंतर्गत रजिस्ट्रार की शक्तियां जो मुझे म.प्र.शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-2-2010 पन्नाह-1-8 दिनांक 23.10.2010 के द्वारा प्रदत्त है का प्रयोग करते हुये दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या. जगमेरी भोपाल जिसका पंजीयन क्रमांक 1215 दिनांक 06.09.2015 का पंजीयन निरस्त करता हूँ तथा अधिनियम की धारा 18 ए/क(2) के अंतर्गत श्रीमती सोनाली चौधरी, उप अंकेक्षक कार्यालय उप/सहायक पंजीयक सहकारी संस्थाएँ जिला भोपाल को शासकीय समुनदेशिती नियुक्त करता हूँ तथा आदेशित करता हूँ कि शासकीय समुनदेशिती उक्त संस्था का प्रभार प्राप्त कर म.प्र.सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 के प्रावधानों के अंतर्गत संस्था की समस्त परिसम्पत्तियों एवं दायित्वों का निराकरण एक वर्ष की समयावधि में पूर्ण कर प्रतिवेदन इस कार्यालय में प्रस्तुत करें।

यह आदेश आज दिनांक 30/3/22 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया।

(G-898)

क्रमांक-परि-2022-446.

कार्यालय सहायक पंजीयक (अंकेक्षक) सहकारी संस्थाएँ जिला गोपाल के द्वारा दुग्ध उत्पादक शेवापुरा सह.संस्था मर्या. पंजीयन क्र. 1047 दिनांक 25.01.2014 का वर्ष 2020-21 हेतु श्रीमती अल्का तिग्गा को अंकेक्षक नियुक्त किया गया। अंकेक्षक द्वारा उक्त संस्था का अंकेक्षण पूर्ण नहीं किये जाने के संबंध में अवगत कराया गया कि संस्था उपविधि अनुसार दर्शित पते पर उपलब्ध नहीं है। इस संबंध में संस्था द्वारा रजिस्टर्ड पते पर न होने के संबंध में पंचनामा संलग्न किया है। संस्था अपने उद्देश्यों की पूर्ति में निरंतर असफल रही है। सहायक पंजीयक (अंके.) सहकारी संस्थाएँ जिला गोपाल के द्वारा संस्था के विरुद्ध मोप्रो सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 18 (क) के अंतर्गत कार्यवाही हेतु प्रस्ताव दिनांक 14.03.2022 को प्रस्तुत किया गया।

दुग्ध उत्पादक शेवापुरा सहकारी संस्था मर्या. गोपाल जिसका पंजीयन क्रमांक 1047 दिनांक 25.01.2014 (जिसे आगे संक्षेप में केवल "संस्था" कहा गया) है को म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 18 (क) के अन्तर्गत कार्यालयीन पत्र क्र. क./परि./2022/356 दिनांक 17.03.2022 से कारण बताओं सूचना पत्र जारी कर स्थानीय दैनिक समाचार पत्र पत्रिका एवं दैनिक जागरण में दिनांक 18.03.2022 को प्रकाशित करवाया जाकर 10 दिवस की समयावधि में प्रति उत्तर छाहा गया था एवं व्यक्तिगत रूप से पक्ष प्रस्तुत करने हेतु दिनांक 28.03.2022 की तिथि नियत की गई थी।

उक्तानुसार नियत तिथि तक संस्था द्वारा कोई प्रति उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया और न ही व्यक्तिगत सुनवाई हेतु नियत तिथि पर कोई उपस्थित हुआ। अतः यह विश्वास करने का पर्याप्त आधार है कि संस्था के प्रमुख प्रबंधकों, पदाधिकारियों एवं सदस्यों को कारण बताओं सूचना पत्र की विषय वस्तु स्वीकार है और उन्हें कारण बताओं सूचना पत्र के उल्लेखित विषय वस्तु के संबंध में कुछ नहीं कहना है। इस आधार पर संस्था का रजिस्ट्रीकरण समाप्त किया जाना विधि अनुकूल है।

अतः मैं संजय दलेला संयुक्त रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटीज गोपाल संभाग गोपाल म.प्र. सह.सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 18 ए/क के अन्तर्गत रजिस्ट्रार की शक्तियां जो मुझे म.प्र.शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-2-2010 पन्नाह -1-8 दिनांक 23.10.2010 के द्वारा प्रदत्त है का प्रयोग करते हुये दुग्ध उत्पादक शेवापुरा सहकारी संस्था मर्या. गोपाल जिसका पंजीयन क्रमांक 1047 दिनांक 25.01.2014 का पंजीयन निरस्त करता हूँ तथा अधिनियम की धारा 18 ए/क(2) के अन्तर्गत श्रीमती अल्का तिग्गा, सहकारी निरीक्षक कार्यालय उप/सहायक पंजीयक सहकारी संस्थाएँ जिला गोपाल को शासकीय समुनदेशिती नियुक्त करता हूँ तथा आदेशित करता हूँ कि शासकीय समुनदेशिती उक्त संस्था का प्रभार प्राप्त कर म.प्र.सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 के प्रावधानों के अन्तर्गत संस्था की समस्त परिसम्पत्तियों एवं दायित्वों का निराकरण एक वर्ष की समयावधि में पूर्ण कर प्रतिवेदन इस कार्यालय में प्रस्तुत करें।

यह आदेश आज दिनांक 30/3/22 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया।

(G-899)

क्रमांक-परि-2022-447.

कार्यालय सहायक पंजीयक (अंकेक्षक) सहकारी संस्थाएँ जिला भोपाल के द्वारा दुग्ध उत्पादक भोजपुरकलां सह. संस्था मर्या. पंजीयन क्र. 208 दिनांक 02.06.1984 का वर्ष 2020-21 हेतु श्री सुधाकर पाण्डेय को अंकेक्षक नियुक्त किया गया। अंकेक्षक द्वारा उक्त संस्था का अंकेक्षण पूर्ण नहीं किये जाने के संबंध में अवगत कराया गया कि संस्था उपविधि अनुसार दर्शित पते पर उपलब्ध नहीं है। इस संबंध में संस्था द्वारा रजिस्टर्ड पते पर न होने के संबंध में पंचनामा संलग्न किया है। संस्था अपने उद्देश्यों की पूर्ति में निरंतर असफल रही है। सहायक पंजीयक (अंके.) सहकारी संस्थाएँ जिला भोपाल के द्वारा संस्था के विरुद्ध म0प्र0 सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 18 (क) के अंतर्गत कार्यवाही हेतु प्रस्ताव दिनांक 14.03.2022 को प्रस्तुत किया गया।

दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या. भोजपुरकलां भोपाल जिसका पंजीयन क्रमांक 208 दिनांक 02.06.1984 (जिसे आगे संक्षेप में केवल "संस्था" कहा गया) है को म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 18 (क) के अन्तर्गत कार्यालयीन पत्र क./परि./2022/383 दिनांक 17.03.2022 से कारण बताओं सूचना पत्र जारी कर स्थानीय दैनिक समाचार पत्र पत्रिका एवं दैनिक जागरण में दिनांक 18.03.2022 को प्रकाशित करवाया जाकर 10 दिवस की समयवधि में प्रति उत्तर चाहा गया था एवं व्यक्तिगत रूप से पक्ष प्रस्तुत करने हेतु दिनांक 28.03.2022 की तिथि नियत की गई थी।

उक्तानुसार नियत तिथि तक संस्था द्वारा कोई प्रति उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया और न ही व्यक्तिगत सुनवाई हेतु नियत तिथि पर कोई उपस्थित हुआ। अतः यह विश्वास करने का पर्याप्त आधार है कि संस्था के प्रमुख प्रवर्तकों, पदाधिकारियों एवं सदस्यों को कारण बताओं सूचना पत्र की विषय वस्तु स्वीकार है और उन्हें कारण बताओं सूचना पत्र के उल्लेखित विषय वस्तु के संबंध में कुछ नहीं कहना है। इस आधार पर संस्था का रजिस्ट्रीकरण समाप्त किया जाना विधि अनुकूल है।

अतः मैं संजय दलेला संयुक्त रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटीज भोपाल संभाग भोपाल म.प्र. सह.सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 18 ए/क के अन्तर्गत रजिस्ट्रार की शक्तियां जो मुझे म.प्र.शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-2-2010 पन्द्रह -1-8 दिनांक 23.10.2010 के द्वारा प्रदत्त है का प्रयोग करते हुये दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या. भोजपुरकलां भोपाल जिसका पंजीयन क्रमांक 208 दिनांक 02.06.1984 का पंजीयन निरस्त करता हूँ तथा अधिनियम की धारा 18 ए/क(2) के अन्तर्गत श्री सुधाकर पांडे, उप अंकेक्षक कार्यालय उप/सहायक पंजीयक सहकारी संस्थाएँ जिला भोपाल को शासकीय समुनदेशिती नियुक्त करता हूँ तथा आदेशित करता हूँ कि शासकीय समुनदेशिती उक्त संस्था का प्रभार प्राप्त कर म.प्र.सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 के प्रावधानों के अन्तर्गत संस्था की समस्त परिसम्पत्तियों एवं दायित्वों का निराकरण एक वर्ष की समयवधि में पूर्ण कर प्रतिवेदन इस कार्यालय में प्रस्तुत करें।

यह आदेश आज दिनांक 30/3/22 मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया।

(G-900)

क्रमांक-परि-2022-448.

कार्यालय सहायक पंजीयक (अंकेशक) सहकारी संस्थाएँ जिला भोपाल के द्वारा दुग्ध उत्पादक करदई सह.संस्था मर्या. पंजीयन क्र. 1006 दिनांक 21.02.2012 का वर्ष 2020-21 हेतु श्री शितांशु धुर्वे को अंकेशक नियुक्त किया गया। अंकेशक द्वारा उक्त संस्था का अंकेशन पूर्ण नहीं किये जाने के संबंध में अवगत कराया गया कि संस्था उपविधि अनुसार दर्शित पते पर उपलब्ध नहीं है। इस संबंध में संस्था द्वारा रजिस्टर्ड पते पर न होने के संबंध में पंचनामा संलग्न किया है। संस्था अपने उद्देश्यों की पूर्ति में निरंतर असफल रही है। सहायक पंजीयक (अंके.) सहकारी संस्थाएँ जिला भोपाल के द्वारा संस्था के विरुद्ध ग0प्र0 सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 18 (क) के अंतर्गत कार्यवाही हेतु प्रस्ताव दिनांक 14.03.2022 को प्रस्तुत किया गया।

दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या. करदई भोपाल जिसका पंजीयन क्रमांक 1006 दिनांक 21.02.2012 (जिसे आगे संक्षेप में केवल "संस्था" कहा गया) है को म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 18 (क) के अन्तर्गत कार्यालयीन पत्र क./परि./2022/365 दिनांक 17.03.2022 से कारण बताओं सूचना पत्र जारी कर स्थानीय दैनिक समाचार पत्र पत्रिका, एवं दैनिक जागरण में दिनांक 18.03.2022 को प्रकाशित करवाया जाकर 10 दिवस की समयावधि में प्रति उत्तर चाहा गया था एवं व्यक्तिगत रूप से पक्ष प्रस्तुत करने हेतु दिनांक 28.03.2022 की तिथि नियत की गई थी।

उक्तानुसार नियत तिथि तक संस्था द्वारा कोई प्रति उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया और न ही व्यक्तिगत सुनवाई हेतु नियत तिथि पर कोई उपस्थित हुआ। अतः यह विश्वास करने का पर्याप्त आधार है कि संस्था के प्रमुख प्रबंधकों, पदाधिकारियों एवं सदस्यों को कारण बताओं सूचना पत्र की विषय वस्तु स्वीकार है और उन्हें कारण बताओं सूचना पत्र के उल्लेखित विषय वस्तु के संबंध में कुछ नहीं कहना है। इस आधार पर संस्था का रजिस्ट्रीकरण समाप्त किया जाना विधि अनुकूल है।

अतः मैं संजय दलेला संयुक्त रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटीज भोपाल संभाग भोपाल म.प्र. सह.सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 18 ए/क के अन्तर्गत रजिस्ट्रार की शक्तियां जो मुझे म.प्र.शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-2-2010 पन्नाह -1-8 दिनांक 23.10.2010 के द्वारा प्रदत्त है का प्रयोग करते हुये दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या. करदई भोपाल जिसका पंजीयन क्रमांक 1006 दिनांक 21.02.2012 का पंजीयन निरस्त करता हूँ तथा अधिनियम की धारा 18 ए/क(2) के अन्तर्गत श्री शितांशु धुर्वे, सहकारी निरीक्षक कार्यालय उप/सहायक पंजीयक सहकारी संस्थाएँ जिला भोपाल को शासकीय समुनदेशिती नियुक्त करता हूँ तथा आदेशित करता हूँ कि शासकीय समुनदेशिती उक्त संस्था का प्रभार प्राप्त कर म.प्र.सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 के प्रावधानों के अन्तर्गत संस्था की समस्त परिसम्पत्तियों एवं दायित्वों का निराकरण एक वर्ष की समयावधि में पूर्ण कर प्रतिवेदन इस कार्यालय में प्रस्तुत करें।

यह आदेश आज दिनांक 30/3/22 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया।

(G-901)

क्रमांक-परि-2022-449.

कार्यालय सहायक पंजीयक (अंकेक्षक) सहकारी संस्थाएँ जिला भोपाल के द्वारा दुग्ध उत्पादक देवीनगर दामखेडा सह.संस्था मर्या. पंजीयन क्र. 1194 दिनांक 29.09.2014 का वर्ष 2020-21 हेतु श्री सचिन शेंदे को अंकेक्षक नियुक्त किया गया। अंकेक्षक द्वारा उक्त संस्था का अंकेक्षण पूर्ण नहीं किये जाने के संबंध में अवगत कराया गया कि संस्था उपविधि अनुसार दर्शित पते पर उपलब्ध नहीं है। इस संबंध में संस्था द्वारा रजिस्टर्ड पते पर न होने के संबंध में पंचनामा संलग्न किया है। संस्था अपने उद्देश्यों की पूर्ति में निरंतर असफल रही है। सहायक पंजीयक (अंके.) सहकारी संस्थाएँ जिला भोपाल के द्वारा संस्था के विरुद्ध 40प्र0 सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 18 (क) के अंतर्गत कार्यवाही हेतु प्रस्ताव दिनांक 14.03.2022 को प्रस्तुत किया गया।

दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या. देवीनगर दामखेडा भोपाल जिसका पंजीयन क्रमांक 1194 दिनांक 29.09.2014 (जिसे आगे संक्षेप में केवल "संस्था" कहा गया) है को म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 18 (क) के अन्तर्गत कार्यालयीन पत्र क./परि./2022/364 दिनांक 17.03.2022 से कारण बताओं सूचना पत्र जारी कर स्थानीय दैनिक समाचार पत्र पत्रिका एवं दैनिक जागरण में दिनांक 18.03.2022 को प्रकाशित करवाया जाकर 10 दिवस की समयावधि में प्रति उत्तर मांगा गया था एवं व्यक्तिगत रूप से पक्ष प्रस्तुत करने हेतु दिनांक 28.03.2022 की तिथि नियत की गई थी।

उक्तानुसार नियत तिथि तक संस्था द्वारा कोई प्रति उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया और न ही व्यक्तिगत सुनवाई हेतु नियत तिथि पर कोई उपस्थित हुआ। अंतः यह विश्वास करने का पर्याप्त आधार है कि संस्था के प्रमुख प्रबंधकों, पदाधिकारियों एवं सदस्यों को कारण बताओं सूचना पत्र की विषय वस्तु स्वीकार है और उन्हें कारण बताओं सूचना पत्र के उल्लेखित विषय वस्तु के संबंध में कुछ नहीं कहना है। इस आधार पर संस्था का रजिस्ट्रीकरण समाप्त किया जाना विधि अनुकूल है।

अतः मैं संजय दलेला संयुक्त रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटीज भोपाल संभाग भोपाल म.प्र. सह.सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 18 ए/क के अन्तर्गत रजिस्ट्रार की शक्तियां जो मुझे म.प्र.शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-2-2010 पन्नाह -1-8 दिनांक 23.10.2010 के द्वारा प्रदत्त है का प्रयोग करते हुये दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या. देवीनगर दामखेडा भोपाल जिसका पंजीयन क्रमांक 1194 दिनांक 29.09.2014 का पंजीयन निरस्त करता हूँ तथा अधिनियम की धारा 18 ए/क(2) के अन्तर्गत श्री सचिन शेंदे, उप अंकेक्षक कार्यालय उप/सहायक पंजीयक सहकारी संस्थाएँ जिला भोपाल को शासकीय समुनदेशिती नियुक्त करता हूँ तथा आदेशित करता हूँ कि शासकीय समुनदेशिती उक्त संस्था का प्रभार प्राप्त कर म.प्र.सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 के प्रावधानों के अन्तर्गत संस्था की समस्त परिसम्पत्तियों एवं दायित्वों का निराकरण एक वर्ष की समयावधि में पूर्ण कर प्रतिवेदन इस कार्यालय में प्रस्तुत करें।

यह आदेश आज दिनांक 30/3/22 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया।

(G-902)

क्रमांक-परि-2022-450.

कार्यालय सहायक पंजीयक (अंकेक्षक) सहकारी संस्थाएँ जिला भोपाल के द्वारा दुग्ध उत्पादक पुराखाना सह.संस्था मर्या. पंजीयन क्र. 1199 दिनांक 08.02.2019 का वर्ष 2020-21 हेतु श्री डी.के. गुप्ता को अंकेक्षक नियुक्त किया गया। अंकेक्षक द्वारा उक्त संस्था का अंकेक्षण पूर्ण नहीं किये जाने के संबंध में अवगत कराया गया कि संस्था उपविधि अनुसार दर्शित पते पर उपलब्ध नहीं है। इस संबंध में संस्था द्वारा रजिस्टर्ड पते पर न होने के संबंध में पंचनामा संलग्न किया है। संस्था अपने उद्देश्यों की पूर्ति में निरंतर असफल रही है। सहायक पंजीयक (अंके.) सहकारी संस्थाएँ जिला भोपाल के द्वारा संस्था के विरुद्ध मोप्रो सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 18 (क) के अंतर्गत कार्यवाही हेतु प्रस्ताव दिनांक 14.03.2022 को प्रस्तुत किया गया।

दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या.पुराखाना भोपाल जिसका पंजीयन क्रमांक 1199 दिनांक 08.02.2019 (जिसे आगे संक्षेप में केवल "संस्था" कहा गया) है को म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 18 (क) के अंतर्गत कार्यालयीन पत्र क./परि./2022/382 दिनांक 17.03.2022 से कारण बताओं सूचना पत्र जारी कर स्थानीय दैनिक सम्बन्ध पत्र पत्रिका एवं दैनिक जागरण में दिनांक 18.03.2022 को प्रकाशित करवाया जाकर 10 दिवस की समयावधि में प्रति उत्तर चाहा गया था एवं व्यक्तिगत रूप से पक्ष प्रस्तुत करने हेतु दिनांक 28.03.2022 की तिथि नियत की गई थी।

उक्तानुसार नियत तिथि तक संस्था द्वारा कोई प्रति उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया और न ही व्यक्तिगत सुनवाई हेतु नियत तिथि पर कोई उपस्थित हुआ। अतः यह विश्वास करने का पर्याप्त आधार है कि संस्था के प्रमुख प्रबंधकों, पदाधिकारियों एवं सदस्यों को कारण बताओं सूचना पत्र की विषय वस्तु स्वीकार है और उन्हें कारण बताओं सूचना पत्र के उल्लेखित विषय वस्तु के संबंध में कुछ नहीं कहना है। इस आधार पर संस्था का रजिस्ट्रीकरण समाप्त किया जाना विधि अनुकूल है।

अतः मैं संजय दलेला संयुक्त रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटीज भोपाल संभाग भोपाल म.प्र. सह.सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 18 ए/क के अंतर्गत रजिस्ट्रार की शक्तियां जो मुझे म.प्र.शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-2-2010 पन्नाह -1-8 दिनांक 23.10.2010 के द्वारा प्रदत्त है का प्रयोग करते हुये दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या.पुराखाना भोपाल जिसका पंजीयन क्रमांक 1199 दिनांक 08.02.2019 का पंजीयन निरस्त करता हूँ तथा अधिनियम की धारा 18 ए/क(2) के अंतर्गत श्री डी.के.गुप्ता, उप अंकेक्षक कार्यालय उप/सहायक पंजीयक सहकारी संस्थाएँ जिला भोपाल को शासकीय समुनदेशिती नियुक्त करता हूँ तथा आदेशित करता हूँ कि शासकीय समुनदेशिती उक्त संस्था का प्रभार प्राप्त कर म.प्र.सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 के प्रावधानों के अंतर्गत संस्था की समस्त परिसम्पत्तियों एवं दायित्वों का निराकरण एक वर्ष की समयावधि में पूर्ण कर प्रतिवेदन इस कार्यालय में प्रस्तुत करें।

यह आदेश आज दिनांक 30/3/22 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया।

(G-903)

क्रमांक-परि-2022-451.

कार्यालय सहायक पंजीयक (अंकेक्षक) सहकारी संस्थाएँ जिला भोपाल के द्वारा दुग्ध उत्पादक रावतपुरा सह.संस्था मर्या. पंजीयन क्र. 1208 दिनांक 20.10.2014 का वर्ष 2020-21 हेतु श्री सचिन शेंदे को अंकेक्षक नियुक्त किया गया। अंकेक्षक द्वारा उक्त संस्था का अंकेक्षण पूर्ण नहीं किये जाने के संबंध में अवगत कराया गया कि संस्था उपविधि अनुसार दर्शित पते पर उपलब्ध नहीं है। इस संबंध में संस्था द्वारा रजिस्टर्ड पते पर न होने के संबंध में पंचनामा संलग्न किया है। संस्था अपने उद्देश्यों की पूर्ति में निरंतर असफल रही है। सहायक पंजीयक (अंके.) सहकारी संस्थाएँ जिला भोपाल के द्वारा संस्था के विरुद्ध म0प्र0 सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 18 (क) के अंतर्गत कार्यवाही हेतु प्रस्ताव दिनांक 14.03.2022 को प्रस्तुत किया गया।

दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या.रावतपुरा भोपाल जिसका पंजीयन क्रमांक 1208 दिनांक 20.10.2014 (जिसे आगे संक्षेप में केवल "संस्था" कहा गया) है को म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 18 (क) के अंतर्गत कार्यालयीन पत्र क./परि./2022/386 दिनांक 17.03.2022 से कारण बताओं सूचना पत्र जारी कर स्थानीय दैनिक समाचार पत्र पत्रिका एवं दैनिक जागरण में दिनांक 18.03.2022 को प्रकाशित करवाया जाकर 10 दिवस की समयावधि में प्रति उत्तर चाहा गया था एवं व्यक्तिगत रूप से पक्ष प्रस्तुत करने हेतु दिनांक 28.03.2022 की तिथि नियत की गई थी।

उक्तानुसार नियत तिथि तक संस्था द्वारा कोई प्रति उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया और न ही व्यक्तिगत सुनवाई हेतु नियत तिथि पर कोई उपस्थित हुआ। अतः यह विश्वास करने का पर्याप्त आधार है कि संस्था के प्रमुख प्रवर्तकों, पदाधिकारियों एवं सदस्यों को कारण बताओं सूचना पत्र की विषय वस्तु स्वीकार है और उन्हें कारण बताओं सूचना पत्र के उल्लेखित विषय वस्तु के संबंध में कुछ नहीं कहना है। इस आधार पर संस्था का रजिस्ट्रीकरण समाप्त किया जाना विधि अनुकूल है।

अतः मैं संजय दलेला संयुक्त रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटीज भोपाल संभाग भोपाल म.प्र. सह.सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 18 ए/क के अन्तर्गत रजिस्ट्रार की शक्तियां जो मुझे म.प्र.शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-2-2010 पन्द्रह -1-8 दिनांक 23.10.2010 के द्वारा प्रदत्त है का प्रयोग करते हुये दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या.रावतपुरा भोपाल जिसका पंजीयन क्रमांक 1208 दिनांक 20.10.2014 का पंजीयन निरस्त करता हूँ तथा अधिनियम की धारा 18 ए/क(2) के अन्तर्गत श्री सचिन शेंदे, उप अंकेक्षक कार्यालय उप/सहायक पंजीयक सहकारी संस्थाएँ जिला भोपाल को शासकीय समुनदेशिती नियुक्त करता हूँ तथा आदेशित करता हूँ कि शासकीय समुनदेशिती उक्त संस्था के प्रभार प्राप्त कर म.प्र.सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 के प्रावधानों के अन्तर्गत संस्था की समस्त परिसम्पत्तियों एवं दायित्वों का निराकरण एक वर्ष की समयावधि में पूर्ण कर प्रतिवेदन इस कार्यालय में प्रस्तुत करें।

यह आदेश आज दिनांक 30/3/22 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया।

(G-904)

क्रमांक-परि-2022-452.

कार्यालय सहायक पंजीयक (अंकेक्षक) सहकारी संस्थाएँ जिला भोपाल के द्वारा माँ भुवनेश्वरी बहुउद्देशीय सह. संस्था मर्या. पंजीयन क्र. 1892 दिनांक 29.10.2007 का वर्ष 2020-21 हेतु श्री ए.के. रावत को अंकेक्षक नियुक्त किया गया। अंकेक्षक द्वारा उक्त संस्था का अंकेक्षण पूर्ण नहीं किये जाने के संबंध में अवगत कराया गया कि संस्था उपविधि अनुसार दर्शित पते पर उपलब्ध नहीं है। इस संबंध में संस्था द्वारा रजिस्टर्ड पते पर न होने के संबंध में पंचनामा संलग्न किया है। संस्था अपने उद्देश्यों की पूर्ति में निरंतर असफल रही है। सहायक पंजीयक (अंके.) सहकारी संस्थाएँ जिला भोपाल के द्वारा संस्था के विरुद्ध मोप्रो सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 18 (क) के अंतर्गत कार्यवाही हेतु प्रस्ताव दिनांक 14.03.2022 को प्रस्तुत किया गया।

माँ भुवनेश्वरी महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या. भोपाल जिसका पंजीयन क्रमांक 1892 दिनांक 29.10.2007 (जिसे आगे संक्षेप में केवल "संस्था" कहा गया) है को म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 18 (क) के अंतर्गत कार्यालयीन पत्र क./परि./2022/373 दिनांक 17.03.2022 से कारण बताओं सूचना पत्र जारी कर स्थानीय दैनिक समाचार पत्र पत्रिका एवं दैनिक जागरण में दिनांक 18.03.2022 को प्रकाशित करवाया जाकर 10 दिवस की समयवधि में प्रति उत्तर चाहा गया था एवं व्यक्तिगत रूप से पक्ष प्रस्तुत करने हेतु दिनांक 28.03.2022 की तिथि नियत की गई थी।

उक्तानुसार नियत तिथि तक संस्था द्वारा कोई प्रति उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया और न ही व्यक्तिगत सुनवाई हेतु नियत तिथि पर कोई उपस्थित हुआ। अतः यह विश्वास करने का पर्याप्त आधार है कि संस्था के प्रमुख प्रबंधकों, पदाधिकारियों एवं सदस्यों को कारण बताओं सूचना पत्र की विषय वस्तु स्वीकार है और उन्हें कारण बताओं सूचना पत्र के उल्लेखित विषय वस्तु के संबंध में कुछ नहीं कहना है। इस आधार पर संस्था का रजिस्ट्रीकरण समाप्त किया जाना विधि अनुकूल है।

अतः मैं संजय दलेला संयुक्त रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटीज भोपाल संग्राम भोपाल म.प्र. सहसोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 18 ए/क के अंतर्गत रजिस्ट्रार की शक्तियाँ जो मुझे म.प्र.शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-2-2010 पन्द्रह-1-8 दिनांक 23.10.2010 के द्वारा प्रदत्त है का प्रयोग करते हुये माँ भुवनेश्वरी महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या. भोपाल जिसका पंजीयन क्रमांक 1892 दिनांक 29.10.2007 का पंजीयन निरस्त करता हूँ तथा अधिनियम की धारा 18 ए/क(2) के अंतर्गत श्री ए.के.रावत, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक कार्यालय उप/सहायक पंजीयक सहकारी संस्थाएँ जिला भोपाल को शासकीय समुनदेशिती नियुक्त करता हूँ तथा आदेशित करता हूँ कि शासकीय समुनदेशिती उक्त संस्था का प्रभार प्राप्त कर म.प्र.सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 के प्रावधानों के अंतर्गत संस्था की समस्त परिसम्पत्तियों एवं दायित्वों का निराकरण एक वर्ष की समयवधि में पूर्ण कर प्रतिवेदन इस कार्यालय में प्रस्तुत करें।

✱ यह आदेश आज दिनांक 30/3/22 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया।

(G-905)

क्रमांक-परि-2022-453.

कार्यालय सहायक पंजीयक (अंकेक्षक) सहकारी संस्थाएँ जिला भोपाल के द्वारा राजीव गांधी फल, फूल साग सब्जी पंजीयन क्र. 882 दिनांक 29.07.2001 का वर्ष 2020-21 हेतु श्री अमय देशपाण्डे को अंकेक्षक नियुक्त किया गया। अंकेक्षक द्वारा उक्त संस्था का अंकेक्षण पूर्ण नहीं किये जाने के संबंध में अवगत कराया गया कि संस्था उपविधि अनुसार दर्शित पते पर उपलब्ध नहीं है। इस संबंध में संस्था द्वारा रजिस्टर्ड पते पर न होने के संबंध में पंचनामा संलग्न किया है। संस्था अपने उद्देश्यों की पूर्ति में निरंतर असफल रही है। सहायक पंजीयक (अंके.) सहकारी संस्थाएँ जिला भोपाल के द्वारा संस्था के विरुद्ध मप्र सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 18 (क) के अंतर्गत कार्यवाही हेतु प्रस्ताव दिनांक 14.03.2022 को प्रस्तुत किया गया।

राजीव गांधी फल, फूल साग सब्जी उत्पादक विपणन सहकारी संस्था मर्या. खेरखेडी भोपाल जिसका पंजीयन क्रमांक 882 दिनांक 29.07.2001 (जिसे आगे संक्षेप में केवल "संस्था" कहा गया) है को म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 18 (क) के अंतर्गत कार्यालयीन पत्र क./परि./2022/367 दिनांक 17.03.2022 से कारण बताओं सूचना पत्र जारी कर स्थानीय दैनिक समाचार पत्र पत्रिका एवं दैनिक जागरण में दिनांक 18.03.2022 को प्रकाशित करवाया जाकर 10 दिवस की समयावधि में प्रति उत्तर चाहा गया था एवं व्यक्तिगत रूप से पक्ष प्रस्तुत करने हेतु दिनांक 28.03.2022 की तिथि नियत की गई थी।

उक्तानुसार नियत तिथि तक संस्था द्वारा कोई प्रति उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया और न ही व्यक्तिगत सुनवाई हेतु नियत तिथि पर कोई उपस्थित हुआ। अतः यह विश्वास करने का पर्याप्त आधार है कि संस्था के प्रमुख प्रबंधकों, पदाधिकारियों एवं सदस्यों को कारण बताओं सूचना पत्र की विषय वस्तु स्वीकार है और उन्हें कारण बताओं सूचना पत्र के उल्लेखित विषय वस्तु के संबंध में कुछ नहीं कहना है। इस आधार पर संस्था का रजिस्ट्रीकरण समाप्त किया जाना विधि अनुकूल है।

अतः मैं संजय दलेला संयुक्त रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटीज गोपाल संभाग भोपाल म.प्र. सह.सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 18 ए/क के अंतर्गत रजिस्ट्रार की शक्तियां जो मुझे म.प्र.शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-2-2010 पन्ना 1-8 दिनांक 23.10.2010 के द्वारा प्रदत्त है का प्रयोग करते हुये राजीव गांधी फल, फूल साग सब्जी उत्पादक विपणन सहकारी संस्था मर्या. खेरखेडी भोपाल जिसका पंजीयन क्रमांक 882 दिनांक 29.07.2001 का पंजीयन निरस्त करता हूँ तथा अधिनियम की धारा 18 ए/क(2) के अंतर्गत श्री अमय देशपांडे, सहकारी निरीक्षक कार्यालय उप/सहायक पंजीयक सहकारी संस्थाएँ जिला भोपाल को शासकीय समुनदेशिती नियुक्त करता हूँ तथा आदेशित करता हूँ कि शासकीय समुनदेशिती उक्त संस्था का प्रभार प्राप्त कर म.प्र.सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 के प्रावधानों के अंतर्गत संस्था की समस्त परिसम्पत्तियों एवं दायित्वों का निराकरण एक वर्ष की समयावधि में पूर्ण कर प्रतिवेदन इस कार्यालय में प्रस्तुत करें।

यह आदेश आज दिनांक 30/3/22 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया।

(G-906)

क्रमांक-परि-2022-454.

उक्त सहायक पंजीयक (अंकेक्षक) सहकारी संस्थाएँ जिला भोपाल के द्वारा हिरण्मा श्री साख सह.संस्था मर्या. क्रमांक 1135 दिनांक 21.12.2016 का वर्ष 2020-21 हेतु श्री राजीव जैन को अंकेक्षक नियुक्त किया गया। अंकेक्षक द्वारा संस्था का अंकेक्षण पूर्ण नहीं किये जाने के संबंध में अवगत कराया गया कि संस्था उपविधि अनुसार दर्शित पते पर पंजीयन नहीं है। इस संबंध में संस्था द्वारा रजिस्टर्ड पते पर न होने के संबंध में पंघनामा संलग्न किया है। संस्था अपने उद्देश्यों की पूर्ति में निरंतर अराफल रही है। सहायक पंजीयक (अंके.) सहकारी संस्थाएँ जिला भोपाल के द्वारा संस्था के देवदत्त मोहन सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 18 (क) के अंतर्गत कार्यवाही हेतु प्रस्ताव दिनांक 14.03.2022 को प्रस्तुत किया गया।

हिरण्मा श्री साख सहकारी संस्था मर्या. भोपाल जिसका पंजीयन क्रमांक एआरबी/1135 दिनांक 21.12.2016 (जिसे अने त्तरे में केवल "संस्था" कहा गया) है को म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 18 (क) के अंतर्गत उक्त पत्र क्र.क./परि/2022/368 दिनांक 17.03.2022 से कारण बताओं सूचना पत्र जारी कर स्थानीय दैनिक समाचार पत्र पत्रिका एवं दैनिक जागरण में दिनांक 18.03.2022 को प्रकाशित करवाया जाकर 10 दिवस की समयवधि में प्रति उत्तर कहा गया था एवं व्यक्तिगत रूप से पक्ष प्रस्तुत करने हेतु दिनांक 28.03.2022 की तिथि नियत की गई थी।

उक्तानुसार नियत तिथि तक संस्था द्वारा कोई प्रति उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया और न ही व्यक्तिगत सुनवाई हेतु नियत तिथि पर कोई उपस्थित हुआ। अतः यह विश्वास करने का पर्याप्त आधार है कि संस्था के प्रमुख प्रबंधकों, न्यायिकारियों एवं सदस्यों को कारण बताओं सूचना पत्र की विषय वस्तु स्वीकार है और उन्हें कारण बताओं सूचना पत्र के उल्लेखित विषय वस्तु के संबंध में कुछ नहीं कहना है। इस आधार पर संस्था का रजिस्ट्रीकरण समाप्त किया जाना विधि अनुकूल है।

अतः मैं संजय दलेला संयुक्त रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटीज भोपाल संभाग भोपाल म.प्र. सह.सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 18 ए/क के अंतर्गत रजिस्ट्रार की शक्तियां जो मुझे म.प्र.शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-2-2010 पन्ना 1-8 दिनांक 23.10.2010 के द्वारा प्रदत्त है का प्रयोग करते हुये हिरण्मा श्री साख सहकारी संस्था मर्या. भोपाल जिसका पंजीयन क्रमांक एआरबी/1135 दिनांक 21.12.2016 का पंजीयन निरस्त करता हूँ तथा अधिनियम की धारा 18 ए/क(2) के अंतर्गत श्री राजीव जैन, सहकारी निरीक्षक कार्यालय उप/सहायक पंजीयक सहकारी संस्थाएँ जिला भोपाल को शासकीय समुनदेशिनी नियुक्त करता हूँ तथा आदेशित करता हूँ कि शासकीय समुनदेशिनी उक्त संस्था का प्रभार प्राप्त कर म.प्र.सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 के प्रावधानों के अंतर्गत संस्था की समस्त परिसम्पत्तियों एवं दायित्वों का निराकरण एक वर्ष की समयवधि में पूर्ण कर प्रतिवेदन इस कार्यालय में प्रस्तुत करें।

यह आदेश आज दिनांक 30/3/22 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया।

(G-907)

क्रमांक-परि-2022-455.

कार्यालय सहायक पंजीयक (अंकेक्षक) सहकारी संस्थाएँ जिला भोपाल के द्वारा दुग्ध उत्पादक हर्राखेडा सह.संस्था मर्या. पंजीयन क्र. 1104 दिनांक 26.08.2015 का वर्ष 2020-21 हेतु श्रीमती रश्मि चंदानी को अंकेक्षक नियुक्त किया गया। अंकेक्षक द्वारा उक्त संस्था का अंकेक्षण पूर्ण नहीं किये जाने के संबंध में अवगत कराया गया कि संस्था उपविधि अनुसार दर्शित पते पर उपलब्ध नहीं है। इस संबंध में संस्था द्वारा रजिस्टर्ड पते पर न होने के संबंध में पंचनामा संलग्न किया है। संस्था अपने उद्देश्यों की पूर्ति में निरंतर असफल रही है। सहायक पंजीयक (अंके.) सहकारी संस्थाएँ जिला भोपाल के द्वारा संस्था के विरुद्ध प्रो.सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 18 (क) के अंतर्गत कार्यवाही हेतु प्रस्ताव दिनांक 14.03.2022 को प्रस्तुत किया गया।

दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या.हर्राखेडा भोपाल जिसका पंजीयन क्रमांक 1104 दिनांक 26.08.2015 (जिसे आगे संक्षेप में केवल "संस्था" कहा गया) है को म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 18 (क) के अंतर्गत कार्यालयीन पत्र क./परि./2022/357 दिनांक 17.03.2022 से कारण बताओं सूचना पत्र जारी कर स्थानीय दैनिक समाचार पत्र पत्रिका एवं दैनिक जागरण में दिनांक 18.03.2022 को प्रकाशित करवाया जाकर 10 दिवस की समयावधि में प्रति उत्तर चाहा गया था एवं व्यक्तिगत रूप से पक्ष प्रस्तुत करने हेतु दिनांक 28.03.2022 की तिथि नियत की गई थी।

उक्तानुसार नियत तिथि तक संस्था द्वारा कोई प्रति उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया और न ही व्यक्तिगत सुनवाई हेतु नियत तिथि पर कोई उपस्थित हुआ। अतः यह विश्वास करने का पर्याप्त आधार है कि संस्था के प्रमुख प्रबंधकों, पदाधिकारियों एवं सदस्यों को कारण बताओं सूचना पत्र की विषय वस्तु स्वीकार है और उन्हें कारण बताओं सूचना पत्र के उल्लेखित विषय वस्तु के संबंध में कुछ नहीं कहना है। इस आधार पर संस्था का रजिस्ट्रीकरण समाप्त किया जाना विधि अनुकूल है।

अतः मैं संजय दलेला संयुक्त रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटीज भोपाल संभाग भोपाल म.प्र. सह.सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 18 ए/क के अंतर्गत रजिस्ट्रार की शक्तियां जो मुझे म.प्र.शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-2-2010 पन्नाह -1-8 दिनांक 23.10.2010 के द्वारा प्रदत्त है का प्रयोग करते हुये दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या.हर्राखेडा भोपाल जिसका पंजीयन क्रमांक 1104 दिनांक 26.08.2015 का पंजीयन निरस्त करता हूँ तथा अधिनियम की धारा 18 ए/क(2) के अंतर्गत श्रीमती रश्मि चंदानी, सहकारी निरीक्षक कार्यालय उप/सहायक पंजीयक सहकारी संस्थाएँ जिला भोपाल को शासकीय समुनदेशिती नियुक्त करता हूँ तथा आदेशित करता हूँ कि शासकीय समुनदेशिती उक्त संस्था का प्रभार प्राप्त कर म.प्र.सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 के प्रावधानों के अंतर्गत संस्था की समस्त परिसम्पत्तियों एवं दायित्वों का निराकरण एक वर्ष की समयावधि में पूर्ण कर प्रतिवेदन इस कार्यालय में प्रस्तुत करें।

यह आदेश आज दिनांक 20/3/22 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया।

(G-908)

क्रमांक-परि-2022-456.

कार्यालय सहायक पंजीयक (अंकेक्षक) सहकारी संस्थाएँ जिला भोपाल के द्वारा दुग्ध उत्पादक गोडिया सनखेडा सह.संस्था मर्या. पंजीयन क्र. 1025 दिनांक 24.09.2013 का वर्ष 2020-21 हेतु श्रीमती सपना गुहा को अंकेक्षक नियुक्त किया गया। अंकेक्षक द्वारा उक्त संस्था का अंकेक्षण पूर्ण नहीं किये जाने के संबंध में अवगत कराया गया कि संस्था उपविधि अनुसार दर्शित पते पर उपलब्ध नहीं है। इस संबंध में संस्था द्वारा रजिस्टर्ड पते पर न होने के संबंध में पंचनामा संलग्न किया है। संस्था अपने उद्देश्यों की पूर्ति में निरंतर असफल रही है। सहायक पंजीयक (अंके.) सहकारी संस्थाएँ जिला भोपाल के द्वारा संस्था के विरुद्ध म0प्र0 सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 18 (क) के अंतर्गत कार्यवाही हेतु प्रस्ताव दिनांक 14.03.2022 को प्रस्तुत किया गया।

दुग्ध उत्पादक गोडिया सनखेडा सहकारी संस्था मर्या.भोपाल जिसका पंजीयन क्रमांक 1025 दिनांक 24.09.2013 (जिसे आगे संक्षेप में केवल "संस्था" कहा गया) है को म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 18 (क) के अन्तर्गत कार्यालयीन पत्र क./परि./2022/369 दिनांक 17.03.2022 से कारण बताओं सूचना पत्र जारी कर स्थानीय दैनिक समाचार पत्र पत्रिका एवं दैनिक जागरण में दिनांक 18.03.2022 को प्रकाशित करवाया जाकर 10 दिवस की समयावधि में प्रति उत्तर चाहा गया था एवं व्यक्तिगत रूप से पक्ष प्रस्तुत करने हेतु दिनांक 28.03.2022 की तिथि नियत की गई थी।

उक्तानुसार नियत तिथि तक संस्था द्वारा कोई प्रति उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया और न ही व्यक्तिगत सुनवाई हेतु नियत तिथि पर कोई उपस्थित हुआ। अतः यह विश्वास करने का पर्याप्त आधार है कि संस्था के प्रमुख प्रबंधकों, पदाधिकारियों एवं सदस्यों को कारण बताओं सूचना पत्र की विषय वस्तु स्वीकार है और उन्हें कारण बताओं सूचना पत्र के उल्लेखित विषय वस्तु के संबंध में कुछ नहीं कहना है। इस आधार पर संस्था का रजिस्ट्रीकरण समाप्त किया जाना विधि अनुकूल है।

अतः मैं संजय दलेला संयुक्त रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटीज भोपाल संभाग भोपाल म.प्र. सह.सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 18 ए/क के अन्तर्गत रजिस्ट्रार की शक्तियां जो मुझे म.प्र.शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-2-2010 पन्द्रह -1-8 दिनांक 23.10.2010 के द्वारा प्रदत्त है का प्रयोग करते हुये दुग्ध उत्पादक गोडिया सनखेडा सहकारी संस्था मर्या.भोपाल जिसका पंजीयन क्रमांक 1025 दिनांक 24.09.2013का पंजीयन निरस्त करता हूँ तथा अधिनियम की धारा 18 ए/क(2) के अन्तर्गत श्रीमती सपना गुहा, सहकारी निरीक्षक कार्यालय उप/सहायक पंजीयक सहकारी संस्थाएँ जिला भोपाल को शासकीय समुनदेशिती नियुक्त करता हूँ तथा आदेशित करता हूँ कि शासकीय समुनदेशिती उक्त संस्था का प्रभार प्राप्त कर म.प्र.सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 के प्रावधानों के अन्तर्गत संस्था की समस्त परिसम्पत्तियों एवं दायित्वों का निराकरण एक वर्ष की समयावधि में पूर्ण कर प्रतिवेदन इस कार्यालय में प्रस्तुत करें।

यह आदेश आज दिनांक 30/3/22 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया।

(G-909)

क्रमांक-परि-2022-457.

कार्यालय सहायक पंजीयक (अंकेक्षक) सहकारी संस्थाएँ जिला भोपाल के द्वारा दुग्ध उत्पादक हिनोती सह.संस्था मर्या. पंजीयन क्र. 891 दिनांक 09.12.2005 का वर्ष 2020-21 हेतु श्री डी.के. गुप्ता को अंकेक्षक नियुक्त किया गया। अंकेक्षक द्वारा उक्त संस्था का अंकेक्षण पूर्ण नहीं किये जाने के संबंध में अवगत कराया गया कि संस्था उपविधि अनुसार दर्शित पते पर उपलब्ध नहीं है। इस संबंध में संस्था द्वारा रजिस्टर्ड पते पर न होने के संबंध में पंचनामा संलग्न किया है। संस्था अपने उद्देश्यों की पूर्ति में निरंतर असफल रही है। सहायक पंजीयक (अंके.) सहकारी संस्थाएँ जिला भोपाल के द्वारा संस्था के विरुद्ध मप्र0 सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 18 (क) के अंतर्गत कार्यवाही हेतु प्रस्ताव दिनांक 14.03.2022 को प्रस्तुत किया गया।

दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या. हिनोती जागीर भोपाल जिसका पंजीयन क्रमांक एआरबी/891 दिनांक 09.12.2005 (जिसे आगे संक्षेप में केवल "संस्था" कहा गया) है को म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 18 (क) के अंतर्गत कार्यालयीन पत्र क./परि./2022/347 दिनांक 17.03.2022 से कारण बताओं सूचना पत्र जारी कर स्थानीय दैनिक समाचार पत्र पत्रिका एवं दैनिक जागरण में दिनांक 18.03.2022 को प्रकाशित करवाया जाकर 10 दिवस की समयावधि में 12 प्रति उत्तर चाहा गया था एवं व्यक्तिगत रूप से पक्ष प्रस्तुत करने हेतु दिनांक 28.03.2022 की तिथि नियत की गई थी।

उक्तानुसार नियत तिथि तक संस्था द्वारा कोई प्रति उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया और न ही व्यक्तिगत सुनवाई हेतु नियत तिथि पर कोई उपस्थित हुआ। अतः यह विश्वास करने का पर्याप्त आधार है कि संस्था के प्रमुख प्रबंधकों, पदाधिकारियों एवं सदस्यों को कारण बताओं सूचना पत्र की विषय वस्तु स्वीकार है और उन्हें कारण बताओं सूचना पत्र के उल्लेखित विषय वस्तु के संबंध में कुछ नहीं कहना है। इस आधार पर संस्था का रजिस्ट्रीकरण समाप्त किया जाना विधि अनुकूल है।

अतः मैं संजय दलेला संयुक्त रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटीज भोपाल संभाग भोपाल म.प्र. सह.सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 18 ए/क के अंतर्गत रजिस्ट्रार की शक्तियां जो मुझे म.प्र.शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-2-2010 पन्द्रह -1-8 दिनांक 23.10.2010 के द्वारा प्रदत्त है का प्रयोग करते हुये दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या. हिनोती जागीर भोपाल जिसका पंजीयन क्रमांक एआरबी/891 दिनांक 09.12.2005 का पंजीयन निरस्त करता हूँ तथा अधिनियम की धारा 18 ए/क(2) के अंतर्गत श्री डी.के.गुप्ता, उप अंकेक्षक कार्यालय उप/सहायक पंजीयक सहकारी संस्थाएँ जिला भोपाल को शासकीय समुनदेशिती नियुक्त करता हूँ तथा आदेशित करता हूँ कि शासकीय समुनदेशिती उक्त संस्था का प्रभार प्राप्त कर म.प्र.सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 के प्रावधानों के अंतर्गत संस्था की समस्त परिसम्पत्तियों एवं दायित्वों का निराकरण एक वर्ष की समयावधि में पूर्ण कर प्रतिवेदन इस कार्यालय में प्रस्तुत करें।

यह आदेश आज दिनांक 30/3/22 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया।

(G-910)

क्रमांक-परि-2022-458.

कार्यालय सहायक पंजीयक (अंकेक्षक) सहकारी संस्थाएँ जिला भोपाल के द्वारा बैजाखेडी दुग्ध उत्पादक सह.संस्था मर्या. पंजीयन क्र. 1046 दिनांक 25.01.2014 का वर्ष 2020-21 हेतु श्री राजीव जैन को अंकेक्षक नियुक्त किया गया। अंकेक्षक द्वारा उक्त संस्था का अंकेक्षण पूर्ण नहीं किये जाने के संबंध में अवगत कराया गया कि संस्था उपविधि अनुसार दर्शित पते पर उपलब्ध नहीं है। इस संबंध में संस्था द्वारा रजिस्टर्ड पते पर न होने के संबंध में पंचनामा संलग्न किया है। संस्था अपने उद्देश्यों की पूर्ति में निरंतर असफल रही है। सहायक पंजीयक (अंके.) सहकारी संस्थाएँ जिला भोपाल के द्वारा संस्था के विरुद्ध मप्र सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 18 (क) के अंतर्गत कार्यवाही हेतु प्रस्ताव दिनांक 14.03.2022 को प्रस्तुत किया गया।

दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या. बैजाखेडी भोपाल जिसका पंजीयन क्रमांक 1046 दिनांक 25.01.2014 (जिसे आगे संक्षेप में केवल "संस्था" कहा गया) है को म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 18 (क) के अंतर्गत कार्यालयीन पत्र क./परि/2022/347 दिनांक 17.03.2022 से कारण बताओं सूचना पत्र जारी कर स्थानीय दैनिक समाचार पत्र पत्रिका एवं दैनिक जागरण में दिनांक 18.03.2022 को प्रकाशित करवाया जाकर 10 दिवस की समयावधि में प्रति उत्तर चाहा गया था एवं व्यक्तिगत रूप से पक्ष प्रस्तुत करने हेतु दिनांक 28.03.2022 की तिथि नियत की गई थी।

उक्तानुसार नियत तिथि तक संस्था द्वारा कोई प्रति उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया और न ही व्यक्तिगत सुनवाई हेतु नियत तिथि पर कोई उपस्थित हुआ। अतः यह विश्वास करने का पर्याप्त आधार है कि संस्था के प्रमुख प्रबंधकों, पदाधिकारियों एवं सदस्यों को कारण बताओं सूचना पत्र की विषय वस्तु स्वीकार है और उन्हें कारण बताओं सूचना पत्र के उल्लेखित विषय वस्तु के संबंध में कुछ नहीं कहना है। इस आधार पर संस्था का रजिस्ट्रीकरण समाप्त किया जाना विधि अनुकूल है।

अतः मैं संजय दलेला संयुक्त रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटीज भोपाल संभाग भोपाल म.प्र. सह.सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 18 ए/क के अंतर्गत रजिस्ट्रार की शक्तियां जो मुझे म.प्र.शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-2-2010 पन्नाह -1-8 दिनांक 23.10.2010 के द्वारा प्रदत्त है का प्रयोग करते हुये दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या. बैजाखेडी भोपाल जिसका पंजीयन क्रमांक 1046 दिनांक 25.01.2014 का पंजीयन निरस्त करता हूँ तथा अधिनियम की धारा 18 ए/क(2) के अंतर्गत श्री राजीव जैन, सहकारी निरीक्षक कार्यालय उप/सहायक पंजीयक सहकारी संस्थाएँ जिला भोपाल को शासकीय समुनदेशिती नियुक्त करता हूँ तथा आदेशित करता हूँ कि शासकीय समुनदेशिती उक्त संस्था का प्रभार प्राप्त कर म.प्र.सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 के प्रावधानों के अंतर्गत संस्था की समस्त परिसम्पत्तियों एवं दायित्वों का निराकरण एक वर्ष की सगयावधि में पूर्ण कर प्रतिवेदन इस कार्यालय में प्रस्तुत करें।

यह आदेश आज दिनांक 30/3/22 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया।

(G-911)

क्रमांक-परि-2022-459.

कार्यालय सहायक पंजीयक (अंकेक्षक) सहकारी संस्थाएँ जिला भोपाल के द्वारा दुग्ध उत्पादक कुराना सह.संस्था मर्या. पंजीयन क्र. 1389 दिनांक 02.03.2019 का वर्ष 2020-21 हेतु श्री मुकेश गुप्ता को अंकेक्षक नियुक्त किया गया। अंकेक्षक द्वारा उक्त संस्था का अंकेक्षण पूर्ण नहीं किये जाने के संबंध में अवगत कराया गया कि संस्था उपविधि अनुसार दर्शित पते पर उपलब्ध नहीं है। इस संबंध में संस्था द्वारा रजिस्टर्ड पते पर न होने के संबंध में पंचनागा संलग्न किया है। संस्था अपने उद्देश्यों की पूर्ति में निरंतर असफल रही है। सहायक पंजीयक (अंके.) सहकारी संस्थाएँ जिला भोपाल के द्वारा संस्था के विरुद्ध मप्र0 सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 18 (क) के अंतर्गत कार्यवाही हेतु प्रस्ताव दिनांक 14.03.2022 को प्रस्तुत किया गया।

दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या. कुराना भोपाल जिसका पंजीयन क्रमांक 1389 दिनांक 02.03.2019 (जिसे आगे संक्षेप में केवल "संस्था" कहा गया) है को म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 18 (क) के अंतर्गत कार्यालयीन पत्र क./परि/2022/358 दिनांक 17.03.2022 से कारण बताओं सूचना पत्र जारी कर स्थानीय दैनिक समाचार पत्र पत्रिका एवं दैनिक जागरण में दिनांक 18.03.2022 को प्रकाशित करवाया जाकर 10 दिवस की समयावधि में प्रति उत्तर चाहा गया था एवं व्यक्तिगत रूप से पक्ष प्रस्तुत करने हेतु दिनांक 28.03.2022 की तिथि नियत की गई थी।

उक्तानुसार नियत तिथि तक संस्था द्वारा कोई प्रति उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया और न ही व्यक्तिगत सुनवाई हेतु नियत तिथि पर कोई उपस्थित हुआ। अतः यह विश्वास करने का पर्याप्त आधार है कि संस्था के प्रमुख प्रबंधकों, पदाधिकारियों एवं सदस्यों को कारण बताओं सूचना पत्र की विषय वस्तु स्वीकार है और उन्हें कारण बताओं सूचना पत्र के उल्लेखित विषय वस्तु के संबंध में कुछ नहीं कहना है। इस आधार पर संस्था का रजिस्ट्रीकरण समाप्त किया जाना विधि अनुकूल है।

अतः मैं संजय दलेला संयुक्त रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज भोपाल संभाग भोपाल म.प्र. सह.सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 18 ए/क के अंतर्गत रजिस्ट्रार की शक्तियां जो मुझे म.प्र.शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-2-2010 पन्नाह -1-8 दिनांक 23.10.2010 के द्वारा प्रदत्त है का प्रयोग करते हुये दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या. कुराना भोपाल जिसका पंजीयन क्रमांक 1389 दिनांक 02.03.2019 का पंजीयन निरस्त करता हूँ तथा अधिनियम की धारा 18 ए/क(2) के अंतर्गत श्री मुकेश गुप्ता, सहकारी निरीक्षक कार्यालय उप/सहायक पंजीयक सहकारी संस्थाएँ जिला भोपाल को शासकीय समुनदेशिती नियुक्त करता हूँ तथा आदेशित करता हूँ कि शासकीय समुनदेशिती उक्त संस्था का प्रभार प्राप्त कर म.प्र.सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 के प्रावधानों के अंतर्गत संस्था की समस्त परिसम्पत्तियों एवं दायित्वों का निराकरण एक वर्ष की समयावधि में पूर्ण कर प्रतिवेदन इस कार्यालय में प्रस्तुत करें।

यह आदेश आज दिनांक 30/3/22 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया।

(G-912)

क्रमांक-परि-2022-460.

कार्यालय सहायक पंजीयक (अंकेक्षक) सहकारी संस्थाएँ जिला भोपाल के द्वारा दुग्ध उत्पादक बहरावल सह.संस्था मर्या. पंजीयन क्र. 897 दिनांक 28.01.2006 का वर्ष 2020-21 हेतु श्रीमती रीता मिश्र को अंकेक्षक नियुक्त किया गया। अंकेक्षक द्वारा उक्त संस्था का अंकेक्षण पूर्ण नहीं किये जाने के संबंध में अवगत कराया गया कि संस्था उपविधि अनुसार दर्शित पते पर उपलब्ध नहीं है। इस संबंध में संस्था द्वारा रजिस्टर्ड पते पर न होने के संबंध में पंचनामा संलग्न किया है। संस्था अपने उद्देश्यों की पूर्ति में निरंतर असफल रही है। सहायक पंजीयक (अंके.) सहकारी संस्थाएँ जिला भोपाल के द्वारा संस्था के विरुद्ध मप्र सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 18 (क) के अंतर्गत कार्यवाही हेतु प्रस्ताव दिनांक 14.03.2022 को प्रस्तुत किया गया।

दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या. बहरावल भोपाल जिसका पंजीयन क्रमांक 897 दिनांक 28.01.2006 (जिसे आगे संक्षेप में केवल "संस्था" कहा गया) है को म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 18 (क) के अन्तर्गत कार्यालयीन पत्र क./परि./2022/359 दिनांक 17.03.2022 से कारण बताओं सूचना पत्र जारी कर स्थानीय दैनिक समाचार पत्र पत्रिका एवं दैनिक जागरण में दिनांक 18.03.2022 को प्रकाशित करवाया जाकर 10 दिवस की समयावधि में प्रति उत्तर चाहा गया था एवं व्यक्तिगत रूप से पक्ष प्रस्तुत करने हेतु दिनांक 28.03.2022 की तिथि नियत की गई थी।

उक्तानुसार नियत तिथि तक संस्था द्वारा कोई प्रति उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया और न ही व्यक्तिगत सुनवाई हेतु नियत तिथि पर कोई उपस्थित हुआ। अतः यह विश्वास करने का पर्याप्त आधार है कि संस्था के प्रमुख प्रबंधकों, पदाधिकारियों एवं सदस्यों को कारण बताओं सूचना पत्र की विषय वस्तु स्वीकार है और उन्हें कारण बताओं सूचना पत्र के उल्लेखित विषय वस्तु के संबंध में कुछ नहीं कहना है। इस आधार पर संस्था का रजिस्ट्रीकरण समाप्त किया जाना विधि अनुकूल है।

अतः मैं संजय दलेला संयुक्त रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटीज भोपाल संभाग भोपाल म.प्र. सह.सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 18 ए/क के अन्तर्गत रजिस्ट्रार की शक्तियां जो मुझे म.प्र.शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-2-2010 पन्नाह -1-8 दिनांक 23.10.2010 के द्वारा प्रदत्त है का प्रयोग करते हुये दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या. बहरावल भोपाल जिसका पंजीयन क्रमांक 897 दिनांक 28.01.2006 का पंजीयन निरस्त करता हूँ तथा अधिनियम की धारा 18 ए/क(2) के अन्तर्गत श्रीमती रीता मिश्र, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक कार्यालय उप/सहायक पंजीयक सहकारी संस्थाएँ जिला भोपाल को शासकीय समुनदेशिती नियुक्त करता हूँ तथा आदेशित करता हूँ कि शासकीय समुनदेशिती उक्त संस्था का प्रभार प्राप्त कर म.प्र.सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 के प्रावधानों के अन्तर्गत संस्था की समस्त परिसम्पत्तियों एवं दायित्वों का निराकरण एक वर्ष की समयावधि में पूर्ण कर प्रतिवेदन इस कार्यालय में प्रस्तुत करें।

यह आदेश आज दिनांक 30/3/22 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया।

(G-913)

क्रमांक-परि-2022-461.

कार्यालय सहायक पंजीयक (अंकेक्षक) सहकारी संस्थाएँ जिला भोपाल-क द्वारा दुग्ध उत्पादक मलकारी सह.संस्था मर्या. पंजीयन क्र. 1137 दिनांक 01.08.2017 का वर्ष 2020-21 हेतु श्री पंकज श्रीवास्तव को अंकेक्षक नियुक्त किया गया। अंकेक्षक द्वारा उक्त संस्था का अंकेक्षण पूर्ण नहीं किये जाने के संबंध में अवगत कराया गया कि संस्था उपविधि अनुसार दर्शित पते पर उपलब्ध नहीं है। इस संबंध में संस्था द्वारा रजिस्टर्ड पते पर न होने के संबंध में पंचनामा संलग्न किया है। संस्था अपने उद्देश्यों की पूर्ति में निरंतर असफल रही है। सहायक पंजीयक (अंके.) सहकारी संस्थाएँ जिला भोपाल के द्वारा संस्था के विरुद्ध म०प्र० सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 18 (क) के अंतर्गत कार्यवाही हेतु प्रस्ताव दिनांक 14.03.2022 को प्रस्तुत किया गया।

दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या. मलकारी भोपाल जिसका पंजीयन क्रमांक 1137 दिनांक 01.08.2017 (जिसे आगे संक्षेप में केवल "संस्था" कहा गया) है को म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 18 (क) के अंतर्गत कार्यालयीन पत्र क./परि./2022/349 दिनांक 17.03.2022 से कारण बताओं सूचना पत्र जारी कर स्थानीय दैनिक समाचार पत्र पत्रिका एवं दैनिक जागरण में दिनांक 18.03.2022 को प्रकाशित करवाया जाकर 10 दिवस की समयावधि में प्रति उत्तर चाहा गया था एवं व्यक्तिगत रूप से पक्ष प्रस्तुत करने हेतु दिनांक 28.03.2022 की तिथि नियत की गई थी।

उक्तानुसार नियत तिथि तक संस्था द्वारा कोई प्रति उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया और न ही व्यक्तिगत सुनवाई हेतु नियत तिथि पर कोई उपस्थित हुआ। अतः यह विश्वास करने का पर्याप्त आधार है कि संस्था के प्रमुख प्रबंधकों, पदाधिकारियों एवं सदस्यों को कारण बताओं सूचना पत्र की विषय वस्तु स्वीकार है और उन्हें कारण बताओं सूचना पत्र के उल्लेखित विषय वस्तु के संबंध में कुछ नहीं कहना है। इस आधार पर संस्था का रजिस्ट्रीकरण समाप्त किया जाना विधि अनुकूल है।

अतः मैं संजय दलेला संयुक्त रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटीज भोपाल संभाग भोपाल म.प्र. सह.सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 18 ए/क के अंतर्गत रजिस्ट्रार की शक्तियां जो मुझे म.प्र.शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-2-2010 पन्नाह -1-8 दिनांक 23.10.2010 के द्वारा प्रदत्त है का प्रयोग करते हुये दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या. मलकारी भोपाल जिसका पंजीयन क्रमांक 1137 दिनांक 01.08.2017 का पंजीयन निरस्त करता हूँ तथा अधिनियम की धारा 18 ए/क(2) के अंतर्गत श्री पंकज श्रीवास्तव, सहकारी निरीक्षक कार्यालय उप/सहायक पंजीयक सहकारी संस्थाएँ जिला भोपाल को शासकीय समुनदेशिती नियुक्त करता हूँ तथा आदेशित करता हूँ कि शासकीय समुनदेशिती उक्त संस्था का प्रभार प्राप्त कर म.प्र.सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 के प्रावधानों के अंतर्गत संस्था की प्रसिद्धियों एवं दायित्वों का निराकरण एक वर्ष की समयावधि में पूर्ण कर प्रतिवेदन इस कार्यालय में प्रस्तुत करें।

यह आदेश आज दिनांक 30/3/22 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया।

(G-914)

क्रमांक-परि-2022-462.

कार्यालय सहायक पंजीयक (अंकेक्षक) सहकारी संस्थाएँ जिला भोपाल के द्वारा दुग्ध उत्पादक घामनतोडी सह.संस्था मर्या. पंजीयन क्र. 1066 दिनांक 03.01.2014 का वर्ष 2020-21 हेतु श्री पंकज श्रीवास्तव को अंकेक्षक नियुक्त किया गया। अंकेक्षक द्वारा उक्त संस्था का अंकेक्षण पूर्ण नहीं किये जाने के संबंध में अवगत कराया गया कि संस्था उपविधि अनुसार दर्शित पते पर उपलब्ध नहीं है। इस संबंध में संस्था द्वारा रजिस्टर्ड पते पर न होने के संबंध में पंचनामा संलग्न किया है। संस्था अपने उद्देश्यों की पूर्ति में निरंतर असफल रही है। सहायक पंजीयक (अंके.) सहकारी संस्थाएँ जिला भोपाल के द्वारा संस्था के विरुद्ध म0प्र0 सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 18 (क) के अंतर्गत कार्यवाही हेतु प्रस्ताव दिनांक 14.03.2022 को प्रस्तुत किया गया।

दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या. घामनतोडी भोपाल जिसका पंजीयन क्रमांक 1066 दिनांक 03.01.2014 (जिसे आगे संक्षेप में केवल "संस्था" कहा गया) है को म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 18 (क) के अन्तर्गत कार्यालयीन पत्र क्र./परि./2022/348 दिनांक 17.03.2022 से कारण बताओं सूचना पत्र जारी कर स्थानीय दैनिक समाचार पत्र पत्रिका एवं दैनिक जागरण में दिनांक 18.03.2022 को प्रकाशित करवाया जाकर 10 दिवस की समयावधि में प्रति.उत्तर चाहा गया था एवं व्यक्तिगत रूप से पक्ष प्रस्तुत करने हेतु दिनांक 28.03.2022 की तिथि नियत की गई थी।

उक्तानुसार नियत तिथि तक संस्था द्वारा कोई प्रति उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया और न ही व्यक्तिगत सुनवाई हेतु नियत तिथि पर कोई उपस्थित हुआ। अतः यह विश्वास करने का पर्याप्त आधार है कि संस्था के प्रमुख प्रवर्तकों, पदाधिकारियों एवं सदस्यों को कारण बताओं सूचना पत्र की विषय वस्तु स्वीकार है और उन्हें कारण बताओं सूचना पत्र के उल्लेखित विषय वस्तु के संबंध में कुछ नहीं कहना है। इस आधार पर संस्था का रजिस्ट्रीकरण समाप्त किया जाना विधि अनुकूल है।

अतः मैं संजय दलेला संयुक्त रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटीज भोपाल संभाग भोपाल म.प्र. सह.सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 18 ए/क के अन्तर्गत रजिस्ट्रार की शक्तियां जो मुझे म.प्र.शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-2-2010 पन्नाह -1-8 दिनांक 23.10.2010 के द्वारा प्रदत्त है का प्रयोग करते हुये दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या. घामनतोडी भोपाल जिसका पंजीयन क्रमांक 1066 दिनांक 03.01.2014 का पंजीयन निरस्त करता हूँ तथा अधिनियम की धारा 18 ए/क(2) के अन्तर्गत श्री पंकज श्रीवास्तव, सहकारी निरीक्षक कार्यालय उप/सहायक पंजीयक सहकारी संस्थाएँ जिला भोपाल को शासकीय समुनदेशिती नियुक्त करता हूँ तथा आदेशित करता हूँ कि शासकीय समुनदेशिती उक्त संस्था का प्रभार प्राप्त कर म.प्र.सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 के प्रावधानों के अन्तर्गत संस्था की समस्त परिसम्पत्तियों एवं दायित्वों का निराकरण एक वर्ष की समयावधि में पूर्ण कर प्रतिवेदन इस कार्यालय में प्रस्तुत करें।

.यह आदेश आज दिनांक 30/3/22 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया।

(G-915)

क्रमांक-परि-2022-463.

कार्यालय सहायक पंजीयक (अंकेक्षक) सहकारी संस्थाएँ जिला भोपाल क द्वारा दुग्ध उत्पादक खैरखेड़ी सह.संस्था मर्या. पंजीयन क्र. 1063 दिनांक 03.01.2014 का वर्ष 2020-21 हेतु श्रीमती सपना गुहा को अंकेक्षक नियुक्त किया गया। अंकेक्षक द्वारा उक्त संस्था का अंकेक्षण पूर्ण नहीं किये जाने के संबंध में अवगत कराया गया कि संस्था उपविधि अनुसार दर्शित पते पर उपलब्ध नहीं है। इस संबंध में संस्था द्वारा रजिस्टर्ड पते पर न होने के संबंध में पंघनामा संलग्न किया है। संस्था अपने उद्देश्यों की पूर्ति में निरंतर असफल रही है। सहायक पंजीयक (अंके.) सहकारी संस्थाएँ जिला भोपाल के द्वारा संस्था के विरुद्ध माप्रो सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 18 (क) के अंतर्गत कार्यवाही हेतु प्रस्ताव दिनांक 14.03.2022 को प्रस्तुत किया गया।

दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या. खैरखेड़ी भोपाल जिसका पंजीयन क्रमांक 1063 दिनांक 03.01.2014 (जिसे आगे संक्षेप में केवल "संस्था" कहा गया) है को म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 18 (क) के अन्तर्गत कार्यालयीन पत्र क./परि./2022/368 दिनांक 17.03.2022 से कारण बताओं सूचना पत्र जारी कर स्थानीय दैनिक समाचार पत्र पत्रिका एवं दैनिक जागरण में दिनांक 18.03.2022 को प्रकाशित करवाया जाकर 10 दिवस की समयावधि में प्रति उत्तर चाहा गया था एवं व्यक्तिगत रूप से पक्ष प्रस्तुत करने हेतु दिनांक 28.03.2022 की तिथि नियत की गई थी।

उक्तानुसार नियत तिथि तक संस्था द्वारा कोई प्रति उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया और न ही व्यक्तिगत सुनवाई हेतु नियत तिथि पर कोई उपस्थित हुआ। अतः यह विश्वास करने का पर्याप्त आधार है कि संस्था के प्रमुख प्रबंधकों, पदाधिकारियों एवं सदस्यों को कारण बताओं सूचना पत्र की विषय वस्तु स्वीकार है और उन्हें कारण बताओं सूचना पत्र के उल्लेखित विषय वस्तु के संबंध में कुछ नहीं कहना है। इस आधार पर संस्था का रजिस्ट्रीकरण समाप्त किया जाना विधि अनुकूल है।

अतः मैं संजय दलेला संयुक्त रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटीज गोपाल संभाग भोपाल म.प्र. सह.सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 18 ए/क के अन्तर्गत रजिस्ट्रार की शक्तियां जो मुझे म.प्र.शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-2-2010 पन्नाह -1-8 दिनांक 23.10.2010 के द्वारा प्रदत्त है का प्रयोग करते हुये दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या. खैरखेड़ी भोपाल जिसका पंजीयन क्रमांक 1063 दिनांक 03.01.2014 का पंजीयन निरस्त करता हूँ तथा अधिनियम की धारा 18 ए/क(2) के अन्तर्गत श्रीमती सपना गुहा, सहकारी निरीक्षक कार्यालय उप/सहायक पंजीयक सहकारी संस्थाएँ जिला भोपाल को शासकीय समुनदेशिती नियुक्त करता हूँ तथा आदेशित करता हूँ कि शासकीय समुनदेशिती उक्त संस्था का प्रभार प्राप्त कर म.प्र.सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 के प्रावधानों के अन्तर्गत संस्था की समस्त परिसम्पत्तियों एवं दायित्वों का निराकरण एक वर्ष की समयावधि में पूर्ण कर प्रतिवेदन इस कार्यालय में प्रस्तुत करें।

यह आदेश आज दिनांक 30/3/22 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया।

१ !

(G-916)

क्रमांक-परि-2022-464.

कार्यालय सहायक पंजीयक (अंकेक्षक) सहकारी संस्थाएँ जिला गोपाल के द्वारा देवलखेडा दुग्ध उत्पादक सह.संस्था मर्या. पंजीयन क्र. 1060 दिनांक 03.01.2014 का वर्ष 2020-21 हेतु श्रीमती मीरा देवी को अंकेक्षक नियुक्त किया गया। अंकेक्षक द्वारा उक्त संस्था का अंकेक्षण पूर्ण नहीं किये जाने के संबंध में अवगत कराया गया कि संस्था उपविधि अनुसार दर्शित पते पर उपलब्ध नहीं है। इस संबंध में संस्था द्वारा रजिस्टर्ड पते पर न होने के संबंध में पंचनामा संलग्न किया है। संस्था अपने उद्देश्यों की पूर्ति में निरंतर असफल रही है। सहायक पंजीयक (अंके.) सहकारी संस्थाएँ जिला गोपाल के द्वारा संस्था के विरुद्ध म०प्र० सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 18 (क) के अंतर्गत कार्यवाही हेतु प्रस्ताव दिनांक 14.03.2022 को प्रस्तुत किया गया।

दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या. देवलखेडा गोपाल जिसका पंजीयन क्रमांक 1060 दिनांक 03.01.2014 (जिसे आगे संक्षेप में केवल "संस्था" कहा गया) है को म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 18 (क) के अन्तर्गत कार्यालयीन पत्र क./परि./2022/350 दिनांक 17.03.2022 से कारण बताओं सूचना पत्र जारी कर स्थानीय दैनिक समाचार पत्र 'पत्रिका एवं दैनिक जागरण' में दिनांक 18.03.2022 को प्रकाशित करवाया जाकर 10 दिवस की समयावधि में प्रति उत्तर चाहा गया था एवं व्यक्तिगत रूप से पक्ष प्रस्तुत करने हेतु दिनांक 28.03.2022 की तिथि नियत की गई थी।

उक्तानुसार नियत तिथि तक संस्था द्वारा कोई प्रति उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया और न ही व्यक्तिगत सुनवाई हेतु नियत तिथि पर कोई उपस्थित हुआ। अतः यह विश्वास करने का पर्याप्त आधार है कि संस्था के प्रमुख प्रबंधकों, पदाधिकारियों एवं सदस्यों को कारण बताओं सूचना पत्र की विषय वस्तु स्वीकार है और उन्हें कारण बताओं सूचना पत्र के उल्लेखित विषय वस्तु के संबंध में कुछ नहीं कहना है। इस आधार पर संस्था का रजिस्ट्रीकरण समाप्त किया जाना विधि अनुकूल है।

अतः मैं संजय दलेला संयुक्त रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटीज गोपाल संभाग गोपाल म.प्र. सह.सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 18 ए/क के अन्तर्गत रजिस्ट्रार की शक्तियां जो मुझे म.प्र.शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-2-2010 पन्नाह -1-8 दिनांक 23.10.2010 के द्वारा प्रदत्त है का प्रयोग करते हुये दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या. देवलखेडा गोपाल जिसका पंजीयन क्रमांक 1060 दिनांक 03.01.2014 का पंजीयन निरस्त करता हूँ तथा अधिनियम की धारा 18 ए/क(2) के अन्तर्गत श्रीमती मीरा देवी, उप अंकेक्षक कार्यालय उप/सहायक पंजीयक सहकारी संस्थाएँ जिला गोपाल को शासकीय समुनदेशिती नियुक्त करता हूँ तथा आदेशित करता हूँ कि शासकीय समुनदेशिती उक्त संस्था का प्रभार प्राप्त कर म.प्र.सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 के प्रावधानों के अन्तर्गत संस्था की समस्त परिसम्पत्तियों एवं दायित्वों का निराकरण एक वर्ष की समयावधि में पूर्ण कर प्रतिवेदन इस कार्यालय में प्रस्तुत करें।

यह आदेश आज दिनांक 8/3/22 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया।

(G-917)

क्रमांक-परि-2022-465.

कार्यालय सहायक पंजीयक (अंकेक्षक) सहकारी संस्थाएँ जिला भोपाल क द्वारा टेक्नीकल वर्क्स श्रमिक सहकारी संस्था पंजीयन क्र. 648 दिनांक 19.12.1972 का वर्ष 2020-21 हेतु श्री आर.के. कातुलकर को अंकेक्षक नियुक्त किया गया। अंकेक्षक द्वारा उक्त संस्था का अंकेक्षण पूर्ण नहीं किये जाने के संबंध में अवगत कराया गया कि संस्था उपविधि अनुसार दर्शित पते पर उपलब्ध नहीं है। इस संबंध में संस्था द्वारा रजिस्टर्ड पते पर न होने के संबंध में पंचनामा संलग्न किया है। संस्था अपने उद्देश्यों की पूर्ति में निरंतर असफल रही है। सहायक पंजीयक (अंके.) सहकारी संस्थाएँ जिला भोपाल के द्वारा संस्था के विरुद्ध मोप्रो सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 18 (क) के अंतर्गत कार्यवाही हेतु प्रस्ताव दिनांक 14.03.2022 को प्रस्तुत किया गया।

टेक्नीकल वर्क्स श्रमिक सहकारी संस्था मर्या.भोपाल जिसका पंजीयन क्रमांक एस.एच.आर./बी.पी.एल./648 दिनांक 19.12.1972 (जिसे आगे संक्षेप में केवल "संस्था" कहा गया) है को म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 18 (क) के अंतर्गत कार्यालयीन पत्र क./परि./2022/335 दिनांक 17.03.2022 से कारण बताओं सूचना पत्र जारी कर स्थानीय दैनिक समाचार पत्र पत्रिका एवं दैनिक जागरण में दिनांक 18.03.2022 को प्रकाशित करवाया जाकर 10 दिवस की समयावधि में प्रति उत्तर चाहा गया था एवं व्यक्तिगत रूप से पक्ष प्रस्तुत करने हेतु दिनांक 28.03.2022 की तिथि नियत की गई थी।

उक्तानुसार नियत तिथि तक संस्था द्वारा कोई प्रति उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया और न ही व्यक्तिगत सुनवाई हेतु नियत तिथि पर कोई उपस्थित हुआ। अतः यह विश्वास करने का पर्याप्त आधार है कि संस्था के प्रमुख प्रवर्तकों, पदाधिकारियों एवं सदस्यों को कारण बताओं सूचना पत्र की विषय वस्तु स्वीकार है और उन्हें कारण बताओं सूचना पत्र के उल्लेखित विषय वस्तु के संबंध में कुछ नहीं कहना है। इस आधार पर संस्था का रजिस्ट्रीकरण समाप्त किया जाना विधि अनुकूल है।

अतः मैं संजय दलेला संयुक्त रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटीज भोपाल संभाग भोपाल म.प्र. सह.सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 18 ए/क के अंतर्गत रजिस्ट्रार की शक्तियां जो मुझे म.प्र.शासन सहकारिता विभाग की अभिसूचना क्रमांक एफ-5-2-2010 पन्नाह -1-8 दिनांक 23.10.2010 के द्वारा प्रदत्त है का प्रयोग करते हुये टेक्नीकल वर्क्स श्रमिक सहकारी संस्था मर्या.भोपाल जिसका पंजीयन क्रमांक एस.एच.आर./बी.पी.एल./648 दिनांक 19.12.1972 का पंजीयन निरस्त करता हूँ तथा अधिनियम की धारा 18 ए/क(2) के अंतर्गत श्री आर.के.कातुलकर, उप अंकेक्षक कार्यालय उप/सहायक पंजीयक सहकारी संस्थाएँ जिला भोपाल को शासकीय समुनदेशिती नियुक्त करता हूँ तथा आदेशित करता हूँ कि शासकीय समुनदेशिती उक्त संस्था का प्रभार प्राप्त कर म.प्र.सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 के प्रावधानों के अंतर्गत संस्था की समस्त परिसम्पत्तियों एवं दायित्वों का निराकरण एक वर्ष की समयावधि में पूर्ण कर प्रतिवेदन इस कार्यालय में प्रस्तुत करें।

यह आदेश आज दिनांक 30/3/22 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया।

(G-918)

क्रमांक-परि-2022-466.

कार्यालय सहायक पंजीयक (अंकेक्षक) सहकारी संस्थाएँ जिला भोपाल के द्वारा दुग्ध उत्पादक चांदा सलोई सह. संस्था मर्या. पंजीयन क्र. 1043 दिनांक 01.03.2014 का वर्ष 2020-21 हेतु श्री एम.के. श्रीवास्तव को अंकेक्षक नियुक्त किया गया। अंकेक्षक द्वारा उक्त संस्था का अंकेक्षण पूर्ण नहीं किये जाने के संबंध में अवगत कराया गया कि संस्था उपविधि अनुसार दर्शित पते पर उपलब्ध नहीं है। इस संबंध में संस्था द्वारा रजिस्टर्ड पते पर न होने के संबंध में पंचनामा संलग्न किया है। संस्था अपने उद्देश्यों की पूर्ति में निरंतर असफल रही है। सहायक पंजीयक (अंके.) सहकारी संस्थाएँ जिला भोपाल के द्वारा संस्था के विरुद्ध म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 18 (क) के अंतर्गत कार्यवाही हेतु प्रस्ताव दिनांक 14.03.2022 को प्रस्तुत किया गया।

दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या. चांदासलोई भोपाल जिसका पंजीयन क्रमांक 1043 दिनांक 01.03.2014 (जिसे आगे संक्षेप में केवल "संस्था" कहा गया) है को म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 18 (क) के अंतर्गत कार्यालयीन पत्र क./परि./2022/360 दिनांक 17.03.2022 से कारण बताओं सूचना पत्र जारी कर स्थानीय दैनिक समाचार पत्र पत्रिका एवं दैनिक जागरण में दिनांक 18.03.2022 को प्रकाशित करवाया जाकर 10 दिवस की समयावधि में प्रति उत्तर चाहा गया था एवं व्यक्तिगत रूप से पक्ष प्रस्तुत करने हेतु दिनांक 28.03.2022 की तिथि नियत की गई थी।

उक्तानुसार नियत तिथि तक संस्था द्वारा कोई प्रति उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया और न ही व्यक्तिगत सुनवाई हेतु नियत तिथि पर कोई उपस्थित हुआ। अतः यह विश्वास करने का पर्याप्त आधार है कि संस्था के प्रमुख प्रबंधकों, पदाधिकारियों एवं सदस्यों को कारण बताओं सूचना पत्र की विषय वस्तु स्वीकार है और उन्हें कारण बताओं सूचना पत्र के उल्लेखित विषय वस्तु के संबंध में कुछ नहीं कहना है। इस आधार पर संस्था का रजिस्ट्रीकरण समाप्त किया जाना विधि अनुकूल है।

अतः मैं संजय दलेला संयुक्त रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटीज भोपाल संभाग भोपाल म.प्र. सह.सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 18 ए/क के अंतर्गत रजिस्ट्रार की शक्तियां जो मुझे म.प्र.शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-2-2010 पन्द्रह -1-8 दिनांक 23.10.2010 के द्वारा प्रदत्त है का प्रयोग करते हुये दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या. चांदासलोई भोपाल जिसका पंजीयन क्रमांक 1043 दिनांक 01.03.2014 का पंजीयन निरस्त करता हूँ तथा अधिनियम की धारा 18 ए/क(2) के अंतर्गत श्री एम.के.श्रीवास्तव, सहकारी निरीक्षक कार्यालय उप/सहायक पंजीयक सहकारी संस्थाएँ जिला भोपाल को शासकीय समुनदेशिती नियुक्त करता हूँ तथा आदेशित करता हूँ कि शासकीय समुनदेशिती उक्त संस्था का प्रभार प्राप्त कर म.प्र.सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 के प्रावधानों के अंतर्गत संस्था की समस्त परिसम्पत्तियों एवं दायित्वों का निराकरण एक वर्ष की समयावधि में पूर्ण कर प्रतिवेदन इस कार्यालय में प्रस्तुत करें।

यह आदेश आज दिनांक 29/3/22 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया।

(G-919)

क्रमांक-परि-2022-467.

कार्यालय सहायक पंजीयक (अंकेक्षक) सहकारी संस्थाएँ जिला भोपाल के द्वारा दुग्ध उत्पादक ठीकरिया लक्ष्मणपुरा सह.संस्था मर्या. पंजीयन क्र. 1203 दिनांक 20.10.2014 का वर्ष 2020-21 हेतु श्रीमती अल्का तिग्गा को अंकेक्षक नियुक्त किया गया। अंकेक्षक द्वारा उक्त संस्था का अंकेक्षण पूर्ण नहीं किये जाने के संबंध में अवगत कराया गया कि संस्था उपविधि अनुसार दर्शित पते पर उपलब्ध नहीं है। इस संबंध में संस्था द्वारा रजिस्टर्ड पते पर न होने के संबंध में पंचनामा संलग्न किया है। संस्था अपने उद्देश्यों की पूर्ति में निरंतर असफल रही है। सहायक पंजीयक (अंके.) सहकारी संस्थाएँ जिला भोपाल के द्वारा संस्था के विरुद्ध म.प्र.0 सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 18 (क) के अंतर्गत कार्यवाही हेतु प्रस्ताव दिनांक 14.03.2022 को प्रस्तुत किया गया।

दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या. ठीकरिया लक्ष्मणपुरा भोपाल जिसका पंजीयन क्रमांक 1203 दिनांक 20.10.2014 (जिसे आगे संक्षेप में केवल "संस्था" कहा गया) है को म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 18 (क) के अन्तर्गत कार्यालयीन पत्र क./परि./2022/385 दिनांक 17.03.2022 से कारण बताओं सूचना पत्र जारी कर स्थानीय दैनिक समाचार पत्र पत्रिका एवं दैनिक जागरण में दिनांक 18.03.2022 को प्रकाशित करवाया जाकर 10 दिवस की समयावधि में प्रति उत्तर चाहा गया था एवं व्यक्तिगत रूप से पक्ष प्रस्तुत करने हेतु दिनांक 28.03.2022 की तिथि नियत की गई थी।

उक्तानुसार नियत तिथि तक संस्था द्वारा कोई प्रति उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया और न ही व्यक्तिगत सुनवाई हेतु नियत तिथि पर कोई उपस्थित हुआ। अतः यह विश्वास करने का पर्याप्त आधार है कि संस्था के प्रमुख प्रबंधकों, पदाधिकारियों एवं सदस्यों को कारण बताओं सूचना पत्र की विषय वस्तु स्वीकार है और उन्हें कारण बताओं सूचना पत्र के उल्लेखित विषय वस्तु के संबंध में कुछ नहीं कहना है। इस आधार पर संस्था का रजिस्ट्रीकरण समाप्त किया जाना विधि अनुकूल है।

अतः मैं संजय दलेला संयुक्त रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटीज भोपाल संभाग भोपाल म.प्र. सह.सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 18 ए/क के अन्तर्गत रजिस्ट्रार की शक्तियां जो मुझे म.प्र.शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-2-2010 पन्द्रह -1-8 दिनांक 23.10.2010 के द्वारा प्रदत्त है का प्रयोग करते हुये दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या. ठीकरिया लक्ष्मणपुरा भोपाल जिसका पंजीयन क्रमांक 1203 दिनांक 20.10.2014 का पंजीयन निरस्त करता हूँ तथा अधिनियम की धारा 18 ए/क(2) के अन्तर्गत श्री सुधाकर पांडे, उप अंकेक्षक कार्यालय उप/सहायक पंजीयक सहकारी संस्थाएँ जिला भोपाल को शासकीय समुनदेशिती नियुक्त करता हूँ तथा आदेशित करता हूँ कि शासकीय समुनदेशिती उक्त संस्था का प्रभार प्राप्त कर म.प्र.सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 के प्रावधानों के अन्तर्गत संस्था की समस्त परिसम्पत्तियों एवं दायित्वों का निराकरण एक वर्ष की समयावधि में पूर्ण कर प्रतिवेदन इस कार्यालय में प्रस्तुत करें।

यह आदेश आज दिनांक 30/3/22 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया।

(G-920)

क्रमांक-परि-2022-468.

कार्यालय सहायक पंजीयक (अंकेक्षक) सहकारी संस्थाएँ जिला भोपाल के द्वारा हरिजन बुनकर सह.संस्था मर्या. पंजीयन क्र. 134 दिनांक 17.04.1979 का वर्ष 2020-21 हेतु श्री एम.के. श्रीवास्तव को अंकेक्षक नियुक्त किया गया। अंकेक्षक द्वारा उक्त संस्था का अंकेक्षण पूर्ण नहीं किये जाने के संबंध में अवगत कराया गया कि संस्था उपविधि अनुसार दर्शित पते पर उपलब्ध नहीं है। इस संबंध में संस्था द्वारा रजिस्टर्ड पते पर न होने के संबंध में पंचनामा संलग्न किया है। संस्था अपने उद्देश्यों की पूर्ति में निरंतर असफल रही है। सहायक पंजीयक (अंके.) सहकारी संस्थाएँ जिला भोपाल के द्वारा संस्था के विरुद्ध MOPRO सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 18 (क) के अंतर्गत कार्यवाही हेतु प्रस्ताव दिनांक 14.03.2022 को प्रस्तुत किया गया।

हरिजन बुनकर सहकारी संस्था मर्या.भोपाल जिसका पंजीयन क्रमांक 134 दिनांक 17.04.1979 (जिसे आगे संक्षेप में केवल "संस्था" कहा गया) है को म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 18 (क) के अन्तर्गत कार्यालयीन पत्र क./परि./2022/372 दिनांक 17.03.2022 से कारण बताओं सूचना पत्र जारी कर स्थानीय दैनिक समाचार पत्र पत्रिका एवं दैनिक जागरण में दिनांक 18.03.2022 को प्रकाशित करवाया जाकर 10 दिवस की समयावधि में प्रति उत्तर चाहा गया था एवं व्यक्तिगत रूप से पक्ष प्रस्तुत करने हेतु दिनांक 28.03.2022 की तिथि नियत की गई थी।

उक्तानुसार नियत तिथि तक संस्था द्वारा कोई प्रति उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया और न ही व्यक्तिगत सुनवाई हेतु नियत तिथि पर कोई उपस्थित हुआ। अतः यह विश्वास करने का पर्याप्त आधार है कि संस्था के प्रमुख प्रबंधकों, पदाधिकारियों एवं सदस्यों को कारण बताओं सूचना पत्र की विषय वस्तु स्वीकार है और उन्हें कारण बताओं सूचना पत्र के उल्लेखित विषय वस्तु के संबंध में कुछ नहीं कहना है। इस आधार पर संस्था का रजिस्ट्रीकरण समाप्त किया जाना विधि अनुकूल है।

अतः मैं संजय दलेला संयुक्त रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटीज भोपाल संभाग भोपाल म.प्र. सह.सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 18 ए/क के अन्तर्गत रजिस्ट्रार की शक्तियां जो मुझे म.प्र.शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-2-2010 पन्नाह -1-8 दिनांक 23.10.2010 के द्वारा प्रदत्त है का प्रयोग करते हुये हरिजन बुनकर सहकारी संस्था मर्या.भोपाल जिसका पंजीयन क्रमांक 134 दिनांक 17.04.1979 का पंजीयन निरस्त करता हूँ तथा अधिनियम की धारा 18 ए/क(2) के अन्तर्गत श्री एम.के.श्रीवास्तव, सहकारी निरीक्षक कार्यालय उप/सहायक पंजीयक सहकारी संस्थाएँ जिला भोपाल को शासकीय समुनदेशिती नियुक्त करता हूँ तथा आदेशित करता हूँ कि शासकीय समुनदेशिती उक्त संस्था का प्रभार प्राप्त कर म.प्र.सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 के प्रावधानों के अन्तर्गत संस्था की समस्त परिसम्पत्तियों एवं दायित्वों का निराकरण एक वर्ष की समयावधि में पूर्ण कर प्रतिवेदन इस कार्यालय में प्रस्तुत करें।

यह आदेश आज दिनांक 30/3/22 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया।

(G-921)

क्रमांक-परि-2022-469.

कार्यालय सहायक पंजीयक (अंकेक्षक) सहकारी संस्थाएँ जिला भोपाल के द्वारा ठाकुर बीज उत्पादक सह.संस्था मर्या. पंजीयन क्र. 1178 दिनांक 24.03.2014 का वर्ष 2020-21 हेतु श्रीमती सोनाली चौधरी को अंकेक्षक नियुक्त किया गया। अंकेक्षक द्वारा उक्त संस्था का अंकेक्षण पूर्ण नहीं किये जाने के संबंध में अवगत कराया गया कि संस्था उपविधि अनुसार दर्शित पते पर उपलब्ध नहीं है। इस संबंध में संस्था द्वारा रजिस्टर्ड पते पर न होने के संबंध में पंचनामा संलग्न किया है। संस्था अपने उद्देश्यों की पूर्ति में निरंतर असफल रही है। सहायक पंजीयक (अंके.) सहकारी संस्थाएँ जिला भोपाल के द्वारा संस्था के विरुद्ध म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 18 (क) के अंतर्गत कार्यवाही हेतु प्रस्ताव दिनांक 14.03.2022 को प्रस्तुत किया गया।

ठाकुर बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या.भोपाल जिसका पंजीयन क्रमांक 1178 दिनांक 24.03.2014 (जिसे आगे संक्षेप में केवल "संस्था" कहा गया) है को म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 18 (क) के अंतर्गत कार्यालयीन पत्र क./परि./2022/370 दिनांक 17.03.2022 से कारण बताओं सूचना पत्र जारी कर स्थानीय दैनिक समाचार पत्र पत्रिका एवं दैनिक जागरण में दिनांक 18.03.2022 को प्रकाशित करवाया जाकर 10 दिवस की समयावधि में प्रति उत्तर चाहा गया था एवं व्यक्तिगत रूप से पक्ष प्रस्तुत करने हेतु दिनांक 28.03.2022 की तिथि नियत की गई थी।

उक्तानुसार नियत तिथि तक संस्था द्वारा कोई प्रति उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया और न ही व्यक्तिगत सुनवाई हेतु नियत तिथि पर कोई उपस्थित हुआ। अतः यह विश्वास करने का पर्याप्त आधार है कि संस्था के प्रमुख प्रबंधकों, पदाधिकारियों एवं सदस्यों को कारण बताओं सूचना पत्र की विषय वस्तु स्वीकार है और उन्हें कारण बताओं सूचना पत्र के उल्लेखित विषय वस्तु के संबंध में कुछ नहीं कहना है। इस आधार पर संस्था का रजिस्ट्रीकरण समाप्त किया जाना विधि अनुकूल है।

अतः मैं संजय दलेला संयुक्त रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटीज भोपाल संभाग भोपाल म.प्र. सह.सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 18 ए/क के अंतर्गत रजिस्ट्रार की शक्तियां जो मुझे म.प्र.शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-2-2010 पन्नाह -1-8 दिनांक 23.10.2010 के द्वारा प्रदत्त है का प्रयोग करते हुये ठाकुर बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या.भोपाल जिसका पंजीयन क्रमांक 1178 दिनांक 24.03.2014 का पंजीयन निरस्त करता हूँ तथा अधिनियम की धारा 18 ए/क(2) के अंतर्गत श्रीमती सोनाली चौधरी, उप अंकेक्षक कार्यालय उप/सहायक पंजीयक सहकारी संस्थाएँ जिला भोपाल को शासकीय समुनदेशिती नियुक्त करता हूँ तथा आदेशित करता हूँ कि शासकीय समुनदेशिती उक्त संस्था का प्रभार प्राप्त कर म.प्र.सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 के प्रावधानों के अंतर्गत संस्था की वित्तीय प्रसिद्धियों एवं दायित्वों का निराकरण एक वर्ष की समयावधि में पूर्ण कर प्रतिवेदन इस कार्यालय में प्रस्तुत करें।

यह आदेश आज दिनांक 31/3/22 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया।

(G-922)

क्रमांक-परि-2022-470.

कार्यालय सहायक पंजीयक (अंकेक्षक) सहकारी संस्थाएँ जिला मोपाल के द्वारा मोपाल नौकायन सह.संस्था मर्या. पंजीयन क्र. 898 दिनांक 11.04.2002 का वर्ष 2020-21 हेतु श्री एम.के. श्रीवास्तव को अंकेक्षक नियुक्त किया गया। अंकेक्षक द्वारा उक्त संस्था का अंकेक्षण पूर्ण नहीं किये जाने के संबंध में अवगत कराया गया कि संस्था उपविधि अनुसार दर्शित पते पर उपलब्ध नहीं है। इस संबंध में संस्था द्वारा रजिस्टर्ड पते पर न होने के संबंध में पंचनामा संलग्न किया है। संस्था अपने उद्देश्यों की पूर्ति में निरंतर असफल रही है। सहायक पंजीयक (अंके.) सहकारी संस्थाएँ जिला मोपाल के द्वारा संस्था के विरुद्ध मप्र सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 18 (क) के अंतर्गत कार्यवाही हेतु प्रस्ताव दिनांक 14.03.2022 को प्रस्तुत किया गया।

मोपाल नौकायन सहकारी संस्था मर्या.मोपाल जिसका पंजीयन क्रमांक 898 दिनांक 11.04.2002 (जिसे आगे संक्षेप में केवल "संस्था" कहा गया) है को म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 18 (क) के अन्तर्गत कार्यालयीन पत्र क./परि./2022/371 दिनांक 17.03.2022 से कारण बताओं सूचना पत्र जारी कर स्थानीय दैनिक समाचार पत्र पत्रिका एवं दैनिक जागरण में दिनांक 18.03.2022 को प्रकाशित करवाया जाकर 10 दिवस की समयावधि में प्रति उत्तर/चाह मस्य था एवं व्यक्तिगत रूप से पक्ष प्रस्तुत करने हेतु दिनांक 28.03.2022 की तिथि नियत की गई थी।

उक्तानुसार नियत तिथि तक संस्था द्वारा कोई प्रति उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया और न ही व्यक्तिगत सुनवाई हेतु नियत तिथि पर कोई उपस्थित हुआ। अतः यह विश्वास करने का पर्याप्त आधार है कि संस्था के प्रमुख प्रबंधकों, पदाधिकारियों एवं सदस्यों को कारण बताओं सूचना पत्र की विषय वस्तु स्वीकार है और उन्हें कारण बताओं सूचना पत्र के उल्लेखित विषय वस्तु के संबंध में कुछ नहीं कहना है। इस आधार पर संस्था का रजिस्ट्रीकरण समाप्त किया जाना विधि अनुकूल है।

अतः मैं संजय दलेला संयुक्त रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटीज मोपाल संभाग मोपाल म.प्र. सह.सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 18 ए/क के अन्तर्गत रजिस्ट्रार की शक्तियां जो मुझे म.प्र.शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-2-2010 पन्नाह -1-8 दिनांक 23.10.2010 के द्वारा प्रदत्त है का प्रयोग करते हुये मोपाल नौकायन सहकारी संस्था मर्या.मोपाल जिसका पंजीयन क्रमांक 898 दिनांक 11.04.2002 का पंजीयन निरस्त करता हूँ तथा अधिनियम की धारा 18 ए/क(2) के अन्तर्गत श्री एम.के.श्रीवास्तव, सहकारी निरीक्षक कार्यालय उप/सहायक पंजीयक सहकारी संस्थाएँ जिला मोपाल को शासकीय समुनदेशिती नियुक्त करता हूँ तथा आदेशित करता हूँ कि शासकीय समुनदेशिती उक्त संस्था का प्रभार प्राप्त कर म.प्र.सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 के प्रावधानों के अन्तर्गत संस्था की शक्ति परिसम्पत्तियों एवं दायित्वों का निराकरण एक वर्ष की समयावधि में पूर्ण कर प्रतिवेदन इस कार्यालय में प्रस्तुत करें।

यह आदेश आज दिनांक 30/3/22 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया।

(G-923)

क्रमांक-परि-2022-471.

कार्यालय सहायक पंजीयक (अंकेक्षक) सहकारी संस्थाएँ जिला भोपाल के द्वारा भारत को-आप. ट्रंसपोर्ट सह.संस्था मर्या. पंजीयन क्र. 1497 दिनांक 16.03.1958 का वर्ष 2020-21 हेतु श्रीमती सपना गुहा को अंकेक्षक नियुक्त किया गया। अंकेक्षक द्वारा उक्त संस्था का अंकेक्षण पूर्ण नहीं किये जाने के संबंध में अवगत कराया गया कि संस्था उपविधि अनुसार दर्शित पते पर उपलब्ध नहीं है। इस संबंध में संस्था द्वारा रजिस्टर्ड पते पर न होने के संबंध में पंचनामा संलग्न किया है। संस्था अपने उद्देश्यों की पूर्ति में निरंतर असफल रही है। सहायक पंजीयक (अंके.) सहकारी संस्थाएँ जिला भोपाल के द्वारा संस्था के विरुद्ध म0प्र0 सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 18 (क) के अंतर्गत कार्यवाही हेतु प्रस्ताव दिनांक 14.03.2022 को प्रस्तुत किया गया।

भारत को-आप. ट्रंसपोर्ट सह.संस्था मर्या. पंजीयन क्र. 1497 दिनांक 16.03.1958 (जिसे आगे संक्षेप में केवल "संस्था" कहा गया) है को म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 18 (क) के अन्तर्गत कार्यालयीन पत्र क. /परि./2022/379 दिनांक 17.03.2022 से कारण बताओं सूचना पत्र जारी कर स्थानीय दैनिक समाचार पत्र पत्रिका एवं दैनिक जागरण में दिनांक 18.03.2022 को प्रकाशित करवाया जाकर 10 दिवस की समयावधि में प्रति उत्तर चाहा गया था। एवं व्यक्तिगत रूप से पक्ष प्रस्तुत करने हेतु दिनांक 28.03.2022 की तिथि नियत की गई थी।

उक्तानुसार नियत तिथि तक संस्था द्वारा कोई प्रति उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया और न ही व्यक्तिगत सुनवाई हेतु नियत तिथि पर कोई उपस्थित हुआ। अतः यह विश्वास करने का पर्याप्त आधार है कि संस्था के प्रमुख प्रवर्तकों, पदाधिकारियों एवं सदस्यों को कारण बताओं सूचना पत्र की विषय वस्तु स्वीकार है और उन्हें कारण बताओं सूचना पत्र के उल्लेखित विषय वस्तु के संबंध में कुछ नहीं कहना है। इस आधार पर संस्था का रजिस्ट्रीकरण समाप्त किया जाना विधि अनुकूल है।

अतः मैं संजय दलेला संयुक्त रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटीज भोपाल संभाग भोपाल म.प्र. सह.सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 18 ए/क के अन्तर्गत रजिस्ट्रार की शक्तियां जो मुझे म.प्र. शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-2-2010 पन्द्रह-1-8 दिनांक 23.10.2010 के द्वारा प्रदत्त है का प्रयोग करते हुये भारत को-आप. ट्रंसपोर्ट सह.संस्था मर्या. पंजीयन क्र. 1497 दिनांक 16.03.1958 का पंजीयन निरस्त करता हूँ तथा अधिनियम की धारा 18 ए/क(2) के अन्तर्गत श्रीमती सपना गुहा सहकारी निरीक्षक कार्यालय उप/सहायक पंजीयक सहकारी संस्थाएँ जिला भोपाल को शासकीय समुनदेशिती नियुक्त करता हूँ तथा आदेशित करता हूँ कि शासकीय समुनदेशिती उक्त संस्था का प्रचार प्राप्त कर म.प्र.सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 के प्रावधानों के अन्तर्गत संस्था की समस्त परिसम्पत्तियों एवं दायित्वों का निरीक्षण एक वर्ष की समयावधि में पूर्ण कर प्रतिवेदन इस कार्यालय में प्रस्तुत करें।

यह आदेश आज दिनांक 30/9/22 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया।

(G-924)

क्रमांक-परि-2022-472.

कार्यालय सहायक पंजीयक (अंकेक्षक) सहकारी संस्थाएँ जिला भोपाल के द्वारा राजधानी ट्रान्सपोर्ट सह.संस्था मर्या. पंजीयन क्र. 1020 दिनांक 31.01.2017 का वर्ष 2020-21 हेतु श्री डी.के. गुप्ता को अंकेक्षक नियुक्त किया गया। अंकेक्षक द्वारा उक्त संस्था का अंकेक्षण पूर्ण नहीं किये जाने के संबंध में अवगत कराया गया कि संस्था उपविधि अनुसार दर्शित पते पर उपलब्ध नहीं है। इस संबंध में संस्था द्वारा रजिस्टर्ड पते पर न होने के संबंध में पंचनामा संलग्न किया है। संस्था अपने उद्देश्यों की पूर्ति में निरंतर असफल रही है। सहायक पंजीयक (अंके.) सहकारी संस्थाएँ जिला भोपाल के द्वारा संस्था के विरुद्ध MOPRO सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 18 (क) के अंतर्गत कार्यवाही हेतु प्रस्ताव दिनांक 14.03.2022 को प्रस्तुत किया गया।

राजधानी ट्रान्सपोर्ट सह.संस्था मर्या. पंजीयन क्र. 1020 दिनांक 31.01.2017 (जिसे आगे संक्षेप में केवल "संस्था" कहा गया) है को म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 18 (क) के अन्तर्गत कार्यालयीन पत्र क./परि./2022/390 दिनांक 17.03.2022 से कारण बताओं सूचना पत्र जारी कर स्थानीय दैनिक समाचार पत्र पत्रिका एवं दैनिक जागरण में दिनांक 18.03.2022 को प्रकाशित करवाया जाकर 10 दिवस की समयावधि में प्रति उत्तर चाहा गया था एवं व्यक्तिगत रूप से पक्ष प्रस्तुत करने हेतु दिनांक 28.03.2022 की तिथि नियत की गई थी।

उक्तानुसार नियत तिथि तक संस्था द्वारा कोई प्रति उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया और न ही व्यक्तिगत सुनवाई हेतु नियत तिथि पर कोई उपस्थित हुआ। अतः यह विश्वास करने का पर्याप्त आधार है कि संस्था के प्रमुख प्रवर्तकों, पदाधिकारियों एवं सदस्यों को कारण बताओं सूचना पत्र की विषय वस्तु स्वीकार है और उन्हें कारण बताओं सूचना पत्र के उल्लेखित विषय वस्तु के संबंध में कुछ नहीं कहना है। इस आधार पर संस्था का रजिस्ट्रीकरण समाप्त किया जाना विधि अनुकूल है।

अतः मैं संजय दलेला संयुक्त रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटीज भोपाल संभाग भोपाल म.प्र. सह.सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 18 ए/क के अन्तर्गत रजिस्ट्रार की शक्तियां जो मुझे म.प्र. शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-2-2010 फन्ड-1-8 दिनांक 23.10.2010 के द्वारा प्रदत्त है का प्रयोग करते हुये राजधानी ट्रान्सपोर्ट सह.संस्था मर्या. पंजीयन क्र. 1020 दिनांक 31.01.2017 का पंजीयन निरस्त करता हूँ तथा अधिनियम की धारा 18 ए/क(2) के अन्तर्गत श्री डी.के. गुप्ता उपअंकेक्षक कार्यालय उप/सहायक पंजीयक सहकारी संस्थाएँ जिला भोपाल को शासकीय समुनदेशिती नियुक्त करता हूँ तथा आदेशित करता हूँ कि शासकीय समुनदेशिती उक्त संस्था का प्रभार प्राप्त कर म.प्र.सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 के प्रावधानों के अन्तर्गत संस्था की समस्त परिसम्पत्तियों एवं दायित्वों का निष्करण एवं वर्ष की समयावधि में पूर्ण कर प्रतिवेदन इस कार्यालय में प्रस्तुत करें।

यह आदेश आज दिनांक 30/3/22 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया।

(G-925)

क्रमांक-परि-2022-473.

कार्यालय सहायक पंजीयक (अंकेषक) सहकारी संस्थाएँ जिला भोपाल के द्वारा निवेश साख सह.संस्था मर्वा. पंजीयन क्र. 1113 दिनांक 24.02.2016 का वर्ष 2020-21 हेतु श्रीमती मीरा देवी को अंकेषक नियुक्त किया गया। अंकेषक द्वारा उक्त संस्था का अंकेक्षण पूर्ण नहीं किये जाने के संबंध में अवगत कराया गया कि संस्था उपविधि अनुसार दर्शित पते पर उपलब्ध नहीं है। इस संबंध में संस्था द्वारा रजिस्टर्ड पते पर न होने के संबंध में पंचनामा संलग्न किया है। संस्था अपने उद्देश्यों की पूर्ति में निरंतर असफल रही है। सहायक पंजीयक (अंके.) सहकारी संस्थाएँ जिला भोपाल के द्वारा संस्था के विरुद्ध म0प्र0 सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 18 (क) के अंतर्गत कार्यवाही हेतु प्रस्ताव दिनांक 14.03.2022 को प्रस्तुत किया गया।

निवेश साख सह.संस्था मर्वा. पंजीयन क्र. 1113 दिनांक 24.02.2016 (जिसे आगे संक्षेप में केवल "संस्था" कहा गया) है को म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 18 (क) के अंतर्गत कार्यालयीन पत्र क./परि./2022/403 दिनांक 17.03.2022 से कारण बताओं सूचना पत्र जारी कर स्थानीय दैनिक समाचार पत्र पत्रिका एवं दैनिक जागरण में दिनांक 18.03.2022 को प्रकाशित करवाया जाकर 10 दिवस की समयावधि में प्रति उत्तर चाहा गया था एवं व्यक्तिगत रूप से पक्ष प्रस्तुत करने हेतु दिनांक 28.03.2022 की तिथि नियत की गई थी।

उक्तानुसार नियत तिथि तक संस्था द्वारा कोई प्रति उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया और न ही व्यक्तिगत सुनवाई हेतु नियत तिथि पर कोई उपस्थित हुआ। अतः यह विश्वास करने का पर्याप्त आधार है कि संस्था के प्रमुख प्रबंधकों, पदाधिकारियों एवं सदस्यों को कारण बताओं सूचना पत्र की विषय वस्तु स्वीकार है और उन्हें कारण बताओं सूचना पत्र के उल्लेखित विषय वस्तु के संबंध में कुछ नहीं कहना है। इस आधार पर संस्था का रजिस्ट्रीकरण समाप्त किया जाना विधि अनुकूल है।

अतः मैं संजय दलेला संयुक्त रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटीज भोपाल संभाग भोपाल म.प्र. सह.सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 18 ए/क के अंतर्गत रजिस्ट्रार की शक्तियां जो मुझे म.प्र. शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-2-2010 पन्द्रह-1-8 दिनांक 23.10.2010 के द्वारा प्रदत्त है का प्रयोग करते हुये निवेश साख सह.संस्था मर्वा. पंजीयन क्र. 1113 दिनांक 24.02.2016 का पंजीयन निरस्त करता हूँ तथा अधिनियम की धारा 18 ए/क(2) के अंतर्गत श्रीमती मीरा देवी उपअंकेषक कार्यालय उप/सहायक पंजीयक सहकारी संस्थाएँ जिला भोपाल को शासकीय समुनदेशिती नियुक्त करता हूँ तथा आदेशित करता हूँ कि शासकीय समुनदेशिती उक्त संस्था का प्रभार प्राप्त कर म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 के प्रावधानों के अंतर्गत संस्था की समस्त परिसम्पत्तियों एवं दायित्वों का निराकरण एवं वर्ष को समयावधि में पूर्ण कर प्रतिवेदन इस कार्यालय में प्रस्तुत करें।

यह आदेश आज दिनांक 30/3/22 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया।

(G-926)

क्रमांक-परि-2022-474.

कार्यालय सहायक पंजीयक (अंकेक्षक) सहकारी संस्थाएँ जिला भोपाल के द्वारा प्रगतिशील हरिजन बेंतवास वस्तु निर्माण पंजीयन क्र 231 दिनांक 03.07.1985 का वर्ष 2020-21 हेतु श्री विनोद बांगरे को अंकेक्षक नियुक्त किया गया। अंकेक्षक द्वारा उक्त संस्था का अंकेक्षण पूर्ण नहीं किये जाने के संबंध में अवगत कराया गया कि संस्था उपविधि अनुसार दर्शित पते पर उपलब्ध नहीं है। इस संबंध में संस्था द्वारा रजिस्टर्ड पते पर न होने के संबंध में पंचनामा संलग्न किया है। संस्था अपने उद्देश्यों की पूर्ति में निरंतर असफल रही है। सहायक पंजीयक (अंके.) सहकारी संस्थाएँ जिला भोपाल के द्वारा संस्था के विरुद्ध म0प्र0 सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 18 (क) के अंतर्गत कार्यवाही हेतु प्रस्ताव दिनांक 14.03.2022 को प्रस्तुत किया गया।

प्रगतिशील हरिजन बेंतवास वस्तु निर्माण पंजीयन क्र 231 दिनांक 03.07.1985 (जिसे आगे संक्षेप में केवल "संस्था" कहा गया) है को म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 18 (क) के अंतर्गत कार्यालयीन पत्र क्र. /परि./2022/334 दिनांक 17.03.2022 से कारण बताओं सूचना पत्र जारी कर स्थानीय दैनिक समाचार पत्र पत्रिका एवं दैनिक जागरण में दिनांक 18.03.2022 को प्रकाशित करवाया जाकर 10 दिवस की समयावधि में प्रति उत्तर चाहा गया था एवं व्यक्तिगत रूप से पक्ष प्रस्तुत करने हेतु दिनांक 28.03.2022 की तिथि नियत की गई थी।

उक्तानुसार नियत तिथि तक संस्था द्वारा कोई प्रति उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया और न ही व्यक्तिगत सुनवाई हेतु नियत तिथि पर कोई उपस्थित हुआ। अतः यह विश्वास करने का पर्याप्त आधार है कि संस्था के प्रमुख प्रबंधकों, पदाधिकारियों एवं सदस्यों को कारण बताओं सूचना पत्र की विषय वस्तु स्वीकार है और उन्हें कारण बताओं सूचना पत्र के उल्लेखित विषय वस्तु के संबंध में कुछ नहीं कहना है। इस आधार पर संस्था का रजिस्ट्रीकरण समाप्त किया जाना विधि अनुकूल है।

अतः मैं संजय दलेला संयुक्त रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटीज भोपाल संभाग भोपाल म.प्र. सहसोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 18 ए/क के अंतर्गत रजिस्ट्रार की शक्तियां जो मुझे म.प्र. शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-2-2010 पन्द्रह-1-8 दिनांक 23.10.2010 के द्वारा प्रदत्त है का प्रयोग करते हुये प्रगतिशील हरिजन बेंतवास वस्तु निर्माण पंजीयन क्र 231 दिनांक 03.07.1985 का पंजीयन निरस्त करता हूँ तथा अधिनियम की धारा 18 ए/क(2) के अंतर्गत श्री विनोद बांगरे वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक कार्यालय उप/सहायक पंजीयक सहकारी संस्थाएँ जिला भोपाल को शासकीय समुनदेशिती नियुक्त करता हूँ तथा आदेशित करता हूँ कि शासकीय समुनदेशिती उक्त संस्था का प्रचार प्रसार कर म.प्र.सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 के प्रावधानों के अंतर्गत संस्था की समस्त परिसम्पत्तियों एवं दायित्वों का निरीक्षण एक वर्ष की समयावधि में पूर्ण कर प्रतिवेदन इस कार्यालय में प्रस्तुत करें।

यह आदेश आज दिनांक 30/3/22 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया।

(G-927)

क्रमांक-परि-2022-475.

कार्यालय सहायक पंजीयक (अंकेक्षक) सहकारी संस्थाएँ जिला भोपाल के द्वारा तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था बड़झिरी पंजीयन क्र. 266 दिनांक 21.11.2006 का वर्ष 2020-21 हेतु श्री अनिल कु. रावत को अंकेक्षक नियुक्त किया गया। अंकेक्षक द्वारा उक्त संस्था का अंकेक्षण पूर्ण नहीं किये जाने के संबंध में अवगत कराया गया कि संस्था उपविधि अनुसार दर्शित पते पर उपलब्ध नहीं है। इस संबंध में संस्था द्वारा रजिस्टर्ड पते पर न होने के संबंध में पंचनामा संलग्न किया है। संस्था अपने उद्देश्यों की पूर्ति में निरंतर असफल रही है। सहायक पंजीयक (अंके.) सहकारी संस्थाएँ जिला भोपाल के द्वारा संस्था के विरुद्ध मप्र 0 सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 18 (क) के अंतर्गत कार्यवाही हेतु प्रस्ताव दिनांक 14.03.2022 को प्रस्तुत किया गया।

तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था बड़झिरी पंजीयन क्र. 266 दिनांक 21.11.2006 (जिसे आगे संक्षेप में केवल "संस्था" कहा गया) है को म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 18 (क) के अन्तर्गत कार्यालयीन पत्र क्र. /परि./2022/338 दिनांक 17.03.2022 से कारण बताओं सूचना पत्र जारी कर स्थानीय दैनिक समाचार पत्र पत्रिका एवं दैनिक जागरण में दिनांक 18.03.2022 को प्रकाशित करवाया जाकर 10 दिवस की समयावधि में प्रति उत्तर चाहा गया था। एवं व्यक्तिगत रूप से पक्ष प्रस्तुत करने हेतु दिनांक 28.03.2022 की तिथि नियत की गई थी।

उक्तानुसार नियत तिथि तक संस्था द्वारा कोई प्रति उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया और न ही व्यक्तिगत सुनवाई हेतु नियत तिथि पर कोई उपस्थित हुआ। अतः यह विश्वास करने का पर्याप्त आधार है कि संस्था के प्रमुख प्रबंधक, पदाधिकारियों एवं सदस्यों को कारण बताओं सूचना पत्र की विषय वस्तु स्वीकार है और उन्हें कारण बताओं सूचना पत्र के उल्लेखित विषय वस्तु के संबंध में कुछ नहीं कहना है। इस आधार पर संस्था का रजिस्ट्रीकरण समाप्त किया जाना विधि अनुकूल है।

अतः मैं संजय दलेला संयुक्त रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटीज भोपाल संभाग भोपाल म.प्र. सह.सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 18 ए/क के अन्तर्गत रजिस्ट्रार की शक्तियां जो मुझे म.प्र. शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-2-2010 पन्नाह-1-8 दिनांक 23.10.2010 के द्वारा प्रदत्त है का प्रयोग करते हुये तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था बड़झिरी पंजीयन क्र. 266 दिनांक 21.11.2006 का पंजीयन निरस्त करता हूँ तथा अधिनियम की धारा 18 ए/क(2) के अन्तर्गत श्री अनिल रावत वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक कार्यालय उप/सहायक पंजीयक सहकारी संस्थाएँ जिला भोपाल को शासकीय समुनदेशिती नियुक्त करता हूँ तथा आदेशित करता हूँ कि शासकीय समुनदेशिती उक्त संस्था का प्रसार प्राप्त कर म.प्र.सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 के प्रावधानों के अन्तर्गत संस्था की समस्त परिसम्पत्तियों एवं दस्तावेजों के निराकरण एक वर्ष की समयावधि में पूर्ण कर प्रतिवेदन इस कार्यालय में प्रस्तुत करें।

यह आदेश आज दिनांक 30/3/22 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया।

(G-928)

क्रमांक-परि-2022-476.

कार्यालय सहायक पंजीयक (अंकेक्षक) सहकारी संस्थाएँ जिला भोपाल के द्वारा राजधानी पर्यटन विकास सहकारी संस्था पंजीयन क्र. 1331 दिनांक 31.01.2017 का वर्ष 2020-21 हेतु श्री शितांशु धुर्वे को अंकेक्षक नियुक्त किया गया। अंकेक्षक द्वारा उक्त संस्था का अंकेक्षण पूर्ण नहीं किये जाने के संबंध में अवगत कराया गया कि संस्था उपविधि अनुसार दर्शित पते पर उपलब्ध नहीं है। इस संबंध में संस्था द्वारा रजिस्टर्ड पते पर न होने के संबंध में पंचनामा संलग्न किया है। संस्था अपने उद्देश्यों की पूर्ति में निरंतर असफल रही है। सहायक पंजीयक (अंके.) सहकारी संस्थाएँ जिला भोपाल के द्वारा संस्था के विरुद्ध म0प्र0 सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 18 (क) के अंतर्गत कार्यवाही हेतु प्रस्ताव दिनांक 14.03.2022 को प्रस्तुत किया गया।

राजधानी पर्यटन विकास सहकारी संस्था पंजीयन क्र. 1331 दिनांक 31.01.2017 (जिसे आगे संक्षेप में केवल "संस्था" कहा गया) है को म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 18 (क) के अन्तर्गत कार्यालयीन पत्र क. /परि./2022/339 दिनांक 17.03.2022 से कारण बताओं सूचना पत्र जारी कर स्थानीय दैनिक समाचार पत्र पत्रिका एवं दैनिक जागरण में दिनांक 18.03.2022 को प्रकाशित करवाया जाकर 10 दिवस की समयावधि में प्रति उत्तर चाहा गया था, एवं व्यक्तिगत रूप से पक्ष प्रस्तुत करने हेतु दिनांक 28.03.2022 की तिथि नियत की गई थी।

उक्तानुसार नियत तिथि तक संस्था द्वारा कोई प्रति उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया और न ही व्यक्तिगत सुनवाई हेतु नियत तिथि पर कोई उपस्थित हुआ। अतः यह विश्वास करने का पर्याप्त आधार है कि संस्था के प्रमुख प्रवर्तकों, पदाधिकारियों एवं सदस्यों को कारण बताओं सूचना पत्र की विषय वस्तु स्वीकार है और उन्हें कारण बताओं सूचना पत्र के उल्लेखित विषय वस्तु के संबंध में कुछ नहीं कहना है। इस आधार पर संस्था का रजिस्ट्रीकरण समाप्त किया जाना विधि अनुकूल है।

अतः मैं संजय दलेला संयुक्त रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटीज भोपाल संभाग भोपाल म.प्र. सह.सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 18 ए/क के अन्तर्गत रजिस्ट्रार की शक्तियां जो मुझे म.प्र. शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-2-2010 पन्नाह-1-8 दिनांक 23.10.2010 के द्वारा प्रदत्त है का प्रयोग करते हुये राजधानी पर्यटन विकास सहकारी संस्था पंजीयन क्र. 1331 दिनांक 31.01.2017 का पंजीयन निरस्त करता हूँ तथा अधिनियम की धारा 18 ए/क(2) के अन्तर्गत श्री शितांशु धुर्वे सहकारी निरीक्षक कार्यालय उप/सहायक पंजीयक सहकारी संस्थाएँ जिला भोपाल को शासकीय समुनदेशिती नियुक्त करता हूँ तथा आदेशित करता हूँ कि शासकीय समुनदेशिती उक्त संस्था का प्रभार प्राप्त कर म.प्र.सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 के प्रावधानों के अन्तर्गत संस्था की समस्त परिसम्पत्तियों एवं दायित्वों का निराकरण एवं वर्ष की समयावधि में पूर्ण कर प्रतिवेदन इस कार्यालय में प्रस्तुत करें।

यह आदेश आज दिनांक 30/3/22 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया।

(G-929)

क्रमांक-परि-2022-477.

कार्यालय सहायक पंजीयक (अंकेक्षक) सहकारी संस्थाएँ जिला भोपाल के द्वारा दुग्ध उत्पादक जमोनियाकलां सह. संस्था मर्या. पंजीयन क्र. 1180 दिनांक 09.08.2014 का वर्ष 2020-21 हेतु श्रीमती अखिलेश नैन को अंकेक्षक नियुक्त किया गया। अंकेक्षक द्वारा उक्त संस्था का अंकेक्षण पूर्ण नहीं किये जाने के संबंध में अवगत कराया गया कि संस्था उपविधि अनुसार दर्शित पते पर उपलब्ध नहीं है। इस संबंध में संस्था द्वारा रजिस्टर्ड पते पर न होने के संबंध में पंचनामा संलग्न किया है। संस्था अपने उद्देश्यों की पूर्ति में निरंतर असफल रही है। सहायक पंजीयक (अंके.) सहकारी संस्थाएँ जिला भोपाल के द्वारा संस्था के विरुद्ध MOPRO सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 18 (क) के अंतर्गत कार्यवाही हेतु प्रस्ताव दिनांक 14.03.2022 को प्रस्तुत किया गया।

दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या. जमोनियाकलां भोपाल जिसका पंजीयन क्रमांक 1180 दिनांक 09.08.2014 (जिसे आगे संक्षेप में केवल "संस्था" कहा गया) है को म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 18 (क) के अंतर्गत कार्यालयीन पत्र क./परि./2022/396 दिनांक 17.03.2022 से कारण बताओं सूचना पत्र जारी कर स्थानीय दैनिक समाचार पत्र पत्रिका एवं दैनिक जागरण में दिनांक 18.03.2022 को प्रकाशित करवाया जाकर 10 दिवस की समयावधि में प्रति उत्तर चाहा गया था एवं व्यक्तिगत रूप से पक्ष प्रस्तुत करने हेतु दिनांक 28.03.2022 की तिथि नियत की गई थी।

उक्तानुसार नियत तिथि तक संस्था द्वारा कोई प्रति उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया और न ही व्यक्तिगत सुनवाई हेतु नियत तिथि पर कोई उपस्थित हुआ। अतः यह विश्वास करने का पर्याप्त आधार है कि संस्था के प्रमुख प्रवर्तकों, पदाधिकारियों एवं सदस्यों को कारण बताओं सूचना पत्र की विषय वस्तु स्वीकार है और उन्हें कारण बताओं सूचना पत्र के उल्लेखित विषय वस्तु के संबंध में कुछ नहीं कहना है। इस आधार पर संस्था का रजिस्ट्रीकरण समाप्त किया जाना विधि अनुकूल है। . . .

अतः मैं संजय दलेला संयुक्त रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटीज भोपाल संभाग भोपाल म.प्र. सह.सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 18 ए/क के अंतर्गत रजिस्ट्रार की शक्तियां जो मुझे म.प्र.शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-2-2010 पन्नाह -1-8 दिनांक 23.10.2010 के द्वारा प्रदत्त है का प्रयोग करते हुये दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या. जमोनियाकलां भोपाल जिसका पंजीयन क्रमांक 1180 दिनांक 09.08.2014 का पंजीयन निरस्त करता हूँ तथा अधिनियम की धारा 18 ए/क(2) के अंतर्गत श्रीमती अखिलेश नैन, सहकारी निरीक्षक कार्यालय उप/सहायक पंजीयक सहकारी संस्थाएँ जिला भोपाल को शासकीय समुनदेशिती नियुक्त करता हूँ तथा आदेशित करता हूँ कि शासकीय समुनदेशिती उक्त संस्था का प्रभार प्राप्त कर म.प्र.सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 के प्रावधानों के अंतर्गत संस्था की समस्त वित्तीय एवं दायित्वों का निराकरण एक वर्ष की समयावधि में पूर्ण कर प्रतिवेदन इस कार्यालय में प्रस्तुत करें।

इस आदेश आज दिनांक 30/3/22 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया।

(G-930)

क्रमांक-परि-2022-478.

कार्यालय सहायक पंजीयक (अंकेक्षक) सहकारी संस्थाएँ जिला भोपाल के द्वारा दुग्ध उत्पादक गरोठिया दांगी सह. संस्था भर्मा, पंजीयन क्र. 80 दिनांक 05.08.1978 का वर्ष 2020-21 हेतु श्री मुकुन्द मैसारे को अंकेक्षक नियुक्त किया गया। अंकेक्षक द्वारा उक्त संस्था का अंकेक्षण पूर्ण नहीं किये जाने के संबंध में अवगत कराया गया कि संस्था उपविधि अनुसार दर्शित पते पर उपलब्ध नहीं है। इस संबंध में संस्था द्वारा रजिस्टर्ड पते पर न होने के संबंध में पंचनामा संलग्न किया है। संस्था अपने उद्देश्यों की पूर्ति में निरंतर असफल रही है। सहायक पंजीयक (अंके.) सहकारी संस्थाएँ जिला भोपाल के द्वारा संस्था के विरुद्ध मोप्रो सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 18 (क) के अंतर्गत कार्यवाही हेतु प्रस्ताव दिनांक 14.03.2022 को प्रस्तुत किया गया।

दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था भर्मा, गरोठिया दांगी भोपाल जिसका पंजीयन क्रमांक 80 दिनांक 05.08.1978 (जिसे आगे संक्षेप में केवल "संस्था" कहा गया) है को म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 18 (क) के अंतर्गत कार्यालयीन पत्र क./परि./2022/401 दिनांक 17.03.2022 से कारण बताओ सूचना पत्र जारी कर स्थानीय दैनिक समाचार पत्र पत्रिका एवं दैनिक जागरण में दिनांक 18.03.2022 को प्रकाशित करवाया जाकर 10 दिवस की समयावधि में प्रति उत्तर चाहा गया था एवं व्यक्तिगत रूप से पक्ष प्रस्तुत करने हेतु दिनांक 28.03.2022 की तिथि नियत की गई थी।

उक्तानुसार नियत तिथि तक संस्था द्वारा कोई प्रति उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया और न ही व्यक्तिगत सुनवाई हेतु नियत तिथि पर कोई उपस्थित हुआ। अतः यह विश्वास करने का पर्याप्त आधार है कि संस्था के प्रमुख प्रबंधकों, पदाधिकारियों एवं सदस्यों को कारण बताओ सूचना पत्र की विषय वस्तु स्वीकार है और उन्हें कारण बताओ सूचना पत्र के उल्लेखित विषय वस्तु के संबंध में कुछ नहीं कहना है। इस आधार पर संस्था का रजिस्ट्रीकरण समाप्त किया जाना विधि अनुकूल है।

अतः मैं संजय दलेला संयुक्त रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटीज भोपाल संभाग भोपाल म.प्र. सह.सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 18 ए/क के अंतर्गत रजिस्ट्रार की शक्तियां जो मुझे म.प्र.शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-2-2010 पन्नाह -1-8 दिनांक 23.10.2010 के द्वारा प्रदत्त है का प्रयोग करते हुये दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था भर्मा, गरोठिया दांगी भोपाल जिसका पंजीयन क्रमांक 80 दिनांक 05.08.1978 का पंजीयन निरस्त करता हूँ तथा अधिनियम की धारा 18 ए/क(2) के अंतर्गत श्री मुकुंदराव मैसारे, उप अंकेक्षक कार्यालय उप/सहायक पंजीयक सहकारी संस्थाएँ जिला भोपाल को शासकीय समुनदेशिती नियुक्त करता हूँ तथा आदेशित करता हूँ कि शासकीय समुनदेशिती उक्त संस्था का प्रभार प्राप्त कर म.प्र.सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 के प्रावधानों के अंतर्गत संस्था की परिसम्पत्तियों एवं दायित्वों का निराकरण एक वर्ष की समयावधि में पूर्ण कर प्रतिवेदन इस कार्यालय में प्रस्तुत करें।

यह आदेश आज दिनांक 30/3/22 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया।

(G-931)

क्रमांक-परि-2022-479.

कार्यालय सहायक पंजीयक (अंकेक्षक) सहकारी संस्थाएँ जिला भोपाल के द्वारा दुग्ध उत्पादक गुनगा सह.संस्था मर्या. पंजीयन क्र. 123 दिनांक 20.03.1981 का वर्ष 2020-21 हेतु श्री बी.एल. छाबड़ा को अंकेक्षक नियुक्त किया गया। अंकेक्षक द्वारा उक्त संस्था का अंकेक्षण पूर्ण नहीं किये जाने के संबंध में अवगत कराया गया कि संस्था उपविधि अनुसार दर्शित पते पर उपलब्ध नहीं है। इस संबंध में संस्था द्वारा रजिस्टर्ड पते पर न होने के संबंध में पंचनामा संलग्न किया है। संस्था अपने उद्देश्यों की पूर्ति में निरंतर असफल रही है। सहायक पंजीयक (अंके.) सहकारी संस्थाएँ जिला भोपाल के द्वारा संस्था के विरुद्ध माप्रो सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 18 (क) के अंतर्गत कार्यवाही हेतु प्रस्ताव दिनांक 14.03.2022 को प्रस्तुत किया गया।

दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या. गुनगा भोपाल जिसका पंजीयन क्रमांक 123 दिनांक 20.03.1981 (जिसे आगे संक्षेप में केवल "संस्था" कहा गया) है को म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 18 (क) के अंतर्गत कार्यालयीन पत्र क./परि./2022/352 दिनांक 17.03.2022 से कारण बताओं सूचना पत्र जारी कर स्थानीय दैनिक समाचार पत्र, पत्रिका एवं दैनिक जागरण में दिनांक 18.03.2022 को प्रकाशित करवाया जाकर 10 दिवस की समयावधि में प्रति उत्तर चाहा गया था एवं व्यक्तिगत रूप से पक्ष प्रस्तुत करने हेतु दिनांक 28.03.2022 की तिथि नियत की गई थी।

उक्तानुसार नियत तिथि तक संस्था द्वारा कोई प्रति उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया और न ही व्यक्तिगत सुनवाई हेतु नियत तिथि पर कोई उपस्थित हुआ। अतः यह विश्वास करने का पर्याप्त आधार है कि संस्था के प्रमुख प्रबंधकों, पदाधिकारियों एवं सदस्यों को कारण बताओं सूचना पत्र की विषय वस्तु स्वीकार है और उन्हें कारण बताओं सूचना पत्र के उल्लेखित विषय वस्तु के संबंध में कुछ नहीं कहना है। इस आधार पर संस्था का रजिस्ट्रीकरण समाप्त किया जाना विधि अनुकूल है।

अतः मैं संजय दलेला संयुक्त रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटीज भोपाल संभाग भोपाल म.प्र. सह.सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 18 ए/क के अंतर्गत रजिस्ट्रार की शक्तियां जो मुझे म.प्र.शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-2-2010 पन्नाह -1-8 दिनांक 23.10.2010 के द्वारा प्रदत्त है का प्रयोग करते हुये दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या. गुनगा भोपाल जिसका पंजीयन क्रमांक 123 दिनांक 20.03.1981 का पंजीयन निरस्त करता हूँ तथा अधिनियम की धारा 18 ए/क(2) के अंतर्गत श्री बी.एल.छाबड़ा, सहकारी निरीक्षक कार्यालय उप/सहायक पंजीयक सहकारी संस्थाएँ जिला भोपाल को शासकीय समुनदेशिती नियुक्त करता हूँ तथा आदेशित करता हूँ कि शासकीय समुनदेशिती उक्त संस्था का प्रभार प्राप्त कर म.प्र.सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 के प्रावधानों के अंतर्गत संस्था की समस्त परिसम्पत्तियों का निराकरण एक वर्ष की समयावधि में पूर्ण कर प्रतिवेदन इस कार्यालय में प्रस्तुत करें।

यह आदेश आज दिनांक 30/3/22 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया।

(G-932)

क्रमांक-परि-2022-480.

कार्यालय सहायक पंजीयक (अंकेक्षक) सहकारी संस्थाएँ जिला भोपाल के द्वारा पॉलीथिन बैग उत्पादक सह.संस्था पंजीयन क्र. 705 दिनांक 17.06.1996 का वर्ष 2020-21 हेतु श्रीमती रश्मि चंदानी को अंकेक्षक नियुक्त किया गया। अंकेक्षक द्वारा उक्त संस्था का अंकेक्षण पूर्ण नहीं किये जाने के संबंध में अवगत कराया गया कि संस्था उपविधि अनुसार दर्शित पते पर उपलब्ध नहीं है। इस संबंध में संस्था द्वारा रजिस्टर्ड पते पर न होने के संबंध में पंचनामा संलग्न किया है। संस्था अपने उद्देश्यों की पूर्ति में निरंतर असाफल रही है। सहायक पंजीयक (अंके.) सहकारी संस्थाएँ जिला भोपाल के द्वारा संस्था के विरुद्ध म०प्र० सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 18 (क) के अंतर्गत कार्यवाही हेतु प्रस्ताव दिनांक 14.03.2022 को प्रस्तुत किया गया।

पॉलीथिन बैग उत्पादक सहकारी संस्था मर्या. भोपाल जिसका पंजीयन क्रमांक 705 दिनांक 17.06.1996 (जिसे आगे संक्षेप में केवल "संस्था" कहा गया) है को म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 18 (क) के अन्तर्गत कार्यालयीन पत्र क्र./परि./2022/343 दिनांक 17.03.2022 से कारण बताओं सूचना पत्र जारी कर स्थानीय दैनिक समाचार पत्र पत्रिका एवं दैनिक जागरण में दिनांक 18.03.2022 को प्रकाशित करवाया जाकर 10 दिवस की समयावधि में प्रति उत्तर चाहा गया था एवं व्यक्तिगत रूप से पक्ष प्रस्तुत करने हेतु दिनांक 28.03.2022 की तिथि नियत की गई थी।

उक्तानुसार नियत तिथि तक संस्था द्वारा कोई प्रति उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया और न ही व्यक्तिगत सुनवाई हेतु नियत तिथि पर कोई उपस्थित हुआ। अतः यह विश्वास करने का पर्याप्त आधार है कि संस्था के प्रमुख प्रवर्तकों, पदाधिकारियों एवं सदस्यों को कारण बताओं सूचना पत्र की विषय वस्तु स्वीकार है और उन्हें कारण बताओं सूचना पत्र के उल्लेखित विषय वस्तु के संबंध में कुछ नहीं कहना है। इस आधार पर संस्था का रजिस्ट्रीकरण समाप्त किया जाना विधि अनुकूल है।

अतः मैं संजय दलेला संयुक्त रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटीज भोपाल संभाग भोपाल म.प्र. सह.सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 18 ए/क के अन्तर्गत रजिस्ट्रार की शक्तियां जो मुझे म.प्र.सासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-2-2010 पन्द्दह -1-8 दिनांक 23.10.2010 के द्वारा प्रदत्त है का प्रयोग करते हुये पॉलीथिन बैग उत्पादक सहकारी संस्था मर्या. भोपाल जिसका पंजीयन क्रमांक 705 दिनांक 17.06.1996 का पंजीयन निरस्त करता हूँ तथा अधिनियम की धारा 18 ए/क(2) के अन्तर्गत श्रीमती रश्मि चंदानी, सहकारी निरीक्षक कार्यालय उप/सहायक पंजीयक सहकारी संस्थाएँ जिला भोपाल को शासकीय समुनदेशिती नियुक्त करता हूँ तथा आदेशित करता हूँ कि शासकीय समुनदेशिती उक्त संस्था का प्रभार प्राप्त कर म.प्र.सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 के प्रावधानों के अन्तर्गत संस्था की ~~परिसम्पत्तियों एवं दायित्वों का निराकरण~~ एक वर्ष की समयावधि में पूर्ण कर प्रतिवेदन इस कार्यालय में प्रस्तुत करें।

यह आदेश आज दिनांक 30/3/22 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया।

(G-933)

क्रमांक-परि-2022-481.

कार्यालय सहायक पंजीयक (अंकेक्षक) सहकारी संस्थाएँ जिला भोपाल के द्वारा दुग्ध उत्पादक दौलतपुरा सह.संस्था मर्या. पंजीयन क्र. 1035 दिनांक 10.11.2013 का वर्ष 2020-21 हेतु श्रीमती रश्मि चंदानी को अंकेक्षक नियुक्त किया गया। अंकेक्षक द्वारा उक्त संस्था का अंकेक्षण पूर्ण नहीं किये जाने के संबंध में अवगत कराया गया कि संस्था उपविधि अनुसार दर्शित पते पर उपलब्ध नहीं है। इस संबंध में संस्था द्वारा रजिस्टर्ड पते पर न होने के संबंध में पंचनामा संलग्न किया है। संस्था अपने उद्देश्यों की पूर्ति में निरंतर असफल रही है। सहायक पंजीयक (अंके.) सहकारी संस्थाएँ जिला भोपाल के द्वारा संस्था के विरुद्ध म0प्र0 सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 18 (क) के अंतर्गत कार्यवाही हेतु प्रस्ताव दिनांक 14.03.2022 को प्रस्तुत किया गया।

दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या. दौलतपुरा भोपाल जिसका पंजीयन क्रमांक 1035 दिनांक 10.11.2013 (जिसे आगे संक्षेप में केवल "संस्था" कहा गया) है को म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 18 (क) के अन्तर्गत कार्यालयीन पत्र क./परि./2022/355 दिनांक 17.03.2022 से कारण बताओं सूचना पत्र जारी कर स्थानीय दैनिक समाचार पत्र पत्रिका एवं दैनिक जागरण में दिनांक 18.03.2022 को प्रकाशित करवाया जाकर 10 दिवस की समयावधि में प्रति उत्तर चाहा गया था एवं व्यक्तिगत रूप से पक्ष प्रस्तुत करने हेतु दिनांक 28.03.2022 की तिथि नियत की गई थी।

उक्तानुसार नियत तिथि तक संस्था द्वारा कोई प्रति उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया और न ही व्यक्तिगत सुनवाई हेतु नियत तिथि पर कोई उपस्थित हुआ। अतः यह विश्वास करने का पर्याप्त आधार है कि संस्था के प्रमुख प्रबंधकों, पदाधिकारियों एवं सदस्यों को कारण बताओं सूचना पत्र की विषय वस्तु स्वीकार है और उन्हें कारण बताओं सूचना पत्र के उल्लेखित विषय वस्तु के संबंध में कुछ नहीं कहना है। इस आधार पर संस्था का रजिस्ट्रीकरण समाप्त किया जाना विधि अनुकूल है।

अतः मैं संजय दलेला संयुक्त रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटीज भोपाल संभाग भोपाल म.प्र. सह.सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 18 ए/क के अन्तर्गत रजिस्ट्रार की शक्तियां जो मुझे म.प्र.शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-2-2010 पन्ना 1-8 दिनांक 23.10.2010 के द्वारा प्रदत्त है का प्रयोग करते हुये दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या. दौलतपुरा भोपाल जिसका पंजीयन क्रमांक 1035 दिनांक 10.11.2013 का पंजीयन निरस्त करता हूँ तथा अधिनियम की धारा 18 ए/क(2) के अन्तर्गत श्रीमती रश्मि चंदानी, सहकारी निरीक्षक कार्यालय उप/सहायक पंजीयक सहकारी संस्थाएँ जिला भोपाल को शासकीय समुनदेशिती नियुक्त करता हूँ तथा आदेशित करता हूँ कि शासकीय समुनदेशिती उक्त संस्था का प्रभार प्राप्त कर म.प्र.सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 के प्रावधानों के अन्तर्गत संस्था की वित्तीय परिसम्पत्तियों एवं दायित्वों का निराकरण एक वर्ष की समयावधि में पूर्ण कर प्रतिवेदन इस कार्यालय में प्रस्तुत करें।

यह आदेश आज दिनांक 30/3/22 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया।

(G-934)

क्रमांक-परि-2022-482.

कार्यालय सहायक पंजीयक (अंकेक्षक) सहकारी संस्थाएँ जिला भोपाल के द्वारा दुग्ध उत्पादक सिंधोडा सह.संस्था मर्या. पंजीयन क्र. 974 दिनांक 27.04.2010 का वर्ष 2020-21 हेतु श्रीमती अलका तिग्गा को अंकेक्षक नियुक्त किया गया। अंकेक्षक द्वारा उक्त संस्था का अंकेक्षण पूर्ण नहीं किये जाने के संबंध में अवगत कराया गया कि संस्था उपविधि अनुसार दर्शित पते पर उपलब्ध नहीं है। इस संबंध में संस्था द्वारा रजिस्टर्ड पते पर न होने के संबंध में पंचनामा संलग्न किया है। संस्था अपने उद्देश्यों की पूर्ति में निरंतर असफल रही है। सहायक पंजीयक (अंके.) सहकारी संस्थाएँ जिला भोपाल के द्वारा संस्था के विरुद्ध मोप्रो सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 18 (क) के अंतर्गत कार्यवाही हेतु प्रस्ताव दिनांक 14.03.2022 को प्रस्तुत किया गया।

दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या. सिंधोडा भोपाल जिसका पंजीयन क्रमांक 974 दिनांक 27.04.2010 (जिसे आगे संक्षेप में केवल "संस्था" कहा गया) है को म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 18 (क) के अन्तर्गत कार्यालयीन पत्र क./परि./2022/354 दिनांक 17.03.2022 से कारण बताओं सूचना पत्र जारी कर स्थानीय दैनिक समाचार पत्र पत्रिका एवं दैनिक जागरण में दिनांक 18.03.2022 को प्रकाशित करवाया जाकर 10 दिवस की समयावधि में प्रति उत्तर। चाहा गया था एवं व्यक्तिगत रूप से पक्ष प्रस्तुत करने हेतु दिनांक 28.03.2022 की तिथि नियत की गई थी।

उक्तानुसार नियत तिथि तक संस्था द्वारा कोई प्रति उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया और न ही व्यक्तिगत सुनवाई हेतु नियत तिथि पर कोई उपस्थित हुआ। अतः यह विश्वास करने का पर्याप्त आधार है कि संस्था के प्रमुख प्रवर्तकों, पदाधिकारियों एवं सदस्यों को कारण बताओं सूचना पत्र की विषय वस्तु स्वीकार है और उन्हें कारण बताओं सूचना पत्र के उल्लेखित विषय वस्तु के संबंध में कुछ नहीं कहना है। इस आधार पर संस्था का रजिस्ट्रीकरण समाप्त किया जाना विधि अनुकूल है।

अतः मैं संजय दलेला संयुक्त रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटीज भोपाल संगम भोपाल म.प्र. सह.सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 18 ए/क के अन्तर्गत रजिस्ट्रार की शक्तियां जो मुझे म.प्र.शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-2-2010 पन्नाह -1-8 दिनांक 23.10.2010 के द्वारा प्रदत्त है का प्रयोग करते हुये दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या. सिंधोडा भोपाल जिसका पंजीयन क्रमांक 974 दिनांक 27.04.2010 का पंजीयन निरस्त करता हूँ तथा अधिनियम की धारा 18 ए/क(2) के अन्तर्गत श्रीमती अलका तिग्गा, सहकारी निरीक्षक कार्यालय उप/सहायक पंजीयक सहकारी संस्थाएँ जिला भोपाल को शासकीय समुनदेशिती नियुक्त करता हूँ तथा आदेशित करता हूँ कि शासकीय समुनदेशिती उक्त संस्था का प्रभार प्राप्त कर म.प्र.सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 के प्रावधानों के अन्तर्गत संस्था की निरस्त परिसम्पत्तियों एवं दायित्वों का निराकरण एक वर्ष की समयावधि में पूर्ण कर प्रतिवेदन इस कार्यालय में प्रस्तुत करें।

यह आदेश आज दिनांक 30/3/22 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया।

(G-935)

क्रमांक-परि-2022-483.

कार्यालय सहायक पंजीयक (अंकेशक) सहकारी सरथाए जिला गोपाल के द्वारा दुग्ध उत्पादक ललरिया सह.संस्था मर्या. पंजीयन क्र. 1155 दिनांक 30.05.2018 का वर्ष 2020-21 हेतु श्री मनोज श्रीवास्तव को अंकेशक नियुक्त किया गया। अंकेशक द्वारा उक्त संस्था का अंकेशन पूर्ण नहीं किये जाने के संबंध में अवगत कराया गया कि संस्था उपविधि अनुसार दर्शित पते पर उपलब्ध नहीं है। इस संबंध में संस्था द्वारा रजिस्टर्ड पते पर न होने के संबंध में पंचनामा संलग्न किया है। संस्था अपने उद्देश्यों की पूर्ति में निरंतर असफल रही है। सहायक पंजीयक (अंक.) सहकारी संस्थाएँ जिला भोपाल के द्वारा संस्था के विरुद्ध मप्र सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 18 (क) के अंतर्गत कार्यवाही हेतु प्रस्ताव दिनांक 14.03.2022 को प्रस्तुत किया गया।

दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या. ललरिया भोपाल जिसका पंजीयन क्रमांक 1155 दिनांक 30.05.2018 (जिसे आगे संक्षेप में केवल "संस्था" कहा गया) है को म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 18 (क) के अंतर्गत कार्यालयीन पत्र क./परि./2022/353 दिनांक 17.03.2022 से कारण बताओं सूचना पत्र जारी कर स्थानीय दैनिक समाचार पत्र पत्रिका एवं दैनिक जागरण में दिनांक 18.03.2022 को प्रकाशित करवाया जाकर 10 दिवस की समयावधि में प्रति उत्तर चाहा गया था एवं व्यक्तिगत रूप से पक्ष प्रस्तुत करने हेतु दिनांक 28.03.2022 की तिथि नियत की गई थी।

उक्तानुसार नियत तिथि तक संस्था द्वारा कोई प्रति उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया और न ही व्यक्तिगत सुनवाई हेतु नियत तिथि पर कोई उपस्थित हुआ। अतः यह विश्वास करने का पर्याप्त आधार है कि संस्था के प्रमुख प्रवर्तकों, पदाधिकारियों एवं सदस्यों को कारण बताओं सूचना पत्र की विषय वस्तु स्वीकार है और उन्हें कारण बताओं सूचना पत्र के उल्लेखित विषय वस्तु के संबंध में कुछ नहीं कहना है। इस आधार पर संस्था का रजिस्ट्रीकरण समाप्त किया जाना विधि अनुकूल है।

अतः मैं संजय दलेला संयुक्त रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटीज भोपाल संभाग भोपाल म.प्र. सह.सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 18 ए/क के अंतर्गत रजिस्ट्रार की शक्तियां जो मुझे म.प्र.शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-2-2010 पन्नाह -1-8 दिनांक 23.10.2010 के द्वारा प्रदत्त है का प्रयोग करते हुये दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या. ललरिया भोपाल जिसका पंजीयन क्रमांक 1155 दिनांक 30.05.2018 का पंजीयन निरस्त करता हूँ तथा अधिनियम की धारा 18 ए/क(2) के अंतर्गत श्री मनोज कुमार श्रीवास्तव, सहकारी निरीक्षक कार्यालय उप/सहायक पंजीयक सहकारी संस्थाएँ जिला भोपाल को शासकीय समुनदेशिती नियुक्त करता हूँ तथा आदेशित करता हूँ कि शासकीय समुनदेशिती उक्त संस्था का प्रभार प्राप्त कर म.प्र.सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 के प्रावधानों के अंतर्गत संस्था की समस्त परिसंपत्तियों एवं दायित्वों का निराकरण एक वर्ष की समयावधि में पूर्ण कर प्रतिवेदन इस कार्यालय में प्रस्तुत करें।

यह आदेश आज दिनांक 20/5/22 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया।

(G-936)

क्रमांक-परि-2022-484.

कार्यालय सहायक पंजीयक (अंकेक्षक) सहकारी संस्थाएँ जिला भोपाल के द्वारा दुग्ध उत्पादक हरीपुर सह.संस्था मर्या. पंजीयन क्र. 1201 दिनांक 17.10.2014 का वर्ष 2020-21 हेतु श्री बी.एल. छाबड़ा को अंकेक्षक नियुक्त किया गया। अंकेक्षक द्वारा उक्त संस्था का अंकेक्षण पूर्ण नहीं किये जाने के संबंध में अवगत कराया गया कि संस्था उपविधि अनुसार दर्शित पते पर उपलब्ध नहीं है। इस संबंध में संस्था द्वारा रजिस्टर्ड पते पर न होने के संबंध में पंचनामा संलग्न किया है। संस्था अपने उद्देश्यों की पूर्ति में निरंतर असफल रही है। सहायक पंजीयक (अंके.) सहकारी संस्थाएँ जिला भोपाल के द्वारा संस्था के विरुद्ध मप्र सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 18 (क) के अंतर्गत कार्यवाही हेतु प्रस्ताव दिनांक 14.03.2022 को प्रस्तुत किया गया।

दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या. हरिपुर भोपाल जिसका पंजीयन क्रमांक 1201 दिनांक 17.10.2014 (जिसे आगे संक्षेप में केवल "संस्था" कहा गया) है को म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 18 (क) के अंतर्गत कार्यालयीन पत्र क./परि./2022/351 दिनांक 17.03.2022 से कारण बताओ सूचना पत्र जारी कर स्थानीय दैनिक समाचार पत्र पत्रिका एवं दैनिक जागरण में दिनांक 18.03.2022 को प्रकाशित करवाया जाकर 10 दिवस की समयवधि में प्रति उत्तर चाहा गया था एवं व्यक्तिगत रूप से पक्ष प्रस्तुत करने हेतु दिनांक 28.03.2022 की तिथि नियत की गई थी।

उक्तानुसार नियत तिथि तक संस्था द्वारा कोई प्रति उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया और न ही व्यक्तिगत सुनवाई हेतु नियत तिथि पर कोई उपस्थित हुआ। अतः यह विश्वास करने का पर्याप्त आधार है कि संस्था के प्रमुख प्रवर्तकों, पदाधिकारियों एवं सदस्यों को कारण बताओ सूचना पत्र की विषय वस्तु स्वीकार है और उन्हें कारण बताओ सूचना पत्र के उल्लेखित विषय वस्तु के संबंध में कुछ नहीं कहना है। इस आधार पर संस्था का रजिस्ट्रीकरण समाप्त किया जाना विधि अनुकूल है।

अतः मैं संजय दलेला संयुक्त रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटीज भोपाल संभाग भोपाल म.प्र. सह.सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 18 ए/क के अंतर्गत रजिस्ट्रार की शक्तियां जो मुझे म.प्र.शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-2-2010 पन्नाह -1-8 दिनांक 23.10.2010 के द्वारा प्रदत्त है का प्रयोग करते हुये दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या. हरिपुर भोपाल जिसका पंजीयन क्रमांक 1201 दिनांक 17.10.2014 का पंजीयन निरस्त करता हूँ तथा अधिनियम की धारा 18 ए/क(2) के अंतर्गत श्री बी.एल.छाबड़ा, सहकारी निरीक्षक कार्यालय उप/सहायक पंजीयक सहकारी संस्थाएँ जिला भोपाल को शासकीय समुनदेशिती नियुक्त करता हूँ तथा आदेशित करता हूँ कि शासकीय समुनदेशिती उक्त संस्था का प्रचार प्राप्त कर म.प्र.सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 के प्रावधानों के अंतर्गत संस्था की समस्त परिसम्पत्तियों एवं दायित्वों का निराकरण एक वर्ष की समयवधि में पूर्ण कर प्रतिवेदन इस कार्यालय में प्रस्तुत करें।

इह आदेश आज दिनांक 30/3/22 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया।

(G-937)

क्रमांक-परि-2022-485.

कार्यालय सहायक पंजीयक (अंकेक्षक) सहकारी संस्थाएँ जिला भोपाल के द्वारा दुग्ध उत्पादक पातलापानी सह.संस्था मर्या. पंजीयन क्र. 1207 दिनांक 20.10.2014 का वर्ष 2020-21 हेतु श्रीमती सोनाली चौधरी को अंकेक्षक नियुक्त किया गया। अंकेक्षक द्वारा उक्त संस्था का अंकेक्षण पूर्ण नहीं किये जाने के संबंध में अवगत कराया गया कि संस्था उपविधि अनुसार दर्शित पते पर उपलब्ध नहीं है। इस संबंध में संस्था द्वारा रजिस्टर्ड पते पर न होने के संबंध में पंचनामा संलग्न किया है। संस्था अपने उद्देश्यों की पूर्ति में निरंतर असफल रही है। सहायक पंजीयक (अंके.) सहकारी संस्थाएँ जिला भोपाल के द्वारा संस्था के विरुद्ध म0प्र0 सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 18 (क) के अंतर्गत कार्यवाही हेतु प्रस्ताव दिनांक 14.03.2022 को प्रस्तुत किया गया।

दुग्ध उत्पादक पातलापानी सह.संस्था मर्या. पंजीयन क्र. 1207 दिनांक 20.10.2014 (जिसे आगे संक्षेप में केवल "संस्था" कहा गया) है को म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 18 (क) के अन्तर्गत कार्यालयीन पत्र.क. /परि./2022/392 दिनांक 17.03.2022 से कारण बताओं सूचना पत्र जारी कर स्थानीय दैनिक समाचार पत्र पत्रिका एवं दैनिक जागरण में दिनांक 18.03.2022 को प्रकाशित करवाया जाकर 10 दिवस की समयावधि में प्रति उत्तर चाहा गया था एवं व्यक्तिगत रूप से पक्ष प्रस्तुत करने हेतु दिनांक 28.03.2022 की तिथी निर्यात की गई थी।

उक्तानुसार नियत तिथि तक संस्था द्वारा कोई प्रति उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया और न ही व्यक्तिगत सुनवाई हेतु नियत तिथि पर कोई उपस्थित हुआ। अतः यह विश्वास करने का पर्याप्त आधार है कि संस्था के प्रमुख प्रबंधकों, पदाधिकारियों एवं सदस्यों को कारण बताओं सूचना पत्र की विषय वस्तु स्वीकार है और उन्हें कारण बताओं सूचना पत्र के उल्लेखित विषय वस्तु के संबंध में कुछ नहीं कहना है। इस आधार पर संस्था का रजिस्ट्रीकरण समाप्त किया जाना विधि अनुकूल है।

अतः मैं संजय दलेला संयुक्त रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटीज भोपाल संभाग भोपाल म.प्र. सह.सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 18 ए/क के अन्तर्गत रजिस्ट्रार की शक्तियां जो मुझे म.प्र. शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-2-2010 पन्द्रह-1-8 दिनांक 23.10.2010 के द्वारा प्रदत्त है का प्रयोग करते हुये दुग्ध उत्पादक पातलापानी सह.संस्था मर्या. पंजीयन क्र. 1207 दिनांक 20.10.2014 का पंजीयन निरस्त करता हूँ तथा अधिनियम की धारा 18 ए/क(2) के अन्तर्गत श्रीमती सोनाली चौधरी उपअंकेक्षक कार्यालय उप/सहायक पंजीयक सहकारी संस्थाएँ जिला भोपाल को शासकीय समुनदेशिती नियुक्त करता हूँ तथा आदेशित करता हूँ कि शासकीय समुनदेशिती उक्त संस्था का प्रभार संभाले। म.प्र.सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 के प्रावधानों के अन्तर्गत संस्था की समस्त परिसम्पत्तियों एवं दायित्वों का निष्करण एक वर्ष की समयावधि में पूर्ण कर प्रतिवेदन इस कार्यालय में प्रस्तुत करें।

प्रह आदेश 30/3/22 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदगुद्रा से जारी किया गया।

(G-938)

क्रमांक-परि-2022-486.

कार्यालय सहायक पंजीयक (अंकेक्षक) सहकारी रांथामण्ड जिला गोपाल के द्वारा एकता काष्ठ औद्योगिक सह.संस्था मर्या. पंजीयन क्र. 141 दिनांक 21.08.1981 का वर्ष 2020-21 हेतु श्रीमती ज्योति थिंगले को अंकेक्षक नियुक्त किया गया। अंकेक्षक द्वारा उक्त संस्था का अंकेक्षण पूर्ण नहीं किये जाने के संबंध में अवगत कराया गया कि संस्था उपविधि अनुसार दर्शित पते पर उपलब्ध नहीं है। इस संबंध में संस्था द्वारा रजिस्टर्ड पते पर न होने के संबंध में पंघनामा संलग्न किया है। संस्था अपने उद्देश्यों की पूर्ति में निरंतर असफल रही है। सहायक पंजीयक (अंके.) सहकारी संस्थाएँ जिला गोपाल के द्वारा संस्था के विरुद्ध मप्र 0 राहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 18 (क) के अंतर्गत कार्यवाही हेतु प्रस्ताव दिनांक 14.03.2022 को प्रस्तुत किया गया।

एकता काष्ठ औद्योगिक सह.संस्था मर्या. पंजीयन क्र. 141 दिनांक 21.08.1981 (जिसे आगे संक्षेप में केवल "संस्था" कहा गया) है को म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 18 (क) के अंतर्गत कार्यालयीन पत्र क्र. /परि./2022/402 दिनांक 17.03.2022 से कारण बताओं सूचना पत्र जारी कर स्थानीय दैनिक समाचार पत्र पत्रिका एवं दैनिक जागरण में दिनांक 18.03.2022 को प्रकाशित करवाया जाकर 10 दिवस की समयावधि में प्रति उत्तर चाहा गया था एवं व्यक्तिगत रूप से पक्ष प्रस्तुत करने हेतु दिनांक 28.03.2022 की तिथि नियत की गई थी।

उक्तानुसार नियत तिथि तक संस्था द्वारा कोई प्रति उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया और न ही व्यक्तिगत सुनवाई हेतु नियत तिथि पर कोई उपस्थित हुआ। अतः यह विश्वास करने का पर्याप्त आधार है कि संस्था के प्रमुख प्रबंधकों, पदाधिकारियों एवं सदस्यों को कारण बताओं सूचना पत्र की विषय वस्तु स्वीकार है और उन्हें कारण बताओं सूचना पत्र के उल्लेखित विषय वस्तु के संबंध में कुछ नहीं कहना है। इस आधार पर संस्था का रजिस्ट्रीकरण समाप्त किया जाना विधि अनुकूल है।

अतः मैं संजय दलेला संयुक्त रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटीज गोपाल संभाग गोपाल म.प्र. सह.सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 18 ए/क के अंतर्गत रजिस्ट्रार की शक्तियां जो मुझे म.प्र. शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-2-2010 पन्ना-1-8 दिनांक 23.10.2010 के द्वारा प्रदत्त है का प्रयोग करते हुये एकता काष्ठ औद्योगिक सह.संस्था मर्या. पंजीयन क्र. 141 दिनांक 21.08.1981 का पंजीयन निरस्त करता हूँ तथा अधिनियम की धारा 18 ए/क(2) के अंतर्गत श्रीमती ज्योति थिंगले सहकारी निरीक्षक कार्यालय उप/सहायक पंजीयक सहकारी संस्थाएँ जिला गोपाल को शासकीय समुनदेशिती नियुक्त करता हूँ तथा आदेशित करता हूँ कि शासकीय समुनदेशिती उक्त संस्था का प्रभार प्राप्त कर म.प्र.सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 के प्रावधानों के अंतर्गत संस्था की समस्त परिसम्पत्तियों एवं दायित्वों का निरूपण एक वर्ष की समयावधि में पूर्ण कर प्रतिवेदन इस कार्यालय में प्रस्तुत करें।

यह आदेश ~~अन दिनांक~~ 30/3/22 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदगुदा से जारी किया गया।

(G-939)

क्रमांक-परि-2022-487.

कार्यालय सहायक पंजीयक (अंकेक्षक) सहकारी संस्थाएँ जिला भोपाल के द्वारा क्षमा महिला उपभोक्ता मंडार सह. संस्था पंजीयन क्र. 1099 दिनांक 24.07.2015 का वर्ष 2020-21 हेतु श्री आर.के. शर्मा को अंकेक्षक नियुक्त किया गया। अंकेक्षक द्वारा उक्त संस्था का अंकेक्षण पूर्ण नहीं किये जाने के संबंध में अवगत कराया गया कि संस्था उपविधि अनुसार दर्शित पते पर उपलब्ध नहीं है। इस संबंध में संस्था द्वारा रजिस्टर्ड पते पर न होने के संबंध में पंचनामा संलग्न किया है। संस्था अपने उद्देश्यों की पूर्ति में निरंतर असफल रही है। सहायक पंजीयक (अंके.) सहकारी संस्थाएँ जिला भोपाल के द्वारा संस्था के विरुद्ध म0प्र0 सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 18 (क) के अंतर्गत कार्यवाही हेतु प्रस्ताव दिनांक 14.03.2022 को प्रस्तुत किया गया।

क्षमा महिला उपभोक्ता मंडार सह.संस्था पंजीयन क्र. 1099 दिनांक 24.07.2015 (जिसे आगे संक्षेप में केवल "संस्था" कहा गया) है को म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 18 (क) के अन्तर्गत कार्यालयीन पत्र क्र. /परि./2022/344 दिनांक 17.03.2022 से कारण बताओं सूचना पत्र जारी कर स्थानीय दैनिक समाचार पत्र पत्रिका एवं दैनिक जागरण में दिनांक 18.03.2022 को प्रकाशित करवाया जाकर 10 दिवस की समयावधि में प्रति उत्तर चाहा गया था एवं व्यक्तिगत रूप से पक्ष प्रस्तुत करने हेतु दिनांक 28.03.2022 की तिथि नियत की गई थी।

उक्तानुसार नियत तिथि तक संस्था द्वारा कोई प्रति उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया और न ही व्यक्तिगत सुनवाई हेतु नियत तिथि पर कोई उपस्थित हुआ। अतः यह विश्वास करने का पर्याप्त आधार है कि संस्था के प्रमुख प्रवर्तकों, पदाधिकारियों एवं सदस्यों को कारण बताओं सूचना पत्र की विषय वस्तु स्वीकार है और उन्हें कारण बताओं सूचना पत्र के उल्लेखित विषय वस्तु के संबंध में कुछ नहीं कहना है। इस आधार पर संस्था का रजिस्ट्रीकरण समाप्त किया जाना सिद्ध अनुकूल है।

अतः मैं संजय दत्तेला संयुक्त रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटीज भोपाल संभाग भोपाल म.प्र. सह.सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 18 ए/क के अन्तर्गत रजिस्ट्रार की शक्तियां जो मुझे म.प्र. शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-6-2-2010 पन्नाह-1-8 दिनांक 23.10.2010 के द्वारा प्रदत्त है का प्रयोग करते हुये क्षमा महिला उपभोक्ता मंडार सह.संस्था पंजीयन क्र. 1099 दिनांक 24.07.2015 का पंजीयन निरस्त करता हूँ तथा अधिनियम की धारा 18 ए/क(2) के अन्तर्गत श्री आर.के. शर्मा सहकारी निरीक्षक कार्यालय उप/सहायक पंजीयक सहकारी संस्थाएँ जिला भोपाल को शासकीय समुनदेशिती नियुक्त करता हूँ तथा आदेशित करता हूँ कि शासकीय समुनदेशिती उक्त संस्था का प्रभार प्राप्त कर म.प्र.सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 के प्रावधानों के अन्तर्गत संस्था की सम्स्त परिसम्पत्तियों एवं दायित्वों का निगरान एक वर्ष की समयावधि में पूर्ण कर प्रतिवेदन इस कार्यालय में प्रस्तुत करें।

यह आदेश आज दिनांक 30/3/22 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया।

(G-940)

क्रमांक-परि-2022-488.

कार्यालय सहायक पंजीयक (अंकेक्षक) सहकारी संस्थाएँ जिला गोपाल के द्वारा धानी याबी बीज उत्पादक सह.संस्था पंजीयन क्र. 1236 दिनांक 29.10.2016 का वर्ष 2020-21 हेतु श्रीमती रीता मिश्र को अंकेक्षक नियुक्त किया गया। अंकेक्षक द्वारा उक्त संस्था का अंकेक्षण पूर्ण नहीं किये जाने के संबंध में अवगत कराया गया कि संस्था उपविधि अनुसार दर्शित पते पर उपलब्ध नहीं है। इस संबंध में संस्था द्वारा रजिस्टर्ड पते पर न होने के संबंध में पंचनामा संलग्न किया है। संस्था अपने उद्देश्यों की पूर्ति में निरंतर असफल रही है। सहायक पंजीयक (अंके.) सहकारी संस्थाएँ जिला गोपाल के द्वारा संस्था के विरुद्ध मोप्रो सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 18 (क) के अंतर्गत कार्यवाही हेतु प्रस्ताव दिनांक 14.03.2022 को प्रस्तुत किया गया।

धानी याबी बीज उत्पादक सह.संस्था पंजीयन क्र. 1236 दिनांक 29.10.2016 (जिसे आगे संक्षेप में केवल "संस्था" कहा गया) है को म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 18 (क) के अन्तर्गत कार्यालयीन पत्र क./परि./2022/345 दिनांक 17.03.2022 से कारण बताओं सूचना पत्र जारी कर स्थानीय दैनिक समाचार पत्र पत्रिका एवं दैनिक जागरण में दिनांक 18.03.2022 को प्रकाशित करवाया जाकर 10 दिवस की समयावधि में प्रति उत्तर चाहा गया था एवं व्यक्तिगत रूप से पक्ष प्रस्तुत करने हेतु दिनांक 28.03.2022 की तिथि नियत की गई थी।

उक्तानुसार नियत तिथि तक संस्था द्वारा कोई प्रति उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया और न ही व्यक्तिगत सुनवाई हेतु नियत तिथि पर कोई उपस्थित हुआ। अतः यह विश्वास करने का पर्याप्त आधार है कि संस्था के प्रमुख प्रबंधकों, पदाधिकारियों एवं सदस्यों को कारण बताओं सूचना पत्र की विषय वस्तु स्वीकार है और उन्हें कारण बताओं सूचना पत्र के उल्लेखित विषय वस्तु के संबंध में कुछ नहीं कहना है। इस आधार पर संस्था का रजिस्ट्रीकरण समाप्त किया जाना विधि अनुकूल है।

अतः मैं संजय दलेला संयुक्त रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटीज गोपाल संभाग गोपाल म.प्र. सह.सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 18 ए/क के अन्तर्गत रजिस्ट्रार की शक्तियां जो मुझे म.प्र. शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-2-2010 पन्द्रह-1-8 दिनांक 23.10.2010 के द्वारा प्रदत्त है का प्रयोग करते हुये धानी याबी बीज उत्पादक सह.संस्था पंजीयन क्र. 1236 दिनांक 29.10.2016 का पंजीयन निरस्त करता हूँ तथा अधिनियम की धारा 18 ए/क(2) के अन्तर्गत श्रीमती रीता मिश्र वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक कार्यालय उप/सहायक पंजीयक सहकारी संस्थाएँ जिला गोपाल को शासकीय समुनदेशिती नियुक्त करता हूँ तथा आदेशित करता हूँ कि शासकीय समुनदेशिती उक्त संस्था का प्रचार प्राप्त कर म.प्र.सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 के प्रावधानों के अन्तर्गत संस्था की समस्त परिसम्पत्तियों एवं दायित्वों का ~~विवरण~~ एक वर्ष की समयावधि में पूर्ण कर प्रतिवेदन इस कार्यालय में प्रस्तुत करे।

यह आदेश आज दिनांक 30/3/22 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया।

(G-941)

क्रमांक-परि-2022-489.

कार्यालय सहायक पंजीयक (अंकेक्षक) सहकारी संस्थाएँ जिला भोपाल के द्वारा श्री गणेश सब्जी फल बीज सह. संस्था पंजीयन क्र. 869 दिनांक 20.06.2001 का वर्ष 2020-21 हेतु श्रीमती रीता मिश्र को अंकेक्षक नियुक्त किया गया। अंकेक्षक द्वारा उक्त संस्था का अंकेक्षण पूर्ण नहीं किये जाने के संबंध में अवगत कराया गया कि संस्था उपविधि अनुसार दर्शित पते पर उपलब्ध नहीं है। इस संबंध में संस्था द्वारा रजिस्टर्ड पते पर न होने के संबंध में पंचनामा संलग्न किया है। संस्था अपने उद्देश्यों की पूर्ति में निरंतर असफल रही है। सहायक पंजीयक (अंके.) सहकारी संस्थाएँ जिला भोपाल के द्वारा संस्था के विरुद्ध मोप्रो सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 18 (क) के अंतर्गत कार्यवाही हेतु प्रस्ताव दिनांक 14.03.2022 को प्रस्तुत किया गया।

श्री गणेश सब्जी फल बीज सह.संस्था पंजीयन क्र. 869 दिनांक 20.06.2001 (जिसे आगे संक्षेप में केवल "संस्था" कहा गया) है को म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 18 (क) के अन्तर्गत कार्यालयीन पत्र क./परि./2022/346 दिनांक 17.03.2022 से कारण बताओं सूचना पत्र जारी कर स्थानीय दैनिक समाचार पत्र पत्रिका एवं दैनिक जागरण में दिनांक 18.03.2022 को प्रकाशित करवाया जाकर 10 दिवस की समयावधि में प्रति उत्तर चाहा गया था एवं व्यक्तिगत रूप से पक्ष प्रस्तुत करने हेतु दिनांक 28.03.2022 की तिथि नियत की गई थी।

उक्तानुसार नियत तिथि तक संस्था द्वारा कोई प्रति उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया और न ही व्यक्तिगत सुनवाई हेतु नियत तिथि पर कोई उपस्थित हुआ। अतः यह विश्वास करने का पर्याप्त आधार है कि संस्था के प्रमुख प्रबंधकों, पदाधिकारियों एवं सदस्यों को कारण बताओं सूचना पत्र की विषय वस्तु स्वीकार है और उन्हें कारण बताओं सूचना पत्र के उल्लेखित विषय वस्तु के संबंध में कुछ नहीं कहना है। इस आधार पर संस्था का रजिस्ट्रीकरण समाप्त किया जाना विधि अनुकूल है।

अतः मैं संजय दलेला संयुक्त रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटीज भोपाल संभाग भोपाल म.प्र. सह.सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 18 ए/क के अन्तर्गत रजिस्ट्रार की शक्तियां जो मुझे म.प्र. शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-2-2010 पन्द्रह-1-8 दिनांक 23.10.2010 के द्वारा प्रदत्त है का प्रयोग करते हुये श्री गणेश सब्जी फल बीज सह.संस्था पंजीयन क्र. 869 दिनांक 20.06.2001 का पंजीयन निरस्त करता हूँ तथा अधिनियम की धारा 18 ए/क(2) के अन्तर्गत श्रीमती रीता मिश्र वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक कार्यालय उप/सहायक पंजीयक सहकारी संस्थाएँ जिला भोपाल को शासकीय समुनदेशिती नियुक्त करता हूँ तथा आदेशित करता हूँ कि शासकीय समुनदेशिती उक्त संस्था का प्रभार प्राप्त कर म.प्र.सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 के प्रावधानों के अन्तर्गत संस्था की समस्त परिसम्पत्तियों एवं दायित्वों का निष्पत्ति एक वर्ष की समयावधि में पूर्ण कर प्रतिवेदन इस कार्यालय में प्रस्तुत करें।

यह आदेश दिनांक 30/3/22 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया।

(G-942)

क्रमांक-परि-2022-490.

कार्यालय सहायक पंजीयक (अंकेक्षक) सहकारी संस्थाएँ जिला भोपाल के द्वारा बसई प्राथमिक उपभोक्ता भंडार सह. संस्था मर्या. पंजीयन क्र. 824 दिनांक 22.11.1996 का वर्ष 2020-21 हेतु श्रीमती लता गिल को अंकेक्षक नियुक्त किया गया। अंकेक्षक द्वारा उक्त संस्था का अंकेक्षण पूर्ण नहीं किये जाने के संबंध में अवगत कराया गया कि संस्था उपविधि अनुसार दर्शित पते पर उपलब्ध नहीं है। इस संबंध में संस्था द्वारा रजिस्टर्ड पते पर न होने के संबंध में पंचनामा संलग्न किया है। संस्था अपने उद्देश्यों की पूर्ति में निरंतर असफल रही है। सहायक पंजीयक (अंके.) सहकारी संस्थाएँ जिला भोपाल के द्वारा संस्था के विरुद्ध मप्र सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 18 (क) के अंतर्गत कार्यवाही हेतु प्रस्ताव दिनांक 14.03.2022 को प्रस्तुत किया गया।

बसई प्राथमिक उपभोक्ता भंडार सह.संस्था मर्या. पंजीयन क्र. 824 दिनांक 22.11.1996 (जिसे आगे संक्षेप में केवल "संस्था" कहा गया) है को म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 18 (क) के अन्तर्गत कार्यालयीन पत्र क्र. /परि./2022/362 दिनांक 17.03.2022 से कारण बताओं सूचना पत्र जारी कर स्थानीय दैनिक समाचार पत्र पत्रिका एवं दैनिक जागरण में दिनांक 18.03.2022 को प्रकाशित करवाया जाकर 10 दिवस की समयावधि में प्रति उत्तर चाहा गया था एवं व्यक्तिगत रूप से पक्ष प्रस्तुत करने हेतु दिनांक 28.03.2022 की तिथि नियत की गई थी।

उक्तानुसार नियत तिथि तक संस्था द्वारा कोई प्रति उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया और न ही व्यक्तिगत सुनवाई हेतु नियत तिथि पर कोई उपस्थित हुआ। अतः यह विश्वास करने का पर्याप्त आधार है कि संस्था के प्रमुख प्रवर्तकों, पदाधिकारियों एवं सदस्यों को कारण बताओं सूचना पत्र की विषय वस्तु स्वीकार है और उन्हें कारण बताओं सूचना पत्र के उल्लेखित विषय वस्तु के संबंध में कुछ नहीं कहना है। इस आधार पर संस्था का रजिस्ट्रीकरण समाप्त किया जाना विधि अनुकूल है।

अतः मैं संजय दलेला संयुक्त रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटीज भोपाल संभाग भोपाल म.प्र. सह.सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 18 ए/क के अन्तर्गत रजिस्ट्रार की शक्तियां जो मुझे म.प्र. शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-2-2010 पन्द्रह-1-8 दिनांक 23.10.2010 के द्वारा प्रदत्त है का प्रयोग करते हुये बसई प्राथमिक उपभोक्ता भंडार सह.संस्था मर्या. पंजीयन क्र. 824 दिनांक 22.11.1996 का पंजीयन निरस्त करता हूँ तथा अधिनियम की धारा 18 ए/क(2) के अन्तर्गत श्रीमती लता गिल उपअंकेक्षक कार्यालय उप/सहायक पंजीयक सहकारी संस्थाएँ जिला भोपाल को शासकीय समुनदेशिती नियुक्त करता हूँ तथा आदेशित करता हूँ कि शासकीय समुनदेशिती उक्त संस्था का प्रभार प्राप्त कर म.प्र.सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 के प्रावधानों के अन्तर्गत संस्था की समस्त परिसम्पत्तियों एवं दायित्वों का निष्करण एक वर्ष की समयावधि में पूर्ण कर प्रतिवेदन इस कार्यालय में प्रस्तुत करें।

यह आदेश आज दिनांक 30/3/22 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया।

(G-943)

क्रमांक-परि-2022-491.

कार्यालय सहायक पंजीयक (अंकेक्षक) सहकारी संस्थाएँ जिला भोपाल के द्वारा ग्राम विकास साख सह.संस्था मया. पंजीयन क्र. 1049 दिनांक 10.02.2014 का वर्ष 2020-21 हेतु श्रीमती लता गिल को अंकेक्षक नियुक्त किया गया। अंकेक्षक द्वारा उक्त संस्था का अंकेक्षण पूर्ण नहीं किये जाने के संबंध में अवगत कराया गया कि संस्था उपविधि अनुसार दर्शित पते पर उपलब्ध नहीं है। इस संबंध में संस्था द्वारा रजिस्टर्ड पते पर न होने के संबंध में पंचनामा संलग्न किया है। संस्था अपने उद्देश्यों की पूर्ति में निरंतर असफल रही है। सहायक पंजीयक (अंके.) सहकारी संस्थाएँ जिला भोपाल के द्वारा संस्था के विरुद्ध 40प्र0 सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 18 (क) के अंतर्गत कार्यवाही हेतु प्रस्ताव दिनांक 14.03.2022 को प्रस्तुत किया गया।

ग्राम विकास साख सह.संस्था मया. पंजीयन क्र. 1049 दिनांक 10.02.2014 (जिसे आगे संक्षेप में केवल "संस्था" कहा गया) है को म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 18 (क) के अन्तर्गत कार्यालयीन पत्र क./परि./2022/363 दिनांक 17.03.2022 से कारण बताओं सूचना पत्र जारी कर स्थानीय दैनिक समाचार पत्र पत्रिका एवं दैनिक जागरण में दिनांक 18.03.2022 को प्रकाशित करवाया जाकर 10 दिवस की समयावधि में प्रति उत्तर, चला गया था एवं व्यक्तिगत रूप से पक्ष प्रस्तुत करने हेतु दिनांक 28.03.2022 की तिथि नियत की गई थी।

उक्तानुसार नियत तिथि तक संस्था द्वारा कोई प्रति उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया और न ही व्यक्तिगत सुनवाई हेतु नियत तिथि पर कोई उपस्थित हुआ। अतः यह विश्वास करने का पर्याप्त आधार है कि संस्था के प्रमुख प्रवर्तको, पदाधिकारियों एवं सदस्यों को कारण बताओं सूचना पत्र की विषय वस्तु स्वीकार है और उन्हें कारण बताओं सूचना पत्र के उल्लेखित विषय वस्तु के संबंध में कुछ नहीं कहना है। इस आधार पर संस्था का रजिस्ट्रीकरण समाप्त किया जाना विधि अनुकूल है।

अतः मैं संजय दलेला संयुक्त रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटीज भोपाल संभाग भोपाल म.प्र. सह.सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 18 ए/क के अन्तर्गत रजिस्ट्रार की शक्तियां जो मुझे म.प्र. शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-2-2010 पन्द्रह-1-8 दिनांक 23.10.2010 के द्वारा प्रदत्त है का प्रयोग करते हुये ग्राम विकास साख सह.संस्था मया. पंजीयन क्र. 1049 दिनांक 10.02.2014 का पंजीयन निरस्त करता हूँ तथा अधिनियम की धारा 18 ए/क(2) के अन्तर्गत श्रीमती लता गिल उपअंकेक्षक कार्यालय उप/सहायक पंजीयक सहकारी संस्थाएँ जिला भोपाल को शासकीय समुनदेशिती नियुक्त करता हूँ तथा आदेशित करता हूँ कि शासकीय समुनदेशिती उक्त संस्था का प्रभार प्राप्त कर म.प्र.सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 के प्रावधानों के अन्तर्गत संस्था की समस्त परिसम्पत्तियों एवं दायित्वों का निराकरण एक वर्ष की समयावधि में पूर्ण कर प्रतिवेदन इस कार्यालय में प्रस्तुत करें।

यह आदेश आज दिनांक 30/3/22 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया।

(G-944)

क्रमांक-परि-2022-492.

कार्यालय सहायक पंजीयक (अंकेक्षक) सहकारी संस्थाएँ जिला भोपाल के द्वारा भारत यातायात सह.संस्था मर्या. पंजीयन क्र. 1407 दिनांक 16.03.1956 का वर्ष 2020-21 हेतु श्रीमती सपना गुहा को अंकेक्षक नियुक्त किया गया। अंकेक्षक द्वारा उक्त संस्था का अंकेक्षण पूर्ण नहीं किये जाने के संबंध में अवगत कराया गया कि संस्था उपविधि अनुसार दर्शित पते पर उपलब्ध नहीं है। इस संबंध में संस्था द्वारा रजिस्टर्ड पते पर न होने के संबंध में पंचनामा संलग्न किया है। संस्था अपने उद्देश्यों को पूर्ति में निरंतर असफल रही है। सहायक पंजीयक (अंके.) सहकारी संस्थाएँ जिला भोपाल के द्वारा संस्था के विरुद्ध म०प्र० सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 18 (क) के अंतर्गत कार्यवाही हेतु प्रस्ताव दिनांक 14.03.2022 को प्रस्तुत किया गया।

भारत यातायात सह.संस्था मर्या. पंजीयन क्र. 1407 दिनांक 16.03.1956 (जिसे आगे संक्षेप में केवल "संस्था" कहा गया) है को म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 18 (क) के अन्तर्गत कार्यालयीन पत्र क./परि./2022/380 दिनांक 17.03.2022 से कारण बताओं सूचना पत्र जारी कर स्थानीय दैनिक समाचार पत्र पत्रिका एवं दैनिक जागरण में दिनांक 18.03.2022 को प्रकाशित करवाया जाकर 10 दिवस की समयावधि में प्रति उत्तर चाहा गया था एवं व्यक्तिगत रूप से पक्ष प्रस्तुत करने हेतु दिनांक 28.03.2022 की तिथि नियत की गई थी।

उक्तानुसार नियत तिथि तक संस्था द्वारा कोई प्रति उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया और न ही व्यक्तिगत सुनवाई हेतु नियत तिथि पर कोई उपस्थित हुआ। अतः यह विश्वास करने का पर्याप्त आधार है कि संस्था के प्रमुख प्रबंधकों, पदाधिकारियों एवं सदस्यों को कारण बताओं सूचना पत्र की विषय वस्तु स्वीकार है और उन्हें कारण बताओं सूचना पत्र के उल्लेखित विषय वस्तु के संबंध में कुछ नहीं कहना है। इस आधार पर संस्था का रजिस्ट्रीकरण समाप्त किया जाना विधि अनुकूल है।

अतः मैं संजय दलेला संयुक्त रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटीज भोपाल संभाग भोपाल म.प्र. सह.सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 18 ए/क के अन्तर्गत रजिस्ट्रार की शक्तियाँ जो मुझे म.प्र. शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-2-2010 पन्नाह-1-8 दिनांक 23.10.2010 के द्वारा प्रदत्त है का प्रयोग करते हुये भारत यातायात सह.संस्था मर्या. पंजीयन क्र. 1407 दिनांक 16.03.1956 का पंजीयन निरस्त करता हूँ तथा अधिनियम की धारा 18 ए/क(2) के अन्तर्गत श्रीमती सपना गुहा सहकारी निरीक्षक कार्यालय उप/सहायक पंजीयक सहकारी संस्थाएँ जिला भोपाल को शासकीय समुनदेशिती नियुक्त करता हूँ तथा आदेशित करता हूँ कि शासकीय समुनदेशिती उक्त संस्था का प्रभार प्राप्त कर म.प्र.सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 के प्रावधानों के अन्तर्गत संस्था की समस्त परिसम्पत्तियों एवं दायित्वों का निष्करण एक वर्ष की समयावधि में पूर्ण कर प्रतिवेदन इस कार्यालय में प्रस्तुत करें।

यह आदेश दिनांक 30/3/22 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया।

(G-945)

क्रमांक-परि-2022-493.

कार्यालय सहायक पंजीयक (अंकेक्षक) सहकारी संस्थाएँ जिला भोपाल के द्वारा खदान मजदूर सह.संस्था मर्या. पंजीयन क्र. 39 दिनांक 25.02.1975 का वर्ष 2020-21 हेतु श्री सचिन शेंद्रे को अंकेक्षक नियुक्त किया गया। अंकेक्षक द्वारा उक्त संस्था का अंकेक्षण पूर्ण नहीं किये जाने के संबंध में अवगत कराया गया कि संस्था उपविधि अनुसार दर्शित पते पर उपलब्ध नहीं है। इस संबंध में संस्था द्वारा रजिस्टर्ड पते पर न होने के संबंध में पंघनामा संलग्न किया है। संस्था अपने उद्देश्यों की पूर्ति में निरंतर असफल रही है। सहायक पंजीयक (अंके.) सहकारी संस्थाएँ जिला भोपाल के द्वारा संस्था के विरुद्ध मप्र सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 18 (क) के अंतर्गत कार्यवाही हेतु प्रस्ताव दिनांक 14.03.2022 को प्रस्तुत किया गया।

खदान मजदूर सह.संस्था मर्या. पंजीयन क्र. 39 दिनांक 25.02.1975 (जिसे आगे संक्षेप में केवल "संस्था" कहा गया) है को म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 18 (क) के अन्तर्गत कार्यालयीन पत्र क./परि./2022/381 दिनांक 17.03.2022 से कारण, बताओं सूचना पत्र जारी कर स्थानीय दैनिक समाचार पत्र पत्रिका एवं दैनिक जागरण में दिनांक 18.03.2022 को प्रकाशित करवाया जाकर 10 दिवस की समयावधि में प्रति उत्तर चाहा गया था एवं व्यक्तिगत रूप से पक्ष प्रस्तुत करने हेतु दिनांक 28.03.2022 की तिथि नियत की गई थी।

उक्तानुसार नियत तिथि तक संस्था द्वारा कोई प्रति उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया और न ही व्यक्तिगत सुनवाई हेतु नियत तिथि पर कोई उपस्थित हुआ। अतः यह विश्वास करने का पर्याप्त आधार है कि संस्था के प्रमुख प्रबंधकों, पदाधिकारियों एवं सदस्यों को, कारण बताओं सूचना पत्र की विषय वस्तु स्वीकार है और उन्हें कारण बताओं सूचना पत्र के उल्लेखित विषय वस्तु के संबंध में कुछ नहीं कहना है। इस आधार पर संस्था का रजिस्ट्रीकरण समाप्त किया जाना विधि अनुकूल है।

अतः मैं संजय दलेला संयुक्त रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटीज भोपाल संभाग भोपाल म.प्र. सह.सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 18 ए/क के अन्तर्गत रजिस्ट्रार की शक्तियां जो मुझे म.प्र. शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-2-2010 पन्द्रह-1-8 दिनांक 23.10.2010 के द्वारा प्रदत्त है का प्रयोग करते हुये खदान मजदूर सह.संस्था मर्या. पंजीयन क्र. 39 दिनांक 25.02.1975 का पंजीयन निरस्त करता हूँ तथा अधिनियम की धारा 18 ए/क(2) के अन्तर्गत श्री सचिन शेंद्रे उपअंकेक्षक कार्यालय उप/सहायक पंजीयक सहकारी संस्थाएँ जिला भोपाल को शासकीय समुनदेशिती नियुक्त करता हूँ तथा आदेशित करता हूँ कि शासकीय समुनदेशिती उक्त संस्था का प्रभार प्राप्त कर म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 के प्रावधानों के अन्तर्गत संस्था की समस्त परिसम्पत्तियों एवं दायित्वों का निराकरण ~~उक्त~~ की समयावधि में पूर्ण कर प्रतिवेदन इस कार्यालय में प्रस्तुत करें।

यह आदेश आज दिनांक 5/3/22 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया।

(G-946)

क्रमांक-परि-2022-494.

कार्यालय सहायक पंजीयक (अंकक्षक) सहकारी संस्थाएँ जिला भोपाल के द्वारा श्री पदम्नाम साख सह.संस्था मर्या. पंजीयन क्र. 1136 दिनांक 21.12.2016 का वर्ष 2020-21 हेतु श्रीमती अल्का तिग्गा को अंकक्षक नियुक्त किया गया। अंकक्षक द्वारा उक्त संस्था का अंकक्षण पूर्ण नहीं किये जाने के संबंध में अवगत कराया गया कि संस्था उपविधि अनुसार दर्शित पते पर उपलब्ध नहीं है। इस संबंध में संस्था द्वारा रजिस्टर्ड पते पर न होने के संबंध में पंचनामा संलग्न किया है। संस्था अपने उद्देश्यों की पूर्ति में निरंतर असफल रही है। सहायक पंजीयक (अंक.) सहकारी संस्थाएँ जिला भोपाल के द्वारा संस्था के विरुद्ध म0प्र0 सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 18 (क) के अंतर्गत कार्यवाही हेतु प्रस्ताव दिनांक 14.03.2022 को प्रस्तुत किया गया।

श्री पदम्नाम साख सह.संस्था मर्या. पंजीयन क्र. 1136 दिनांक 21.12.2016 (जिसे आगे संक्षेप में केवल "संस्था" कहा गया) है को म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 18 (क) के अन्तर्गत कार्यालयीन पत्र क./परि./2022/384 दिनांक 17.03.2022 से कारण बताओं सूचना पत्र जारी कर स्थानीय दैनिक समाचार पत्र पत्रिका एवं दैनिक जागरण में दिनांक 18.03.2022 को प्रकाशित करवाया जाकर 10 दिवस की समयावधि में प्रति उत्तर चाहा गया था एवं व्यक्तिगत रूप से पक्ष प्रस्तुत करने हेतु दिनांक 28.03.2022 की तिथि नियत की गई थी।

उक्तानुसार नियत तिथि तक संस्था द्वारा कोई प्रति उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया और न ही व्यक्तिगत सुनवाई हेतु नियत तिथि पर कोई उपस्थित हुआ। अतः यह विश्वास करने का पर्याप्त आधार है कि संस्था के प्रमुख प्रबंधकों, पदाधिकारियों एवं सदस्यों को कारण बताओं सूचना पत्र की विषय वस्तु स्वीकार है और उन्हें कारण बताओं सूचना पत्र के उल्लेखित विषय वस्तु के संबंध में कुछ नहीं कहना है। इस आधार पर संस्था का रजिस्ट्रीकरण समाप्त किया जाना विधि अनुकूल है।

अतः मैं संजय दलेला संयुक्त रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटीज भोपाल संभाग भोपाल म.प्र. सह.सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 18 ए/क के अन्तर्गत रजिस्ट्रार की शक्तियां जो मुझे म.प्र. शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-2-2010 पन्द्रह-1-8 दिनांक 23.10.2010 के द्वारा प्रदत्त है का प्रयोग करते हुये श्री पदम्नाम साख सह.संस्था मर्या. पंजीयन क्र. 1136 दिनांक 21.12.2016 का पंजीयन निरस्त करता हूँ तथा अधिनियम की धारा 18 ए/क(2) के अन्तर्गत श्रीमती अल्का तिग्गा सहकारी निरीक्षक कार्यालय उप/सहायक पंजीयक सहकारी संस्थाएँ जिला भोपाल को शासकीय समुनदेशिती नियुक्त करता हूँ तथा आदेशित करता हूँ कि शासकीय समुनदेशिती उक्त संस्था का प्रचार प्राप्त कर म.प्र.सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 के प्रावधानों के अन्तर्गत संस्था की समस्त परिसम्पत्तियों एवं दायित्वों का निरीक्षण एक वर्ष की समयावधि में पूर्ण कर प्रतिवेदन इस कार्यालय में प्रस्तुत करें।

यह आदेश आज दिनांक 30/3/22 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया।

(G-947)

क्रमांक-परि-2022-495.

कार्यालय सहायक पंजीयक (अंकेक्षक) सहकारी संस्थाएँ जिला भोपाल के द्वारा ग्राम विकास साख गुनगा सह.संस्था मर्या. पंजीयन क्र. 1074 दिनांक 03.06.2014 का वर्ष 2020-21 हेतु श्री ओ.पी. मालवीय को अंकेक्षक नियुक्त किया गया। अंकेक्षक द्वारा उक्त संस्था का अंकेक्षण पूर्ण नहीं किये जाने के संबंध में अवगत कराया गया कि संस्था उपविधि अनुसार दर्शित पते पर उपलब्ध नहीं है। इस संबंध में संस्था द्वारा रजिस्टर्ड पते पर न होने के संबंध में पंचनामा संलग्न किया है। संस्था अपने उद्देश्यों की पूर्ति में निरंतर असफल रही है। सहायक पंजीयक (अंके.) सहकारी संस्थाएँ जिला भोपाल के द्वारा संस्था के विरुद्ध प्र०प्र० सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 18 (क) के अंतर्गत कार्यवाही हेतु प्रस्ताव दिनांक 14.03.2022 को प्रस्तुत किया गया।

ग्राम विकास साख गुनगा सह.संस्था मर्या. पंजीयन क्र. 1074 दिनांक 03.06.2014 (जिसे आगे संक्षेप में केवल "संस्था" कहा गया) है को म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 18 (क) के अन्तर्गत कार्यालयीन पत्र क. /परि./2022/387 दिनांक 17.03.2022 से कारण बताओं सूचना पत्र जारी कर स्थानीय दैनिक समाचार पत्र पत्रिका एवं दैनिक जागरण में दिनांक 18.03.2022 को प्रकाशित करवाया जाकर 10 दिवस की समयावधि में प्रति उत्तर चाहा गया था एवं व्यक्तिगत रूप से पक्ष प्रस्तुत करने हेतु दिनांक 28.03.2022 की तिथि नियत की गई थी।

उक्तानुसार नियत तिथि तक संस्था द्वारा कोई प्रति उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया और न ही व्यक्तिगत सुनवाई हेतु नियत तिथि पर कोई उपस्थित हुआ। अतः यह विश्वास करने का पर्याप्त आधार है कि संस्था के प्रमुख प्रबंधकों, पदाधिकारियों एवं सदस्यों को कारण बताओं सूचना पत्र की विषय वस्तु स्वीकार है और उन्हें कारण बताओं सूचना पत्र के उल्लेखित विषय वस्तु के संबंध में कुछ नहीं कहना है। इस आधार पर संस्था का रजिस्ट्रीकरण समाप्त किया जाना विधि अनुकूल है।

अतः मैं संजय दलेला संयुक्त रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटीज भोपाल संभाग भोपाल म.प्र. सह.सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 18 ए/क के अन्तर्गत रजिस्ट्रार की शक्तियां जो मुझे म.प्र. शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-2-2010 पन्द्रह-1-8 दिनांक 23.10.2010 के द्वारा प्रदत्त है का प्रयोग करते हुये ग्राम विकास साख गुनगा सह.संस्था मर्या. पंजीयन क्र. 1074 दिनांक 03.06.2014 का पंजीयन निरस्त करता हूँ तथा अधिनियम की धारा 18 ए/क(2) के अन्तर्गत श्री ओ.पी. मालवीय सहकारी निरीक्षक कार्यालय उप/सहायक पंजीयक सहकारी संस्थाएँ जिला भोपाल को शासकीय समुनदेशिती नियुक्त करता हूँ तथा आदेशित करता हूँ कि शासकीय समुनदेशिती उक्त संस्था का प्रभार प्राप्त कर म.प्र.सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 के प्रावधानों के अन्तर्गत संस्था की समस्त परिसम्पत्तियों एवं दायित्वों का निरीक्षण एक वर्ष की समयावधि में पूर्ण कर प्रतिवेदन इस कार्यालय में प्रस्तुत करें।

यह आदेश आज दिनांक 20/3/22 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया।

(G-948)

क्रमांक-परि-2022-496.

कार्यालय सहायक पंजीयक (अंकेक्षक) सहकारी संस्थाएँ जिला भोपाल के द्वारा शिवम बुनकर सह.संस्था मर्या. पंजीयन क्र. 654 दिनांक 06.09.1997 का वर्ष 2020-21 हेतु श्री पंकज श्रीवास्तव को अंकेक्षक नियुक्त किया गया। अंकेक्षक द्वारा उक्त संस्था का अंकेक्षण पूर्ण नहीं किये जाने के संबंध में अद्यतन कराया गया कि संस्था उपविधि अनुसार दर्शित पते पर उपलब्ध नहीं है। इस संबंध में संस्था द्वारा रजिस्टर्ड पते पर न होने के संबंध में पंचनामा संलग्न किया है। संस्था अपने उद्देश्यों की पूर्ति में निरंतर असफल रही है। सहायक पंजीयक (अंके.) सहकारी संस्थाएँ जिला भोपाल के द्वारा संस्था के विरुद्ध मप्र सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 18 (क) के अंतर्गत कार्यवाही हेतु प्रस्ताव दिनांक 14.03.2022 को प्रस्तुत किया गया।

शिवम बुनकर सह.संस्था मर्या. पंजीयन क्र. 654 दिनांक 06.09.1997 (जिसे आगे संक्षेप में केवल "संस्था" कहा गया) है को म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 18 (क) के अंतर्गत कार्यालयीन पत्र क./परि./2022/388 दिनांक 17.03.2022 से कारण बताओं सूचना पत्र जारी कर स्थानीय दैनिक समाचार पत्र पत्रिका एवं दैनिक जागरण में दिनांक 18.03.2022 को प्रकाशित करवाया जाकर 10 दिवस की समयावधि में प्रति उत्तर चाहा गया था एवं व्यक्तिगत रूप से पक्ष प्रस्तुत करने हेतु दिनांक 28.03.2022 की तिथि नियत की गई थी।

उक्तानुसार नियत तिथि तक संस्था द्वारा कोई प्रति उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया और न ही व्यक्तिगत सुनवाई हेतु नियत तिथि पर कोई उपस्थित हुआ। अतः यह विश्वास करने का पर्याप्त आधार है कि संस्था के प्रमुख प्रबंधकों, पदाधिकारियों एवं सदस्यों को कारण बताओं सूचना पत्र की विषय वस्तु स्वीकार है और उन्हें कारण बताओं सूचना पत्र के उल्लेखित विषय वस्तु के संबंध में कुछ नहीं कहना है। इस आधार पर संस्था का रजिस्ट्रीकरण समाप्त किया जाना विधि अनुकूल है।

अतः मैं संजय दलेला संयुक्त रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटीज भोपाल संभाग भोपाल म.प्र. सह.सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 18 ए/क के अंतर्गत रजिस्ट्रार की शक्तियां जो मुझे म.प्र. शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-2-2010 पन्ना-1-8 दिनांक 23.10.2010 के द्वारा प्रदत्त है का प्रयोग करते हुये शिवम बुनकर सह.संस्था मर्या. पंजीयन क्र. 654 दिनांक 06.09.1997 का पंजीयन निरस्त करता हूँ तथा अधिनियम की धारा 18 ए/क(2) के अंतर्गत श्री पंकज श्रीवास्तव सहकारी निरीक्षक कार्यालय उप/सहायक पंजीयक सहकारी संस्थाएँ जिला भोपाल को शासकीय समुनदेशिती नियुक्त करता हूँ तथा आदेशित करता हूँ कि शासकीय समुनदेशिती उक्त संस्था का प्रभार प्राप्त कर म.प्र.सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 के प्रावधानों के अंतर्गत संस्था की समस्त परिसम्पत्तियों एवं दायित्वों का निराकरण एक वर्ष की समयावधि में पूर्ण कर प्रतिवेदन इस कार्यालय में प्रस्तुत करें।

यह आदेश आज दिनांक 20/5/22 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया।

(G-949)

क्रमांक-परि-2022-497.

कार्यालय सहायक पंजीयक (अंकेक्षक) सहकारी संस्थाएँ जिला भोपाल के द्वारा म० प्र० पर्यटन विकास सह.संस्था मर्या. पंजीयन क्र. 1325 दिनांक 31.01.2017 का वर्ष 2020-21 हेतु श्री डी.के. गुप्ता को अंकेक्षक नियुक्त किया गया। अंकेक्षक द्वारा उक्त संस्था का अंकेक्षण पूर्ण नहीं किये जाने के संबंध में अवगत कराया गया कि संस्था उपविधि अनुसार दर्शित पते पर उपलब्ध नहीं है। इस संबंध में संस्था द्वारा रजिस्टर्ड पते पर न होने के संबंध में पंचनामा संलग्न किया है। संस्था अपने उद्देश्यों की पूर्ति में निरंतर असफल रही है। सहायक पंजीयक (अंके.) सहकारी संस्थाएँ जिला भोपाल के द्वारा संस्था के विरुद्ध म०प्र० सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 18 (क) के अंतर्गत कार्यवाही हेतु प्रस्ताव दिनांक 14.03.2022 को प्रस्तुत किया गया।

म० प्र० पर्यटन विकास सह.संस्था मर्या. पंजीयन क्र. 1325 दिनांक 31.01.2017 (जिसे आगे संक्षेप में केवल "संस्था" कहा गया) है को म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 18 (क) के अंतर्गत कार्यालयीन पत्र क्र. /परि./2022/389 दिनांक 17.03.2022 से कारण बताओ सूचना पत्र जारी कर स्थानीय दैनिक समाचार पत्र पत्रिका एवं दैनिक जागरण में दिनांक 18.03.2022 को प्रकाशित करवाया जाकर 10 दिवस की समयवधि में प्रति उत्तर चाहा गया था एवं व्यक्तिगत रूप से पक्ष प्रस्तुत करने हेतु दिनांक 28.03.2022 की तिथि नियत की गई थी।

उक्तानुसार नियत तिथि तक संस्था द्वारा कोई प्रति उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया और न ही व्यक्तिगत सुनवाई हेतु नियत तिथि पर कोई उपस्थित हुआ। अतः यह विश्वास करने का पर्याप्त आधार है कि संस्था के प्रमुख प्रबंधकों, पदाधिकारियों एवं सदस्यों को कारण बताओ सूचना पत्र की विषय वस्तु स्वीकार है और उन्हें कारण बताओ सूचना पत्र के उल्लेखित विषय वस्तु के संबंध में कुछ नहीं कहना है। इस आधार पर संस्था का रजिस्ट्रीकरण समाप्त किया जाना विधि अनुकूल है।

अतः मैं संजय दलेला संयुक्त रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटीज भोपाल संभाग भोपाल म.प्र. सह.सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 18 ए/क के अंतर्गत रजिस्ट्रार की शक्तियां जो मुझे म.प्र. शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-2-2010 पन्द्रह-1-8 दिनांक 23.10.2010 के द्वारा प्रदत्त है का प्रयोग करते हुये म० प्र० पर्यटन विकास सह.संस्था मर्या. पंजीयन क्र. 1325 दिनांक 31.01.2017 का पंजीयन निरस्त करता हूँ तथा अधिनियम की धारा 18 ए/क(2) के अंतर्गत श्री डी.के. गुप्ता उपअंकेक्षक कार्यालय उप/सहायक पंजीयक सहकारी संस्थाएँ जिला भोपाल को शासकीय समुनदेशिती नियुक्त करता हूँ तथा आदेशित करता हूँ कि शासकीय समुनदेशिती उक्त संस्था का प्रभार प्राप्त कर म.प्र.सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 के प्रावधानों के अंतर्गत संस्था की समस्त परिसम्पत्तियों एवं दायित्वों का निराकरण एवं पक्ष की समयवधि में पूर्ण कर प्रतिवेदन इस कार्यालय में प्रस्तुत करें।

यह आदेश आज दिनांक 20/03/2022 को हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया।

(G-950)

क्रमांक-परि-2022-498.

कार्यालय सहायक पंजीयक (अंकेक्षक) सहकारी संस्थाएँ जिला भोपाल के द्वारा दीनदयाल थाली सह.संस्था मर्या. पंजीयन क्र. 1244 दिनांक 22.12.2016 का वर्ष 2020-21 हेतु श्री ए.के. रावत को अंकेक्षक नियुक्त किया गया। अंकेक्षक द्वारा उक्त संस्था का अंकेक्षण पूर्ण नहीं किये जाने के संबंध में अवगत कराया गया कि संस्था उपविधि अनुसार दर्शित पते पर उपलब्ध नहीं है। इस संबंध में संस्था द्वारा रजिस्टर्ड पते पर न होने के संबंध में पंचनामा संलग्न किया है। संस्था अपने उद्देश्यों की पूर्ति में निरंतर असफल रही है। सहायक पंजीयक (अंके.) सहकारी संस्थाएँ जिला भोपाल के द्वारा संस्था के विरुद्ध मोप्रो सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 18 (क) के अंतर्गत कार्यवाही हेतु प्रस्ताव दिनांक 14.03.2022 को प्रस्तुत किया गया।

दीनदयाल थाली सह.संस्था मर्या. पंजीयन क्र. 1244 दिनांक 22.12.2016 (जिसे आगे संक्षेप में केवल "संस्था" कहा गया) है को म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 18 (क) के अन्तर्गत कार्यालयीन पत्र क./परि./2022/374 दिनांक 17.03.2022 से कारण बताओं सूचना पत्र जारी कर स्थानीय दैनिक समाचार पत्र पत्रिका एवं दैनिक जागरण में दिनांक 18.03.2022 को प्रकाशित करवाया जाकर 10 दिवस की समयावधि में प्रति उत्तर चाहा गया था एवं व्यक्तिगत रूप से पक्ष प्रस्तुत करने हेतु दिनांक 28.03.2022 की तिथि नियत की गई थी।

उक्तानुसार नियत तिथि तक संस्था द्वारा कोई प्रति उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया और न ही व्यक्तिगत सुनवाई हेतु नियत तिथि पर कोई उपस्थित हुआ। अतः यह विश्वास करने का पर्याप्त आधार है कि संस्था के प्रमुख प्रवर्तकों, पदाधिकारियों एवं सदस्यों को कारण बताओं सूचना पत्र की विषय वस्तु स्वीकार है और उन्हें कारण बताओं सूचना पत्र के उल्लेखित विषय वस्तु के संबंध में कुछ नहीं कहना है। इस आधार पर संस्था का रजिस्ट्रीकरण समाप्त किया जाना विधि अनुकूल है।

अतः मैं संजय दलेला संयुक्त रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटीज भोपाल संभाग भोपाल म.प्र. सह.सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 18 ए/क के अन्तर्गत रजिस्ट्रार की शक्तियां जो मुझे म.प्र. शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-2-2010 पन्द्रह-1-8 दिनांक 23.10.2010 के द्वारा प्रदत्त है का प्रयोग करते हुये दीनदयाल थाली सह.संस्था मर्या. पंजीयन क्र. 1244 दिनांक 22.12.2016 का पंजीयन निरस्त करता हूँ तथा अधिनियम की धारा 18 ए/क(2) के अन्तर्गत श्री ए.के. रावत वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक कार्यालय उप/सहायक पंजीयक सहकारी संस्थाएँ जिला भोपाल को शासकीय समुनदेशिती नियुक्त करता हूँ तथा आदेशित करता हूँ कि शासकीय समुनदेशिती उक्त संस्था का प्रभार प्राप्त कर म.प्र.सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 के प्रावधानों के अन्तर्गत संस्था की समस्त परिसम्पत्तियों एवं दायित्वों का निराकरण करके एक वर्ष की समयावधि में पूर्ण कर प्रतिवेदन इस कार्यालय में प्रस्तुत करें।

यह आदेश आज दिनांक 30/3/22 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया।

(G-951)

क्रमांक-परि-2022-499.

कार्यालय सहायक पंजीयक (अंकेक्षक) सहकारी संस्थाएँ जिला भोपाल के द्वारा टाईप एंड आफसेट मुद्रणालय सह. संस्था मर्या. पंजीयन क्र. 435 दिनांक 27.04.1992 का वर्ष 2020-21 हेतु श्रीमती ज्योति थिंगले को अंकेक्षक नियुक्त किया गया। अंकेक्षक द्वारा उक्त संस्था का अंकेक्षण पूर्ण नहीं किये जाने के संबंध में अवगत कराया गया कि संस्था उपविधि अनुसार दर्शित पते पर उपलब्ध नहीं है। इस संबंध में संस्था द्वारा रजिस्टर्ड पते पर न होने के संबंध में पंचनामा संलग्न किया है। संस्था अपने उद्देश्यों की पूर्ति में निरंतर असफल रही है। सहायक पंजीयक (अंके.) सहकारी संस्थाएँ जिला भोपाल के द्वारा संस्था के विरुद्ध म0प्र0 सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 18 (क) के अंतर्गत कार्यवाही हेतु प्रस्ताव दिनांक 14.03.2022 को प्रस्तुत किया गया।

टाईप एंड आफसेट मुद्रणालय सह.संस्था मर्या. पंजीयन क्र. 435 दिनांक 27.04.1992 (जिसे आगे संक्षेप में केवल "संस्था" कहा गया) है को म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 18 (क) के अन्तर्गत कार्यालयीन पत्र क. /परि./2022/376 दिनांक 17.03.2022 से कारण बताओं सूचना पत्र जारी कर स्थानीय दैनिक सप्ताह पत्र पत्रिका एवं दैनिक जागरण में दिनांक 18.03.2022 को प्रकाशित करवाया जाकर 10 दिवस की समयावधि में प्रति उत्तर चाहा गया था एवं व्यक्तिगत रूप से पक्ष प्रस्तुत करने हेतु दिनांक 28.03.2022 की तिथि नियत की गई थी।

उक्तानुसार नियत तिथि तक संस्था द्वारा कोई प्रति उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया और न ही व्यक्तिगत सुनवाई हेतु नियत तिथि पर कोई उपस्थित हुआ। अतः यह विश्वास करने का पर्याप्त आधार है कि संस्था के प्रमुख प्रवर्तकों, पदाधिकारियों एवं सदस्यों को कारण बताओं सूचना पत्र की विषय वस्तु स्वीकार है और उन्हें कारण बताओं सूचना पत्र के उल्लेखित विषय वस्तु के संबंध में कुछ नहीं कहना है। इस आधार पर संस्था का रजिस्ट्रीकरण समाप्त किया जाना विधि अनुकूल है।

अतः मैं संजय दलेला संयुक्त रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटीज भोपाल संभाग भोपाल म.प्र. सह.सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 18 ए/क के अन्तर्गत रजिस्ट्रार की शक्तियां जो मुझे म.प्र. शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-2-2010 पन्ना-1-8 दिनांक 23.10.2010 के द्वारा प्रदत्त है का प्रयोग करते हुये टाईप एंड आफसेट मुद्रणालय सह.संस्था मर्या. पंजीयन क्र. 435 दिनांक 27.04.1992 का पंजीयन निरस्त करता हूँ तथा अधिनियम की धारा 18 ए/क(2) के अन्तर्गत श्रीमती ज्योति थिंगले वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक कार्यालय उप/सहायक पंजीयक सहकारी संस्थाएँ जिला भोपाल को शासकीय समुनदेशिती नियुक्त करता हूँ तथा आदेशित करता हूँ कि शासकीय समुनदेशिती उक्त संस्था का प्रभार प्राप्त कर म.प्र.सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 के प्रावधानों के अन्तर्गत संस्था की समस्त परिसम्पत्तियों एवं दायित्वों का निराकरण एक वर्ष की समयावधि में पूर्ण कर प्रतिवेदन इस कार्यालय में प्रस्तुत करें।

✱ यह आदेश दिनांक 30/3/22 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमद्रा से जारी किया गया।

(G-952)

क्रमांक-परि-2022-500.

कार्यालय सहायक पंजीयक (अंकेक्षक) सहकारी संस्थाएँ जिला भोपाल के द्वारा संत बलीनाथ साख सह.संस्था मर्या. पंजीयन क्र. 1149 दिनांक 26.12.2017 का वर्ष 2020-21 हेतु श्रीमती रीता मिश्र को अंकेक्षक नियुक्त किया गया। अंकेक्षक द्वारा उक्त संस्था का अंकेक्षण पूर्ण नहीं किये जाने के संबंध में अवगत कराया गया कि संस्था उपविधि अनुसार दर्शित पते पर उपलब्ध नहीं है। इस संबंध में संस्था द्वारा रजिस्टर्ड पते पर न होने के संबंध में पंचनामा संलग्न किया है। संस्था अपने उद्देश्यों की पूर्ति में निरंतर असफल रही है। सहायक पंजीयक (अंके.) सहकारी संस्थाएँ जिला भोपाल के द्वारा संस्था के विरुद्ध म0प्र0 सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 18 (क) के अंतर्गत कार्यवाही हेतु प्रस्ताव दिनांक 14.03.2022 को प्रस्तुत किया गया।

संत बलीनाथ साख सह.संस्था मर्या. पंजीयन क्र. 1149 दिनांक 26.12.2017 (जिसे आगे संक्षेप में केवल "संस्था" कहा गया) है को म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 18 (क) के अन्तर्गत कार्यालयीन पत्र क्र./परि./2022/393 दिनांक 17.03.2022 से कारण बताओं सूचना पत्र जारी कर स्थानीय दैनिक समाचार पत्र पत्रिका एवं दैनिक जागरण में दिनांक 18.03.2022 को प्रकाशित करवाया जाकर 10 दिवस की समयावधि में प्रति उत्तर चाहा गया था एवं व्यक्तिगत रूप से पक्ष प्रस्तुत करने हेतु दिनांक 28.03.2022 की तिथि नियत की गई थी।

उक्तानुसार नियत तिथि तक संस्था द्वारा कोई प्रति उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया और न ही व्यक्तिगत सुनवाई हेतु नियत तिथि पर कोई उपस्थित हुआ। अतः यह विश्वास करने का पर्याप्त आधार है कि संस्था के प्रमुख प्रवर्तकों, पदाधिकारियों एवं सदस्यों को कारण बताओं सूचना पत्र की विषय वस्तु स्वीकार है और उन्हें कारण बताओं सूचना पत्र के उल्लेखित विषय वस्तु के संबंध में कुछ नहीं कहना है। इस आधार पर संस्था का रजिस्ट्रीकरण समाप्त किया जाना विधि अनुकूल है।

अतः मैं संजय दलेला संयुक्त रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटीज भोपाल संभाग भोपाल म.प्र. सह.सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 18 ए/क के अन्तर्गत रजिस्ट्रार की शक्तियां जो मुझे म.प्र. शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-2-2010 पन्द्रह-1-8 दिनांक 23.10.2010 के द्वारा प्रदत्त है का प्रयोग करते हुये संत बलीनाथ साख सह.संस्था मर्या. पंजीयन क्र. 1149 दिनांक 26.12.2017 का पंजीयन निरस्त करता हूँ तथा अधिनियम की धारा 18 ए/क(2) के अन्तर्गत श्रीमती रीता मिश्र वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक कार्यालय उप/सहायक पंजीयक सहकारी संस्थाएँ जिला भोपाल को शासकीय समुनदेशिती नियुक्त करता हूँ तथा आदेशित करता हूँ कि शासकीय समुनदेशिती उक्त संस्था का प्रभार प्राप्त कर म.प्र.सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 के प्रावधानों के अन्तर्गत संस्था की समस्त परिसम्पत्तियों एवं दायित्वों का निराकरण एक वर्ष की समयावधि में पूर्ण कर प्रतिवेदन इस कार्यालय में प्रस्तुत करें।

यह आदेश आज दिनांक 30/3/22 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया।

(G-953)

क्रमांक-परि-2022-501.

कार्यालय सहायक पंजीयक (अंकेक्षक) सहकारी संस्थाएँ जिला भोपाल के द्वारा रिग को-आपरेटिव साख सहसंस्था मर्या. पंजीयन क्र. 1089 दिनांक 10.02.2015 का वर्ष 2020-21 हेतु श्री ओ.पी. मालवीय को अंकेक्षक नियुक्त किया गया। अंकेक्षक द्वारा उक्त संस्था का अंकेक्षण पूर्ण नहीं किये जाने के संबंध में अवगत कराया गया कि संस्था उपविधि अनुसार दर्शित पते पर उपलब्ध नहीं है। इस संबंध में संस्था द्वारा रजिस्टर्ड पते पर न होने के संबंध में पंचनामा संलग्न किया है। संस्था अपने उद्देश्यों की पूर्ति में निरंतर असफल रही है। सहायक पंजीयक (अंके.) सहकारी संस्थाएँ जिला भोपाल के द्वारा संस्था के विरुद्ध म0प्र0 सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 18 (क) के अंतर्गत कार्यवाही हेतु प्रस्ताव दिनांक 14.03.2022 को प्रस्तुत किया गया।

रिग को-आपरेटिव साख सहसंस्था मर्या. पंजीयन क्र. 1089 दिनांक 10.02.2015 (जिसे आगे संक्षेप में केवल "संस्था" कहा गया) है को म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 18 (क) के अन्तर्गत कार्यालयीन पत्र क. /परि./2022/394 दिनांक 17.03.2022 से कारण बताओं सूचना पत्र जारी कर स्थानीय दैनिक समाचार पत्र पत्रिका एवं दैनिक जागरण में दिनांक 18.03.2022 को प्रकाशित करवाया जाकर 10 दिवस की समयावधि में प्रति उत्तर चाहा गया था एवं व्यक्तिगत रूप से पक्ष प्रस्तुत करने हेतु दिनांक 28.03.2022 की तिथि नियत की गई थी।

उक्तानुसार नियत तिथि तक संस्था द्वारा कोई प्रति उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया और न ही व्यक्तिगत सुनवाई हेतु नियत तिथि पर कोई उपस्थित हुआ। अतः यह विश्वास करने का पर्याप्त आधार है कि संस्था के प्रमुख प्रबंधकों, पदाधिकारियों एवं सदस्यों को कारण बताओं सूचना पत्र की विषय वस्तु स्वीकार है और उन्हें कारण बताओं सूचना पत्र के उल्लेखित विषय वस्तु के संबंध में कुछ नहीं कहना है। इस आधार पर संस्था का रजिस्ट्रीकरण समाप्त किया जाना विधि अनुकूल है।

अतः मैं संजय दलेला संयुक्त रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटीज भोपाल संभाग भोपाल म.प्र. सहसोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 18 ए/क के अन्तर्गत रजिस्ट्रार की शक्तियां जो मुझे म.प्र. शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-2-2010 पन्नाह-1-8 दिनांक 23.10.2010 के द्वारा प्रदत्त है का प्रयोग करते हुये रिग को-आपरेटिव साख सहसंस्था मर्या. पंजीयन क्र. 1089 दिनांक 10.02.2015 का पंजीयन निरस्त करता हूँ तथा अधिनियम की धारा 18 ए/क(2) के अन्तर्गत श्री ओ.पी. मालवीय उपअंकेक्षक कार्यालय उप/सहायक पंजीयक सहकारी संस्थाएँ जिला भोपाल को शासकीय समुनदेशिती नियुक्त करता हूँ तथा आदेशित करता हूँ कि शासकीय समुनदेशिती उक्त संस्था का प्रभार प्राप्त कर म.प्र.सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 के प्रावधानों के अन्तर्गत संस्था की समस्त परिसम्पत्तियों एवं दायित्वों का निराकरण एक वर्ष की समयावधि में पूर्ण कर प्रतिवेदन इस कार्यालय में प्रस्तुत करें।

यह आदेश आज दिनांक 30/3/22 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया।

(G-954)

क्रमांक-परि-2022-502.

कार्यालय सहायक पंजीयक (अंकेक्षक) सहकारी संस्थाएँ जिला भोपाल के द्वारा रुद्राक्ष पार्क फेस-1 रहवासी रखरखाव सह.संस्था मर्या. पंजीयन क्र. 1228 दिनांक 04.11.2016 का वर्ष 2020-21 हेतु श्री ओ.पी. मालवीय को अंकेक्षक नियुक्त किया गया। अंकेक्षक द्वारा उक्त संस्था का अंकेक्षण पूर्ण नहीं किये जाने के संबंध में अवगत कराया गया कि संस्था उपविधि अनुसार दर्शित पते पर उपलब्ध नहीं है। इस संबंध में संस्था द्वारा रजिस्टर्ड पते पर न होने के संबंध में पंचनामा संलग्न किया है। संस्था अपने उद्देश्यों की पूर्ति में निरंतर असफल रही है। सहायक पंजीयक (अंके.) सहकारी संस्थाएँ जिला भोपाल के द्वारा संस्था के विरुद्ध म0प्र0 सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 18 (क) के अंतर्गत कार्यवाही हेतु प्रस्ताव दिनांक 14.03.2022 को प्रस्तुत किया गया।

रुद्राक्ष पार्क फेस-1 रहवासी रखरखाव सह.संस्था मर्या. पंजीयन क्र. 1228 दिनांक 04.11.2016 (जिसे आगे संक्षेप में केवल "संस्था" कहा गया) है को म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 18 (क) के अन्तर्गत कार्यालयीन पत्र क./परि./2022/395 दिनांक 17.03.2022 से कारण बताओं सूचना पत्र जारी कर स्थानीय दैनिक समाचार पत्र पत्रिका एवं दैनिक जागरण में दिनांक 18.03.2022 को प्रकाशित करवाया जाकर 10 दिवस की समयावधि में प्रति उत्तर चाहा गया था एवं व्यक्तिगत रूप से पक्ष प्रस्तुत करने हेतु दिनांक 28.03.2022 की तिथि नियत की गई थी।

उक्तानुसार नियत तिथि तक संस्था द्वारा कोई प्रति उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया और न ही व्यक्तिगत सुनवाई हेतु नियत तिथि पर कोई उपस्थित हुआ। अतः यह विश्वास करने का पर्याप्त आधार है कि संस्था के प्रमुख प्रवर्तकों, पदाधिकारियों एवं सदस्यों को कारण बताओं सूचना पत्र की विषय वस्तु स्वीकार है और उन्हें कारण बताओं सूचना पत्र के उल्लेखित विषय वस्तु के संबंध में कुछ नहीं कहना है। इस आधार पर संस्था का रजिस्ट्रीकरण समाप्त किया जाना विधि अनुकूल है।

अतः मैं संजय दलेला संयुक्त रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटीज भोपाल संभाग भोपाल म.प्र. सह.सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 18 ए/क के अन्तर्गत रजिस्ट्रार की शक्तियां जो मुझे म.प्र. शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-2-2010 पन्द्रह-1-8 दिनांक 23.10.2010 के द्वारा प्रदत्त है का प्रयोग करते हुये रुद्राक्ष पार्क फेस-1 रहवासी रखरखाव सह.संस्था मर्या. पंजीयन क्र. 1228 दिनांक 04.11.2016 का पंजीयन निरस्त करता हूँ तथा अधिनियम की धारा 18 ए/क(2) के अन्तर्गत श्री ओ.पी. मालवीय उपअंकेक्षक कार्यालय उप/सहायक पंजीयक सहकारी संस्थाएँ जिला भोपाल को शासकीय समुनदेशिती नियुक्त करता हूँ तथा आदेशित करता हूँ कि शासकीय समुनदेशिती उक्त संस्था का प्रमार प्राप्त कर म.प्र.सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 के प्रावधानों के अन्तर्गत संस्था की समस्त परिसम्पत्तियों एवं दायित्वों का निराकरण एक वर्ष की समयावधि में पूर्ण कर प्रतिवेदन इस कार्यालय में प्रस्तुत करें।

यह आदेश आज दिनांक 30/3/22 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया।

(G-955)

क्रमांक-परि-2022-503.

कार्यालय सहायक पंजीयक (अंकेषक) सहकारी संस्थाएँ जिला भोपाल के द्वारा जनप्रिय साख सह.संस्था मर्या. पंजीयन क्र. 838 दिनांक 17.11.1999 का वर्ष 2020-21 हेतु श्रीमती मीरा देवी को अंकेषक नियुक्त किया गया। अंकेषक द्वारा उक्त संस्था का अंकेषण पूर्ण नहीं किये जाने के संबंध में अवगत कराया गया कि संस्था उपविधि अनुसार दर्शित पते पर उपलब्ध नहीं है। इस संबंध में संस्था द्वारा रजिस्टर्ड पते पर न होने के संबंध में पंचनामा संलग्न किया है। संस्था अपने उद्देश्यों की पूर्ति में निरंतर असफल रही है। सहायक पंजीयक (अंके.) सहकारी संस्थाएँ जिला भोपाल के द्वारा संस्था के विरुद्ध मोप्रो सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 18 (क) के अंतर्गत कार्यवाही हेतु प्रस्ताव दिनांक 14.03.2022 को प्रस्तुत किया गया।

जनप्रिय साख सह.संस्था मर्या. पंजीयन क्र. 838 दिनांक 17.11.1999 (जिसे आगे संक्षेप में केवल "संस्था" कहा गया) है को म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 18 (क) के अन्तर्गत कार्यालयीन पत्र क./परि./2022/398 दिनांक 17.03.2022 से कारण बताओ सूचना पत्र जारी कर स्थानीय दैनिक समाचार पत्र पत्रिका एवं दैनिक जागरण में दिनांक 18.03.2022 को प्रकाशित करवाया जाकर 10 दिवस की समयावधि में प्रति उत्तर चाहा गया था एवं व्यक्तिगत रूप से पक्ष प्रस्तुत करने हेतु दिनांक 28.03.2022 की तिथि नियत की गई थी।

उक्तानुसार नियत तिथि तक संस्था द्वारा कोई प्रति उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया और न ही व्यक्तिगत सुनवाई हेतु नियत तिथि पर कोई उपस्थित हुआ। अतः यह विश्वास करने का पर्याप्त आधार है कि संस्था के प्रमुख प्रबंधकों, पदाधिकारियों एवं सदस्यों को कारण बताओ सूचना पत्र की विषय वस्तु स्वीकार है और उन्हें कारण बताओ सूचना पत्र के उल्लेखित विषय वस्तु के संबंध में कुछ नहीं कहना है। इस आधार पर संस्था का रजिस्ट्रीकरण समाप्त किया जाना विधि अनुकूल है।

अतः मैं संजय दलेला संयुक्त रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटीज भोपाल संभाग भोपाल म.प्र. सह.सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 18 ए/क के अन्तर्गत रजिस्ट्रार की शक्तियां जो मुझे म.प्र. शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-2-2010 पन्नाह-1-8 दिनांक 23.10.2010 के द्वारा प्रदत्त है का प्रयोग करते हुये जनप्रिय साख सह.संस्था मर्या. पंजीयन क्र. 838 दिनांक 17.11.1999 का पंजीयन निरस्त करता हूँ तथा अधिनियम की धारा 18 ए/क(2) के अन्तर्गत श्रीमती मीरा देवी उपअंकेषक कार्यालय उप/सहायक पंजीयक सहकारी संस्थाएँ जिला भोपाल को शासकीय समुनदेशिती नियुक्त करता हूँ तथा आदेशित करता हूँ कि शासकीय समुनदेशिती उक्त संस्था का प्रभार प्राप्त कर म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 के प्रावधानों के अन्तर्गत संस्था की समस्त परिसम्पत्तियों एवं दायित्वों का निराकरण एक वर्ष की समयावधि में पूर्ण कर प्रतिवेदन इस कार्यालय में प्रस्तुत करें।

सहायक पंजीयक

यह आदेश आज दिनांक 30/3/22 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया।

(G-956)

क्रमांक-परि-2022-504.

कार्यालय सहायक पंजीयक (अंकेक्षक) सहकारी संस्थाएँ जिला भोपाल के द्वारा म० प्र० मंत्रालय कर्मचारी भंडार सह. संस्था मर्या. पंजीयन क्र. 1159 दिनांक 23.01.2017 का वर्ष 2020-21 हेतु श्रीमती अल्का तिग्गा को अंकेक्षक नियुक्त किया गया। अंकेक्षक द्वारा उक्त संस्था का अंकेक्षण पूर्ण नहीं किये जाने के संबंध में अवगत कराया गया कि संस्था उपविधि अनुसार दर्शित पते पर उपलब्ध नहीं है। इस संबंध में संस्था द्वारा रजिस्टर्ड पते पर न होने के संबंध में पंचनामा संलग्न किया है। संस्था अपने उद्देश्यों की पूर्ति में निरंतर असफल रही है। सहायक पंजीयक (अंके.) सहकारी संस्थाएँ जिला भोपाल के द्वारा संस्था के विरुद्ध म० प्र० सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 18 (क) के अंतर्गत कार्यवाही हेतु प्रस्ताव दिनांक 14.03.2022 को प्रस्तुत किया गया।

म० प्र० मंत्रालय कर्मचारी भंडार सह. संस्था मर्या. पंजीयन क्र. 1159 दिनांक 23.01.2017 (जिसे आगे संक्षेप में केवल "संस्था" कहा गया) है को म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 18 (क) के अन्तर्गत कार्यालयीन पत्र क. /परि./2022/399 दिनांक 17.03.2022 से कारण बताओं सूचना पत्र जारी कर स्थानीय दैनिक समाचार पत्र पत्रिका एवं दैनिक जागरण में दिनांक 18.03.2022 को प्रकाशित करवाया जाकर 10 दिवस की समयावधि में प्रति उत्तर मांगा गया था एवं व्यक्तिगत रूप से पक्ष प्रस्तुत करने हेतु दिनांक 28.03.2022 की तिथि नियत की गई थी।

उक्तानुसार नियत तिथि तक संस्था द्वारा कोई प्रति उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया और न ही व्यक्तिगत सुनवाई हेतु नियत तिथि पर कोई उपस्थित हुआ। अतः यह विश्वास करने का पर्याप्त आधार है कि संस्था के प्रमुख प्रबंधकों, पदाधिकारियों एवं सदस्यों को कारण बताओं सूचना पत्र की विषय वस्तु स्वीकार है और उन्हें कारण बताओं सूचना पत्र के उल्लेखित विषय वस्तु के संबंध में कुछ नहीं कहना है। इस आधार पर संस्था का रजिस्ट्रीकरण समाप्त किया जाना विधि अनुकूल है।

अतः मैं संजय दलेला संयुक्त रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटीज भोपाल संभाग भोपाल म.प्र. सह.सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 18 ए/क के अन्तर्गत रजिस्ट्रार की शक्तियां जो मुझे म.प्र. शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-2-2010 पन्द्रह-1-8 दिनांक 23.10.2010 के द्वारा प्रदत्त है का प्रयोग करते हुये म० प्र० मंत्रालय कर्मचारी भंडार सह.संस्था मर्या. पंजीयन क्र. 1159 दिनांक 23.01.2017 का पंजीयन निरस्त करता हूँ तथा अधिनियम की धारा 18 ए/क(2) के अन्तर्गत श्रीमती अल्का तिग्गा सहकारी निरीक्षक कार्यालय उप/सहायक पंजीयक सहकारी संस्थाएँ जिला भोपाल को शासकीय समुनदेशिती नियुक्त करता हूँ तथा आदेशित करता हूँ कि शासकीय समुनदेशिती उक्त संस्था का प्रभार प्राप्त कर म.प्र.सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 के प्रावधानों के अन्तर्गत संस्था की समस्त परिसम्पत्तियों एवं कार्यों का निराकरण एक वर्ष की समयावधि में पूर्ण कर प्रतिवेदन इस कार्यालय में प्रस्तुत करें।

यह आदेश आज दिनांक 30/3/22 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदगुद्रा से जारी किया गया।

(G-957)

क्रमांक-परि-2022-505.

कार्यालय सहायक पंजीयक (अंकेक्षक) सहकारी संस्थाएँ जिला भोपाल के द्वारा तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था खामखेडा पंजीयन क्र. 200 दिनांक 10.11.1983 का वर्ष 2020-21 हेतु श्री आर.के. कातुलकर को अंकेक्षक नियुक्त किया गया। अंकेक्षक द्वारा उक्त संस्था का अंकेक्षण पूर्ण नहीं किये जाने के संबंध में अवगत कराया गया कि संस्था उपविधि अनुसार दर्शित पते पर उपलब्ध नहीं है। इस संबंध में संस्था द्वारा रजिस्टर्ड पते पर न होने के संबंध में पंचनामा संलग्न किया है। संस्था अपने उद्देश्यों की पूर्ति में निरंतर असफल रही है। सहायक पंजीयक (अंके.) सहकारी संस्थाएँ जिला भोपाल के द्वारा संस्था के विरुद्ध म0प्र0 सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 18 (क) के अंतर्गत कार्यवाही हेतु प्रस्ताव दिनांक 14.03.2022 को प्रस्तुत किया गया।

तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था खामखेडा पंजीयन क्र. 200 दिनांक 10.11.1983 (जिसे आगे संक्षेप में केवल "संस्था" कहा गया) है को म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 18 (क) के अन्तर्गत कार्यालयीन पत्र क./परि./2022/337 दिनांक 17.03.2022 से कारण बताओ सूचना पत्र जारी कर स्थानीय दैनिक समाचार पत्र पत्रिका एवं दैनिक जागरण में दिनांक 18.03.2022 को प्रकाशित करवाया जाकर 10 दिवस की समयावधि में प्रति उत्तर चाहा गया था एवं व्यक्तिगत रूप से पक्ष प्रस्तुत करने हेतु दिनांक 28.03.2022 की तिथि नियत की गई थी।

उक्तानुसार नियत तिथि तक संस्था द्वारा कोई प्रति उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया और न ही व्यक्तिगत सुनवाई हेतु नियत तिथि पर कोई उपस्थित हुआ। अतः यह विश्वास करने का पर्याप्त आधार है कि संस्था के प्रमुख प्रबंधकों, पदाधिकारियों एवं सदस्यों को कारण बताओ सूचना पत्र की विषय वस्तु स्वीकार है और उन्हें कारण बताओ सूचना पत्र के उल्लेखित विषय वस्तु के संबंध में कुछ नहीं कहना है। इस आधार पर संस्था का रजिस्ट्रीकरण समाप्त किया जाना विधि अनुकूल है।

अतः मैं संजय दलेला संयुक्त रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटीज भोपाल संभाग भोपाल म.प्र. सह.सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 18 ए/क के अन्तर्गत रजिस्ट्रार की शक्तियां जो मुझे म.प्र. शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-2-2010 पन्नाह-1-8 दिनांक 23.10.2010 के द्वारा प्रदत्त है का प्रयोग करते हुये तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था खामखेडा पंजीयन क्र. 200 दिनांक 10.11.1983 का पंजीयन निरस्त करता हूँ तथा अधिनियम की धारा 18 ए/क(2) के अन्तर्गत श्री आर.के. कातुलकर उप अंकेक्षक कार्यालय उप/सहायक पंजीयक सहकारी संस्थाएँ जिला भोपाल को शासकीय समुनदेशिती नियुक्त करता हूँ तथा आदेशित करता हूँ कि शासकीय समुनदेशिती उक्त संस्था का प्रभार प्राप्त कर म.प्र.सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 के प्रावधानों के अन्तर्गत संस्था की समस्त परिसम्पत्तियों एवं दायित्वों का निराकरण एक वर्ष की समयावधि में पूर्ण कर प्रतिवेदन इस कार्यालय में प्रस्तुत करें।

यह आदेश आज दिनांक 30/3/22 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया।

(G-958)

क्रमांक-परि-2022-506.

कार्यालय सहायक पंजीयक (अंकेक्षक) सहकारी संस्थाएँ जिला भोपाल के द्वारा ग्राम विकास साख सहकारी संस्था फन्दाकला पंजीयन क्र. 1116 दिनांक 02.03.2016 का वर्ष 2020-21 हेतु श्री आर.के. कातुलकर को अंकेक्षक नियुक्त किया गया। अंकेक्षक द्वारा उक्त संस्था का अंकेक्षण पूर्ण नहीं किये जाने के संबंध में अवगत कराया गया कि संस्था उपविधि अनुसार दर्शित पते पर उपलब्ध नहीं है। इस संबंध में संस्था द्वारा रजिस्टर्ड पते पर न होने के संबंध में पंचनामा संलग्न किया है। संस्था अपने उद्देश्यों की पूर्ति में निरंतर असफल रही है। सहायक पंजीयक (अंके.) सहकारी संस्थाएँ जिला भोपाल के द्वारा संस्था के विरुद्ध म0प्र0 सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 18 (क) के अंतर्गत कार्यवाही हेतु प्रस्ताव दिनांक 14.03.2022 को प्रस्तुत किया गया।

ग्राम विकास साख सहकारी संस्था फन्दाकला पंजीयन क्र. 1116 दिनांक 02.03.2016 (जिसे आगे संक्षेप में केवल "संस्था" कहा गया) है को म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 18 (क) के अंतर्गत कार्यालयीन पत्र क./परि./2022/336 दिनांक 17.03.2022 से कारण बताओं सूचना पत्र जारी कर स्थानीय दैनिक समाचार पत्र पत्रिका एवं दैनिक जागरण में दिनांक 18.03.2022 को प्रकाशित करवाया जाकर 10 दिवस की समयावधि में प्रति उत्तर चाहा गया था एवं व्यक्तिगत रूप से पक्ष प्रस्तुत करने हेतु दिनांक 28.03.2022 की तिथि नियत की गई थी।

उक्तानुसार नियत तिथि तक संस्था द्वारा कोई प्रति उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया और न ही व्यक्तिगत सुनवाई हेतु नियत तिथि पर कोई उपस्थित हुआ। अतः यह विश्वास करने का पर्याप्त आधार है कि संस्था के प्रमुख प्रवर्तकों, पदाधिकारियों एवं सदस्यों को कारण बताओं सूचना पत्र की विषय वस्तु स्वीकार है और उन्हें कारण बताओं सूचना पत्र के उल्लेखित विषय वस्तु के संबंध में कुछ नहीं कहना है। इस आधार पर संस्था का रजिस्ट्रीकरण समाप्त किया जाना विधि अनुकूल है।

अतः मैं संजय दलेला संयुक्त रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटीज भोपाल संभाग भोपाल म.प्र. सह.सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 18 ए/क के अंतर्गत रजिस्ट्रार की शक्तियां जो मुझे म.प्र. शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-2-2010 पन्द्रह-1-8 दिनांक 23.10.2010 के द्वारा प्रदत्त है का प्रयोग करते हुये ग्राम विकास साख सहकारी संस्था फन्दाकला पंजीयन क्र. 1116 दिनांक 02.03.2016 का पंजीयन निरस्त करता हूँ तथा अधिनियम की धारा 18 ए/क(2) के अंतर्गत श्री आर.के. कातुलकर उप अंकेक्षक कार्यालय उप/सहायक पंजीयक सहकारी संस्थाएँ जिला भोपाल को शासकीय समुनदेशिती नियुक्त करता हूँ तथा आदेशित करता हूँ कि शासकीय समुनदेशिती उक्त संस्था का प्रभार प्राप्त कर म.प्र.सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 के प्रावधानों के अंतर्गत संस्था की निरस्त प्राप्ति एवं दायित्वों का निराकरण एक वर्ष की समयावधि में पूर्ण कर प्रतिवेदन इस कार्यालय में प्रस्तुत करें।

यह आदेश आज दिनांक 30/3/22 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया।

(G-959)

क्रमांक-परि-2022-507.

कार्यालय सहायक पंजीयक (अंकेक्षक) सहकारी संस्थाएँ जिला भोपाल के द्वारा अमरशक्ति गैस राहत सहकारी संस्था पंजीयन क्र. 659 दिनांक 19.11.1997 का वर्ष 2020-21 हेतु श्री शितांशु धुर्वे को अंकेक्षक नियुक्त किया गया। अंकेक्षक द्वारा उक्त संस्था का अंकेक्षण पूर्ण नहीं किये जाने के संबंध में अवगत कराया गया कि संस्था उपबिधि अनुसार दर्शित पते पर उपलब्ध नहीं है। इस संबंध में संस्था द्वारा रजिस्टर्ड पते पर न होने के संबंध में पंचनामा संलग्न किया है। संस्था अपने उद्देश्यों की पूर्ति में निरंतर असफल रही है। सहायक पंजीयक (अंके.) सहकारी संस्थाएँ जिला भोपाल के द्वारा संस्था के विरुद्ध मोप्रो. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 18 (क) के अंतर्गत कार्यवाही हेतु प्रस्ताव दिनांक 14.03.2022 को प्रस्तुत किया गया।

अमरशक्ति गैस राहत सहकारी संस्था पंजीयन क्र. 659 दिनांक 19.11.1997 (जिसे आगे संक्षेप में केवल "संस्था" कहा गया) है को म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 18 (क) के अंतर्गत कार्यालयीन पत्र क./परि./2022/340 दिनांक 17.03.2022 से कारण बताओं सूचना पत्र जारी कर स्थानीय दैनिक समाचार पत्र पत्रिका एवं दैनिक जागरण में दिनांक 18.03.2022 को प्रकाशित करवाया जाकर 10 दिवस की समयावधि में प्रति उत्तर चाहा गया था एवं व्यक्तिगत रूप से पक्ष प्रस्तुत करने हेतु दिनांक 28.03.2022 की तिथि नियत की गई थी।

उक्तानुसार नियत तिथि तक संस्था द्वारा कोई प्रति उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया और न ही व्यक्तिगत सुनवाई हेतु नियत तिथि पर कोई उपस्थित हुआ। अतः यह विश्वास करने का पर्याप्त आधार है कि संस्था के प्रमुख प्रबंधकों, पदाधिकारियों एवं सदस्यों को कारण बताओं सूचना पत्र की विषय वस्तु स्वीकार है और उन्हें कारण बताओं सूचना पत्र के उल्लेखित विषय वस्तु के संबंध में कुछ नहीं कहना है। इस आधार पर संस्था का रजिस्ट्रीकरण समाप्त किया जाना विधि अनुकूल है।

अतः मैं संजय दलेला संयुक्त रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटीज भोपाल संभाग भोपाल म.प्र. सह.सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 18 ए/क के अंतर्गत रजिस्ट्रार की शक्तियां जो मुझे म.प्र. शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-2-2010 पन्द्रह-1-8 दिनांक 23.10.2010 के द्वारा प्रदत्त है का प्रयोग करते हुये अमरशक्ति गैस राहत सहकारी संस्था पंजीयन क्र. 659 दिनांक 19.11.1997 का पंजीयन निरस्त करता हूँ तथा अधिनियम की धारा 18 ए/क(2) के अंतर्गत श्री शितांशु धुर्वे सहकारी निरीक्षक कार्यालय उप/सहायक पंजीयक सहकारी संस्थाएँ जिला भोपाल को शासकीय समुनदेशिती नियुक्त करता हूँ तथा आदेशित करता हूँ कि शासकीय समुनदेशिती उक्त संस्था का प्रमार प्राप्त कर म.प्र.सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 के प्रावधानों के अंतर्गत संस्था की समस्त परिसम्पत्तियों एवं दायित्वों का प्रशासन एक वर्ष की समयावधि में पूर्ण कर प्रतिवेदन इस कार्यालय में प्रस्तुत करें।

यह आदेश आज दिनांक 30/3/22 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया।

संजय दलेला, संयुक्त रजिस्ट्रार.

(G-960)

इसे वेबसाइट www.govtpress.nic.in से
भी डाउन लोड किया जा सकता है।



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 19]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 13 मई 2022—वैशाख 23, शक 1944

भाग 3 (2)

सांख्यिकीय सूचनाएं

(कुछ नहीं)